खण्ड-353, अंक-9
शुक्रवार, 9 माघ, शक संवत् 1903
(29 जनवरी, 1982 ई0)

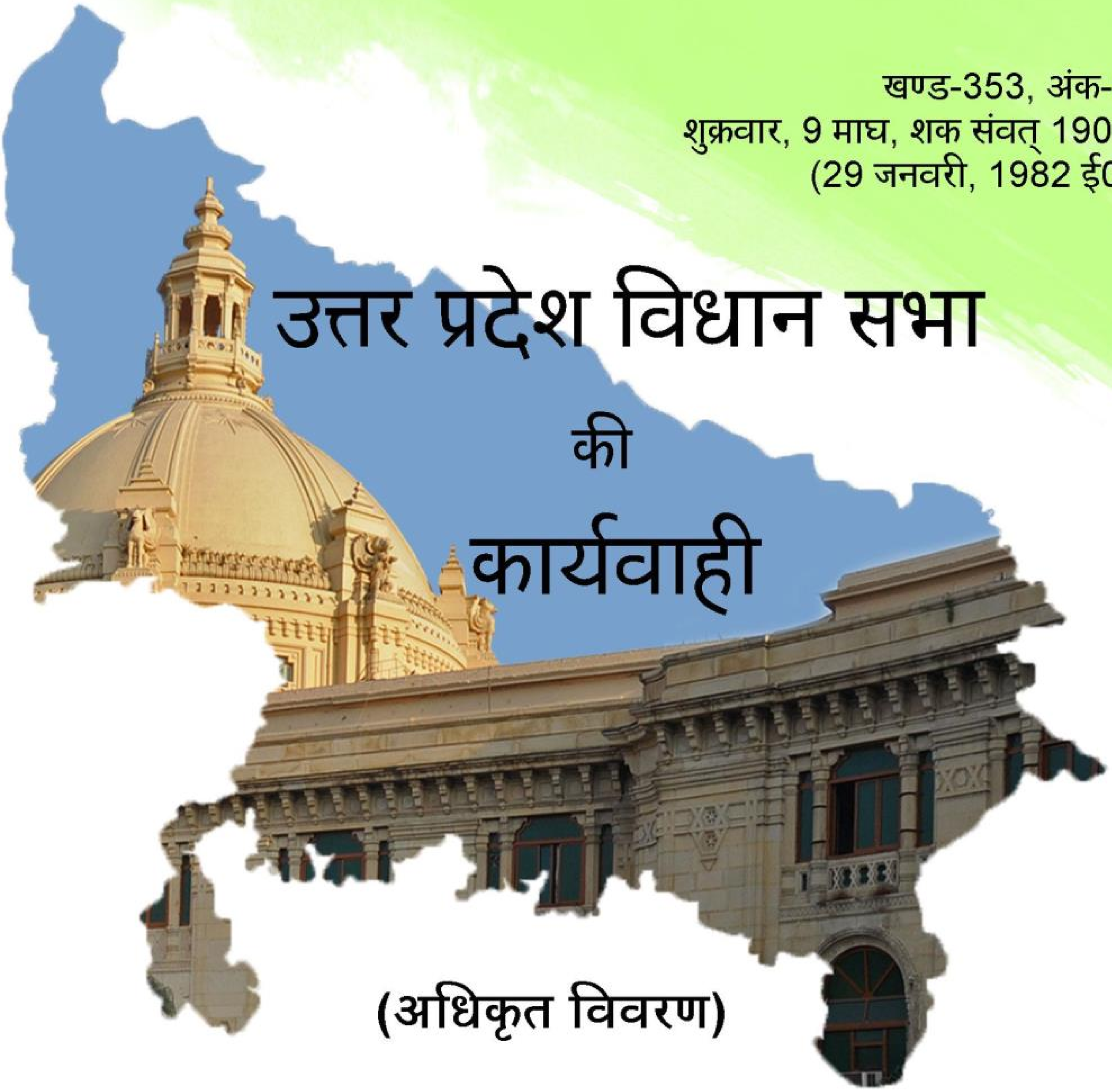

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1127–1130
प्रश्नोत्तर	1131–1196
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1197
माधवगढ़, जनपद जालौन में बन्द पड़े मिनी शकर प्लान्ट को चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1197
बस्ती जनपद के कतिपय थानों के अन्तर्गत बाहर से लायी गयी महिलाओं की बिक्री के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1197–1198
थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1198
मनेरी भाली बांध निर्माण खण्ड उत्तरकाशी द्वारा ग्राम कन्सेडा तथा मनेरा में वन सम्पदा की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1198–1199
मैनपुरी जनपद के प्राइमरी पाठलशालाओं में अध्यापकों के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1199–1200
विधान सभा सदस्य, श्री मुख्तार अनीस व श्री प्रदीप कुमार यादव की रिहाई की सूचना	1200
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1200–1201
डाक्टर एम0 राव प्रभारी चिकित्साधिकारी, पी0एच0सी0, डुमरियागंज, जिला बस्ती के विरुद्ध की गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1201–1202
जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक लखनऊ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1202–1205
श्री मारकण्डेय चन्द द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	1205
सदन की समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना ..	1205
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1206
पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर देवरिया व वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के संबंध में दिये जाने वाले वक्तव्य पर आपत्ति (जारी)	1206–1208
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	1208
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया)	1209
दिनांक 27–1–1982 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में पढ़े गये श्री लटूरी सिंह के पत्र के संबंध में श्री लटूरी सिंह का स्पष्टीकरण	1209–1213
पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर देवरिया व वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के संबंध मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति	1213–1215
पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर देवरिया व वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के षड़यंत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	1215–1219
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1219–1220

पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) 1220–1224

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1982 (स्वीकृत) .. 1225–1231

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) 1231–1232

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) .. 1233–1235

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) 1236–1252

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) 1252–1260

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1261

बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था 1261

1982–83 का आय व्ययक (प्रस्तुत किया गया) 1261–1284

नत्थी 1285–1286

विधान सभा पुस्तकालय

विधान सभा प्रदेश मध्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29-1-82

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-327

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मोहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इन्द्र जीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, (लल्लू) श्री — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदय वीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीम — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — आगरा
कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शसंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री — बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तरसिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोण्डा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर

जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री, फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ीगढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल कुमार, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती

मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ, श्री — बस्ती
मलिक मु0 जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद सिंह, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईस उद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — वाराणसी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राव, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रूद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा

लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजयपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
बिशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह श्री — बांदा
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह डाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भू नाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डा० — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सिकन्दर अली खां, श्री — गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, — लखनऊ
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरनरायन सिंह, श्री — रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरी शंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 29 जनवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के खाते से अनुचित रूप से धन व्यय किये जाने सम्बन्धी ज्ञापन

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, बालागंज, लखनऊ द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल के खाते से अनुचित रूप से धन का व्यय किये जाने के संबंध में स्थानीय निधि लेखा विभाग की आडिट रिपोर्टों के आधार पर प्रश्नकर्ता के ज्ञापन दिनांक 17-9-81, 22-9-81 व 30-9-81 क्रमशः निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट फण्ड, श्री नृपेन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं वित्त मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों में कौन-कौन से अनियमित व्ययों का उल्लेख है तथा सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

जी हां। ज्ञापन दिनांक 17-9-81 में निम्नलिखित अनियमितताओं का उल्लेख है :—

(1) श्री रामेश्वर दयाल को अनावर्तक अनुदान से रु0 400.00 का अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान।

(2) आल इण्डिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसाइटी, लखनऊ के लिये किये गये कार्य से सम्बन्धित रु0 750.00 का बिल प्रगति आश्रम पर भारित किया गया।

(3) अध्यक्ष के कानपुर कार्यालय के लिये किया गया रु0 117.15 का डाक व्यय विद्यालय से वहन किया गया।

दिनांक 22-9-81 के ज्ञापन के साथ उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 17-9-81 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए उसमें बताई गयी अनियमितताओं की जांच करने हेतु रजिस्ट्रार को समुचित निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 30-9-81 के ज्ञापन के साथ परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के पत्र सं0 1523 दिनांक 7-9-81 की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है जिसमें उल्लिखित अनियमित व्ययों का विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त तीनों ज्ञापनों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :—

दिनांक 17-9-81 के ज्ञापन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी थी तथा कृत कार्यवाही के परिणामों से माननीय विधायक श्री राम आसरे वर्मा को रजिस्ट्रार ने अपने पत्र संख्या 10535 दिनांक 8-12-81 द्वारा अवगत करा दिया है।

दिनांक 22-9-81 के ज्ञापन पर रजिस्ट्रार को आवश्यक निदेश शासन द्वारा दिये गये थे। शासन के निदेशों के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा माननीय विधायक महोदय को उपर्युक्तानुसार सूचित किया जा चुका है।

दिनांक 30-9-81 के ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक

कार्यवाही उनके ही स्तर से की जानी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1285–1286 पर।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस प्रदेश में भी कुछ ऐसी विभूतियां हैं जो शासन से भी ऊपर हैं और शासन के रुपये को लूटने में घाघ के रूप में बैठे हुए हैं। इसी तरह से इस संस्था का है। 1959 में यह संस्था बनी, कई बार आडिट आब्जेक्शन्स भी आये। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में 1 लाख 52 हजार की अनियमितातायें स्वीकार की हैं आडिट की और उसके बाद भी 1959 से अब तक कोई भी आडिट आब्जेक्शन्स रिमूव नहीं किया गया और प्रत्येक वर्ष शासन की तरफ से मदद दी जाती रही। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आडिट फीस इनके ऊपर निकलती है, उस आडिट फीस से 32,244.78 पैसा, इनको वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर से की है अथवा नहीं? यदि नहीं की है, तो क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, जहां तक आडिट फीस का सवाल है वह तो जो नियमानुसार कार्यवाही है, वह तो की जायगी। आडिट करने के बाद हमने समाज कल्याण विभाग को यह कहा है कि वह आवश्यक कार्यवाही करें और इसके बाबत निदेशक को निर्देश दे दिया है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या मान्यवर, आपके आडिट आब्जेक्शन्स होने के बावजूद इसके जो अपराध निरोधक समिति के सदस्य होते हैं, वह केवल जेल के अन्दर जाने के अलावा और भी कोई काम नहीं करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस संस्था का सुधार करने का कष्ट करेंगे या इस अपराध निरोधक समिति को समाप्त करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, अपराध निरोधक समिति को समाप्त करना तो मैं उचित नहीं समझता।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, जब एक लाख से ऊपर के आडिट आब्जेक्शन्स थे, इसके अलावा भी सालाना उस संस्था को ग्रांट दी जाती रही है, इसका क्या कारण है?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, जो अनियमितताएं हैं, उसको संबंधित विभाग को दृष्टिगोचर कर दिया गया है और उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्था को वह काली सूची में घोषित करने की कृपा करेंगे और आगे से किसी प्रकार की सहायता इस संस्था को नहीं प्रदान करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि मेरा अधिकार इतना है कि जो अनियमितता हो वह सम्बन्धित विभाग के दृष्टिगोचर कर दूं कार्यवाही के लिये। जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, विभाग करेगा।

श्री ऊदल–

सन् 59 से आज 82 हो गया अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को कार्यवाही के लिए कब लिखा गया है?

श्री ब्रह्म दत्त–

इक्जेक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता लेकिन इसी साल लिखा गया है। ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह कह कर मुकर गये कि मैंने अपना काम कर दिया और इनका दूसरा विभाग लाखों रुपया देता है।

*2–श्री ऊदल–

[17वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिला उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ में विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

*4–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ में 132 के0वी0 का सब स्टेशन ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत बनना 1978 में स्वीकृत हुआ था तथा उसका लाखों रुपया खर्च हो चुका एवं ठेकेदारों द्वारा डाले गये टेण्डर भी स्वीकृत हो चुके लेकिन कार्य आज तक न शुरू हुआ? यदि हां, तो क्यों तथा शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

जिला उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ में 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (विशेष पारेषण योजना) के अन्तर्गत वर्ष 1975 में स्वीकृत हुआ था। उक्त विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण पर अब तक लगभग रु0 9.91 लाख का व्यय हो चुका है। उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित दस विभिन्न कार्यों के लिये टेण्डर प्राप्त करके स्वीकार किये जा चुके हैं। स्वीकृत दस टेण्डरों में से एक के अन्तर्गत कार्य पूरा किया जा चुका है तथा पांच अन्य टेण्डरों के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। अन्य चार स्वीकृत टेण्डरों में से एक मामले में संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य अनुबन्ध न करने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका तथा तीन मामलों में कार्य उपकेन्द्र की ड्राइंग की स्वीकृति के पश्चात् ही किये जाने हैं। उक्त विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है, अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*5–श्री रियासत हुसैन–

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की तहसीलों में चकबन्दी योजना के लोकप्रिय होने पर कृषकों द्वारा दुबारा चकबन्दी कराने की मांग

*6–श्री भीखालाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रदेश की 26 तहसीलों में जिनके चकबन्दी कार्य प्रारम्भिक दिनों में किया गया था कर्मचारियों की अनुभवहीनता के कारण कार्य ठीक नहीं हुआ और किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिला, इसलिए शासन ने यह निश्चय किया है कि उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दुबारा चकबन्दी की क्रिया चलाई जाय? यदि हां, तो क्या शासन ने यह भी निश्चय किया है कि दुबारा चकबन्दी क्रिया का खर्चा भी किसानों से वसूल किया जायेगा? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

जी नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि शुरू में कृषकगण चकबन्दी योजना को ठीक से समझ नहीं पाये थे जिसके कारण वे अपने मूल खेतों को अधिक

से अधिक अपने चकों में लेने पर जोर देते थे। फलत: चकों की संख्या अधिक बनी तथा चक भी चौकोर नहीं बन सके तथा साथ ही तत्कालीन अधिनियम, 1954 में चकरोड व सिंचाई गूलों के लिये जमीन निकालने का प्राविधान नहीं था अत: वर्ष 1960 से पूर्व के चकबन्दी कृत ग्रामों में इन सुविधाओं को नहीं दिया जा सका था। अब चकबन्दी योजना के लोकप्रिय होने पर कृषकों द्वारा इन क्षेत्रों में दुबारा चकबन्दी कराने की मांग की गयी है। चूंकि दोबारा चकबन्दी कराने से किसानों का लाभ होगा अत: उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार व्यय भी किसानों से वसूल किया जायेगा।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, आप मेरी मदद करें कि 26 तहसीलों में शासन ने निर्णय किया है कि दुबारा चकबन्दी करा दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रारम्भिक दौर में जो चकबन्दी हुई थी तो जिन लोगों ने या जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने चकबन्दी की थी वह ठीक नहीं हुई है इसलिये दुबारा चकबन्दी कराने का निर्णय लिया गया है। इनके उत्तर का मतलब यह है कि दोष शासन का नहीं है बल्कि किसानों का है जो उन्होंने चौकोर चक नहीं बनवाये। मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी शासन की है कि उसने एक दफा गलत चक बनाने का खर्चा लिया और अब दुबारा फिर चक बनाने का खर्चा ले रहे हैं, इसका क्या औचित्य है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी का शायद कहने का अभिप्राय यह है कि उस वक्त जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने चकबन्दी की तो उन्होंने उसमें कोई गलती की थी। मूल उत्तर में यह कहा गया है कि ऐसा नहीं था। जब चकबन्दी योजना शुरू हुई तो किसान लोग चकबन्दी नहीं कराना चाहते थे। किसी तरह से उन्हें परसुएड किया गया और फिर चकबन्दी करायी गयी। आपने मान्यवर, स्वयं देखा होगा कि जब भी कोई नई स्कीम चली, तो उसका विरोध हुआ। वह एक पीरियड था सहकारिता का, बात चल रही थी। विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि सरकार जमीन लेगी यह उसकी शुरुआत है। विरोधी पक्ष के कहने में आकर लोगों ने डंडा ले लेकर लोगों को भगाया। किसी तरह समझा बुझा कर कर्मचारियों ने फिर भी चकबन्दी की। उसके बाद चकबन्दी अधिनियम में संशोधन हुआ। पहले चौकोर चकबन्दी का प्राविधान नहीं था, चकरोड बनाने का प्राविधान नहीं था, पानी का प्राविधान नहीं था। जब यह संशोधन कर दिया गया तो सुविधाओं के साथ चकबन्दी योजना पापुलर हो गयी। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने लोगों को भगाया था, वही अब कहते हैं कि हमारी चकबन्दी करा दीजिये। इसलिये दुबारा कुछ तहसीलों में चकबन्दी कराने का निर्णय लिया गया है। किसानों को स्वयं अब इसका लाभ समझ में आ गया है जैसे कि केमिकल फर्टीलाइजर का लोगों ने पहले विरोध किया था परन्तु अब उसकी मांग कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन–

यह देखते हुए कि जो सबसे पहले चकबन्दी हुई थी वह एक अधिनियम और उससे संबंधित नियम बना करके हुई थी। उसके सारे लोगों में से कुछ ने अपील की और उसका जजमेन्ट भी उस अधिनियम के आधार पर हुआ। जब सरकार ने अधिनियम और नियम के अन्तर्गत चकबन्दी कराई थी तो फिर नये रूल को अमेन्ड करने के कारण जो चकबन्दी करा रहे हैं तो क्या सरकार का जो दुबारा चकबन्दी में खर्चा होगा उसे किसानों से वसूल करने का खयाल छोड़ देगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चकबन्दी जैसे कि पहले शुरू में हुई थी यह लैण्ड रिफार्म का एक अंग है। भूमि सुधार का जैसे-जैसे संबंध आता है वैसे-वैसे

इसमें संशोधन किये गये हैं । इसमें भी संशोधन किया गया है । मान्यवर, इसमें किसानों पर औसत 14 रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। तो जिन गांवों में पहले भी किसान नहीं चाहे 50 फीसदी से ज्यादा लोगों ने नहीं चाहा तो वहां नहीं की गई। अब भी अगर उससे ज्यादा लोग कहेंगे तो हम चकबन्दी नहीं करायेंगे।

बस्ती जनपद के औद्योगिक इकाई के बकाये में छूट का निर्णय

*7–श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)–

प्रथम सत्र 81 के 3रे शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के किसी औद्योगिक इकाई के बकाये का पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दिये जाने के संबंध में 1 जुलाई, 1980 से 15 फरवरी, 1981 के बीच कोई निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

बस्ती जनपद के किसी औद्योगिक इकाई के बकाये का पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दिये जाने के सम्बन्ध में पहली जुलाई, 1980 से 15 फरवरी, 1981 के बीच कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी के उत्तर में बताया गया है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मैं आपके माध्यम से अपनी जानकारी देना चाहूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे यहां एक औद्योगिक इकाई में छूट का प्रश्न चल रहा था उसी के बीच में सवाल आ गया और उसके बाद मंत्री जी ने काट दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसी तरह की कोई व्यवस्था करेंगे बस्ती जनपद में कि किसी भी इकाई के बकाये की छूट पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

विचार करने लायक होगा तो किया जायेगा नहीं करने लायक होगा तो नहीं किया जायेगा । आप बैठिए ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम भोपा बाजार के प्लाट नं0 35 बंजर भूमि पर अवैध कब्जा हटाने संबंधी कार्यवाही

*8–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के एस0 के0 सर्किल सरदार नगर के ग्राम भोपा बाजार के प्लाट नं0 35 बंजर की भूमि में 5 डिसमिल भूमि प्रश्नकर्ता के नाम पट्टे पर दे दी गयी है जिसके कुछ भाग को अवैध कब्जे के रूप में करने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों पर 122-बी का मुकदमा चला कर अवैध कब्जा हटाने का निर्णय हुआ जिसके सन्दर्भ में पैमाइश करने व कब्जा दिलाने से सम्बन्धित कितनी सूचनायें शासन व स्थानीय अधिकारियों (तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी) को माह जनवरी, 1981 से माह मई 28, 1981 तक दी गयीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर फीडर से गत रबी और खरीफ की फसलों में विद्युत् आपूर्ति

*9–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर फीडर से गत खरीफ और रबी की फसलों में औसतन चार घण्टे से भी कम विद्युत् सप्लाई की गयी ? यदि

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 7 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

हां, तो क्यों? क्या विद्युत् उपभोग के अनुसार सरकार उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाकर चार्ज वसूलने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर फीडर जो कि 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपगृह उपगृह जलालपुर से निकाला है, जिससे गत खरीफ और रबी की फसलों में अर्थात माह जुलाई, 1980 से 1981 तक औसतन 8 घण्टे 48 मिनट तथा माह अक्टूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में 6 घण्टे 40 मिनट प्रति दिन विद्युत् आपूर्ति की गयी।

जहां तक विद्युत उपभोग के अनुसार मीटर लगा कर चार्ज वसूलने का प्रश्न है, वह प्रणाली पहले परिषद में लागू थी, परन्तु निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा असुविधाओं को महसूस करने के कारण इसके स्थान पर उनसे नियत दर पर चार्ज वसूलने की व्यवस्था लागू की गयी । नियत दर पर चार्ज वसूलने की प्रणाली उपभोक्ताओं एवं विद्युत परिषद् दोनों के लिए अधिक सुविधाजनक सिद्ध हुई है, अतएव मीटर लगा कर चार्ज वसूलने की प्रथा को फिर से लागू करने का प्रस्ताव अभी परिषद् के समक्ष नहीं है ।

श्री प्रभूनारायण सिंह–

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है एकदम स्पष्ट रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है मैं कह सकता हूं कि यह सूचना बिल्कुल झूठी है खरीफ की फसल में जब फसल सूख रही थी इसी फीडर के किसानों द्वारा जिला जौनपुर के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर आफिस पर विशाल प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों और विद्युत् उपभोक्ताओं में मारपीट हुई जिसकी रिपोर्ट आज हुई है तो यदि नियमित आपूर्ति होती तो यह स्थिति पैदा न होती । क्या मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री फिर से इसकी सूचना मंगवा कर जो झूठा वक्तव्य दिया गया है इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि मोटर से बिजली आपूर्ति होती तो किसानों को सन्तोष होता कि जितनी बिजली उपभोग किया है उतना ही चार्ज किया गया ।

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, किसानों को औसतन 7 घंटे बिजली दी जा रही है और यह सूचना हमने सब-स्टेशन से प्राप्त किया है। सब-स्टेशन ने सूचित किया है कि 6 घण्टे 40 मिनट बिजली आपूर्ति की गयी है। जहां तक मीटर का सवाल है विद्युत् परिषद् में पहले था बाद में इसको बन्द करके यह प्रथा चलायी गयी और इससे किसानों को बहुत ज्यादा सुविधा है क्योंकि पहली बात तो 4 रुपये मीटर रेन्ट जो होता है वह किसानों को नहीं देना पड़ता है दूसरी बात 22-50 प्रति हार्स पावर पर मीटर लगने पर लागू हो जायेगा अभी केवल 15 रुपए प्रति हार्स पावर देना पड़ता है ।

श्री खैरुल बशर–

माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि बिजली से प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी शिकायत है और मीटर और बिजली की सप्लाई के विषय में गम्भीर शिकायत है तो क्या एक विधायक की सब-कमेटी बनाकर सिंचाई को सुनिश्चित बनाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करेंगे जिससे कोई रास्ता निकाला जा सके।

श्री सुनील शास्त्री–

स्टैंडिंग कमेटी है उसमें विचार होता रहता है और साथ ही साथ जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है । पिछली मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि एक किसान का प्रतिनिधि भी उसमें रखा जायेगा । उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

विद्युत् परिषद् का समाजीकरण

*10—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में विद्युत् कर्मचारियों एवं अभियंताओं की हड़ताल समाप्त करने और विद्युत् उत्पादन पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिए किसी विधायक ने उन्हें विद्युत् विभाग का समाजीकरण करने का सुझाव दिसम्बर, 1980 के महीने में दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, माननीय प्रश्नकर्ता महोदय का एक पत्र प्राप्त हुआ था। जहां तक विद्युत परिषद् के समाजीकरण का प्रश्न है, स्थिति यह है कि इसका गठन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। फिलहाल उसमें किसी प्रकार का संशोधन किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि समाजीकरण का सुझाव पत्र में दिया हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या हैं और आपको क्या कठिनाई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उसमें माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि 3 विधायक और 3 कर्मचारी हों उस में और 3 सरकारी प्रतिनिधि को बोर्ड में शामिल किया जाए। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किया गया है।

उसके अनुसार जिस प्रकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये उसी प्रकार से प्रदेश में बोर्ड का गठन किया गया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि समाजीकरण में धनदाता सरकार, मजदूर और उपभोक्ता की जो समान प्रतिनिधित्व करने की बात कही गयी है उसको प्रभावी मानते हुए क्या मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि बिल में संशोधन करके उक्त समाजीकरण की व्यवस्था की जाय?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, स्टेट कंसल्टेटिव कमेटी आलरेडी विद्युत परिषद में है और सभी उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है।

श्री विशन सिंह, तत्कालीन लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी द्वारा बांटे गए किसानों को मुआवजे में घोटाला

*11—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सन् 1979 में श्री विशन सिंह, तत्कालीन लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी, बुलन्दशहर ने अनूपशहर व खुर्जा तहसील के किसानों को उनकी जमीन के जो मुआवजे बांटे गये थे, उनके प्रशासनिक जांच द्वारा बड़ा घोटाला पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*12—श्री बदन सिंह—

[चौथे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा की नगरपालिका कासगंज में मार्ग प्रकाश के विस्तार हेतु जमा की गयी धनराशि

*13—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा की नगरपालिका कासगंज के प्रभारी अधिकारी द्वारा मोहल्ला नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग जवाहर गेज, सौरों गेट कासगंज तथा कासगंज अमापुर रोड पर कोठीवाल अड़तिया डिग्री कालेज, कासगंज तक और लालपुर रोड तथा मोहल्ला बड़ नगर के मार्ग प्रकाश के विस्तार हेतु वांछित धनराशि विद्युत अनुरक्षण खण्ड एटा में कई वर्ष पूर्व जमा करा दी है ? यदि हां, तो उक्त जगहों पर स्ट्रीट लाइट की लाईन बिछा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद एटा की नगरपालिका, कासगंज के प्रभारी अधिकारी द्वारा नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर, अमापुर रोड चौकी चुंगी से सौरों गेट चौकी चुंगी तक, अमापुर रोड चौकी चुंगी से कोठीवाल अढ़तिया डिग्री कालेज तक, मोहल्ला रामकुटी सौरों गेट कासगंज, गली ईदगाह व चकिया मोहल्ला नवाब तथा स्टेट बैंक कालौनी मोहल्ला नाथूराम में मार्ग प्रकाश के विस्तार हेतु कुल रु0 40,228/- की धनराशि अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1979 की अवधि में जमा की गयी थी। नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर के कार्य को छोड़कर अन्य कार्य पूरे किये जा चुके हैं। नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट, कासगंज व लालपुर का कार्य भी रेलवे क्रासिंग को छोड़कर पूरा किया जा चुका है। रेलवे क्रासिंग का कार्य रेलवे विभाग द्वारा अनुमति देने में असमर्थता प्रकट करने के कारण नहीं किया जा सका रेलवे क्रासिंग के कार्य को पूरा न करने के लिये राज्य विद्युत् परिषद का कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर में यह लाईन बिछाने के सम्बन्ध में कितनी बार लिखा पढ़ी की गयी और क्या इस जनहित के प्रश्न को देखते हुए मन्त्री जी पुनः रेलवे विभाग से लिखा पढ़ी करने का आश्वासन देंगे।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रभावी अधिकारी कासगंज से कहा गया है कि रेल अधिकारी से बातचीत करें और जैसे ही वहां से अनुमति मिल जाएगी हम अन्डरग्राउन्ड केबिल लगा देंगे।

(प्रश्न संख्या 14 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, इसमें मेरी रूचि है।

श्री अध्यक्ष—

बाद में लिया जायेगा।

गोण्डा, बस्ती तथा गोरखपुर जनपदों में राप्ती नदी की बाढ़ से गेहूं तथा मिट्टी के तेल वितरण की दोहरी नीति

*14—श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, 81 में गोण्डा, बस्ती तथा गोरखपुर जनपदों में राप्ती नदी से जो बाढ़ आयी उससे प्रभावित गोण्डा जनपद में (केवल कठेर गांव सभा को छोड़कर) 2 1/2 एकड़ भूमि से नीचे के लोगों को प्रति परिवार 20 किलोग्राम गेहूं तथा मिट्टी का तेल दिया गया जबकि बस्ती जनपद में सभी प्रभावित ग्राम के सभी परिवार को चाहे जितनी भूमि उनके पास हो 47 कि0 ग्राम गेहूं आदि दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस दोहरी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें. . . ।

श्री अध्यक्ष–

यह 15 दिन के बाद फिर आयेगा ।

बटलर पैलेस स्थित बिक्री-कर आयुक्त के कार्यालय का हस्तान्तरण

*15–श्री मोहन सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बटलर पैलेस स्थित बिक्री-कर आयुक्त का कार्यालय सितम्बर, 1981 में वहां से हटा कर अन्यत्र कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या यह सत्य है कि बटलर पैलेस अब दिल्ली की किसी सांस्कृतिक संस्था को दे दिया गया है ? यदि हां, तो उससे कितना भाड़ा वसूला जाता है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां ।

शासन के निर्णय के अनुसार दिया गया है ।

यह भवन रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ दी इण्डियन कौंसिल आफ फिलासफी को दिया गया है ।

यह भवन कस्टोडियन आफ एनीमी प्रापर्टी, भारत सरकार के संरक्षण में है। किराया वही तय करेंगे ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, पुन: एक गम्भीर मामला शासन के दुरुपयोग का प्रकाश में आया । बटलर पैलेस जैसे पुराने भवन को हस्तान्तरित करके बिक्री-कर विभाग जहां आदि काल से था वह नये भवन में हस्तान्तरित करने का क्या कारण है और बटलर पैलेस का जो कस्टोडियन आफ एनीमी प्रापर्टी है उनको कितना भाड़ा बिक्री-कर विभाग देता था और नये भवन में बिक्री-कर विभाग को कितना भाड़ा देना पड़ेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, हस्तान्तरित करने का कारण यह है कि पुरानी बिल्डिंग में समुचित प्रबन्ध नहीं है और वह ठीक नहीं है । नये भवन में 2,147 रुपये किराया देते थे और अब पी0 सी0 एफ0 की बिल्डिंग लिया है जिसका किराया अभी तय नहीं हुआ है।

श्री मोहन सिंह–

माननीय मंत्री जी की आदत है तथ्यों को छिपाने की । मान्यवर, अब यह इस नयी बिल्डिंग का किराया 1 लाख 9 हजार रुपये देंगे जबकि पहले 2 हजार रुपया किराया था। आज मितव्ययिता का बजट पेश करेंगे यह उसका एक नमूना है। मैं जानना चाहता हूं कि यह भवन जिस संस्था को दिया गया है इण्डियन कौंसिल आफ फिलासफी को तो क्या यह सही है कि उस संस्था को इसलिए दिया है कि उसमें कांग्रेस (आई) की राज्य सभा की सदस्य श्रीमती प्रतिभा सिंह तथा भूतपूर्व मंत्री डी0 पी0 चट्टोपाध्याय उस संस्था से संबंधित हैं । राजनीतिक दबाव के कारण ही उस पुराने भव्य भवन को खाली किया गया है, क्या यही कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह भवन कस्टोडियन आफ एनीमी प्रापर्टी का है । हमारे द्वारा किसी को दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । किसको दिया है यह कस्टोडियन आफ एनीमी प्रापर्टी जानें । जिस बिल्डिंग में वह आफिस था वहां जगह कम है बिक्री कर 50, 60 करोड़ से अब 400 करोड़ तक पहुंच चुका है इसलिए उसको अच्छे भवन में जाना चाहिए ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, जो नाम माननीय मोहन सिंह जी ने लिए हैं तो क्या उनका नाम इस संस्था से जुड़ा है कि नहीं । दूसरी चीज अब जिस भवन में गया है वह आपसे क्या किराया मांग रहे हैं और आप कितना दे रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त–

पहले प्रश्न का जवाब देने में मैं असमर्थ हूं । जब हमने बटलर पैलेस दिया ही नहीं तो मैं क्या जानूं । दूसरी बात यह है कि प्रोविंशियल कोआपरेटिव संघ की बिल्डिंग लेने के बारे में जो 1 लाख 8 हजार की जो सूचना है वह सही है उतना ही किराया आयेगा । क्योंकि जब हम ज्यादा जगह की बिल्डिंग लेंगे तो ज्यादा किराया होगा ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी कह रहे हैं कि यह भवन रिसर्च इंस्टटीट्यूट आफ दी इंडियन कौंसिल आफ फिलासिफी को दिया गया है । बाद में कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है । तो उनसे हम कैसे अपेक्षा करें कि सदन के सामने सही बात रखेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जो संस्था है उस संस्था से कांग्रेस (आई) के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़े हैं । दूसरी बात यह है कि उस संस्था को भवन देने के लिये उत्तर प्रदेश शासन ने क्या अपनी तरफ से जिम्मेदारी ली और एक दूसरा भवन सुनिश्चित भी कर दिया । अब दूसरा भवन सुनिश्चित कर दिया तो कौन सी खास बात आयी कि बटलर पैलेस को खाली कर दिया । तो इतनी महत्वपूर्ण संस्था को आपने कैसे दे दिया ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कोई भवन नहीं दिया है ।

श्री ऊदल–

उत्तर में है ।

श्री ब्रह्म दत्त–

उत्तर में यह कहा गया है कि भवन कस्टोडियन आफ एनीमी प्रापर्टी भारत सरकार के संरक्षण में है । किराया वही तय करेंगे । तो मैंने साधारण सूचना के आधार पर यह कहा कि रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ दि इण्डियन काउन्सिल आफ फिलासफी को दिया गया है । जो प्रश्न मोहन सिंह ने उठाया था उसका उत्तर मैं दे चुका हूं ।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार से भी प्रदेशीय सरकार को इस संबंध में कोई पत्र लिखा गया था कि इस संस्था को यह भवन दे दिया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, वित्त विभाग या संस्थागत वित्त विभाग में कोई ऐसा पत्र नहीं मिला। लेकिन संस्थागत वित्त विभाग कई बिल्डिंग्स को स्थानान्तरित करने के बारे में सोच रहा है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, श्रीमती प्रतिभा सिंह एम0 पी0, क्या किसी गवर्नर की बेटी हैं । क्या उत्तर प्रदेश के गवर्नर की लड़की हैं, इसकी जानकारी आपको है ।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मोहन सिंह जी, यह अंतिम प्रश्न होगा ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, बहुत प्रश्न पूछने लायक है ।

मान्यवर, इतना गम्भीर भ्रष्टाचार और अनियमितता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न को घुमाने में और उत्तर देने में सिद्धहस्त हैं तो क्या जब आपने बिक्री-कर विभाग को दूसरे भवन में स्थानान्तरित किया तो क्या सी0डी0एफ0 ने आपके सामने यह शर्त लगायी कि आपको वह जब भवन देंगे जब आप उनको 1 करोड़ रुपया बिना इंटरेस्ट के देंगे । दूसरी बात यह है कि जब आपने इस भवन से स्थानान्तरित किया तो कार्यालय का माल असबाब ले जाने में कितना भाड़ा आपने पे किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, 13048 रुपए शिफटिंग में खर्च हुए हैं । पी0 सी0 एफ0 को एक करोड़ रुपया दिया तो उसको तो हम कई करोड़ रुपये देते हैं इसमें क्या दिक्कत है । व्यापारिक संस्थाओं को अगर वित्त विभाग से पैसा दिया जाय तो उसमें क्या बात हो सकती है ?

श्री मोहन सिंह–

जनता का खजाना कौड़ियों के मोल लुटाया गया है ।

श्री रियासत हुसैन–

क्या बिना इंटरेस्ट के फेडरेशन को पैसा दिया है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, इसकी तो जानकारी करनी पड़ेगी । मैं इसको उचित समझता हूं जो दिया गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

बटलर पैलेस में जितना एरिया था उससे ज्यादा एरिया क्या पी0सी0एफ0 की बिल्डिंग में मिला है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

बटलर पैलेस की पैमाइश तो मेरे पास नहीं है । मैं वहां स्वयं गया था । मैं इस स्तर के कार्यालय के लिए उस बिल्डिंग को उचित नहीं समझता था । अब वह बहुत सुन्दर जगह पर पहुंच गया है ।

श्री मोहन सिंह–

यह घोर शासकीय अनियमितता है । गरीब जनता के पैसे का अपव्यय है । मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया है इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहन सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

*16–श्री विजय सिंह राना–

[22-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में छटनी शुदा अमीनों की सेवा में पुनः नियुक्ति पर विचार

*17–श्री राम लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अ0शा0प0सं0 135/26/79 (477) राजस्व–6 दिनांक 7 जुलाई, 1980 में शा0सं0जी0–2–777/दस-142, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का उल्लेख न होने के कारण जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में 79 तक खपाये गये कृषि छंटनी शुदा अमीनों को सेवा से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो सेवा से वंचित किये गये अमीनों को सेवा में तत्काल लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 135/26/79(477) राजस्व-6, दिनांक 7 जुलाई, 1980 में शासनादेश संख्या जी-2-777/दस-142-65, दिनांक 10 दिसंम्बर, 1973 का उल्लेख न होने से जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में 1979 तक खपाये गये कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों को सेवा से वंचित किये जाने का कोई संबंध नहीं है क्योंकि शासनादेश संख्या जी-2-777/दस-142-65, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 केवल छटनी कर्मचारियों के पुनः नियुक्त होने पर उनके वेतन निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

उत्तर से स्पष्ट कर दिया कि यह छटनीशूदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का सवाल है । मेरे जिले में बहुत से लोग थे और जहां तक मेरी जानकारी है बहुत से लोग खपाये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनके वेतन निर्धारण का आधार कौन सा था । शासनादेश तो दे दिया गया कि खपाया नहीं जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि छटनीशूदा लोगों को पुनः नियुक्त किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

कृषि विभाग के 22 छटनीशूदा अमीनों को राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पद पर रखा गया था। उसमें से 8 हटा दिये गये। हटाने का कारण यह था कि जो नियमावली बनी है उसके प्राविधानों के अनुकूल उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। बाकी 14 जो थे है उसके प्राविधानों के अनुकूल उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी । बाकी 14 जो थे उनकी नियुक्ति 62 और 65 की सूची में वह सम्बद्ध थे और इस कारण वह नियमित थे और उन्हीं का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया ।

श्री मलिक मुहम्मद यूसुफ–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको उनके पदों के ऊपर रख दिया गया है लेकिन जो सूची में अब भी रह गये हैं क्या उनको भी सेवा में लेने का विचार कर रहे हैं अथवा उनको कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, इस पूरे मामले की जांच राजस्व परिषद् के एक अधिकारी द्वारा करवायी गयी और उनकी जांच भी आ गयी है । अब शासन उस पर कार्यवाही करेगा, निर्णय लेगा । उसमें से अगर कोई और भी उपयुक्त होंगे और नियमानुकूल उनकी नियुक्ति हुई थी तो उस पर भी विचार किया जायेगा ।

बिक्री कर विभाग में टंककों के लिए अलग नियमावली

*18–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1973 में बिक्री-कर विभाग में कोई नियम्वली टंककों के सम्बन्ध में बनायी गाी है ? यदि हां, क्या यह नियमावली लागू की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी नहीं । जनवरी, 1973 में टंककों के लिए कोई अलग नियमावली नहीं लागू की गयी । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 1973 के बाद कोई नियमावली इस सिलसिले में बनी है और क्या वह लागू कर दी गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, 16 फरवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर विभाग लिपिक संवर्गीय सेवा नियमावली बिक्री कर विभाग में लागू की गयी थी । उस नियमावली के अनुसार टंकक संवर्ग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम बाबरी, जनपद मुजफ्फरनगर में गांव सभा के विभिन्न गाटों में अनाधिकृत कब्जा तथा फर्जी इन्द्राज कराये जाने की शिकायत विषयक प्रार्थना-पत्र

*19–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बाबरी, परगना शामली, तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में गांव सभा के गाटा संख्या 1393, 1394, 408, 409, 430, 431 व 410 नम्बरान पर अनाधिकृत कब्जा करके उद्योग स्थापित कर लिया गया है और राजस्व अभिलेखों में भी कानून के विरुद्ध फर्जी इन्द्राज कराये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को 13-3-1981 को कोई पत्र सम्बोधित करके अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में जांच की मांग की गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ? और अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

ग्राम बाबरी, परगना शामली, तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में गांव सभा के गाटा संख्या 1393, 1394, 408, 409, 430, 431, व 410 नम्बरान पर अनाधिकृत कब्जा करके उद्योग स्थापित करने तथा राजस्व अभिलेखों में भी कानून के विरुद्ध फर्जी इन्द्राज कराये जाने की शिकायत विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-3-1981 का प्राप्त हुआ था जिस पर विस्तृत जांच कराने पर विदित हुआ है कि उपरोक्त गाटों की किसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया ।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 13-3-1981 को पत्र लिखा गया है, वह किन लोगों के द्वारा लिखा गया है और उस पत्र में क्या लिखा गया था ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

मान्यवर, पत्र नकली सिंह विधायक जी का था और उस पत्र में दी गयी शिकायतों के आधार पर जांच कराई गयी ।

श्री हरिवंश सहाय–

उस पत्र में क्या लिखा गया था यह बताने की कृपा करें ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जांच के आने पर, जिनसे यह मामला सम्बन्धित है श्री सोमांश प्रकाश जी ने आपत्ति उठायी कि मुझ से कोई जांच के सम्बन्ध में पूछ-ताछ नहीं हुई है और दूसरी स्पष्ट जांच की मांग की । तब आयुक्त मेरठ मण्डल के द्वारा दो अधिकारियों से परगना-धिकारी व एस0 ओ0 सी0 से जांच करायी गयी । इन दोनों अधिकारियों द्वारा मूल रूप में जांच कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि वहां पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं था । और जिन लोगों के जिन गाटों पर कब्जा था, वह उन्हीं की जमीनें थीं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जो पहली जांच हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी और दूसरी जांच क्या इसीलिये कराई गयी थी कि रिपोर्ट श्री सोमांश जी की मर्जी के खिलाफ थी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

पहली जांच में सोमांश प्रकाश जी ने कहा था कि उनकी गैर-मौजूदगी में जांच हुई है और नकली सिंह जी केवल एक पार्टी मौजूद थी, इसलिये उन्होंने कहा था कि जांच मेरी उपस्थिति में कराई जाए। इसलिये दुबारा जांच हुई थी।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

पहली जांच के एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

उस रिपोर्ट में यह था कि अनाधिकृत कब्जा था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि जिस भूमि पर कब्जा श्री सोमांश प्रकाश जी व उनके रिश्तेदारों के है, वह उन्हीं की भूमि थी। सन् 72 में जो कन्वर्जन के लिये घोषणा हुई थी कि एग्रीकल्चर भूमि से आबादी के लिये, उसमें शायद उन लोगों को गलतफहमी हो गयी थी। इसकी जांच आयुक्त माध्यम से कराई गयी। कब्जे इस वक्त जिनके हैं, वह भूमि भी उन्हीं लोगों की है। इसलिये इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है।

श्री धर्मवीर सिंह–

जो श्री नकली सिंह, विधायक जी ने अपने पत्र में शिकायतें की हैं, उसे कृपया पढ़ने का कष्ट करेंगे माननीय मन्त्री जी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

उसमें केवल गाटों की संख्या दी गयी थी कि इस इस गाटों पर अनाधिकृत कब्जे हैं। जिनकी जांच कराई गयी और विदित हुआ कि यह शिकायतें गलत थीं।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि साफ तौर से उस पत्र में क्या शिकायतें लिखी गयी हैं जो श्री नकली सिंह ने पत्र लिखा है। और दूसरी बात जिन 5-6 गाटों की बात कही गयी है कि इन-इन पर अनाधिकृत कब्जा है तो इन गाटों पर कब से और किन-किन लोगों के कब्जे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री नकली सिंह जी ने अपने पत्र में यही लिखा था कि श्री सोमांश प्रकाश जी व अन्य लोगों ने इन-2 गाटों पर गलत कब्जे कर रखे हैं। तो इस पर जो जांच हुई और मालूम हुआ कि जिन गाटों पर शिकायत थी कि सोमांश प्रकाश जी ने गलत कब्जा किया है वह भाग उन्हीं का पाया गया और उनके रिश्तेदारों के, थे पहले से ही उनके कब्जे में।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जब एक बार एक रिपोर्ट आ गयी कि अनधिकृत कब्जे फलां-फलां भूमि पर हैं और उसे सरकार ने स्वीकार भी किया परन्तु फिर किसी के कहने पर दुबारा जांच कराना कहां तक उचित था ?

श्री बैजनाथ कुरील–

स्थिति यह है कि जब जांच रिपोर्ट आई तो जिलाधिकारी को कहा गया कि यह जांच रिपोर्ट है इसके तहत बेदखली की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जांच हुई है मुझसे कोई पूंछताछ नहीं हुई, इसलिए इसकी जांच आयुक्त से करायी जाय। अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी कि आयुक्त से कहा गया कि जांच करायें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहूंगा कि जब एक परगनाधिकारी ने जांच किया और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पुनः परगनाधिकारी की जांच के ऊपर जांच करायी गयी, तो मैं दो बातें जानना चाहता हूं–एक तो यह कि फिर से जांच कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? और दूसरे, अगर परगनाधिकारी ने गलत रिपोर्ट की थी तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बता दिया है कि परगनाधिकारी ने जांच की, उसकी रिपोर्ट आयी, उसके ऊपर फिर से जांच करायी गयी और यह पाया गया कि वर्णित गाटों की किसी भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

लेकिन मान्यवर, मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा ?

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि परगनाधिकारी, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, क्या वे हरिजन थे ? और क्या उसके बाद उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वह हरिजन थे कि नहीं थे, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन परगनाधिकारी थे, यह जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष–

स्थानान्तरण के बारे में आपको जानकारी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

स्थानान्तरण हुआ होगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

फिर तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री हरदेव–

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरा भी एक अनुरोध है । माननीय नेता, विरोधी दल की मंशा क्या है यह पूछने के पीछे कि वह हरिजन था या दूसरी जाति का था ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब मैं न बुलाऊं तो आप न बोलें । माननीय मंत्री जी आपको स्थानान्तरण के बारे में मालूम है या नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, इस प्रश्न को किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दें क्योंकि इसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी कि वह हरिजन है या नहीं, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया। इस पर आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि उनका स्थानान्तरण हुआ इसका भी उत्तर स्पष्ट नहीं आया । उत्तरों का स्पष्ट न आना एक लाजिक से संबंध रखता है । जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह इतना जरूरी नहीं है कि इसका उत्तर जरूर आ जाय । इसलिए मैं इसको स्थगित नहीं करता हूं ।

जनपद सुल्तानपुर के बन्धुआ कलां स्थान पर सब-स्टेशन का निर्माण तथा विद्युत आपूर्ति

*20—श्री मुईद अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के बन्धुआ कलां स्थान पर 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन का निर्माण 2 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा लाइन आदि खींची जा चुकी है ? क्या यह सही है सारा कार्य पूर्ण होने के बाद भी सब-स्टेशन से उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मेरे प्रश्न में है कि इस सब-स्टेशन का निर्माण दो वर्ष पूर्व हो चुका है केवल बिजली नहीं सप्लाई की जा रही है । दो वर्ष पूर्व के मतलब है एक साल और सात महीने पहले इसका निर्माण हुआ था ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न कब पूछा है ?

श्री मुईद अहमद—

मेरा प्रश्न 16-11-81 का है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। प्रश्नों के बीच कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दैनिक "आज" के विरुद्ध उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही संबंधित पत्र

**1—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री बलबीर सिंह तथा दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि उनके मंत्री परिषद् के किसी सदस्य ने मास दिसम्बर, 1981 को गृह सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि समाचार पत्र दैनिक "आज" कानपुर के विरुद्ध डकैत उन्मूलन के अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही करने की समीक्षा की जाये? यदि हां, तो पत्र क्या है और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)

यह कहना सही नहीं है कि मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य ने समाचार पत्र दैनिक "आज" के विरुद्ध उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही करने की समीक्षा करने के आशय से गृह सचिव को माह दिसम्बर, 1981 में कोई पत्र लिखा है। स्थिति यह है कि कानपुर से प्रकाशित होने वाले उक्त समाचार पत्र में दिनांक 18-10-81 को दस्यु छविराम से कथित साक्षात्कार के आधार पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था । इस समाचार के संबंध में राज्य मंत्री जी, सूचना एवं नियोजन ने एक नोट इस समाचार के प्रकाशन के परीक्षण के बारे में भेजा था। तद्नुसार परीक्षण किया जा रहा है।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

इस प्रश्न के उत्तर से सरकार का दिवालियापन साबित हो रहा है और इस प्रश्न के उत्तर में जो गृह मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है उससे यह साबित हो गया है कि सरकार.....

श्री अध्यक्ष–

आप अपना निष्कर्ष मत बताइये। आप प्रश्न कीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या यह सही है कि नियमानुसार कोई समाचारपत्र अपने समाचार के उद्यम के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है और क्या ऐसा करना या ऐसा समाचार डकैती विरोधी अभियान के अन्तर्गत धमकी का प्रयास नहीं है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि समाचार पत्र में जो छबिराम के बारे में समाचार छपा है उसके विषय में परीक्षण हो रहा है कि हम उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं । अगर कर सकते हैं तो करेंगे और नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह परीक्षण किया जा रहा है कि उस समाचारपत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है और यह परीक्षण कहां तक हुआ है?

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर में देख लें। इस समाचार के संबंध में राज्य मंत्री जी, सूचना एवं नियोजन ने एक नोट इस समाचार के प्रकाशन के परीक्षण के बारे में भेजा था। तदनुसार परीक्षण किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

इसका परीक्षण कौन कर रहा है? क्या गृह विभाग इसका परीक्षण कर रहा है, यदि कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सरकार का यह कार्य गोपनीय है और इसको मैं आपके सामने प्रकाशित करने को तैयार नहीं हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इसका परीक्षण कौन अधिकारी कर रहा है? अधिकारी भी क्या गोपनीय है ? अभी तक उस परीक्षण की रिपोर्ट शासन को कोई प्राप्त हुई है या नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

पुलिस विभाग के द्वारा ही यह परीक्षण हो रहा है। इससे अधिक कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री भीखालाल–

मैं माननीया गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना मंत्री जी ने गृह सचिव को जो नोट लिखा है वह क्या है? जरा उसको आप पढ़ कर सुना दें। यदि उनके पास हो और यदि सूचना मंत्री के पास हो तो वे बतला दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जब माननीय मंत्री दूसरे विभाग के मंत्री को कोई पत्र लिखता है, वह इस सदन की प्रापर्टी नहीं है। वह गोपनीय है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

जब उत्तर सदन में आ गया तो वह सदन की प्रापर्टी हो गयी।

श्री मोहन सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एक विधायक किसी को पत्र लिखता है तो उसे गोपनीय न मानकर सदन में पढ़ा जाता है तो जब माननीय मंत्री जी ने इस तरह का कोई पत्र लिखा है तो मंत्री का उत्तरदायित्व है इस सदन के प्रति यदि कोई पत्र पढ़ा जाता है और अखबारों में छप जाता है और उसकी स्वीकारोक्ति भी हो जाती है और उस पत्र के लिखने पर उसकी छानबीन भी हो रही है तो क्या उसे सदन में न रखने के लिये गोपनीयता का बहाना बनाया जा सकता है। इस तरह के विषयों पर पहले भी आपके कई बार निर्णय हो चुके हैं। यदि कोई खबर सुरक्षा संबंधी हो या बजट सम्बन्धी हो तो उसे गोपनीय कहा जा सकता है लेकिन यह तो एक सामान्य प्रशासन की बात है। मेरे खयाल से यह एक तरह से इस सदन का अवमान है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो पत्र नियोजन व सूचना मंत्री ने लिखा है उसे पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह तो दिया कि वह गोपनीय है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इतना मैं अवश्य बतला देना चाहती हूं कि जो अग्निहोत्री जी का प्रश्न है जिसमें यह लिखा है–समाचार-पत्र दैनिक ''आज'' कानपुर के विरुद्ध डकैत उन्मूलन अध्यादेश कार्यवाही करने की समीक्षा की जाये, तो माननीय काशीनाथ जी के उस पत्र में डकैती उन्मूलन अध्यादेश के सम्बन्ध में कोई भी शब्द नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

प्रश्न स्वीकृति के बाद भी वे उस पत्र को नहीं सुना रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, आप इस प्रश्न के उत्तर का जो अन्तिम भाग है उसे देखने का कष्ट करें। स्थिति यह है कि कानपुर से प्रकाशित होने वाले उक्त समाचार पत्र में दिनांक 18-10-81 को दस्यु छबिराम के कथित साक्षात्कार के आधार पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था। उस समाचार के सम्बन्ध में राज्य मंत्री, सूचना व नियोजन ने एक नोट इस समाचार के परीक्षण के बारे में भेजा था। तदनुसार परीक्षण किया जा रहा है उन्होंने पत्र भेजना स्वीकार किया है। पत्र भेजने के साथ-साथ एक कथित साक्षात्कार दस्यु छबिराम के साथ हुआ था उसके प्रकाशन के संबंध में परीक्षण की बात की है। उस के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। इस को स्वीकार किया है। क्या पत्र है, इस को आपने पूछा। उन्होंने बताया कि यह पत्र गोपनीय है। इस को हम नहीं रख सकते। जहां तक पत्र गोपनीय है कि नहीं है, गोपनीयता के प्रश्न को शासन देखता है और शासन का यह अपना अधिकार है कि किस को गोपनीय रख सकता है किस को नहीं। इसलिए मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता हूं कि आप पत्र को सदन में उसी रूप में प्रेषित करें। जहां तक ''आज'' अखबार के विरुद्ध अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही करने की बात है इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री मोहन सिंह–

लेकिन अनुपूरक उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इस को स्वीकार किया है कि दस्यु उन्मूलन अध्यादेश के अन्तर्गत उस पर कार्यवाही हो सकती है या नहीं, इस बिन्दु पर भी परीक्षण हो रहा है, यह अनुपूरक जवाब में कहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इनके अनुपूरक उत्तर और मूल उत्तर दोनों में विरोधाभास है। वह विरोधाभास पत्र पढ़ने के बाद ही दूर हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप का कथन सत्य है। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है तो होगी, नहीं हो सकती है तो नहीं होगी।

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी को गोपनीय बनवा दें तो प्रश्नों के उत्तर देने से उनका पिन्ड छूट जाय ? (हंसी)

सुल्तानपुर में अमेठी को एक अलग जिला घोषित करने पर विचार

**2–श्री खैरुल बशर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले को विभाजित कर उसमें दूसरा जिला बनाने का विषय शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री खैरुल बशर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि सुल्तानपुर में अमेठी को एक अलग जिला घोषित कर दिया जाय?

श्री बैजनाथ कुरील–

इसी का जवाब दिया है "जी नहीं"।

श्री खैरुल बशर–

इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। क्या शासन को इसकी जानकारी है कि श्री राजीव गांधी सुल्तानपुर जिले के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं और इस संबंध में अगर कोई ऐसा सुझाव आता है तो शासन इसे नामंजूर कर देगा?

श्री अध्यक्ष–

आप इस को जिस प्रकार समझते हैं समझें। ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री भीखा लाल–

एक बात जानना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी . . . .

श्री हरदेव–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बीच व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री हरदेव–

पहले से है . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया सदस्य को नियंत्रित करें . . .

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि समय-समय पर एक जिले से दो जिले और एक तहसील से दो तहसीलें बना दी जाती हैं। कानपुर, झांसी, मेरठ के दो-दो जिले हो गये और अब यह मांग हो रही है कि मिर्जापुर, बस्ती और सुल्तानपुर के भी दो-दो जिले बना दिए जायं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि इस प्रदेश के जिलों को फिर से रीआर्गनाइज कर दिया जाय?

नोट :–अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

यह तो एक अलग विस्तृत प्रश्न है।

अतारांकित प्रश्न

श्री बृज नारायण, लेखपाल, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

1–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या राजस्व मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 81 के 3रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में संबंधित दोष-सिद्ध लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

श्री बृज नारायण, लेखपाल, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) को दोषी पाये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने का दण्ड दिया गया है।

गांव ककवन के श्री हगपाल सिंह द्वारा गृह अनुदान की धनराशि की वसूली

2–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या राजस्व मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 81 के 3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि गांव ककवन के जिस अपात्र व्यक्ति को अनुदान दिलाया गया वह कौन है तथा क्या उससे अनुदान का धन वापस लिया गया?

श्री बैजनाथ कुरील–

जिलाधिकारी से अब प्राप्त सूचना के अनुसार जिन 98 व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरित किया गया उनमें गलती से गांव ककवन के श्री हगपाल सिंह को मु0 200/- रु0 का गृह अनुदान दे दिया गया जिसके वह पात्र नहीं थे। श्री हगपाल सिंह से उक्त धनराशि की वसूली मालगुजारी की बकाया की भांति की जा रही है।

ब्लाक ककवन व बिल्हौर, जनपद कानपुर में अतिवृष्टि के कारण घर गिरने से गृह अनुदान का वितरण तथा अपात्रता का आधार

3–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या राजस्व मंत्री प्रश्नकर्ता के दिनांक 20 फरवरी, 81 की कार्यसूची में अता0 प्र0 सं0 47 में दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संलग्न कर गृह अनुदान संबंधी ग्रामीणों की जो दरख्वास्तें जिलाधिकारी, कानपुर व परगनाधिकारी तथा तहसीलदार, बिल्हौर को प्राप्त होना स्वीकार की गयीं उनमें से किस-किस को गृह अनुदान दिया गया और जो लोग अपात्र मान कर गृह अनुदान से वंचित किये गये उनकी अपात्रता के क्या-क्या कारण हैं?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर, ग्राम मांजमपुर में अग्निकाण्ड तथा परिवारों को अहेतुक सहायता

4–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या सरकार को जानकारी है कि मई, 1980 के 2रे सप्ताह में गांव मांजमपुर ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में भयंकर आग लगने से इस गांव के लगभग सभी मकान जल कर भस्म हो गए थे? यदि हां, तो अग्नि पीड़ित लोगों के पुनर्वासन हेतु कितना-कितना भुगतान कितने लोगों को दिया गया?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद कानपुर, ब्लाक ककवन के ग्राम मौजमपुर में 24 मई, 1980 को घटित अग्निकाण्ड से कुल 67 परिवारों के मकान प्रभावित हुए थे। उक्त 67 प्रभावित परिवारों में से 66 परिवारों को कुल 3,800 रु0 अहैतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया है। एक परिवार ने सहायता नहीं लिया।

ग्राम इलियासपुर की आराजी संख्या 69 में दर्ज कब्रिस्तान तथा परगनाधिकारी के आदेशों द्वारा उक्त कब्रिस्तान को खुदवाकर धर्मशाला के निर्माण पर कृत कार्यवाही

5–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 4 जनवरी, 81 को परगनाधिकारी, बिल्हौर जनपद कानपुर के आदेश से गांव इलियासपुर, परगना बिल्हौर की खाता नं0 290 में दर्ज भूमि संख्या 69 मुस्लिम कब्रिस्तान से खारिज करके उस भूमि पर आपत्ति के बावजूद कब्रिस्तान को खुदवाकर धर्मशाला का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो जब प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18 अप्रैल, 81 को श्री फरहत हुसैन का आवेदन-पत्र संलग्न कर मा0 मुख्य मन्त्री को मा0 राजस्व मन्त्री को अपना पत्र दिया, तो कब्रिस्तान का खुदवाना और निर्माण कार्य बन्द करा के परगनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां, ग्राम इलियासपुर की आराजी संख्या–69 में कब्रिस्तान दर्ज था। भूमि प्रबंधक समिति इलियासपुर के दिनांक 1 जनवरी, 1981 के प्रस्ताव पर उक्त गाटा संख्या में 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि छोड़कर 15 बिस्वा भूमि का रकबा जिस पर गड्ढे व कटाने थीं तथा कोई कब्र भी नहीं थी, की आबादी प्रसार हेतु परगनाधिकारी, बिल्हौर ने अपने आदेश दिनांक 4-1-81 द्वारा उक्त गाटे की 15 बिस्वा भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका अमलदरामद हो गया।

भूमि प्रबंधक समिति इलियासपुर ने मकनपुर मेला कमेटी की गांव पर उक्त 15 बिस्वा भूमि पर मुसाफिरखाना बनवाने हेतु प्रस्ताव किया जिसके इस प्रस्ताव पर परगनाधिकारी, बिल्हौर ने दिनांक 30-1-1981 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी। जिस पर मेला कमेटी का नाम अंकित हुआ। यह सही है कि श्री फरहत हुसैन आदि ने धर्मशाला के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ था जिसकी जांच आख्या जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) के अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 244/ए0स0टी0, दिनांक 8 सितम्बर, 1981 द्वारा गृह पुलिस अनुभाग–11 को भेजी जा चुकी है। श्री फरहत हुसैन आदि के मुसाफिरखाना के निर्माण के विरुद्ध मुंसिफ कोर्ट में मुकदमा किया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

मेला मकनपुर स्मारिका में प्रकाशित विज्ञापनों से आय तथा फर्जी रसीदों द्वारा चन्दा वसूल करने संबंधी अध्यक्ष परगनाधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध कार्यवाही

6–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगनाधिकारी, बिल्हौर जनपद कानपुर की अध्यक्षता वाली मेला मकनपुर की जो स्मारिका वर्ष 1981 में प्रकाशित हुई है, उसमें कितने विज्ञापन प्रकाशित किए गये हैं और उन विज्ञापनों से मेला कमेटी, मकनपुर के कोष में कितना धन जमा किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

6–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत मेला मकनपुर की स्मारिका छपवाने हेतु चन्दे की कई हजार रसीदें वर्ष 1980-81 में बिना प्रेस नाम के फर्जी छपवाकर उन्हीं रसीदों द्वारा चन्दा व विज्ञापन का धन वसूल किया गया तथा उस धन का कई हजार रुपया मेला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा गबन किया गया ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1981 को तत्सम्बन्धी पत्र मा0 मुख्य मन्त्री को देने के उपरान्त मेला कमेटी मकनपुर के अध्यक्ष अर्थात् परगनाधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8–श्री केदारनाथ सिंह–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

9–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में चकबन्दी योग्य ग्रामों का नोटिफिकेशन

10–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील व जनपद बस्ती के अन्तर्गत नहर योजना को देखते हुए जिन गांवों की चकबंदी अभी नहीं शुरू की गयी है उनका नोटिफिकेशन कब तक कर दिया जायेगा ? क्या जिला अधिकारी, बस्ती के तहसील के बाकी गांवों को तुरन्त नोटीफाइड करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो जिला अधिकारी के पद को देखते हुए कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती में चकबन्दी योग्य 1026 ग्रामों में से 320 ग्रामों का चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क (2) के अन्तर्गत दिनांक 16-5-81 को तथा 20 ग्रामों का उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19-9-81 को प्रख्यापन किया जा चुका है ।

जिलाधिकारी, बस्ती की 628 ग्रामों को चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क (2) तथा 58 ग्रामों को उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रख्यापन के संबंध में संस्तुति प्राप्त हुई है, जिस पर निकट भविष्य में कार्यवाही की जायेगी ।
वाही की जायेगी ।

ग्राम चन्दनजोत, जिला बस्ती की आबादी नदी के कटान से नष्ट हो जाने संबंधित प्रार्थना-पत्र

11–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्दन जोत, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती की पूरी आबादी राप्ती नदी की कटान से नष्ट हो गयी है और गांव के लोग अपनी पुरानी आबादी जो नदी के दाहिने किनारे पर है, वहीं बसने के इच्छुक हैं और इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी, बस्ती को प्रार्थना-पत्र भी दिए हैं? यदि हां, तो उन्हें उक्त स्थल पर बसने की क्या व्यवस्था की गयी ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह कहना सत्य नहीं है कि जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज में सुल्तानपुर उर्फ चन्दनजोत ग्राम की पूरी आबादी राप्ती नदी के कटान से नष्ट हो गई है । आबादी का कोई भी घर नदी के कटान से प्रभावित नहीं हुआ है।

ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बस्ती को मिला है । किन्तु वर्तमान आबादी नदी से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर है, और नदी की दाहिनी ओर इंगित स्थल की अपेक्षा ऊंची है जिसके कारण बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय सुरक्षित है । इसके अतिरिक्त दाहिने किनारे पर इंगित स्थल जनपद गोंडा एवं बस्ती की सीमा पर है जो विवादित है । अतः इंगित स्थल पर बसाना उचित नहीं है ।

12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13—श्री फिरंगी प्रसाद दिशारद—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्री कर विभाग में टंककों को आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नति

14—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 में बिक्री-कर विभाग में टंककों को आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में नियमावली बनी थी तथा अक्टूबर, 73 में विभाग द्वारा आदेश दिए गये हैं कि इस अवधि में पदोन्नत आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित न किया जाय ? यदि हां, तो बरेली रेंज एवं कानपुर रेंज में अब तक कितने आशुलिपिक हैं, जो प्रत्यावर्तित कर दिए गये हैं ? और कितने आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं । जनवरी 1973 में टंककों को आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं बनी थी । अक्टूबर 1983 में विभाग द्वारा ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे कि इस अवधि में पदोन्नति आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित न किया जाय ।

टंककों को पदोन्नति देकर आशुलिपिक तैनात करने का कोई नियम नहीं है । अतः प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

15—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1981 में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति में पिछड़े वर्ग का 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त अवधि में उक्त पद पर कितनी पदोन्नतियां हुई तथा उनमें पिछड़े वर्ग के कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं तथा उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

वर्ष 1981 में (विद्युत/यांत्रिक) संवर्ग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कुल 68 पदोन्नतियां की गयी जिनमें 4 अधिकारी पिछड़े वर्ग के हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

1. श्री छेदी प्रसाद
2. ,, सुबरन
3. ,, राम सुमेर जायसवाल
4. ,, पारसनाथ वर्मा

इनका प्रतिशत केवल 6 है ।

वर्ष 1981 में (सिविल) संवर्ग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर केवल 3 पदोन्नतियां की गयी जिनमें पिछड़े वर्ग का कोई भी अधिकारी नहीं है ।

बिक्री-कर कार्यालय में तैनात आशुलिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

16—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बदायूं जनपद के बिक्री कर कार्यालय में तैनात श्री सोहनपाल सिंह, आशुलिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं कर्मचारी द्वारा निर्मित कोठी की जांच वर्ष 1980-81 में श्री वी0 प्रसाद, उपायुक्त, बिक्री-कर, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच से कौन-कौन से परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

जांच के आधार पर श्री सोहनपाल सिंह, तत्कालीन आशुलिपिक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :—

1. उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनाधिकृत रूप से धन कमाया ।

2. उन्होंने विभाग की बिना पूर्व अनुमति के जमीन खरीदी एवं भवन का निर्माण किया जिसकी लागत उनकी आय के स्रोतों को देखते हुए अधिक थी ।

3. उन्होंने बिक्री-कर कार्यालय बदायूं के भवन में बरामदे को कमरे में परिवर्तन व्यापारियों से कराया ।

4. उन्होंने एक व्यापारी की पत्रावली में अभिलेखों को बदला ।

श्री सोहनपाल सिंह को बदायूं से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

17—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[22-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 द्वारा उत्तरित]

बिक्री विभाग के बरेली रेंज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता के क्रम से पदोन्नति

18—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के बरेली रेंज में श्री डी0 पी0 एस0 गौतम, तृतीय श्रेणी कर्मचारी की तैनाती 10-12 वर्षों से बरेली जनपद में ही है? क्या यह सही है कि श्री गौतम को बरेली में ही तीसरी पदोन्नति दी गयी है जबकि श्री गौतम प्रदेश में लगभग 50 कर्मचारियों एवं परिक्षेत्र में लगभग 10 कर्मचारियों से कनिष्ठ हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

जी नहीं । श्री गौतम को बरेली में तीसरी पदोन्नति नहीं दी गयी है । श्री गौतम को पदोन्नति करते समय उनसे वरिष्ठ ऐसे किसी कर्मचारी को पदोन्नति से नहीं छोड़ा गया जो अन्यथा पदोन्नति के लिये उपयुक्त रहा हो ।

जनपद विद्युत् प्रसारण उप-खण्ड बुलन्दशहर में किये गये सिविल वर्क का भुगतान

19—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 79 के 4थे सप्ताह के ता0 प्र0 सं0 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सम्बन्धित विषय पर जांच पूरी हो गयी ? भुगतान का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

भुगतान का निर्णय लिया जा चुका है तथा प्रश्नगत चार वर्कआर्डरों के अन्तर्गत संबंधित ठेकेदार को देय अवशेष धनराशि का भुगतान भी अप्रैल/मई, 1981 में किया जा चुका है।

20–श्री हरिवंश सहाय–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में बाढ़, वर्षा द्वारा हुई क्षति में गांवों में राहत कार्य

21–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में जुलाई-अगस्त-सितम्बर, 1980 की बाढ़-वर्षा से हुई क्षति में कितना राहत किन-किन मदों में किस-किस गांव में किसे-किसे 1 जुलाई, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 के बीच दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

22–श्री हरिवंश सहाय–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद देवरिया में ग्राम मझौलीराज में चक सं0 1652 का फर्जी अमलदरामद

23–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में ग्राम मझौलीराज में चकबन्दी के अन्तर्गत चक संख्या 1652 चकदार को किस आधार पर प्राप्त हुआ है ? क्या इसकी मूलमालियत से चक बना है ? यदि नहीं, तो इसके बनने से कितने काश्तकारों को चक प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद देवरिया में ग्राम मझौलीराज में चकबंदी के अन्तर्गत चक संख्या 1652 चकदार को बिना मूलमालियत के फर्जी अमलदरामदों के आधार पर प्राप्त हुआ था। इस चक के बनने से किसी काश्तकार को चक से वंचित नहीं होना पड़ा था बल्कि कुछ चकों की कुछ मालियत कम हो गई थी। गलत अमलदरामद के विरुद्ध दायर निगरानी के निर्णय के फलस्वरूप चक संख्या 1652 पूर्णरूपेण निरस्त करके 4-70 आना मालियत की भूमि चकदार संख्या 41, 57, 568, 681, 1613, 1664 के अंशों के आधार पर उनके पूर्व के निर्मित चकों में समायोजित किया जा चुका है। फर्जी अमलदरामद के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

बड़ी जुगौली, लखनऊ में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र

24–श्री हरिवंश सहाय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बड़ी जुगौली, लखनऊ के लगभग 54 निवासियों ने घरेलू विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1979-79 में जमानत शुल्क सहित आवेदन-पत्र बीरबल साहनी मार्ग स्थित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् के कार्यालय में जमा किये थे ? यदि हां, तो अब तक विद्युत् कनेक्शन न देने का क्या कारण है ? इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और अब कब तक उन निवासियों को विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराए जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

बड़ी जुगौली, लखनऊ के केवल 6 भावी उपभोक्ताओं ने घरेलू विद्युत् कनेक्शन हेतु वर्ष 1978-79 में अग्रिम धनराशि अधिशासी अभियन्ता विद्युत् के कार्यालय में जमा की

थी न कि जमानत की धनराशि तथा अन्य 48 आवेदकों द्वारा घरेलू विद्युत् कनेक्शन हेतु वर्ष 1979-80 में अग्रिम धनराशि जमा की गई है ।

जुगौली ग्राम विद्युत्वीकरण की किसी भी योजना में नहीं आता है तथा 54 भावी उपभोक्ताओं से 15 प्रतिशत वार्षिक प्रति लाभ प्राप्त न हो पाने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका, इसीलिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने में विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस विषय में ग्राम प्रधान बड़ी जुगौली को आप्रैल, 1980 में लिखा जा चुका है कि बत्ती पंखा हेतु और भावी उपभोक्ता लाने की व्यवस्था कर दें जिससे 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सके। निकट भविष्य में 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ होने पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के पदों का स्थायीकरण

25–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 तथा 1980 में शासनादेश द्वारा 10 पद बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) तथा 24 पद सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के स्थायीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो उनके स्थायीकरण में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पदों पर स्थायीकरण के आदेश शासन से होने हैं जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी की रही हैं । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पदों पर स्थायीकरण चकबन्दी आयुक्त द्वारा किया जाना है जो चकबन्दी अधिकारियों की कोटिक्रम सूची अन्तिम कर रहे हैं जिसके बाद स्थायीकरण के आदेश होंगे ।

26–श्री राम आसरे वर्मा–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थायी बिक्री कर अधिकारी श्रेणी–2 की बिक्री कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति

27–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा स्थायी बिक्री-कर अधिकारी श्रेणी–2 की पदोन्नति बिक्री-कर अधिकारी के पद पर किए जाने के सिलसिले में एक पत्र अक्तूबर, 1981 में वित्त मंत्री को दिया गया? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां,

बिक्री-कर अधिकारी श्रेणी–2 की बिक्री-कर अधिकारी के पद पर तदर्थ पदोन्नति नियमानुसार की गयी है ।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना में सड़क व नाली के कार्य पर वर्क आर्डर द्वारा खर्च की गयी धनराशि

28–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना टाण्डा (फैजाबाद) में परियोजना स्थल के अन्दर मई, 81 से लेकर सितम्बर, 81 के बीच लगभग 4 लाख से ज्यादा धनराशि नाली, रोड के कार्य पर वर्क-आर्डर द्वारा खर्च की गयी? यदि हां, तो वर्क-आर्डर के रेट तथा खर्च किस के आदेश पर किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । टाण्डा तापीय परियोजना में परियोजना क्षेत्र में मई, 1981 से सितम्बर, 1981 की अवधि में नाली व सड़क के कार्यों के लिए लगभग रु0 2.36 लाख की धनराशि के वर्क-आर्डर किये गये जिनके अन्तर्गत पूरे किये गये कार्यों के लिये लगभग रु0 2.4 लाख का भुगतान अभी तक किया गया है।

उपरोक्त कार्यों के लिए किये गये वर्क-आर्डर के रेट अधिशासी अभियन्ता विद्युत् जनपद निर्माण खण्ड (तृतीय) द्वारा स्वीकृत किये गये तथा भुगतान वरिष्ठ लेखाधिकारी, टाण्डा तापीय परियोजना के आदेशों पर किये गये ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में कार्यरत अवर अभियन्ता को सिविल इंजीनियर बनाये जाने का विवरण

29–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना टाण्डा, फैजाबाद में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री वाई0 वी0 सक्सेना, सिविल डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर श्री सक्सेना को सिविल इंजीनियर बनाया गया? क्या उक्त मामले में दोषी अधिकारी को जांचोपरान्त दंडित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। श्री वाई0 वी0 सक्सेना, सिविल डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं। जहां तक श्री सक्सेना को सिविल इंजीनियर बनाये जाने का प्रश्न है स्थिति यह है कि श्री सक्सेना को वर्कचार्ज में परिचालन संवर्ग में नियुक्त किया गया था । तदुपरान्त उन्हें वर्कचार्ज में प्रोन्नति देकर सुपरवाइजर बनाया गया। इसके पश्चात् सुपरवाइजर के पद पर वर्क-चार्ज में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें एक्स कैडर सुपरवाइजर/जूनियर इंजीनियर के पद पर अस्थाई रूप से समायोजित किया गया तथा सिविल में उनके अनुभव के आधार पर उनसे सिविल का कार्य लिया जा रहा है ।

कलेक्ट्रेट गोण्डा में चपरासी पद के स्थायीकरण पर कार्यवाही

30–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री को यह ज्ञात है कि कलेक्ट्रेट गोण्डा में जो व्यक्ति दस वर्षों से चपरासी के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें स्थान रिक्त होते हुए भी स्थायी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

कलेक्ट्रेट गोण्डा में ऐसा कोई अस्थाई चपरासी कार्यरत नहीं है जिसकी सेवायें लगातार 10 वर्ष की हो चुकी हो और अभी तक स्थायी न किया गया हो। माह नवम्बर, 1981 तक जितने पद रिक्त थे उन पर स्थायीकरण की कार्यवाही हो चुकी है।

ग्राम नन्दपुर, जनपद फैजाबाद की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने की जांच

31–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम नन्दपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20-9-81 को कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त संबंध में जाच कराई गई तथा अवैध कब्जा ग्राम सभा भूमि से हटवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

32—श्री पंचानन राय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के ग्राम जमसर में आवंटियों को कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही

33—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में ग्राम जमसर के गाटा सं0 489 से 62 कड़ी जमीन आबादी हेतु सर्वश्री सूर्यभान एवं ब्रजभान जो भूमिहीन हरिजन हैं, को आवंटित की गयी है ? क्या उक्त भूमि पर कब्जा न पाने की कोई शिकायत 24-6-81 को इनके द्वारा जिला अधिकारी को की गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। ग्राम जमसर सगड़ी के पुराने नम्बर 489 से बने हाल नम्बर 85 में से सर्वश्री सूर्यभान एवं ब्रजभान प्रत्येक को 31 कड़ी भूमि आवंटित की गयी है। कब्जा न पाने का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गयी। उक्त आवंटियों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के रौनापार गांव के पैमाइश कराये जाने से संबंधित पत्र

34—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित रौनापार गांव के पैमाइश कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-81 को जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी, आजमगढ़, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सगड़ी तहसील कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण से कथित पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में आजमगढ़ ढेलुआ नामक ग्राम में आवंटी को कब्जा

35—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम अजमतगढ़ ढेलुआ की आराजी सं0 205/1 की 30 कड़ी जमीन सेना में कार्यरत श्री चन्द्रदेव राय को पट्टा की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त पट्टा की गयी भूमि का सीमांकन कर, पट्टेदार को कब्जा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत तहसील सगड़ी में अजमतगढ़ ढेलुआ नामक कोई ग्राम नहीं है बल्कि अजमतगढ़ ढेलुआ नामक एक गांव सभा थी जो वर्तमान टाउन एरिया अजमतगढ़ है । प्रश्नगत भूखण्ड सं0 205/1 गांव सभा भूमि न होने के कारण उसके आवंटन का प्रश्न नहीं उठता। वैसे तत्कालीन गांव सभा द्वारा ग्राम अजमतगढ़ में स्थित भू-खण्ड संख्या 805 में से .030 कड़ी भूमि ग्राम मसोना निवासी श्री चन्द्र देव राय को आवास हेतु आवंटित की गयी थी जिसका सीमांकन कर आवंटी के परिवार वालों को कब्जा दे दिया गया था ।

श्रमिक संगठनों द्वारा कार्मिक विभाग का पुनर्गठन

36—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-2-81 को 6 श्रमिक संगठनों से समझौता हुआ था कि कार्मिक विभाग का पुनर्गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । इस प्रकार का समझौता हुआ था तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा देश के अन्य विद्युत परिषदों से उनके कार्मिक विभागों के ढांचे एवं गठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

37—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उपकोषाधिकारी टाण्डा, जनपद फैजाबाद को दिया गया सीधे बिल पारण का अधिकार

38—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि उप-कोषाधिकारी टाण्डा, जनपद फैजाबाद को सीधे बिल पारण अधिकार दिए जाने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 81 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपकोषाधिकारी को सीधे बिल पारण अधिकार दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

जी हां । तत्सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को निर्गत कर दिये गये हैं ।

39—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[पांचवें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टाण्डा तहसील, जनपद फैजाबाद के गांवों के रिकार्ड आपरेशन मुख्यालय टाण्डा में किये जाने हेतु आदेश

40—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि टाण्डा तहसील, जनपद फैजाबाद के करीब 28 गांवों के रिकार्ड आपरेशन तहसील मुख्यालय के बजाय फैजाबाद मुख्यालय पर किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1981/5 अगस्त, 1981 को कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराई गयी तथा पुनः रिकार्ड आपरेशन मुख्यालय टाण्डा में किये जाने हेतु आदेश किया गया तथा दोषी अधिकारी को दंडित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

41—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

बरेली रेन्ज में आशुलिपिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों की नियुक्ति

42—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के बरेली रेंज में वर्ष 1972-73 में स्टेनों की परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो परीक्षा में कौन-कौन कर्मचारी उत्तीर्ण हुए ? क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप

पदोन्नत आशुलिपिक श्री मोहम्मद इदरीस को तत्कालीन सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर, बरेली, श्री एस0 एस0 चौबे ने अवैध रूप से स्टैनो के पद से दिनांक 1-10-73 को प्रत्यावर्तित किया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मो0 इदरीस ने अवैध रूप से किये गये प्रत्यावर्तन के विरुद्ध नवम्बर, 1973 में बिक्री-कर अधिकारी, बदायूं के माध्यम से कोई प्रत्यावेदन सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर बरेली को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां। परीक्षा में निम्नलिखित कर्मचारी आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये थे :---

1. श्री मोहन चन्द्र बहुगुणा ।
2. श्री राधे श्याम।
3. श्री राम चन्द्र सिंह।
4. श्री श्रीराम शर्मा।

जी नहीं। श्री मोहम्मद इदरीस को तत्कालीन सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर, बरेली द्वारा दिनांक 10-7-73 को आशुलिपिक के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया था। नियमानुसार टंकक के पद से आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकती थी । अतः दिनांक 1-10-73 को श्री मो0 इदरीस को टंकक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

जी हां । चूंकि श्री मो0 इदरीस को आशुलिपिक के पद से टंकक के पद पर किया गया प्रत्यावर्तन वैध था, अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

43–श्री हरिवंश सहाय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

44–श्री हरिवंश सहाय–

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम गोड्डत पट्टी में ट्रान्सफारमर क्षतिग्रस्त हो जाने से नया लगाया गया ट्रान्सफारमर

45–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ ब्लाक में स्थित ग्राम गोड्डत पट्टी में लगा ट्रान्सफारमर मई, 1981 से जुलाई, 1991 के बीच जल गया ? यदि हां, तो अब तक ट्रान्सफारमर न लगाये जाने के क्या कारण हैं तथा ट्रान्सफारमर न लगाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री–

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत गोड्डत पट्टी ग्राम के एक ही डबलपोल पर 25 के0 वी0 ए0 क्षमता के ट्रान्सफारमर लगाये गये थे जिसमें एक ट्रान्सफारमर दिनांक 29 जून, 1981 को क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर तथा दूसरे 25 के0वी0ए0 को हटाकर, प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर, एक 63 के0वी0ए0 क्षमता का ट्रांसफार्मर दिनांक 2 अक्टूबर, 1981 को लगाया जा चुका है। प्रश्नगत 25 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफारमर के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बरसात के दिन होने से काश्तकारों को पानी की आवश्यकता नहीं थी इसलिये एक ही 25 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफारमर से उनका काम चलता रहा । तत्पश्चात सिंचाई का समय आने से पहले ही उचित क्षमता का ट्रान्सफारमर दिनांक 2 अक्टूबर, 1981 को लगा दिया गया था ।

कर्मचारियों का वेतन निर्धारण और नये वेतनमान लागू करने के संबंध में आदेश

46—श्री हरिवंश सहाय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी वेतन आयोग वर्ष 1979-80 के प्रत्यावेदन को शासन द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त आज तक वेतन निर्धारण करने एवं वेतन कर्मचारियों को नये वेतनक्रम में परिवर्तित करने एवं लागू करने संबंधी राजाज्ञा के जारी करने में असाधारण विलम्ब का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त—

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में स्वीकार किया गया था। नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु विस्तृत निर्देश शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 1981 में वित्त विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। शासकीय संकल्प दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में प्रसारित निर्णय के अनुसार नये वेतनमान लागू करने के संबंध में आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

47—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

चकबन्दी जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद के खिलाफ जांच व कार्यवाही

48—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-9-81 को श्री रामबाबू अपर निदेशक, चकबन्दी, उ0 प्र0 द्वारा घनश्याम अवस्थी के शिकायती पत्रों के आधार पर चकबन्दी जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद के खिलाफ जांच की गयी है? यदि हां, तो दोषी चकबन्दी अधिकारी, जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

जांच के पश्चात् शिकायतकर्ता ने पुनः यह आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने जांच निष्पक्ष नहीं की है अतः शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री नियाज, जिला फैजाबाद द्वारा ग्राम समाज की भूमि अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर कृत कार्यवाही

49—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री नियाज, निवासी सहतेमऊ, मौजा रानीपुर तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद ने उक्त मौजा की ग्राम समाज की ढाई बीघा जरीबी भूमि पर अनाधिकारी स्थायी बाग लगवा कर कब्जा कर लिया? यदि हां, तो क्या सरकार श्री नियाज के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि अवैधानिक रूप से कब्जा करने के लिए मुकदमा कायम करके कार्यवाही करेगी तथा क्षेत्रीय लेखपाल का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा सोहांस, जिला बस्ती की बंजर भूमि का आवंटन तथा अवैधानिक कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

50—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा सोहांस जनवी तहसील नौगढ़ जिला बस्ती में कितनी भूमि बंजर है जो खेती के काम में लायी जा सकती है? क्या

उस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो उन अवैधानिक कब्जेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों और क्या सरकार उस भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम सभा सोहांस जनवी तहसील नौगढ़ जिला बस्ती में कुल बंजर भूमि 27-5-14 है जो खेती योग्य है। इस भूमि पर अवैधानिक कब्जा नहीं है, अतः कब्जा हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त ग्राम सभा बंजर भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में शीघ्र कर दिया जावेगा। इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है इस कारण गांव समाज की भूमि अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाई थी।

कुकुरौंछी तथा बरडीहा में नलकूप कनेक्शन

51–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 6ठे शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 86 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से दो राजकीय नलकूप हैं जिन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया था? क्या उन्हें अब कनेक्शन दे दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत राजकीय नलकूप आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत सगड़ी तहसील में कुकुरौंछी तथा बरडीहा में स्थित हैं। इन्हें अप्रैल, 1981 में कनेक्शन दे दिया गया है।

तहसील खलीलाबाद (बस्ती) में छंटनीशुदा कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति

52–श्री रूपराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद (बस्ती) में स्था0 एवं सीजनल रूप से खपाये अमीनों (छटनी एवं गैर छटनी शुदा) में वरिष्ठता क्रम में आरम्भ से 20 तक के लोगों का नाम, शैक्षिक योग्यता एवं कुल सेवा अनुभव क्या है? उक्त तहसील में सेवा निवृत्ति से कुल कितनी जगहें रिक्त हैं तथा इस समय कौन-कौन कार्यरत हैं? क्या सरकार वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

53–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बदायूं के विद्युत विभाग को ट्रांसफारमरों की निर्धारित कोटे के अनुसार सप्लाई

54–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं के विद्युत विभाग को ट्रान्सफारमर की सप्लाई निर्धारित कोटे के अनुसार की जा रही है और वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में विभाग को कितने ट्रान्सफार्मर दिये गये? क्या यह सप्लाई निर्धारित कोटे के अनुसार दी गई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 (दिसम्बर, 1981 के अन्त तक) बदायूं जनपद के लिए क्रमशः 261, 266 व 168 की मांग के विपरीत क्रमशः 331, 289 व 165 ट्रांसफार्मर दिये गये। वर्ष 1979-80 व 1980-81 में

मूल मांग से अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये गये क्योंकि वर्ष के दौरान अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता बताई गई तथा वर्ष 1981-82 में भी मांग लगभग पूरी की जा चुकी है। प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री जयदीप सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

56—श्री पंचानन राय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जिला बस्ती की कतिपय तहसीलों में बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत कार्य

57—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1981 तक डुमरियागंज, बांसी, नौगढ़, बस्ती, खलीलाबाद तथा हर्रैया तहसील, जिला बस्ती में कुल कितनी बार बाढ़ आयी, कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और प्रत्येक गांवों में कितना-कितना प्रतिशत हानि हुई? बाढ़ और पानी इकट्ठा तथा कटान होने वाले गांवों को 16-11-81 तक किस-किस प्रकार की सहायता मिली है?

श्री बैजनाथ कुरील—

माह जुलाई, 81 से सितम्बर, 81 तक तहसील डुमरियागंज में दो बार, तहसील बांसी, बस्ती तथा खलीलाबाद में तीन बार तथा तहसील नौगढ़ एवं हर्रैया में चार बार बाढ़ आयी। जनपद की समस्त तहसीलों में कुल 4239 गांव बाढ़ तथा जलभराव से प्रभावित हुए जिनमें से 3,562 गांवों में खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक तथा 677 गांवों में खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई। बाढ़, जलभराव तथा कटान से प्रभावित ग्रामों में पात्र व्यक्तियों को जीवनोपयोगी वस्तुएं, जैसे गेहूं, आटा, चना, मिट्टी का तेल, नमक और दियासलाई वितरित की गई। इसके अतिरिक्त वस्तुस्थिति के अनुसार नकद धनराशि भी वितरित की गई और पीड़ित मनुष्यों एवं पशुओं को टीके लगाये गये व औषधियां वितरित की गयीं। बाढ़ क्षेत्र के कुओं के पानी को विसंक्रमित किया गया। आवश्यकतानुसार तहसील डुमरियागंज, बांसी, खलीलाबाद तथा नौगढ़ में सेना/पी0 ए0 सी0 की सहायता भी उपलब्ध करायी गयी।

58—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

लेखपालों को स्वीकृत यात्रा भत्ता

59—श्री बलबीर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों को साइकिल भत्ता तथा तहसील पर मीटिंगों में आने-जाने का भत्ता दिया जाता है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

उन लेखपालों को जिनके हल्के तहसील मुख्यालय से पांच मील से अधिक दूरी पर स्थित हैं उन्हें चार रुपया प्रतिमाह नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है। वेतन आयोग ने लेखपालों के लिए अब 15 रुपया प्रति माह नियत यात्रा भत्ता स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है।

श्री सुदेश्वर सिंह, सेवा निवृत्त चकबन्दी अधिकारी की पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति

60—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम शुक्र के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदेश्वर सिंह की पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ?यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री सुदेश्वर सिंह सेवा निवृत्त चकबन्दी अधिकारी के पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के समस्त कागजात चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक 30-11-1981 द्वारा महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं। मामले में महालेखाकार की स्वीकृति अपेक्षित है।

स्वर्गीय युधिष्ठिर राय की विधवा पत्नी को प्रश्नगत अवधि के भुगतान के संबंध में कार्यवाही

61–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 स0 12 के उत्तर में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री युधिष्ठिर राय की पत्नी को जून, 1970 से जून, 1973 तक की अवधि के विलुप्त अंशदान का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो यह कब तक कर दिया जायेगा और विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

स्व0 श्री युधिष्ठिर राय की विधवा पत्नी का प्रश्नगत अवधि के विलुप्त अंशदान का भुगतान महालेखाकार, उ0 प्र0 से प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण लम्बित है। उनसे इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा प्रश्नगत अवधि के विलुप्त अंशदान का विवरण महालेखाकार, उ0 प्र0 को भेज दिये गये हैं, अतएव विलम्ब के लिये जिले का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। महालेखाकार, उ0 प्र0 से अधिकारपत्र प्राप्त होने पर भुगतान तुरन्त कर दिया जायगा।

नियाज अहमद भूतपूर्व चपरासी का स्थायीकरण तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्ति के आदेश

62–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 136 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद भी श्री नियाज अहमद के अस्थायी होने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री नियाज अहमद अवकाश लेकर गये थे और उन्हें अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दिखाकर उनकी सेवा समाप्त मान ली गयी है? यदि नहीं, तो अनुपस्थिति की अवधि में क्या उन्हें कोई सूचना या नोटिस दी गयी थी?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री नियाज अहमद, भूतपूर्व चपरासी का स्थायीकरण वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ होने के कारण नहीं हो सका था। दिनांक 1-3-77 से बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 2-9-1977 द्वारा श्री नियाज अहमद की सेवायें समाप्त कर दी गईं थीं। इसके विरुद्ध उन्होंने जिलाधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है।

जनपद आजमगढ़ में किसानों को निजी नलकूप हेतु कनेक्शन

63–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 157 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 3910 किसानों में से कितनों को 5-11-81 तक कनेक्शन दे दिया गया है तथा शेष को कब तक दिये जाने की आशा है?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद आजमगढ़ में दिनांक 24-10-1981 तक निजी नलकूप, औद्योगिक तथा बत्ती एवं पंखे के जो 3910 बी0 एण्ड एल0 फार्म कनेक्शन हेतु लम्बित थे, उनमें से दिनांक 5-11-1981 तक 3365 कनेक्शन दिये जा चुके हैं शेष उपभोक्ताओं को प्राथमिकता एवं बिजली के सामानों की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

64–श्री मोती लाल देहलवी–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

शारदा सहायक नहर से प्रभावित ग्रामों की पुनः चकबन्दी कराने संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

65–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभावित ग्रामों की कुल संख्या कितनी है और उनका सर्वेक्षण कब प्रारम्भ किया गया तथा कब तक पूरा होने की संभावना है? क्या शासन प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-10-80 के अनुसार पुनः चकबन्दी कराने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे बने महुआ गढ़वाल बांध के दक्षिण स्थित गांवों में चकबन्दी कार्य

66–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 95 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी योग्य पाये गये 39 ग्रामों की चकबन्दी कब तक प्रारम्भ हो जायगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्नगत 39 ग्रामों में चकबन्दी प्रसार के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष में कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन है।

ग्राम सभा चितविसांव, जनपद आजमगढ़ की भूमि को परगना मैजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के दूसरी संस्था को रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

67–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमित कार्य के लिए प्रधान के विरुद्ध 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

68–श्री मोती लाल देहलवी–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

ग्राम मद्दखेड़ा तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के निवासी हरिजन श्री केशवदास को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने पर कार्यवाही

69—श्री रामकरन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मद्दखेड़ा, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के हरिजन निवासी (केशवदास) ने अपनी जमीन पर मेड़ काट कर जबरदस्ती कब्जा करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी, उन्नाव को दिनांक 8-7-81 को शिकायती पत्र दिया था, जिसकी पुष्टि संबंधित लेखपाल व कानूनगो ने दिनांक 10-10-81 को की है? यदि हां, तो अब तक उक्त हरिजन को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने एवं गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

प्रार्थना पत्र की जांच पर पाया गया कि विवादित भूमि प्रार्थी को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार वाली भूमि है। मेड़ की स्थिति के संबंध में दोनों पक्षों में विवाद है। प्रार्थी को सूचित कर दिया गया कि वह मेड़ के संबंध में विवाद के निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देकर कार्यवाही करें।

श्री भुइयादीन, ग्राम कनकोटा, तहसील कर्वी, बांदा का अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने संबंधी शिकायती पत्र

70—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करबी तहसील के ग्राम कनकोटा निवासी हरिजन भुइयादीन पुत्र देवराज ने एस0 डी0 एम0 कर्वी को 29-10-81 को एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है कि उसके पट्टे की जमीन पर उसे कब्जा नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री भुइयादीन पुत्र देवराज हरिजन, ग्राम कनकोटा, तहसील कर्वी (बांदा) ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 20-10-81 को अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में दिया था। इस पर पुलिस की मदद से पट्टेदार श्री भुइयादीन को पट्टे की भूमि पर ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्राम वासियों की उपस्थिति में, दिनांक 23-11-1981 को नापकर सीमांकन कराते हुए कब्जा दिला दिया गया है। पट्टेदार ने कब्जा प्राप्त कर पत्थर भी गाड़ लिया है।

71—श्री पंचानन राय—

[18-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या-1 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मघसिया के नागरिकों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र

72—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के तहवरपुर ब्लाक में शोधीपुर विद्युत उपकेन्द्र ग्राम मघसिया की जमीन में बना है तथा क्या यह सही है कि उक्त उप केन्द्र के लिए जमीन मघसिया के नागरिकों द्वारा इस आश्वासन पर दी गयी थी कि इस गांव का विद्युतीकरण निःशुल्क कर दिया जायेगा? क्या विद्युत मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मघसिया के नागरिकों ने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा लगभग 2 वर्ष पूर्व एग्रीमेंट भी हो चुका है इसके बाद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो यह कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा? क्या सरकार उपरोक्त उप केन्द्र का नाम शोधीपुर से बदल कर मघसिया करने पर विचार करेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। यह सत्य है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र शोधीपुर ग्राम मघसिया की जमीन पर बना है, किन्तु कोई आश्वासन नहीं दिया

गया था। ग्राम मघसिया के 32 व्यक्तियों द्वारा बत्ती पंखा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी कर देने के पश्चात् इस ग्राम में एल0टी0 लाइन मार्च, 1979 में ही खींच दी गई थी परन्तु इन व्यक्तियों के कनेक्शन स्थल पर वायरिंग पूरी न पाये जाने की स्थिति में कनेक्शन नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात् 19 व्यक्तियों द्वारा वायरिंग पूरी करा लेने पर मार्च से 9 जून, 1981 के दौरान सर्विस लाइन खींच कर मीटर लगा दिया गया परन्तु ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने आपसी रंजिश के कारण एल0टी0 लाइन के स्टे कुछ स्थानों पर उखाड़ दिये जिससे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई तथा प्रश्नगत 19 व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका। क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक किया जा रहा है तथा आशा है कि इन 19 व्यक्तियों को इसी माह जनवरी, 1982 के अन्त तक कनेक्शन दे दिया जायेगा। शेष व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही उनके द्वारा वायरिंग पूरी करा लिये जाने पर की जायेगी। आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जनपद बस्ती के कतिपय तहसीलों में बाढ़ व अतिवृष्टि द्वारा क्षतिग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

73—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के डुमरियागंज, बांसी, नौगढ़, बस्ती, हरैया तथा खलीलाबाद तहसीलों में जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1981 तक पानी इकट्ठा होने तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि व कटान से कितने मकान तथा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए और किन-किन को कितनी-कितनी सहायता दी गयी है और कितने गांव सहायता से वंचित हैं? क्या इस संबंध में भूतपूर्व विधायक श्री सुखपाल पाण्डेय ने कोई शिकायत की है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

74—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद बांदा, ग्राम रेहुटा में अवैधानिक पट्टों को खारिज करने के संबंध में कार्यवाही

75—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम रेहुंटा के निवासी राजाराम पुत्र केदार अहिर आदि ने 30-9-81 को डिवीजनल कमिश्नर झांसी के पास प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है कि रेहुंटा गांव के ग्राम प्रधान श्री शिवरतन ने अपने सगे भतीजों के नाम सीलिंग की जमीन के पट्टे अवैधानिक रूप से कर लिये हैं और इस प्रकार अपने पद का भी दुरुपयोग किया है? यदि हां, तो अवैधानिक पट्टों को खारिज करने एवं पद का दुरुपयोग करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बांदा, गांव लोहरा के निवासियों द्वारा पट्टों में की जाने वाली अवैधानिक कार्यवाही संबंधी शिकायती पत्र

76—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की बदेरू तहसील के गांव लोहरा निवासी नकुला और चन्ना आदि कई हरिजनों ने 5-10-81 को जिलाधिकारी, बांदा को एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि उनके गांव में पट्टों के सम्बन्ध में की जाने वाली अवैधानिक कार्यवाही को रोका जाय तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच कराई जा रही है जो इसी माह पूरी हो जायेगी। पट्टों की कार्यवाही रोक दी गई है एवं फिलहाल संबंधित लेखपाल का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है। जांचोपरान्त जो भी कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर की तहसील में सुपरवाइजर कानूनगो व सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को अनुसूचित कोटों में पदोन्नति

77–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की किन-किन तहसीलों में कितने सुपरवाइजर कानूनगो व सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पदों पर वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में अनुसूचित जाति के कोटे में पदोन्नति की गयी है? क्या अब भी निर्धारित कोटा कम है? क्या इसकी पूर्ति हेतु तत्काल कार्यवाही की जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में अनधिकृत कब्जा हटा कर जमीनों की पैमाइश कराने पर विचार

78–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव के ग्राम माहोपार, पुरुषौली (गगहा), गजपुर जिगिना, चबरिया बघराई, बांसगांव खास में धोबियों की आबादी, धोबीघाट व कपड़ा सुखाने वाली जमीन पर कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती से अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या ऐसे कब्जे को हटाते हुए उल्लिखित गांवों की इस प्रकार की जमीनों की पैमाइश कराकर पत्थर नशब करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के अन्दर बहने वाली राप्ती, गौरा व घाघरा नदी के तटवर्ती गांवों में प्रारम्भ चकबन्दी प्रक्रियायें

79–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के अन्दर बहने वाली नदी राप्ती, गौरा व घाघरा के तटवर्ती गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया चालू कर दी गयी है ?यदि हां, तो सम्बन्धित गांवों जैसे धुन्ही, महोब चक, सहड़ोवा, सरार, मझजावा, खरखटा, डुमरैला, डीहघाट आदि गांवों में धोबी आबादी, धोबी घाट व कपड़ा सुखाने के लिए पर्याप्त जमीनों को छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो किस मापदण्ड से?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

राप्ती, गौरा व घाघरा के तटवर्ती जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ की गयी है उनमें से ग्राम–

1–धुन्ही महोब चक में कुल 23 हरिजन/धोबी परिवार रहते हैं जिनके लिए नियमानुसार 0-40 एकड़ भूमि आबादी प्रसार तथा 0-10 डि0 भूमि धोबी घाट व कपड़ा सुखाने हेतु आरक्षित की गयी है।

2—ग्राम डुमरौली में 98 हरिजन/धोबी परिवार निवास करते हैं जिनके लिए नियमानुसार 1-50 डि0 आबादी प्रसार तथा 0-11 डि0 भूमि धोबी घाट व कपड़ा सुखाने के लिये सुरक्षित की गयी है।

3—उपरोक्त आरक्षण चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर 178-क में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत किया गया है। ग्राम खरखुटा व सिहोड़बा में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है। इन ग्रामों में अभी भूचित्र संशोधन/पड़ताल की कार्यवाही चल रही है।

ग्राम सरार मझगवा व डीहघाट चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं है।

गांव बड़हरा, जिला गोरखपुर में शंकर शुगर इण्डस्ट्रीज कप्तानगंज (देवरिया) की सीलिंग की भूमि का भूमिहीन हरिजनों में वितरण

80—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गांव बड़हरा उर्फ महाविनखोर तहसील महाराजगंज जिला गोरखपुर में शंकर शुगर इण्डस्ट्रीज कप्तानगंज (देवरिया) की सीलिंग की करीब 60 एकड़ भूमि है, जिस पर आज भी उक्त संस्थान का ही कब्जा है? यदि हां, तो इसे भूमिहीन हरिजनों में न बटवाए जाने के क्या कारण हैं ? और इसका वितरण कब तक हो जायेगा?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

81-82—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

83-90—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भटनी में बिजली के पावर स्टेशन की स्थापना

91—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भटनी में बिजली का पावर सब स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जायेगा तथा यह कब से बन रहा है? बिलम्ब का कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री

देवरिया जनपद के अन्तर्गत भटनी ग्राम में 33/11 के0 वी0 1500 के0 वी0 ए0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अप्रैल, 1980 में शुरू किया गया था तथा इस विद्युत उपकेन्द्र को संभवतः मार्च, 1982 के अन्त तक चालू कर दिया जायेगा। कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप है।

देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में विद्युत् उपकेन्द्र बनाये जाने की योजना

92—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में बिजली का पावर सब स्टेशन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

देवरिया जनपद के अन्तर्गत बनकटा विकास क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

देवरिया जनपद के तहसील सलेमपुर में 33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना

93—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में 33 के0 वी0 का कोई पावर हाउस स्थापित करने की योजना है ?

श्री सुनील शास्त्री—

देवरिया जनपद के अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में 33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

अल्प बचत में धन जमा कराकर विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने से धन को वापस करने के आदेश

94—श्री जंग बहादुर सिंह तथा श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि विभागीय विद्युत् कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना 8-10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थी ? जिसमें कृषकों से 5 वर्ष की अवधि के लिए अल्प बचत में धन जमा कराकर कनेक्शन दिया गया था? 5 वर्ष की अवधि बीतने के बाद प्रदेश के हजारों किसानों के अल्प बचत योजना में दिये गये धन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगी?

श्री सुनील शास्त्री

नलकूपों के विद्युतीकरण की मांग बढ़ने के कारण ग्रामीण जमा योजना प्रारम्भ की गई थी जिससे लाईन बनाने की कुल लागत उपभोक्ता को जमा करनी पड़ती थी। 5 वर्ष की अवधि के बाद कुल जमा की गई धनराशि का वह भाग जो कि परिषद् को वहन करना था उपभोक्ताओं को एक मुश्त वापिस करने के लिये पहले से ही आदेश हैं।

क्षेत्रीय अधिकारियों को पुनः आदेश दे दिये गये हैं कि यदि किसी को उक्त धन वापस नहीं हुआ है तो तुरन्त वापस कर दिया जाये।

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे गांवों में संबंधित काश्तकारों के नाम अंकित अभिलेख तथा पंचसाला बन्दोबस्त के दौरान अशुद्धियों को ठीक कराये जाने पर विचार

95—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में घाघरा के किनारे कुछ गांवों के मुख्य धारा में विलीन होने और पुनः धारा परिवर्तन के कारण छूट जाने से संबंधित काश्तकारों का नाम 69 फसली तथा नक्शा सन् 51 के अनुसार दुरुस्त कराये जाने तथा सन् 74 के पंचसाले में हुई अशुद्धियों को ठीक कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1980 परगना अधिकारी, मगड़ी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। घाघरा नदी से बरार भूमि पर सम्बन्धित काश्तकारों के नाम अभिलेखों में अंकित किये जा चुके हैं। सन् 1974 के पंचसाला बंदोबस्त के दौरान हुई अशुद्धियों को ठीक करने हेतु रेकर्ड आपरेशन कराये जाने की वांछनीयता पर विचार किया जा रहा है।

जिला आजमगढ़, ग्राम पलिया में चकों की पैमाइश करने पर कार्यवाही

96—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम पलिया के चकों की पैमाइश किये जाने से संबंधित नागरिकों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-9-80 के साथ उप चकबन्दी अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

संदर्भित पत्र के परिपेक्ष में पैमाइश की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। कृषकों की प्रार्थना पर तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने दिनांक 22-12-1980 को खेत खाली होने तक पैमाइश का कार्य स्थगित कर दिया था।

संबंधित चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र की इकाई के खत्म होने के कारण उक्त कार्य दूसरे चकबन्दी अधिकारी को सौंपा गया परन्तु फसल तथा अधिकांश खेतों में पानी भरे होने के कारण पैमाइश का कार्य दिनांक 31-10-1981 तक नहीं कराया जा सका।

पैमाइश का कार्य अब पूरा कराया जा चुका है।

शारदा नहर से प्रभावित गांवों में पुनः चकबन्दी कराये जाने पर कार्यवाही

97—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर के निर्माण से प्रभावित गांवों की पुनः चकबन्दी कराए जाने से सम्बन्धित आठ ग्राम प्रधानों का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-3-81 के साथ मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

दिनांक 9-3-81 के पत्र के साथ प्रधानों के पत्र पर जांचोपरान्त यह विदित हुआ है कि जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में शारदा नहर के निर्माण से 80 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। जिनका चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत प्रख्यापन भी किया जा चुका है। चूंकि किसी भी ग्राम की धारा-52 की विज्ञप्ति हुये अभी 10 वर्ष का समय नहीं व्यतीत हुआ है। अतः नियमानुसार धारा 52 के प्रख्यापन के 10 वर्ष बाद ही दोबारा चकबन्दी कराया जाना सम्भव होगा।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र बनाने की स्वीकृति

98—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत् उपकेन्द्र बनाए जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-4-81 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। उक्त पत्र में आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाटघाट में 33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र बनाये जाने में शिथिलता की शिकायत की गयी थी। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि लाटघाट के अतिरिक्त बाजार गोसाईं एवं जमालुद्दीन पट्टी में भी चालू वित्तीय वर्ष में 33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

वर्तमान स्थिति में लाटघाट में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव है परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अन्य विद्युत उपकेन्द्रों की आवश्यकता को देखते हुये उक्त विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण अभी अगले वर्ष (1982-83) तक किये जाने का विचार नहीं है जहां तक बाजार गोसाईं एवं जमालुद्दीन पट्टी में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का प्रश्न है, इन स्थानों पर विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

ग्राम परशुरामपुर, जिला बस्ती में बंजर एवं परती भूमि पर अवैधानिक कब्जों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

99—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परशुरामपुर, तप्पवनगवां, तहसील हरैया, जिला बस्ती में कुल कितनी भूमि 1974 में बंजर एवं परती थी? कितनी जमीन पर कौन-कौन से लोग वर्ग-4 तथा अन्य प्रकार के काबिज लिखे हैं उनमें से कितने के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके अक्तूबर, 1981 तक कितनी जमीन खाली कराई गयी, कितने के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी से प्रभावित ग्राम

100—श्री राज कुमार राय—

प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 38, दिनांक 30-1-81 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अटपुर, दाऊदपुर व चकेसर को किस सन् या फसली में घाघरा नदी में प्रभावित किया था?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्रामों में ग्राम अटपुर नामक कोई ग्राम नहीं है।

चकेसर घाघरा नदी से ग्राम प्रभावित नहीं है उसकी चकबन्दी भी हो चुकी है।

पुनः जांच के अनुसार ग्राम दाऊदपुर को घाघरा नदी द्वारा प्रभावित करना नहीं पाया गया। अतएव इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ कराने हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 567/जी0-160/70, दिनांक 19 जनवरी, 1982 जारी की जा चुकी है।

लखनऊ अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' के भूखण्डों के ऊपर से जाने वाली विद्युत लाइन को ग्रीनबेल्ट से ले जाने की अनुमति

101—श्री माधव प्रसाद—

क्या यह सही है कि लखनऊ अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में भूखण्डों के ऊपर से जाने वाली 33 के0 वी0 ए0 एच0 टी0 लाइन को हटाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22-6-76 को 51,584 रु0 का भुगतान किया जा चुका है तथा डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन द्वारा उक्त लाइन को शिफ्ट करके ग्रीन बेल्ट से ले जाने की अनुमति 3-1-80 को दी जा चुकी है, किन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारीगण दोषी हैं और यह कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं। संदर्भित धनराशि रु0 51,584/- का 22 जून 1976 को भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 33 के0 वी0 डालीगंज-चिनहट लाइन को सेक्टर 'सी', 'डी' तथा 'ई' तक हटाने के लिये किया गया था यह कार्य वर्ष 1976 में ही पूरा कर दिया गया था।

ग्रीन बेल्ट से लाइन ले जाने की अनुमति के लिये अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद् तथा अधिशाषी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण को कार्य पर आने वाली लागत रु0 1,99,922/- को जमा करने हेतु 9 मार्च, 1981 को सूचित किया गया था परन्तु उक्त धनराशि का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक न किये जाने की स्थिति में अलीगंज (लखनऊ) योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में भू-खण्डों के ऊपर से जाने वाली 33 के0 बी0 लाइन को हटाये जाने का कार्य नहीं किया जा सका। उपरोक्त कार्य प्रारम्भ न किये जाने के लिये राज्य विद्युत परिषद् का कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

आवश्यक धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने पर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जायेगा।

जनपद फैजाबाद, ग्राम रिउना में भूमि आवंटन में गड़बड़ी की जांच

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के मिझौड़ा परगना के रिउना ग्राम में भूमि आवंटन में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने दिनांक 10-11-81 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र भेज कर शिकायत की है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

जांच परगनाधिकारी अकबरपुर द्वारा की जा रही है। जांच कार्य पूर्ण होने के पूर्व किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

नगर पालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में नये कनेक्शन

103–श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कुल कितने नए लाइट व फैन तथा पावर कनेक्शन दिए गये हैं? क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं को इस्तेमाल की गयी बिजली का बिल विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो यह कितने उपभोक्ताओं का है तथा ऐसा क्यों हुआ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

104–श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद के ग्राम चोरमरा तथा नेवादा में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना तथा निर्माण कार्य

105—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपदान्तर्गत जहांगीराबाद ब्लाक के चोरमरा ग्राम में एक 33 के0 वी0 विद्युत उपग्रह (सब स्टेशन) के निर्माण हेतु आज से लगभग तीन वर्ष पहले जो कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी और जिससे संबंधित भूमि का चयन भी कर लिया गया था और उस भूमि के मालिकों से जिलाधिकारी द्वारा उसके मूल्यांकन करा लेने के उपरान्त लिखित सहमति (एग्रीमेन्ट) भी प्राप्त कर ली गयी थी? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत चोरमरा ग्राम में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

106—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपदान्तर्गत भियांव ब्लाक के नेवादा ग्राम में एक 33 के0 वी0 विद्युत उप गृह (सब स्टेशन) के निर्माण हेतु लगभग 3 वर्ष पहले प्रस्तावित था तथा भूमि सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें भी पूर्ण हो चुकी थीं, उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई? यदि निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत नेवादा ग्राम में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गयी है तथा जलालपुर से नेवादा तक 33 के0 वी0 लाइन का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है। समिति वित्तीय संसाधनों तथा अन्य विद्युत उपकेन्द्रों की आवश्यकता को देखते हुए नेवादा विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) में न करने का निर्णय लिया गया। उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष (1982-83) में किये जाने की संभावना है।

107-108—श्री लालसा—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

109—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

ग्राम चांदोपुर, जनपद आजमगढ़ में चक रोड पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही

110—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चादोपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में चक रोड को अधिकृत रूप से कब्जा किए जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-11-80 परगनाधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ नाथ कुरील—

जी हां, दिनांक 20-11-80 का पत्र परगनाधिकारी, सगड़ी को प्राप्त हुआ है, लेकिन वह ग्राम चांदोपुर से संबंधित न होकर ग्राम चाएपुर में खोर पर कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने से संबंधित है। जांच के उपरान्त तहसीलदार द्वारा अनधिकृत कब्जा करने वालों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत मुकदमा

कायम किया गया है। न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को अवैध कब्जा हटा लेने की नोटिस जारी कर दी गई है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मझौआ तथा पान्डेपुर के ताल के फर्जी पट्टे से सम्बन्धित पत्र

111—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझौआ तथा पाण्डेयपुर के नागरिकों का ताल के फर्जी पट्टे से संबंधित पत्र दिनांक 17-11-80 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-11-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा महुला दवेारा, जनपद आजमगढ़ के निवासियों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने के विरुद्ध जांच

112—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा महुला दवेारा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के निवासियों का आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से संबंधित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-11-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच किसी अधिकारी से कराई गयी और उसके क्या परिणाम निकले?

श्री बैजनाथ नाथ कुरील—

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। शिकायत सत्य पाये जाने पर श्री परमेश्वर सिंह लेखपाल को दिनांक 27-12-80 को निलम्बित कर दिया गया व लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और उसे दण्ड स्वरूप निलम्बन का 1/2 ही वेतन दिया गया एवं पांच वेतन वृद्धियों को रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई। आवंटियों को कब्जा भी दिला दिया गया।

113—श्री पंचानन राय—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री शिवनाथ दुबे, लेखपाल, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

114—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवनाथ दुबे, लेखपाल क्षेत्र इटली, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9 मार्च, 81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस से कराई गयी और जांच के समय क्या शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और इस जांच के क्या परिणाम निकले?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1981 के साथ सर्वश्री सुरेश पांडे, श्री नाथ पांडे आदि तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ का श्री शिवनाथ दुबे लेखपाल के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायत की जांच नायब तहसीलदार से करायी गयी है। श्री श्रीनाथ को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया है। जिलाधिकारी स्तर पर मामला अभी विचाराधीन है। अन्तिम परिणाम के विषय में अभी कुछ बता पाना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़, ग्राम ढोलीपुर के हरिजनों का प्लाट नं0 278 से संबंधित शिकायती पत्र की जांच

115—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम ढोलीपुर के हरिजनों का प्लाट नं0 278 तथा अन्य कई शिकायतों से संबंधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-5-81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी है?

श्री बैजनाथ नाथ कुरील—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-5-81, का नहीं बल्कि दिनांक 28-3-81 का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य शिकायतें प्लाट नम्बर 278 पर श्री मोबिन सुल्तान, गफ्फार वगैरह का नाम सरकारी कागजात में फर्जी तौर पर अंकित करा कर उक्त भूमि पर ट्यूबवेल बनाने की तैयारी करने, हरिजनों की सिंचाई की नाली रोक देने तथा उनकी फसल काट लेने से संबंधित है। इसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा कराई जा रही है। जांच के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

ग्राम हरैया, जिला आजमगढ़ के हरिजनों द्वारा चक रोड को निजी कार्यों में प्रयोग किए जाने संबंधित शिकायती पत्र पर जांच

116—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरैया, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों का प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा चक रोड को निजी कार्यों में प्रयोग किए जाने से संबंधित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग :—

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग :—

मामले में जांच कराकर हरिजन बस्तियों को जाने वाले सभी चकरोडों का पुनः सीमांकन करा दिया गया है व उन पर अब किसी प्रकार का अनधिकृत कब्जा नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम अजमतगढ़ एवं मसौना में सामूहिक कटौती द्वारा शारदा सहायक हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने पर कृत कार्यवाही

117—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम अजमतगढ़ एवं मसौना की चकबन्दी रोक पर सामूहिक कटौती से शारदा सहायक के लिए जमीनें उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के प्रश्न दिनांक 25-10-81 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, ग्राम आजमगढ़ की चकबन्दी की पुष्टि हो चुकी है तथा अब उसे राज्य सरकार द्वारा टाउन एरिया घोषित कर दिया गया है जिससे अब चकबन्दी अधिनियम उक्त ग्राम पर लागू नहीं होती। विज्ञप्ति संख्या 6190/जी0—184/66, दिनांक 15-9-81 द्वारा ग्राम मसौना की अधिसूचना उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है। अतः उक्त दोनों ग्रामों में सामूहिक कटौती द्वारा शारदा सहायक हेतु भूमि उपलब्ध कराना अब सम्भव नहीं है।

118—श्री पंचानन राय—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम बभनौली, जिला आजमगढ़ में हरिजनों के कब्जे की भूमि के अवैध रूप से स्थानान्तरण की जांच

119—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुंशीराम पुत्र श्री गया राम, ग्राम बभनौली, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का हरिजनों के कब्जे की भूमि अवैध रूप से किसान उ0 मा0 सुरैना को स्थानान्तरित किए जाने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-10-81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। इसकी जांच सुपरवाइजर कानूनगों द्वारा कराई गई। जांच द्वारा प्रार्थना-पत्र तथ्यहीन पाया गया।

ग्राम बलीदपुर जनपद आजमगढ़ के हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से संबंधित शिकायती पत्र

120—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलीदपुर, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के 10 हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से संबंधित शिकायतें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी और उसके क्या परिणाम निकले?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

121—श्री आजाद कुमार कर्दम—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

122-123—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जनपद में सीलिंग की भूमि का भूमिहीनों में वितरण

124—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में 31-10-81 तक कितने एकड़ सीलिंग की जमीन बेकार पड़ी है ? उसे कब तक भूमिहीनों में वितरित कर दिया जायेगा?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया में 31-10-81 तक सीलिंग की केवल 98.42 एकड़ भूमि उपलब्ध थी जिसके वितरण के आदेश दिये जा रहे हैं ।

125—श्रीमती गौरी देवी—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जिले में रामकोला तथा पडरौना विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

126—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री सुनील शास्त्री–

देवरिया जनपद के रामकोला तथा पडरौना विकास खण्डों के लिये दो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत, विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत सांझामऊ, जिला उन्नाव के सदस्यों के शिकायती पत्र की जांच

127–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रधान ग्राम पंचायत, सांझापऊ, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के विरुद्ध ग्राम पंचायत सांझामऊ के सदस्यों एवं ग्राम वासियों के हस्ताक्षरों युक्त कोई शिकायती-पत्र दिनांक 14-7-80 को परगनाधिकारी, पूरवा (जिला उन्नाव) तथा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 3-3-1981 को राजस्व मंत्री को दिए गये हैं? यदि हां, तो शिकायती-पत्र जांच करने के लिए किस-किस अधिकारी को कब-कब दिए गये और उन लोगों ने किन तारीखों को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी है तथा रिपोर्ट क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 3-3-81 का पत्र प्राप्त हुआ है। दिनांक 14-7-81 का पत्र उपलब्ध नहीं है। दिनांक 3-3-81 के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी उन्नाव ने परगनाधिकारी पूरवा को जांचोपरान्त आख्या देने के आदेश 21-4-81 तथा परगनाधिकारी पुरवा ने नायब तहसीलदार सुमेरपुर की आख्या हेतु आदेश दिनांक 28-4-81 को दिया। नायब तहसीलदार ने दिनांक 8-1-82 को अपनी आख्या तहसीलदार को प्रस्तुत की तथा तहसीलदार ने 9-1-82 को परगनाधिकारी को तथा परगनाधिकारी ने दिनांक 11-1-82 को अपनी आख्या सहित जिलाधिकारी को प्रेषित किया।

उक्त पत्र में लिखित शिकायतें आंशिक रूप से सत्य पायी गई। ग्रामवासी श्री छन्नू पुत्र मन्नू अनधिकृत रूप से काबिज पाये गए जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही कर दी गयी। ग्राम प्रधान श्री फुद्दी लाल की पत्नी श्रीमती विद्या के नाम बिना किसी पूर्व स्वीकृति के हुए अनियमित पट्टे खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य नन्हू तथा उसके पुत्र का ग्राम समाज की भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया। उसके भाई की पुत्री पार्वती पत्नी विन्दादीन के द्वारा किया गया अनधिकृत कब्जा पाया गया। जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है।

पिछले दो वर्षों से स्कूल के नाम उठायी जाने वाली कथित भूमि से ग्राम प्रधान को कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। उसके पूर्व 800/- ग्राम प्रधान को प्राप्त हुआ था जिसे गांव सभा कोष में जमा कर दिया गया था तथा इसे निकाल कर गांव सभा में स्थित चार कूपों की मरम्मत करायी गयी है।

ग्राम प्रधान श्री फुद्दी लाल को अनियमितता बरतने के फलस्वरूप आरोप पत्र दिया गया।

टांडा तापीय बिजली परियोजना के कार्य में प्रगति का विवरण

128–श्री उदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टाण्डा तापीय बिजली परियोजना को 3 वर्ष कार्य शुरू किये हो गया, अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो अब तक किन-किन कार्यों पर कितना व्यय किया जा चुका है? क्या यह सत्य है कि सन् 82 में इस विद्युत गृह से उत्पादन करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था? इसकी अब तक बाउन्ड्रीवाल, स्टोर शेड, निरीक्षण गृह व 70-80 पोल की लाइन ही 3 वर्षों में बनाई गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। टाण्डा तापीय परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। इस परियोजना को मार्च, 1979 में योजना आयोग से स्वीकृत प्राप्त हुई थी जिसके बाद काम शुरू हुआ है। परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। फाउन्डेशनों, स्टील स्ट्रेक्चर, बायलर, इरेक्शन, कोल हैण्डलिंग प्लांट, रेलवे साइडिंग, चिमनी इत्यादि के कार्य विभिन्न स्थितियों में प्रगति पर हैं। परियोजना पर माह नवम्बर, 1981 के अन्त तक कुल 4795 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। जिसका कार्यवार विवरण निम्नलिखित है:–

1–भूमि आदि	166 लाख रुपये
2–सिविल कार्य	1725 लाख रुपये
3–साज सामान :	
(1) बी एच0 ई0 एल0	1195 लाख रुपये
(ii) अन्य	470 लाख रुपये
4–अन्य विविध कार्य	1239 लाख रुपये
कुल :	4795 लाख रुपये

यह सत्य नहीं है कि वर्ष 1982 में इस विद्युत गृह से उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाउन्ड्री वाल और स्टोर शेड के अतिरिक्त पावर हाउस की फाउन्डेशन एवं चार बायलरों में से तीन की सम्पूर्ण एवं चौथी की लगभग 50 प्रतिशत फाउन्डेशन पूर्ण हो चुकी है। पावर हाउस बिल्डिंग में इस्पात से बन रहे स्ट्रक्चरों का कार्य प्रारम्भ हो गया है और माह दिसम्बर, 81 तक 5174 मी0 टन का इरेक्शन हो चुका है। चिमनी पर भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है। बायलर के इरेक्शन का ठेका दिया जा चुका है। रेलवे साइडिंग तैयार हो चुकी है एवं चालू है। साज सामान क्रय करने एवं कार्य करने से संबंधित 80 प्रतिशत से अधिक क्रय आदेश किये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों के लिए कंसट्रक्शन पावर देने के लिये बनायी जा रही उप-पारेषण लाइन के इस माह के अन्त तक चालू होने की आशा है। परियोजना कार्य के लिये भूमि अधिग्रहण में अवरोध बी0 एच0 ई0 एल0 की सप्लाई में विलम्ब एवं इस्पात की कमी आदि कारणों से परियोजना कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

टांडा तापीय विद्युत परियोजना के लिये लोहे की सप्लाई तथा रेल विभाग को भुगतान की गई डैमरेज की धनराशि

129–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय विद्युत् परियोजना के लिए सन् 80 में कलकत्ता की एक फर्म को (बालाजी एण्ड सन्स) 145 टन लोहे का आदेश दिया गया था? क्या यह सत्य है कि सिर्फ 45 टन ही लोहा आया और 10 दिन तक रेलवे यार्ड में पड़ा रहने की वजह से 50 हजार रुपए का डैमरेज देना पड़ा है? यह किसकी लापरवाही से हुआ है? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और इसके बावजूद उक्त फर्म को पुनः 5 लाख रु0 दे दिया गया है? ऐसा क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

टांडा तापीय परियोजना के लिए 154 टन की सप्लाई का आर्डर मैसर्स बाला जी स्टील स्टोर कम्पनी, कलकत्ता को दिनांक 21-1-80 को जारी किया गया था।

उक्त सप्लाई आर्डर के अन्तर्गत फर्म ने केवल 35.96 टन लोहा सप्लाई किया रेल विभाग को भुगतान की गई डैमरेज की धनराशि रु0 21,041/– है जो 2-6-1980

से 18-6-1980 की अवधि के लिए चार्ज किया गया है। उक्त भुगतान दिनांक 29-10-1980 को किया गया । सप्लाई आर्डर के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत तीन रेलवे रिसीट कुल 154 टन के लिए थी परन्तु वास्तविक सप्लाई कम पाये जाने की स्थिति में रेलवे से डिलीवरी नहीं ली गई तथा रेलवे को वजन करके डिलीवरी देने को लिखा गया। रेलवे के द्वारा वजन के अनुसार डिलीवरी देने के लिए तय होने पर सप्लाई किये गये लोहे की डिलीवरी ली गई जो केवल 35.96 टन पाई गई। इस विलम्ब के लिए रेलवे ने रु0 21,041/—का डैमरेज चार्ज किया। उक्त डैमरेज को माफ करने हेतु रेलवे से निवेदन किया गया था परन्तु रेल विभाग ने अस्वीकार कर दिया।

प्रश्नगत मामले में फर्म ने राज्य विद्युत् परिषद् के साथ धोखा धड़ी की जिसकी जानकारी होने पर परिषद् ने निम्न कार्यवाही की :—

(1) मैसर्स बाला जी स्टील स्टोर कम्पनी, कलकत्ता के विरुद्ध जी0 आर0 पी0 फैजाबाद में एफ0 आई0 आर0 11-10-1980 को दर्ज की गयी ।

(2) मैसर्स बाला जी स्टील स्टोर कम्पनी कलकत्ता पर भविष्य में सप्लाई आर्डर न किये जाने के आदेश 15-4-1981 को निर्गत किये।

(3) मामले की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गई ।

सप्लाई आर्डर की शर्त के अनुरूप डिसपैच डाकूमेंट्स के अनुसार रु0 5,01,492-32 का भुगतान फर्म को दिनांक 18-6-1980 को किया गया था ।

मेसर्स जनता कान्स्ट्रक्शन कं0 टांडा तथा मेसर्स विजय इण्डस्ट्रीज मीरानपुर, टाण्डा फर्मों को दिया गया वर्क आर्डर

130—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि वर्क आर्डर नं0 30 व 31 ता0 3-7-81 को क्रमशः 99671 व 99001 का जनता कन्स्ट्रक्शन कं0, टाण्डा व विजय इंडस्ट्रीज, टाण्डा के नाम है ? ये दोनों फर्में कहां की हैं ? क्या यह सही है कि इन दोनों वर्क आर्डरों को सब वर्क आर्डर करके दूसरी को दिया गया है और क्या विजय इण्डस्ट्रीज को जो वर्क आर्डर दिया गया है उसको दो मीट्रिक टन स्टील भी दिया गया है जिसकी कीमत 11,500 रु0 है ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सत्य है कि वर्क आर्डर संख्या 30 दिनांक 3-7-1981 तथा संख्या 31 दिनांक 3-7-1981 क्रमशः मैसर्स जनता कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, टाण्डा तथा मैसर्स विजय इंडस्ट्रीज मीरानपुर, टाण्डा के नाम है। मैसर्स जनता कान्स्ट्रक्शन कम्पनी टाण्डा में तथा मैसर्स विजय इंडस्ट्रीज मीरानपुर, टाण्डा की है । यह सही नहीं है कि इनके सब वर्क आर्डर दूसरों को दिए गये हैं।

वर्क आर्डर संख्या 31 दिनांक 3-7-1981 के प्राविधानों के अनुरूप ही मैसर्स विजय इंडस्ट्रीज, मीरानपुर, टाण्डा को 1.795 मैट्रिक टन स्टील दिया गया था जिसकी कीमत लगभग रु0 7000/—होती है। वर्क आर्डर के अन्तर्गत समस्त कार्य उक्त फर्म द्वारा 1-8-1981 को संतोषजनक रूप से पूरा कर दिया गया था।

मनीला रोप की सप्लाई

131—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि फरवरी, 81 में 30 हजार का मनीला रोप (रस्सी) विजय इंडस्ट्रीज से मंगाया गया है? क्या यह सही है कि रस्सा 14 किलो मनीला रोप सप्लाई करके घटिया का सप्लाई किया गया है, जो दो हजार किलो स्टोर स्थल पर पड़ा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज, मीरानपुर टाण्डा को 1 1/4 व्यास की 2000 किलोग्राम मनीला रोप रु0 30,000 पर सप्लाई करने हेतु एक क्रय आदेश दिनांक 23-12-1980 को जारी किया गया था तथा इस क्रय आदेश के अन्तर्गत सप्लाई जनवरी 1981 में प्राप्त हुई क्रय आदेश में दिए गए स्पेसीफिकेशन एवं नमूने के अनुरूप ही 2000 किलोग्राम मनीला रोप की सप्लाई फर्म द्वारा की गई। फर्म द्वारा सप्लाई की गई 2000 किलोग्राम मनीला रोप में से 300 किलोग्राम उपयोग में लाई जा चुकी है तथा शेष 1700 किलोग्राम स्टोर में उपलब्ध है।

विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत उपकेन्द्रों पर करने की व्यवस्था

132–श्री प्रभूनारायन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि विद्युत बिलों का भुगतान अभी तक उपभोक्ताओं को जिला मुख्यालयों पर ही करना पड़ता है? क्या सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विद्युत उप केन्द्रों पर भी बिलों के भुगतान की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान की सुविधा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त मुख्यतः तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों पर स्थित उन सभी 33 किलो वोल्ट के विद्युत उप-केन्द्रों पर है जो सुरक्षित हैं और जहां पर अवर अभियन्ता नियुक्त हैं।

133–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

134–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

135–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज चेक पोस्ट पर बिक्री कर अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने पर जांच

136–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री ने ता0 7-6-81 के दैनिक अमृत प्रभात में छपा समाचार देखा है जिसमें लिखा है कि मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज चेक पोस्ट पर तैनात बिक्री-कर अधिकारी ने रिश्वत न मिलने पर व्यापारी को प्रताड़ित किया? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या जांच और कब की गयी? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई और अब कब की जावेगी? क्या दोषी अधिकारी था या व्यापारी? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो अब कब की जायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

प्रश्नगत समाचार में संदर्भित घटना के विषय में व्यापारी ने 27-5-81 उपायुक्त (शासकीय) वाराणसी को तथा दिनांक 10-7-81 को सहायक आयुक्त (शासकीय) वाराणसी को आवेदन पत्र दिए थे जिन पर आवश्यक कार्यवाही की गई थी। उनमें किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने आदि के आरोप नहीं थे। अब उपरोक्त समाचार के संदर्भ में पुनः जांच की जा रही है और उचित कार्यवाही की जाएगी।

137–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम चमियानी विकास खण्ड पुरवा जिला उन्नाव के किसानों को कनेक्शन न दिये जाने का कारण

138—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चमियानी विकास खण्ड पुरवा, जिला उन्नाव के किसानों का पिछले 6 वर्षों से रुपया जमा होने पर भी उनके नलकूपों तथा घरेलू प्रयोग हेतु बिजली के कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं? और यह कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

139—श्री हरीशंकर—

[22-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 51 द्वारा उत्तरित]

140—श्री अकबर हुसैन—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद आजमगढ़ के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी में की गयी त्रुटियों पर दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

141—श्री झिलमिट राम—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम अल्हेमऊ, सरौंदाव डुमरांव व इमिलिया डीह कन्धेरी में चकबन्दी द्वारा तैयार दोषपूर्ण स्थल अभिलेख व मानचित्रों को शुद्ध कर एक समान बनवाने व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु ग्रामीणों के दो शिकायती प्रार्थना-पत्र व मय संलग्नकों के तत्कालीन नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड मंत्री जी ने दिनांक 4-5-79 को उप मुख्य एवं राजस्व मंत्री जी को अपनी संस्तुति के साथ अग्रसारित किया था? यदि हां, तो जांच व संदर्भित प्रार्थना व लिखित तथ्यों व मंत्री जी की संस्तुति के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कितने अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। मामले में जांच कराई गई। संदर्भित सभी ग्रामों में चकबन्दी के दौरान की गई त्रुटियों की सूचियां तैयार कराकर उन्हें दुरुस्त कराने हेतु जिला सरकारी वकील (राजस्व) से राय प्राप्त की गई जिन्होंने संस्तुति की है कि ग्राम अल्हेमऊ व सरौंदा का चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रख्यापन क्रमशः दिनांक 7-9-1965 व 4-5-1968 को हुआ था जब कि शिकायती पत्र दिनांक 14-4-69 उसके बाद को प्राप्त हुआ था, अतः चकबन्दी विभाग द्वारा त्रुटियों को दुरुस्त कराने का अधिकार नहीं है। परगनाधिकारी, मोहम्मदाबाद, लेखपाल/मंत्री भूमि प्रबन्धक समिति ने कानूनी कार्यवाही कराकर उन त्रुटियों को दुरुस्त करायेंगे। ग्राम कंधेरी में उक्त प्रख्यापन दिनांक 15-11-1980 को हुआ था और शिकायती पत्र पहले से लम्बित थे, अतः संदर्भों द्वारा त्रुटियों को दुरुस्त करने तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को उक्त संस्तुति के अनुसार ग्राम अल्हेमऊ व सरौंदा के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा ग्राम कन्धेरी का मामला विचाराधीन है। ग्राम इमलियाडीह व डुमरांव में चकबन्दी के दौरान की गई त्रुटियों को संदर्भों द्वारा दुरुस्त कर दिया गया है। त्रुटियों के लिए दोषी पाए गये सर्वश्री चन्द्र कान्त शुक्ला एवं रमेश चन्द्र श्रीवास्तव क्रमशः चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी को निन्दनीय प्रविष्टियां प्रदत्त की गयी हैं तथा प्रासंगिक प्रकरण में विशिष्ट दायित्व निर्धारित करके अन्य दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दे दिये गये हैं।

हिन्दुस्तान एलमोनियम प्रा0 लि0, रेनूकोट, मिर्जापुर को विद्युत आपूर्ति में कटौती

142—श्री यशपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान एलमोनियम प्रा0 लि0, रेनूकोट, मिर्जापुर को सस्ते दर पर बिजली दी जाती है? यदि हां, तो क्यों तथा कितनी मात्रा में? क्या सरकार विद्युत् उत्पादन संकट को ध्यान में रख कर उक्त आपूर्ति की मात्रा में कटौती तथा विद्युत् दर में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

दिनांक 30-6-1980 से मेसर्स हिन्दुस्तान एलमोनियम कारपोरेशन लि0, रेनूकूट (मिर्जापुर) की मुख्य सप्लाई की बिलिंग सामान्य भारी उपभोक्ताओं पर समय-समय पर लागू दर अनुसूची के अनुसार की जा रही है। परन्तु दिनांक 1-10-81 से भारी उपभोक्ताओं पर लागू दर से वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। मेसर्स हिन्दुस्तान एलमोनियम कारपोरेशन लि0 की इमरजेंसी सप्लाई की बिलिंग भारी उपभोक्ताओं पर लागू दर अनुसूची के डिमान्ड तथा इनर्जी चार्ज के प्रथम स्लैब के आधार पर की जा रही है। शासन द्वारा इनकी मुख्य सप्लाई की आपूर्ति में विद्युत कटौती के कारण उन्हें अप्रैल, 77 के आगे अभी पुरानी अनुबन्धित मात्रा 85 मेगावाट पूरी नहीं दी गई है और समय-समय पर विद्युत उपलब्धता के आधार पर शासन द्वारा इनकी विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन किया गया है। दिनांक 22-11-81 से उन्हें मुख्य सप्लाई के अन्तर्गत 10 मेगावाट विद्युत अधिकृत की गई है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा रही है।

2—जहां तक मेसर्स हिन्दुस्तान एलमोनियम कारपोरेशन द्वारा लागू दर पर भुगतान का प्रश्न है यह मामला अभी शासन/परिषद् के विचाराधीन है।

वाराणसी के ग्राम धोंधली के बंजर भीटा तथा भरों की कथित बस्ती की जमीन को श्री राम सूरत दुबे द्वारा अपने नाम दर्ज कराये जाने के संबंध में जांच की मांग

143—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धोंधली, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में आराजी नं0 591 तीन एकड़ 17 डि0 1356फ0 के पूर्व भीटा बंजर दर्ज है और उसके उत्तरी पूर्वी भाग में मुद्दत से 40/50 घर भरों की बस्ती है और उन्हीं के पेड़ बागात भी हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

वर्ष 1334 फसली में गाटा सं0 591/3.17 एकड़ भीटा दर्ज है। उक्त वर्ष में 40/50 घरों की बस्ती तथा बागात का कोई उल्लेख नहीं है।

144—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उक्त 591 नम्बर को फ0 1356 में 591/1 दो एकड़ भीटा 391/2 विश्वनाथ सिंह 591/3-42 डि0 आबादी व 591/4-32 डि0 आबादी दर्ज कर दिया गया है? क्या यह सही है कि फ0 1356 में या बाद में 591/1 दो एकड़ जो भीटा था और जो आबादी थी उस पर 1359 फ0 या बाद में राम सूरत दुबे ने हल्का लेखपाल को मिलाकर खातेदार के रूप में नाम दर्ज करा लिया है? यदि हां, तो उस पर किस अधिकारी ने नाम दर्ज करने का आदेश दिया है? क्या इसकी जांच की जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

वर्ष 1356 फसली में गाटा संख्या 591 में 591/1 दो एकड़ भीटा, 591/2-43 विश्वनाथ सिंह व फतेह नारायण सिंह भूमिधर बदस्तूर व 591/3-42 डि0 आबादी तथा 591/40-32 आबादी अंकित किया गया है। तथा वर्ष 1359 फसली में 591/1 रकबा 1.75 बद्री व राम सूरत दूबे ब्राह्मण बदस्तूर, 591/20-43 विश्वनाथ व फतेह नारायण सिंह भूमिधर बदस्तूर, 591/30-42 आबादी, 591/40-12 आबादी, 591/0.07 आबादी तथा 591/60-13 अंकित किया गया है। उक्त गाटा 491 1 वर्ष 1359 फ0 में बाग दीगर के रूप में अंकित है। वर्ष 1356 फ0 में उक्त ग्राम के लेखपाल श्री मुन्ना लाल तथा 1359 फ0 के लेखपाल श्री शोभ नाथ लाल थे जो बहुत पहले सेवा मुक्त हो चुके हैं। जहां तक श्री राम सूरत दूबे आदि द्वारा हल्का लेखपाल को मिलाकर खातेदार के रूप में दर्ज करा लिए जाने का प्रश्न है जमींदारी विनाश के पूर्व जमींदार स्वयं खातेदार को रसीद काट देते थे और हल्का पटवारी उसका उल्लेख अभिलेखों में कर देता था। खातेदार के बिना यह नहीं ज्ञात हो सकता कि खातेदार ने जमींदार से वैधानिक रूप से भूमि प्राप्त की है अथवा अन्य तरीकों से। उक्त इन्दराज जमींदार एवं लेखपाल के स्तर पर ही किया गया है।

145—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सन् 1356 फ0 व सन् 1359 फ0 तथा उसके बाद के खसरा खतौनी की जांच उक्त आराजी नं0 591 के बारे में तथा उसके टुकड़ों एवं भीटा, आबादी पर कैसे फितरती लोगों का नाम आ गया करने की कृपा करेगी और उन घरों की भी जांच करेगी कि ये कितने पुश्त से वहां आबाद हैं और उनको संरक्षण प्रदान करने का आदेश देगी और फर्जी इन्दराज को खत्म करने की आज्ञा करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

गाटा संख्या 591 पर अंकित व्यक्ति के नाम का फितरती होना तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि जानकारी न हो जाय। ग्राम को चकबन्दी में होने के कारण चकबन्दी अधिकारी को इसके लिये लिखा जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर भेजी जायेगी।

गोरखपुर जनपद के कर्मचारियों को बाढ़ सहायता एवं गृह अनुदान वितरण में की गयी अनियमितता पर कार्यवाही

146—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में राजस्व विभाग के करीब आधे दर्जन कर्मचारी वर्ष 1980-81 में बाढ़ सहायता एवं गृह अनुदान वितरण में भारी हेरा फेरी करने के आरोप में निलम्बित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त हेरा फेरी में निलम्बित कर्मचारियों के अतिरिक्त इस जनपद के महाराजगंज एवं सदर तहसीलों के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं गैर सरकारी लोगों के विरुद्ध भी मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। अभी तक चार नायब तहसीलदार, दो सुपरवाइजर कानूनगो तथा छः लेखपाल को बाढ सहायता कार्य एवं गृह अनुदान वितरण में भारी हेरा फेरी करने के आरोप में निलम्बित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील महाराजगंज, सदर तथा फरेन्दा के सात नायब तहसीलदार तथा पांच खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध गृह अनुदान वितरण में अनियमितता एवं असंवैधानिक कार्यवाही करने के मामले भी प्रकाश में आये हैं। सम्पूर्ण मामले की शतप्रतिशत जांच करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं। जांचोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जनपद देवरिया के ग्राम तिलौली, थाना सलेमपुर में पोखरी नं0 310 व 268 को पट्टा देने की स्वीकृति

147—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम तिलौली, थाना सलेमपुर में पोखरी नम्बर 189 का नया नम्बर 310 व पोखरी नम्बर 522 का नया नम्बर 268 के हरिहर पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम इन्दौली के नाम कागजात में दर्ज है जिस पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 16-1-79 को स्टे आदेश जारी किया है उसी बीच परगनाधिकारी, सलेमपुर ने दिनांक 24-10-81 को पट्टा कर दिया है? यदि हां, तो तथ्य क्या है? क्या यह भी सही है कि स्टे आदेश की सूचना परगनाधिकारी सलेमपुर को दिनांक 24-9-81 को दी गयी थी? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया?

श्री बैजनाथ कुरील—

देवरिया जनपद के ग्राम तिलौली थाना सलेमपुर में पोखरी नं0 310 व 268-क हरिहर पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम इन्दौली के नाम फसली सन् 1389 की खतौनी में अंकित नहीं है, बल्कि पोखरी दर्ज है। इन दोनों नम्बरों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 16-1-79 को स्टे आदेश जारी किया है । परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा दिनांक 24-10-81 को संदर्भित दोनों पोखरियों का पट्टा देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के पूर्ण आदेश की सूचना परगनाधिकारी, सलेमपुर को 30-10-81 को हुई। दिनांक 24-9-81 को स्टे आदेश की फोटो कापी संलग्न करते हुए श्री हरिहर द्वारा एक प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी सलेमपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । स्टे आर्डर में विवादित भूमि का कोई विवरण नहीं था। परगनाधिकारी सलेमपुर ने दिनांक 24-9-81 को ही यह आदेश दिया कि प्रार्थी रिट पिटीशन की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जिससे सम्बन्धित भूमि का विवरण स्पष्ट हो सके। यह 30-10-81 को किया गया। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता।

148—श्री हुकम सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

149—श्री सूबेदार सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

जनपद गोंडा, तहसील तरबगंज, ग्राम भभुआ के श्री समोखन व दुखहरन को आवंटित भूमि पर कब्जा

150—श्री बाबूलाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के तहसील तरबगज के ग्राम भभुआ के आवंटी श्री समोखन व श्री दुखहरन को अब तक आवंटित भूमि पर अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम भभुआ में श्री समोखन एवं श्री दुखहरन को आवंटित भूमि पर दिनांक 15-5-76 को कब्जा दिला दिया गया था। उन्होंने कब्जे में व्यवधान की शिकायत की थी तो मौके पर परगनाधिकारी तरबगंज ने स्वयं जाकर कब्जा दिलाया था। इन दोनों व्यक्तियों का भूमि पर कब्जा है।

जनपद जौनपुर के कतिपय विकास खण्डों में एस0 पी0 ए0 योजना की स्वीकृति

151—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड, खुटहन, सोधी एवं साइथाकला को छोड़कर अन्य विकास खण्ड एस0 पी0 ए0 स्कीम द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा खुटहन, सोधी एवं साइथाकला विकास खण्डों का आर0 ई0 सी0 द्वारा एपराइजल निरीक्षण किया जा चुका है और एस0 पी0 ए0 स्कीम प्रोजेक्ट प्राक्कलन रेस्पो लखनऊ में जमा किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अब तक होनी बाकी है? क्या खुटहन, सोधी एवं साइथाकला विकास खण्डों के पिछड़ापन को देखते हुए स्कीम की स्वीकृति यथा शीघ्र दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जौनपुर को छोड़कर अन्य सभी विकास-खण्डों के लिए एस0 पी0 ए0 योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

जी नहीं। खुटहन, सोधी तथा साइथाकला विकास खण्डों के लिये एस0 पी0 ए0 योजना सितम्बर, 1981 में स्वीकृत की जा चुकी है।

152—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

ब्लाक करनैलगंज जनपद गोंडा के नायब तहसीलदार के विरुद्ध जांच व कार्यवाही

153—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक करनैलगंज, गोंडा की गत बाढ़ के समय दौरे पर गये उप मंत्री (राजस्व) से बाढ़ पीड़ित जनता ने नायब तहसील-दार करनैलगंज के विरुद्ध शिकायत की थी तथा उप मंत्री ने जांच करके कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिनांक 13-9-81 को माननीय उप मंत्री (राजस्व) के माननीय प्रश्नकर्ता के साथ जनपद गोंडा की कतिपय तहसीलों का दौरा करते समय नगरपालिका करनैलगंज के ग्राम सकरौरा के सम्बन्ध में बाढ़ सहायता सामग्री वितरण में विलम्ब की मौखिक शिकायत की गयी थी। उप मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में तत्परतापूर्वक सहायता पहुंचाई गई। सम्बन्धित नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

विकास खंड करनैलगंज व परसपुर जनपद गोंडा में बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न का विवरण

154—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गोंडा जनपद के विकास खण्ड करनैलगंज व परसपुर में कितने हेक्टर भूमि इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुई तथा अनुदान एवं सहायता के रूप में कितना खाद्यान्न ग्राम सभा वार बांटा गया?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

न्यायालय नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में विचाराधीन दाखिल खारिज के मुकदमें

155—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के यहां मुकदमा नं0 453 व 454 व करीकला व मु0 नं0 800 मु0 नं0 1349, 1372, 1373, 1374, 1375 गांव सभा किसुनापुर

व मु0 नं0 94 व 305 गांव सभा चकहरकेश का फैसला सन् 74 व 75 में कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब भी उपरोक्त दाखिल खारिज के मुकदमें सन् 79 से पुनः नायब तहसीलदार तहसील ज्ञानपुर के यहां विचाराधीन पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

एस0 डी0 एम0 ज्ञानपुर तथा कमिश्नरी, वाराणसी में मुकदमें के फैसले के मुताबिक कार्यवाही

156–श्री ऊदल–

क्या यह सही है कि उपरोक्त मुकदमें एस0 डी0 एम0, ज्ञानपुर तथा कुछ कमिश्नर वाराणसी के यहां भी चले थे और उनका फैसला सन् 74 व 75 में ही हो गया था? यदि हां, तो उक्त फैसलों के मुताबिक कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

157–श्री प्रियदर्शी जेतली–

[7वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर की फर्म में बकाया रुपये की वसूली के संबंध में कार्यवाही

158–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर कानून के अनुसार बकाया रुपये की रिकवरी सारे साझीदारों के नाम से निकलनी चाहिए और इस संबंध में बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालय से अनेक परिपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद में स्थित एक फर्म की वर्ष 77-78 प्रान्तीय व केन्द्रीय और वर्ष 78-79 की 26665 रुपए की बकाया के लिये सात साझीदारों की बजाय केवल एक पार्टनर कटोरी देवी के नाम क्यों निकाली गयी ? इस गलत काम के लिए कौन जिम्मेदार था? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी? और वसूली अधिकारी तहसीलदार कासगंज (एटा) ने तारीख 12-10-1981 को इस वसूली के प्रमाणपत्र के आधार पर कटोरी देवी के कस्बा सहावर स्थित एक लाख के मकान को केवल 26665 रु0 में नीलाम कर दिया? यदि हां, तो रिकवरी गलत होने के कारण नीलामी को निरस्त कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर की फर्म सर्वश्री सत्यदेव विनोद कुमार पर वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिए रु0 26,664.62 का बिक्रीकर बकाया था। उक्त धनराशि की वसूली के लिए जो वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, एटा को भेजे गये उनमें सात साझीदारों में से केवल एक साझीदार श्रीमती कटोरी देवी का नाम अंकित किया गया जो गलत था। इस गलती के लिए तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-1 शाहजहांपुर तथा खातापालक जिम्मेदार हैं। उक्त अधिकारी ने बाद में पत्र दिनांक 23-9-81 के द्वारा जिलाधिकारी को सभी साझीदारों के नामों की सूचना देते हुए अनुरोध किया कि सभी साझीदारों से वसूली की जाये। सम्बन्धित अधिकारी तथा खातापालक का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। श्रीमती कटोरी देवी के मकान को नीलाम किये जाने की जानकारी जिलाधिकारी, एटा से अभी तक बिक्रीकर आयुक्त को प्राप्त नहीं हुई है और की जा रही है।

राज्य विद्युत् परिषद् की विद्युत् उत्पादन की औसत क्षमता का विवरण तथा बिजली की मांग

159—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 81 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की अधिष्ठापित बिजली पैदा करने की क्षमता क्या थी? उसी माह में प्रतिदिन का औसत वास्तविक जनरेशन क्या रहा? बिजली की कुल मांग क्या है तथा कितनी प्रतिशत बिजली की छीजन रही?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में राजस्व विभाग में लिपिक वर्ग में हरिजनों का आरक्षण

160—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्तमान समय में राजस्व विभाग में लिपिक वर्ग में हरिजनों का 10 प्रतिशत आरक्षण पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। लिपिक वर्ग में इस समय 15.33 प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति हो चुकी है। 18 प्रतिशत पदों पर आरक्षण शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्नाव जिले में बिजली विभाग की शिथिलता के कारण हुई दुर्घटनाओं की जांच

161—श्री भीखालाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-8-81 उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि उन्नाव जिले में बिजली विभाग की शिथिलता के कारण कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं जिसमें मनुष्यों तथा पशुओं की जान जा चुकी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उन्नाव जिले में वर्ष 1981 में बिजली से तीन दुर्घटनायें हुई — पहली दुर्घटना दिनांक 4-6-81 को हुई जिसमें एक बाहरी व्यक्ति श्री गंगादीन की मृत्यु हुई, दूसरी दुर्घटना दिनांक 11-8-81 को हुई जिसमें एक हाथी की मृत्यु हुई तथा तीसरी दुर्घटना भी दिनांक 11-8-81 को हुई जिसमें दो हाथियों की मृत्यु हुई। विभागीय जांच में यह पाया गया कि कोई विभागीय कर्मचारी दोषी नहीं है। दुर्घटनाओं से सम्बन्धित लटके तारों को ठीक कर दिया गया है।

162—श्री हरिवंश सहाय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

विकास खण्ड सठियांव, जनपद आजमगढ़ के ग्राम सिकठी के ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने पर कार्यवाही

163—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सठियांव, जनपद आजमगढ़ के ग्राम सिकठी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की ओर से सारी औपचारिकतायें लगभग वर्ष 1980 में पूरी कर दी गयी हैं? इसके बावजूद भी आज तक भी उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो उसका कारण क्या है? तथा उपरोक्त ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं, आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत अब तक सिकठी ग्राम के 11 (ग्यारह) व्यक्तियों द्वारा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी की गयी हैं जिनमें से एक व्यक्ति ने वर्ष 1980 में तथा शेष दस व्यक्तियों ने सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में समस्त औपचारिकतायें पूरी की थीं। सम्बन्धित व्यक्तियों को कनेक्शन एल0 टी0 लाइन बिछाकर दिया जाना है तथा उन्हें मार्च, 1982 के अन्त तक कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है।

मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ के थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार

164–श्री राम नारायण सिंह (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री जल विद्युत् समस्या को हल करने के लिए मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ के थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार 200 मेगावाट करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में पर्याप्त मात्रा में भूमि एवं जल उपलब्ध न होने के कारण वहां 200 मेगावाट का विस्तार संभव नहीं है।

कलेक्ट्रेट चमोली के कर्मचारियों का स्थायीकरण

165–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 19/8-79 कार्मिक-1 दिनांक 30-3-79 तथा शासनादेश संख्या 19/8/1980 कार्मिक–1, दिनांक 29-4-80 के अनुपालन में जनपद चमोली के सृजन 1960 पर सृजित जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट चमोली के कर्मचारियों के पदों का इतने लम्बे समय से क्यों स्थायीकरण नहीं किया जा सका? अब कब तक उक्त पदों का स्थायीकरण किये जाने का विचार है?

श्री बैजनाथ कुरील–

कलेक्ट्रेट चमोली के 25 अस्थायी पदों में से 16 पदों का स्थायीकरण किया जा चुका है तथा शेष 9 अस्थायी पदों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम खालिसपुर में चकबन्दी तथा पेड़ों की मालियत का पर्चा

166–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खालिसपुर, तहसील संगड़ी, जनपद आजमगढ़ की चकबन्दी प्रारम्भ हुए 5 वर्ष से अधिक हो गया किन्तु अभी तक पूरी नहीं हुई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस गांव के आकार पत्र 23 भाग-3 तथा गांव में स्थित पेड़ों की मालियत का पर्चा 26 बांटा गया है क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की सम्पत्ति का कोई पर्चा नहीं दिया गया है? धारा 52 का प्रकाशन किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

167–श्री उदल–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोपालपुर फार्म जिला मिर्जापुर में देयों की वसूली हेतु नीलामी तथा नीलामी लेने वाले सम्बन्धी खातेदार

168–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर के ऊपर कितने देयों का बकाया था? क्या यह सत्य है कि सन् 80 में तथा जून, 81 तक इन देयों की वसूली में सरकार ने गोपालपुर फार्म के कुछ हिस्से या पूरे को नीलाम कराया है? नीलाम कितने रुपये में किया गया?

श्री बैजनाथ कुरील–

जिला मिर्जापुर के गोपालपुर सहकारी कृषि फार्म के ऊपर कुल 1,92,045·06 रुपये के सरकारी देयों का बकाया था। इन देयों की वसूली हेतु गोपालपुर सहकारी कृषि फार्म की कुल भूमि स्थित ग्राम–गोपालपुर एवं बेदोली की दिनांक 15 व 16 अप्रैल, 1981 को नीलाम की गई। नीलाम कुल 2,14,865 रुपये में किया गया।

169–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जब नीलाम हुआ उसको गोपालपुर फार्म के मालिकों तथा उनके घर वालों ने ही लिया है उनके नाम क्या हैं?

श्री बैजनाथ कुरील

नीलाम लेने वालों में अधिकांश व्यक्ति मिर्जापुर जनपद के बाहर के हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वे मालिकों/सदस्यों के घर के हैं या उनके कोई सम्बन्धी हैं। खतौनी के अवलोकन से यह पता चलता है कि नीलाम में बोली बोलने वाले निम्न-लिखित तीन व्यक्ति उनके समक्ष अंकित खातेदार के सम्बन्धी हैं:–

बोली बोलने वाले का नाम	सम्बन्ध	सह-खातेदार का नाम
1–सविता सिंह	पुत्री	श्री राम नरायन सिंह
2–सुनीता सिंह	पुत्री	तदैव
3–राजीव सिंह	पुत्र	तदैव

तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में नई तहसील बनाने पर विचार

170–श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी तथा प्रियदर्शी जेतली–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर जिसकी आबादी 7 लाख 27 हजार से ऊपर है और जनपद की सबसे बड़ी तहसील है को दो भागों में बांट कर जलालपुर नाम से शासन के दृष्टिकोण से एक नयी तहसील बनाने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील

तहसील अकबरपुर को दो भागों में बांट कर जलालपुर नामक नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

171–श्री हरिवंश सहाय–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

बिक्री कर अधिकरण के सदस्यों की आयु के सम्बन्ध में भेजा गया प्रतिवेदन

172–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद बिक्री-कर अधिकरण के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कराने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? क्या इस सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त

जी हां।

संबंधित व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्तुत प्रत्यावेदन शासन को भेजा है। उनका परीक्षण किया जा रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त जिलाधिकारी, फैजाबाद के यहां हरिजनों को ग्राम समाज की भूमि आवंटन संबंधी मुकदमों का निस्तारण

173—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिलाधिकारी, फैजाबाद के यहां कितने (वाद) मुकदमें ग्राम समाज की भूमि जो हरिजनों को आवंटित है, से संबंधित विचाराधीन है? वे कितने पुराने हैं उनके अभी तक निस्तारण न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

174—श्री कन्हैया लाल—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद में सलेमपुर तहसील में बाढ़ वर्षा से राहत हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

175—श्री राम गोविन्द—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील में वर्ष 1980-81 में बाढ़ वर्षा से राहत हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी उसमें गृह अनुदान की धनराशि कितनी थी उसका वितरण किन-किन गांवों में किया गया तथा कितनी धनराशि दी गई ?

श्री बैजनाथ कुरील

देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील में बाढ़ वर्षा से राहत हेतु रु0 25,51,390 की धनराशि आवंटित की गयी थी। इसमें से गृह अनुदान की धनराशि रु0 13,02,900 थी, जिसे 694 ग्रामों में 13,567 पात्र व्यक्तियों में 50 रुपये से 500 रुपये के बीच वितरित किया गया। ग्रामवार सूची पूर्व सूचना के पश्चात् मेरे कार्यालय में माननीय सदस्य द्वारा देखी जा सकती है।

ग्राम महरी, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

176—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि एक अनुसूचित जाति की विधवा (धोबी) श्रीमती जगदेई पत्नी स्व0 नेउर, ग्राम महरी, तहसील सदर, जिला गोरखपुर का दिनांक 11-12-81 का प्रार्थना पत्र स्व0 नेउर की सारी जायदाद लेखपाल द्वारा किसी अन्य को लिख देने के सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील

जी हां, शिकायती पत्र की जांच कराई गयी। जांच में पाया गया कि मामला विवादग्रस्त है और उत्तराधिकारी का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

ब्लाक मीरगंज, जनपद बरेली की भूआवंटियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपलब्धि सूची

177—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक मीरगंज जनपद बरेली की भू-आवंटियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची बन चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार यह सूची सदन को उपलब्ध करायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, सूची बन चुकी है उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जो देखी जा सकती है।

मुगरा तहसील बरेली जिला बरेली के गाटा संख्या 96, 97 तथा 98 का अधिग्रहण तथा मुआवजे का भुगतान

178–श्री जयदीप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खेत, गाटा संख्या 37 रकबा 17 बिसवा लगानी लगभग साढ़े 4 रु0 ग्राम–मुगरा, तहसील बरेली, जिला बरेली का अधिग्रहण सरकार द्वारा सामुदायिक विकास विभाग के लिए कब किया गया और उसका कितना मुआवजा दिया गया? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त खेत का लगान अभी भी रूपी कहार (उपरोक्त भूमि का भू0 पू0 भूस्वामी) निवासी मुगरा से लिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार नाजायज प्रकार से लिए गये लगान को वापस कर देगी?

श्री बैजनाथ कुरील

गाटा संख्या 37 रकबा 17 बिस्वा ग्राम मुगरा का अधिग्रहण नहीं किया गया था बल्कि ग्राम मुगरा तहसील बरेली, जिला-बरेली के गाटा संख्या–96, 97 तथा 98 रकबा 17 बिस्वा का अधिग्रहण एन0 ई0 एस0 ब्लाक मीरगंज हेतु वर्ष 1960 में किया गया था। इसके मुआवजे का भुगतान जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 30-5-1961 को रु0 95.65 भूतपूर्व भूस्वामी श्री रूपी कहार को किया गया था। यद्यपि तहसील बरेली को परवाना कमी लगान दिनांक 6-6-61 को भेजा गया था परन्तु इसका अमलदरामद नहीं हुआ और लगान बदस्तूर भूतपूर्व भूस्वामी श्री रूपी कहार से वसूल होता रहा। इस सम्बन्ध में परवाना कमी बेशी लगान दुबारा जारी करके अभिलेखों के सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है और सुधार के पश्चात् भूतपूर्व भू-स्वामी श्री रूपी को उनके द्वारा जमा किया गया लगान वापस कर दिया जायेगा।

ग्राम सभा जसरऊ, जिला मैनपुरी में प्रधान के खिलाफ पट्टों में अनियमितता बरतने पर कार्यवाही

197–श्री मुंशी लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा जसरऊ जिला मैनपुरी में वर्ष 77-78 में प्रधान राजाराम पाल के खिलाफ पट्टों में अनियमितता बरतने के आरोप पाये गये थे जिसकी तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (वित्त एवं राजस्व) श्री मोमराज सिंह द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तथा प्रधान के खिलाफ आरोप सिद्ध हुये थे जिसकी वजह से प्रधान को तुरन्त निलम्बित कराने के आदेश परगनाधिकारी मैनपुरी को दिया गया था मगर प्रधान को आज तक निलम्बित न किये जाने का कारण क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील

श्री राजाराम प्रधान गांव सभा जसरऊ के विरुद्ध श्री राजाराम करन ने तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर के सम्मुख प्रस्तुत होकर यह शिकायत की थी कि प्रधान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे नहीं दे रहे हैं। अतिरिक्त कलेक्टर ने शिकायत की जांच करके आख्या दी, जिस पर कलेक्टर के आदेशानुसार परगनाधिकारी मैनपुरी जो नियत अधिकारी हैं, ने प्रधान के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही प्रारम्भ की। इस बीच पट्टों की वैधता के बारे में धारा 198(4) का वाद प्रारम्भ हुआ जो विचाराधीन है। इस वाद के निर्णय के पूर्व प्रधान के विरुद्ध चल रही वैभागिक कार्यवाही को अंतिम करना सम्भव नहीं है।

ग्राम दांदूपुर, जनपद वाराणसी में चकबन्दी के दौरान मार्ग के लिये जमीन छुड़वाने की व्यवस्था

180–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दांदूपुर परगना पन्द्रह तहसील वाराणसी, जिला वाराणसी की चकबन्दी अभी पूरी नहीं हुई है और चक भी नहीं

कटा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव से जाने वाली विरोव दांदूपुर महिमापुर मार्ग के लिए सामूहिक कटौती से मार्ग के लिए जमीन छोड़वाने की आज्ञा प्रदान करेगी? और चकों को पुनः कटवाने का आदेश देगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

ग्राम दांदूपुर में चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत चकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इस ग्राम के दक्षिण पूर्वी किनारे से एक सड़क चकबन्दी प्रक्रियाओं के पूर्व से बनी हुई थी, जो ग्राम दांदूपुर बाजार तक सीमित है, जिसे चकबन्दी के दौरान चौड़ा किया गया है तथा 0-34/1/2 एकड़ भूमि सुरक्षित की गयी है।

बाजार के आगे यह सड़क आबादी के बीच से होकर ग्राम महिमापुर की सड़क से जुड़ी है परन्तु दांदूपुर बाजार से आये जिन गाटों से होकर इस सड़क को जाना है उनमें आबादी, रास्ता एवं बाग पड़ते हैं जो चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक है अतः उनकी मालियत लगाकर संबंधित भूमि को चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है।

तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति

181–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल पद हेतु शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है? क्या यह सही है कि सितम्बर, 1981 में तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में अनुभवीय योग्य प्रत्याशी होने पर भी हाई स्कूल फेल व्यक्तियों को लेखपाल पद पर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। यह सही है कि तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में पांच अप्रशिक्षित लेखपालों की अस्थायी नियुक्ति की गयी थी जो हाई स्कूल पास नहीं थे। यह नियुक्तियां अनियमित थी। इन पांचों लेखपालों को सेवा से पृथक किया जा चुका है।

182–श्रीमती गौरी देवी–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जिले में ट्रांसफारमरों की चोरी के संबंध में कार्यवाही

183–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष 80-81 तथा 81-82 से कितने ट्रांसफर की चोरी हुई है? इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

देवरिया जनपद में वर्ष 1980–81 में 10 (दस) तथा वर्ष 1981–82 में (1-12-1981 तक) 12 (बारह) ट्रान्सफारमर की चोरी की घटनायें हुयीं।

ट्रान्सफारमर की चोरी की प्रत्येक घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गयी तथा पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

विभिन्न संस्थाओं, विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड का निर्धारण

184–श्रीमती गौरी देवी–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शासन ने विभिन्न संस्थाओं विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड का निर्धारण किस आधार पर किया है? प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों, सहायक पुस्तकालयध्यक्षों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों को जबकि उन्हें पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, तब भी सेलेक्शन उक्त कोटि के पदों

के लिए क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार इस संबंध में पुनः विचार करते हुए उक्त कोटि के कर्मचारियों हेतु सेलेक्शन ग्रेड का निर्धारण करते हुए स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि जिन संवर्गों में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं उनमें पदोन्नति और सेलेक्शन ग्रेड के पदों को मिलाकर कुल संख्या साधारण ग्रेड के पदों के 40 से 50 प्रतिशत हों और जिन संवर्गों में पदोन्नति नहीं मिलती वहां साधारण ग्रेड के पदों के 20 से 30 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में हों ।

विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था इसलिये नहीं की गई है कि इसका कोई जीवनक्षम संवर्ग नहीं है । किन्तु प्रोन्नति के प्रश्न पर विचार करने के लिये शासन द्वारा गठित विशेष सेल द्वारा इन श्रेणियों के कर्मचारियों के स्टैगनेशन के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है ।

पुस्तकालय कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हता पर विचार

185–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग ने पुस्तकालय विज्ञान की स्नाकोत्तर स्नातक एवं प्रमाण पत्रीय योग्यता रखने वाले पुस्तकालय कर्मचारियों को 5 कोटि में विभिक्त करते हुए विभिन्न श्रेणी के पांच वेतनमान स्वीकृत किये हैं? यदि हां तो शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र जिसका प्रशिक्षण इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाता रहा है उन्हें किस कोटि में रखने का प्राविधान है जबकि आयोग ने कोटि पांच की अर्हता स्नातक एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र निर्धारित किया है ? क्या सरकार स्नातक के स्थान पर इंटरमीडिएट योग्यता रखने वाले को भी उक्त श्रेणी में रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

पुस्तकालयाध्यक्षों के कार्य की अपेक्षाओं के संदर्भ में वेतन आयोग का यह निश्चित मत है कि इस पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। तदनुसार सभी कोटि के पुस्तकालयाध्यक्षों के लिये स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता निर्धारित की गई है। जो पुस्तकालयाध्यक्ष केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हैं और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र धारित करते हैं उन्हें सामान रिप्लेसमेन्ट स्केल मिलेगा । इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता कम करने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान में असंगतियों को दूर करने के संबंध में कार्यवाही

186–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न कोटि के पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पांच कोटि में योग्यता एवं कार्य के अनुसार विभक्त किया है? यदि हां, किन परिस्थितियों में पुस्तकालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित योग्यता रखने के उपरान्त भी पांच से अधिक कोटि के वेतनमान में विभक्त किया गया है? क्या सरकार उक्त की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए असंगतियों को दूर करने के संबंध में कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी नहीं, केवल पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों को पांच कोटि में वर्गीकृत किया गया है। पुस्तकालयों के अन्य कर्मचारियों को कोटिबद्ध नहीं किया गया है।

पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का उच्च वेतनमान व पदोन्नति स्वीकृत करने के विषय में कार्यवाही

187–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी जो पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित हैं के तकनीकी योग्यताओं एवं उनके कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वेतनमान का निर्धारण द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विश्वविद्यालय एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के समान तकनीकी योग्यता रखने के उपरान्त भी उच्च वेतनमान क्यों नहीं स्वीकृत किया गया जबकि उनके लिए पदोन्नति के अवसर पूरे कार्यकाल में नहीं के बराबर हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां। पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के वेतनमान उनके लिये निर्धारित अर्हताओं, उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों आदि को दृष्टि में रखते हुये निर्धारित किये गये हैं । ये कर्मचारी/अधिकारी और इनकी अर्हतायें विश्वविद्यालय एवं अन्य विभागों के तकनीकी योग्यता रखने वालों से तुलनीय नहीं हैं ।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में हरदुआगंज द्वारा मंगाये गये कोल्स क्रेन की मरम्मत पर व्यय धनराशि

188–श्री शेर बहादुर सिंह, श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' तथा प्रियदर्शी जेतली–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में हरदुआगंज से कोई कोल्स क्रेन मंगाने का आदेश हुआ था ? क्या यह सही है कि निर्णय क्रेन सं0 25322 का हुआ था जिसमें कम खराबी थी और क्रेन सं0 22529 मंगा ली गई जो ज्यादा खराब है? यदि ऐसा तो क्यों? उक्त कोल्स क्रेन की मरम्मत में कितनी धनराशि खर्च की गई? क्या बिना मेजरमेन्ट कराये भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह पर उपलब्ध दो कोल्स क्रेन में से एक क्रेन को टाण्डा तापीय परियोजना के लिए मंगाने का आदेश हुआ था जो किसी क्रेन विशेष के लिए नहीं था। हरदुआगंज तापीय विद्युतगृह के अधिकारियों ने पहले क्रेन संख्या 25322 देने का निश्चय किया था परन्तु अपनी आवश्यकता पर पुनर्विचार करके क्रेन संख्या 22529 ही टाण्डा तापीय परियोजना को दी । कोल्स क्रेन संख्या 22529 की मरम्मत के लिये अभी तक कोई भुगतान नही किया गया है।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में कार्यरत अवर अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता श्री वाई0 वी0 सक्सेना द्वारा लिया गया सिविल का कार्य

189–श्री प्रिय दर्शी जेतली, श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में इस समय कुल कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं और उनमें कितने अवर अभियन्ता सिविल से संबंधित हैं? क्या यह सही है कि श्री वाई0 वी0 सक्सेना अवर अभियन्ता से सिविल का ज्यादा कार्य लिया जा रहा है? जबकि वह सिविल से संबंधित नहीं हैं? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

टांडा तापीय शक्ति परियोजना में इस समय विद्युत्/यान्त्रिक एवं सिविल के 82 अवर अभियन्ता सिविल से संबंधित हैं। जहां तक श्री वाई0 वी0 सक्सेना, अवर अभियन्ता से सिविल का ज्यादा कार्य लिए जाने का प्रश्न है, स्थिति यह है, कि यद्यपि श्री सक्सेना सिविल में डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं, किन्तु उनके अनुभव के आधार पर पर उनसे सिविल का कार्य लिया जा रहा है। श्री सक्सेना से केवल बाउण्ड्री वाल तथा सड़कों के निर्माण का कार्य लिया जा रहा है जो कि परियोजना में कुल सिविल कार्यों को देखते हुए ज्यादा नहीं है।

लेखपाल श्री राम बाबू की पुलिस सतर्कता अधिष्ठान, बरेली द्वारा गिरफ्तारी

190–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामबाबू, लेखपाल हल्का रपरगपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली को दिनांक 17-11-81 को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पुलिस सतर्कता अधिष्ठान, बरेली ने गिरफ्तार किया था? यदि हां, तो क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री राम बाबू लेखपाल को पुलिस सर्तकता अधिष्ठान बरेली द्वारा गिरफ्तार किया गया था, परन्तु उसने रिश्वत स्वीकार नहीं की थी । शिकायतकर्ता द्वारा उसके साथ में जबरन धन देने का असफल प्रयास किया गया था। सी0 सी0 ए0 रूल्स के पैरा-49ए (ए) (2) (ए) के प्राविधानों के अनुसार चूंकि वह 48 घण्टे से कम जेल में बन्द रहा । इसलिए उसे निलम्बित नहीं किया गया ।

191–श्री धूपराय–

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

192–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

193–श्रीमती गौरी देवी–

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मृतक कुन्हू के पुत्रों द्वारा भूमि पर कब्जा

194–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम शुक्रवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में मृतक कुन्हू के तीनों पुत्रों ने 6 बिस्वे से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है ? उस भूमि से उनको बेदखल करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा बगईकपुर छपरा बनहरा के नागरिकों का ताल के पानी के जमाव के कारण फसलों को क्षति संबंधित पत्र

195–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बगईकपुर तथा ग्राम सभा छपरा बनहरा के नागरिकों का ताल के पानी के जमाव के कारण फसल की क्षति से संबंधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-9-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । आप एजेन्डा निकालकर देखें उसमें दूसरे नम्बर पर मेरा तारांकित प्रश्न आपने स्वीकार किया है । मान्यवर, मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता हूं आप उसको तारांकित करें या अतारांकित कर दें, लेकिन मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जब मेरे तारांकित प्रश्न को ट्रांसफर किया है तो उसको अतारांकित में किया है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्न मेरा तारांकित में स्वीकार हुआ था और चाहे वह किसी भी तारीख में ट्रांसफर किया गया हो लेकिन उसे तारांकित में ही होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना सही है । वह जो स्थानान्तरित हुआ है, तारांकित में ही हुआ है। वह गलत छप गया है, छापे की भूल है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बहुत महत्वपूर्ण है तो आप बाद में उठायें । कृपया बैठें ।

[12 बजकर 2 मिनट से]

माधवगढ़, जनपद जालौन में बन्द पड़े मिनी शकर प्लान्ट को चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दलगंजन सिंह–

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन बहुत है । इस क्षेत्र की कैश क्राप गन्ना ही है। उत्पादन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड विकास निगम ने माधवगढ़ जनपद जालौन में एक मिनी शकर प्लान्ट लगाया। जो मैनेजमेंट की अक्षमता व भ्रष्टाचार के कारण तीन वर्ष से बन्द है । इस मिल की कबाड़खाने को बेचने के लिए टेंडर भी मांग लिए गए हैं । बिजली की कमी के कारण इस प्लान्ट को चलाने के लिए कई लाख रुपये का जेनरेटर भी खरीदा गया था जो आज भी सील्ड रखा हुआ है । लेकिन इस जनरेटर के टेण्डर नहीं मांगे गये । मिल बन्द होने से किसानों के सामने गन्ना पिराई का संकट आ गया है, जिससे किसान भयभीत है। इस प्लान्ट को थोड़ी मरम्मत के बाद चलाया जा सकता है । मैनेजमेन्ट ने हजारों रुपए के पुर्जे चोरी करा लिए हैं । सरकार यदि इसकी जांच करायें तो वास्तविकता उजागर हो जायेगी ।

सरकार से मांग की जाती है कि प्लान्ट को बन्द किये जाने के कारणों की जांच करायें और शीघ्र इस प्लान्ट को चालू किया जाय ।

बस्ती जनपद के कतिपय थानों के अन्तर्गत बाहर से लायी गयी महिलाओं की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार व सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के कतिपय थानों के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष से बड़े व्यापक स्तर पर बंगला देश, बिहार व बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से हजारों

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय]–

संख्या में महिलाओं को बहका कर कुछ सक्रिय गिरोह लाता है जो जरूरतमंद लोगों से रुपये लेकर उनके हाथ महिलाओं को बेच दिया करता है । महिलाओं के विरोध करने पर भी वे जाति व वर्ग का ध्यान न रखते हुए भी एक दूसरे वर्ण में महिलाओं की बिक्री कर दी जाती है । विरोध करने पर उन्हें यातनायें भी दी जाती हैं । उनके इन कृत्यों से कभी-कभी इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है । कई बार इस सन्दर्भ में जिला प्रशासन को जानकारी दी गयी परन्तु आज तक महिलाओं के क्रय-विक्रय पर न तो कोई रोक लगी और न ही कोई उसकी जांच करायी गयी। क्षेत्र में निरन्तर महिलाओं के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया चल रही है ।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मानव मूल्यों की रक्षा हेतु पशुओं की तरह विक्रय की जा रही महिलाओं के विषय में छानबीन कराकर विक्रेता सक्रिय गिरोह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और इस माननीय सदन के माध्यम से थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, रिश्वत तथा पालतू गुण्डों द्वारा लोगों को परेशान किए जाने की घटनायें शासन तक पहुंचाना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने तथा माननीय माता प्रसाद पाण्डेय एम0एल0ए0 ने इनके रिश्वत भ्रष्टाचार के पच्चीसों स्पष्ट प्रमाण संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में दिए हैं। जब इन्होंने अपने जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया तो दिनांक 30-12-81 को सचिव, मुख्य-मंत्री एवं गृह सचिव ,को एक लम्बी दरख्वास्त खुली जांच कराने हेतु उपरोक्त अधिकारियों को मिल कर दिया । मान्यवर, आपको भी सारी घटनाओं का विवरण 21 जनवरी, 82 को दे चुका हूं । ग्राम सिंगारजोत में किस्मत अली के घर से 13,000/- रु0 घर में घुस कर थानाध्यक्ष ले गये । ग्राम बेलवा में हरीराम सोनार के घर में घुस कर अवैधानिक रूप से गिरफ्तारी की तथा उनसे 300/- रुपया लिया, बेनिया ग्राम के प्रधान को अप-मानित करने के लिए गिरफ्तार किया और 500/- रुपया लेने के बाद छोड़ा । महनूवा ग्राम में एक गरीब मुराव के घर से उसे पकड़ कर 1000/- रुपया बिना किसी मामले के लिया । यह हैं कुछ तथ्य । इसी तरह से मैंने सारे मामले अपनी दरख्वास्तों में लिखे हैं।

मान्यवर, क्षेत्र उनके जुल्म से त्रस्त है । निवेदन है कि इनके ऊपर लगाये गये आरोपों की खुली जांच मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेजकर करा ली जाय, जब इतने गम्भीर आरोप रिश्वत और भ्रष्टाचार के हैं तो निवेदन है कि इन्हें स्थानान्तरित कराकर इसकी जांच कराई जाय, जिससे जांच प्रभावित न हो ।

मनेरी भाली बांध निर्माण खण्ड उत्तरकाशी द्वारा ग्राम कन्सेण तथा मनेरा में वन सम्पदा को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन के संज्ञान में मनेरी भाली बांध निर्माण खण्ड उत्तरकाशी द्वारा ग्राम कन्सेण तथा मनेरा में वन सम्पदा को क्षति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले कुपरिणामों के तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । कन्सेण की अत्यधिक उर्वरा भूमि तीन वर्ष पूर्व बैराज के टनल के लिए ली गयी थी किन्तु इसका उपयोग विभाग ने रिहाइशी कालोनी का निर्माण करने में कर दिया । अब बैराज निर्माण हेतु गांवों के पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भूमि को तोड़ा जाने लगा है । भूमि लेते समय जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने ग्रामवासियों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी भी उनके गोचर पनघट तथा शेष काश्त भूमि पर स्थापित अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। किन्तु बांध विभाग के ठेकेदार कम्पनी के द्वारा बड़े पैमाने पर कन्सेण तथा मनेरा की नाप तथा वन भूमि को बलात् तोड़ा जाने लगा है ।

इस भूमि में चीड़, भीमल, बांज, गैत्य, पिन्ना, हरोंज, पेड़ू, उस्त, सोण, तिलत्यारू, ककडाल, मेल, पापड़ी, किनगोड़, सांदण, लम्बकन्येला, काफल, खागसो, कचनार घिघयारू, दालचीनी, टेमरू, हिंसर दो किसमों की, स्यारू, अखरोट, बुरांस, पैंया, आंवला, साकनु, कस्तुरा तथा मेवा आदि कुल एक सौ प्रजातियों के वृक्ष तथा वनस्पति भारी संख्या में मौजूद है। इनका ग्रामवासियों के जीवन, सरकार की अर्थव्यवस्था तथा धरती की हरीतिमा को कायम रखने की शक्ति से सीधा संबंध है । भूमि जो तोड़ी जा रही है वह पर्वत श्रेणी से नदी तट तक है। इस भूमि के टूटते ही ज्ञानसू तथा कनोडिया जैसे कांडों की पुनरावृत्ति होना लाजमी है । ग्रामवासी सरकार के पास प्रार्थना करते-करते थक गये हैं। सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निवेदन है कि राज्य के मैदानी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के हक में तथा स्थानीय भूमि को भूस्खलन से बचाने व जन-जीवन की सुरक्षा हेतु कन्सेण तथा मनेरा गांवों की वन तथा नाप भूमि पर बांध विभाग द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को तुरन्त रुकवाया जाय ।

मैनपुरी जनपद के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिला मैनपुरी की बेसिक शिक्षा दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित इस लोक महत्व के प्रश्न को सम्मानित सदन तथा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मैनपुरी जनपद में वर्ष 1973 में ट्रेनिंग किये हुए अध्यापक आज तक नौकरी में नहीं लिये गये हैं और बेसिक शिक्षा परिषद् की दोषपूर्ण नीतियों के विरुद्ध उलझी हुई प्राइमरी शिक्षा विलाप कर रही है। अनेक कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में खोले जाने की तारीख से आज तक कोई अध्यापिका नहीं पहुंची और इसी स्थिति में प्रभावित होकर सरकार ने निर्णय लिया कि प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में पुरुष अध्यापक कन्याओं को शिक्षा दे सकते हैं। और अध्यापिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बालकों के प्राइमरी स्कूल में भेजा जा सकता है। परन्तु उसनीधा जैसे 5,000 की जनसंख्या वाले गांव के कन्या प्राइमरी पाठशाला का आज तक कोई अध्यापक तथा अध्यापिका ने योगदान नहीं दिया।

मान्यवर, भारत सरकार ने प्लान सेक्टर में तथा राज्य सरकार ने भी इन समस्त प्राइमरी पाठशालाओं के लिये अध्यापिकाओं के लिए धनराशि आवंटित की है परन्तु विभागीय अधिकारी पिछड़े हुए क्षेत्रों की शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भवन निर्माण का कार्य भी पीछे छोड़ दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि मैनपुरी जनपद के ऐसे प्राइमरी स्कूलों की सूची बनायी जाये, जो अध्यापकों अथवा अध्यापिकाओं के अभाव में स्कूल बन्द हैं। इन स्कूलों में तथा अन्य स्कूलों में 40 छात्र छात्राओं पर एक अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु व्यवस्था करने के आदेश दिये जायें जिससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम–

श्रीमन्, मेरी सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी, कि जो 20 हजार लड़कों की शिक्षा और सुरक्षा से सम्बन्धित है, उसे आपने नहीं लिया। (व्यवधान) यह नहीं आया है। मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहता हूं, जैसा कि और लोग करते हैं। इसमें सब विधायकों ने लिखकर दिया है. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पांच लेने थे वह ले लिए हैं, आप फिर दे दीजिएगा।

विधान सभा सदस्य श्री मुख्तार अनीस व श्री प्रदीप कुमार यादव की रिहाई की सूचना

[12 बजकर 22 मिनट से]

श्री अध्यक्ष–

जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने पत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1982, जो उसी दिन प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि सर्वश्री मुख्तार अनीस एवं प्रदीप कुमार यादव, सदस्यगण, विधान सभा, जो दिनांक 15 जनवरी, 1982 को गिरफ्तार किये गये थे, दिनांक 28 जनवरी, 1982 को रिहा कर दिये गये।

उपर्युक्त मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी तथा उन्हें कारावासित किये जाने की सूचना सदन में दिनांक 18 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 23 मिनट]

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा एक विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है, इसलिये उस पर मुझे पहले सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

उसको भी सुन लूंगा। पहले मुझे निर्णय देने दीजिए। विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको पहले मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 18-1-1982 को माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देते हुए उसमें कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने 6 जनवरी, 1982 को लखनऊ में पत्रकारों से बात करते समय यह कहा था कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरिजनों की हत्याएं किये जाने के षड़यंत्र की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर राज्य के सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। सूचना में यह भी कहा गया है कि दिनांक 8 जनवरी, 1982 तक उक्त घोषणा के अनुरूप वाराणसी में प्रशासन को सतर्क नहीं किया गया। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ दैनिक समाचार 'आज' की एक कतरन भी संलग्न किया है।

माननीय सदस्य की उक्त सूचना का विषय सदन से बाहर मुख्य मंत्री द्वारा की गयी एक कथित घोषणा के संबंध में है। श्री अग्निहोत्री की इस सूचना में उल्लिखित शिकायत का आधार 'आज' समाचार पत्र में छपा एक समाचार है, जबकि इस विधान सभा में इस आशय के निर्णय पहले दिये जा चुके हैं कि केवल समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार के मामले में प्रमाण स्वरूप लेख्य के रूप में पूरा समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए, परन्तु मा0 सदस्य ने केवल छपे हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संबंधित समाचार की कतरन या कटिंग को अपनी सूचना के साथ संलग्न किया है, जिससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वह किस दिनांक के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। उपर्युक्त कारणों से मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ऊदल–

इस संबंध में मुख्य मंत्री जी का जो बयान आया है, उसको भी मान्यवर, आप देख लें। यह स्वीकार कर दें श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया है.. (व्यवधान) अब आगे चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मुझे एक बात कहने की अनुमति दे दें?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें। बाद में अनुमति दूंगा। मैं खड़ा हुआ हूं पहले मुझे अनुमति दीजिये कि मेरा जो फर्ज है उसको मैं सम्पन्न कर सकूं।

डाक्टर एन0 राव, प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0, डुमरियागंज, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा, ने दिनांक 22-9-1981 को डा0 एम0 राव, प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0 एच0 सी0 डुमरियागंज, जिला बस्ती के विरुद्ध अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी थी। इस सूचना में उनका कहना है कि बस्ती जिला उस समय अभूतपूर्व बाढ़ का शिकार हो गया था तथा उनके क्षेत्र की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक थी। जिसमें दवा आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 19-9-1981 को पी0 एच0 सी0 डुमरियागंज पर जाकर उन्होंने डा0 राव से बातचीत की और उनसे यह जानकारी करनी चाही कि क्या मनवापुर पी0 एच0 सी0, जो डुमरियागंज से मिली हुई है, को बाढ़ व्यवस्था सम्बन्धी उपचार की जिम्मेदारी उनको (डा0 राव) को सौंपी गयी है? इस पर माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार राव ने उनके (श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के) प्रति विशेष रूप से और विधान सभा के सदस्यों के प्रति सामान्य रूप से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।

माननीय सदस्य का आगे कहना है कि जब उन्होंने उनसे यह लिखकर देने को कहा कि वे मनवापुर पी0एच0सी0 के इन्चार्ज नहीं हैं तो उन्होंने एक चिट पर यह लिख कर दिया कि "मैं डाक्टर राव, एम0 ओ0 आई0 डुमरियागंज पी0 एच0 सी0 मनवापुर का एम0 ओ0 आई0 सी0 नहीं हूं।" उक्त चिट की एक फोटो स्टेट प्रति माननीय सदस्य की सूचना के साथ संलग्न है। माननीय यूसुफ का कहना है कि डाक्टर राव के उक्त व्यवहार से विधान सभा के सदस्यों की अवमानना हुई है।

मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1982 द्वारा सूचित किया है कि इस मामले में जिलाधिकारी, बस्ती को स्वयं जांच आख्या भेजने के लिए कहा गया था। माननीय मंत्री ने उक्त जांच आख्या को मुझे प्रेषित करते हुए कहा है कि वास्तविकता यह है कि उस समय बाढ़ के कारण स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी तथा सभी अधिकारीगण तनावपूर्ण वातावरण में दिन रात कार्य कर रहे थे और किसी का मन शांत नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के अनुसार ऐसे वातावरण में कदाचित विधायक जी ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों में कमियां निकालीं जिस पर डाक्टर राव तथा विधायक जी में बातचीत हुई और ताव में आकर डाक्टर राव ने यह लिख दिया कि वे मनवापुर क्षेत्र के बाढ़ कार्य की व्यवस्था से भी सम्बन्धित नहीं हूं।

[श्री अध्यक्ष–]

माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के साथ जिलाधिकारी की आख्या की जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उससे विदित होता है कि प्रश्नगत कालावधि में उक्त डाक्टर राव को मनवापुर क्षेत्र का कार्य भी देखने के लिए निर्देशित किया गया था और उन्होंने उस क्षेत्र का कार्य देखा भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि डाक्टर राव को इस सम्बन्ध में चेतावनी दी जा रही है कि वे शासकीय कार्यों के निष्पादन के समय संयम से बात करें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने दें।

माननीय सदस्य, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की शिकायत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का पत्र तथा उसके प्राप्त जिलाधिकारी की आख्या को देखने के पश्चात् मैं ऐसा समझता हूं कि डा0 राव का व्यवहार संयमित एवं शिष्टतापूर्ण नहीं था किन्तु इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के कारण एक तनावपूर्ण स्थिति में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं। फिर भी शासकीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह, कितनी भी तनावपूर्ण स्थिति हो, अपने व्यवहार को संयमित एवं शिष्ट रखें। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सदस्य, श्री यूसुफ, किसी ऐसे कार्य से नहीं गये थे, जो विधान सभा या उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित हो।

शासन द्वारा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है डाक्टर राव को चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं किन्तु इस दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कठोरता से पालन करने की कार्यवाही करें ताकि इस प्रकार के प्रकरण की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि डुमरियागंज के डाक्टर को जै राज गौतम जी ने हटा दिया था।

श्री अध्यक्ष–

उनको चेतावनी दे दी गयी है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, वे 5वें महीने तक डटे रहे।

जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[दोपहर 12 बजकर 29 मिनट से]

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरी किशन श्रीवास्तव जी के प्रश्न पर जब मैं निर्णय सुना रहा था तो उस समय सदन में माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि जब वे सदन में आ जायं तो निर्णय सुनाइये। आप सदन में आ गये हैं. . . (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, 15 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से यह कहने के लिए जा रहे थे कि उनको दोनों सदनों की बैठक में अभिभाषण नहीं देना चाहिए. . .

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, उनकी सूचना क्या है जो उन्होंने दी है, पहले उसे पढ़ कर सदन में सुना दें, फिर उनको बोलने के लिए कहें।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस, सदस्यगण, विधान सभा ने 17 जनवरी, 1982 को जिलाधिकारी लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग और सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्यगण का कहना है कि बढ़ते दामों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को बरखास्त करने हेतु जब एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देने के लिए वे अपने दल के सदस्यों के साथ 15 जनवरी, 1982 को राजभवन के गेट नं0 1 पर गये तो उनके वहां से लौटते समय जिलाधिकारी, लखनऊ और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने अकारण उन लोगों को घेरे में ले लिया और ट्रकों पर लाद कर थाना आलमनगर, लखनऊ में पहुंचाया जहां उन लोगों को सायं तक रोके रखा गया और फिर जिला जेल लखनऊ में दाखिल कराया गया। माननीय सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार उपर्युक्त अधिकारियों ने जानबूझ कर उन्हें विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया और वे विशेषाधिकार भंग के दोषी हुए।

*श्री मुख्तार अनीस–

इसमें मान्यवर, दो प्रश्न उठते हैं। 15 तारीख को हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और शाम को 7 बजे तक कैन्ट थाने में रोके रखा गया। हम लोगों को यह नहीं बताया गया कि किस धारा में गिरफ्तार किया गया है और क्यों किया गया है? और न ही हम लोगों को 24 घण्टे के अन्दर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस तरह से भारतीय संविधान की धारा 22 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। आप यहां की प्रक्रिया नियमावली के नियम 80 को भी देख लें जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य जब गिरफ्तार किया जायेगा तो उसकी सूचना सदन को यथाशीघ्र दी जायेगी।

आपको मान्यवर, अधिकारियों ने शीघ्र सूचना नहीं दी। हम लोग ठीक 11 बजे गिरफ्तार किये गये और जो हमारा बुनियादी अधिकार है उसका हनन किया गया है। दूसरे सदन के अन्दर जो बात हम लोग कहना चाहते थे वह भी नहीं कहने पाये। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमें बोलने का अवसर नहीं मिल सका। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस सारे मामले को जांच के लिये विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें ताकि सारी बात स्पष्ट हो सके।

*श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, दिनांक 15, जनवरी को जब कि सदन की बैठक होने जा रही थी, हम और हमारे दल के साथी श्री मुख्तार अनीस, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, महामहिम राज्यपाल महोदय के भवन पर गये और वहां गेट नं0 1 पर खड़े हो गये। प्रदेश की तमाम समस्याओं के विषय में हम एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देना चाहते थे। वहां यह पता चला कि महामहिम राज्यपाल महोदय पीछे से जा चुके हैं और ऐसी हालत में हम लोगों को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में जिलाधिकारी और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हम लोगों को यह कह कर रोक दिया कि यहां 144 धारा लागू है और दफा 188 में हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, यह कहा। हम लोगों को एक ट्रक में लाद कर कैण्ट थाने ले गये। बाद में पता चला कि हम लोगों का चालान दफा 188 में न होकर अन्य दफा 151, 107, 117 आदि में किया गया है। हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते थे और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने संशोधन प्रस्ताव भी भेजे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव]

साथ ही साथ मान्यवर, आपको जेल के माध्यम से पत्र भी लिखा कि हम और माननीय मुख्तार अनीस आपके बीच में आकर सदन के सामने इन सारी समस्याओं के बारे में पर्दाफाश करना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, हमें अब तक नहीं बुलाया गया। जिलाधिकारी, लखनऊ और एस0 एस0 पी0, लखनऊ ने हमारे जो अधिकार दिये गये हैं, उसका उन्होंने हनन किया। मान्यवर, मेरे इस विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार किया जाय ताकि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सके।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता ही नहीं है। मान्यवर, जाब्ता फौजदारी के केस को आप देख चुके हैं कि जाब्ता फौजदारी के मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न बनता ही नहीं है। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, हर जगह इस बात की रूलिंग्स हो चुकी हैं कि कोई भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन के उपवेशन में या इस माननीय सदन की कमेटी में आये और उसके आने में कोई बाधा डाली जाय, तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। अब यह भी मान्यवर, देखने की बात है कि 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन में आ गये थे, और जो लोग उनसे मिलने के लिये जा रहे थे, वे वहां पर गये, लेकिन वे वापस आ रहे थे, रास्ते में 11 बजे इनकी गिरफ्तारी कर ली गयी। तो यह कहना कि महामहिम राज्यपाल महोदय के रास्ते को ये लोग रोक रहे थे, इसलिए हमने इनकी गिरफ्तारी की, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, उसी वक्त यह भी बताना चाहिये था कि आखिर आपको किस धारा में गिरफ्तार किया गया। श्रीमन्, तीसरी बात यह हुई कि ज्वाइंट सेशन के बाद फिर साढ़े 12 बजे यह सेशन फिर बैठा, उसमें ये लोग आना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को थाने में भेज दिया गया। ये लोग थाने से आकर साढ़े 12 वाले शासन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन फिर वहां पर भी इन लोगों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया। तो ये जो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हुई, इससे बिल्कुल ब्रीच आफ प्रिवलेज का मामला बनता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने सुन लिया। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को बाद में बताया गया कि इनकी गिरफ्तारी धारा 151/107/117 में की गयी। मान्यवर, इस तरह से तो जब भी चाहें तब भी ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मान्यवर, धारा 151/107/117 जो इनके खिलाफ लगायी गयी, मान्यवर, कहां पर दूसरा पक्ष कौन सा था, जिससे लाठी चल रही थी, कौन सी शांति भंग हो रही थी? केवल इतनी बात पर कि माननीय महामहिम राज्यपाल को सदन में आने से रोक रहे थे, यह कहना सत्यता से बिलकुल परे है क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय 11 बजे यहां पर सदन में आ गये थे और 11 बजे इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की जाती है। यह मान्यवर, विशेषाधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बिलकुल स्पष्ट प्रश्न बनता है, इसे स्वीकार किया जाय । विशेषाधिकार समित के समक्ष सभी बातें स्पष्ट हो जायंगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया । अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की मेडेन स्पीच हुई है और मेडेन स्पीच में टोक-टोकी नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं रोका ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी माननीय सदस्यगण को सुन लिया। कुछ ऐसे नये तथ्य भी मेरे समक्ष आये हैं, इसलिए मैं इसका निर्णय सुरक्षित रखता हूं । इस पर बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

[12 बजकर 39 मिनट]

मुझे सदन को यह सूचना देना है कि श्री मारकण्डेय चन्द, सदस्य (जिला गोरखपुर) जो कि अभी तक कांग्रेस (अर्स) दल के सदस्य थे, ने उक्त दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और विधान सभा में कांग्रेस (आई) दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है । तदनुसार श्री मारकण्डेय चन्द (जिला गोरखपुर) को अब कांग्रेस (आई) दल के सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(व्यवधान)

सदन की समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

[12 बजकर 40 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति रहें। वर्ष 1982-93 के लिये सदन की समितियों के निर्वाचन के लिये जो निर्णय हुआ है। यह समितियां 31 मार्च को समाप्त होंगी इसलिये अगले निर्वाचन के लिये जो सूचना है प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1982-83 के लिये सदन की समितियों के निर्वाचन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :—

1–नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।	दिनांक 16 फरवरी, 1982 को अपराह्न 4 बजे तक।
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय।	दिनांक 17 फरवरी, 1982 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।
3–नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	26 फरवरी, 1982 अपराह्न 5 बजे तक।
4–निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ——	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति ।	के लिए दिनांक 11 मार्च, 1982 तथा
(ख) 29 स्थायी समितियों के लिए	दिनांक 12 मार्च, 1982 को,

मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक, विधान मण्डल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में होगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

[12 बजकर 42 मिनट पर]

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा का 1 फरवरी, 1982 से 8 फरवरी, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

फरवरी, 1982

1 सोमवार 2 मंगलवार 3 बुधवार 4 गुरुवार 5 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
6 शनिवार 7 रविवार	बैठक नहीं होगी।
8 सोमवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :— 1—उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982—दो घण्टा। 2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन विधेयक, 1982—एक घण्टा।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री) श्री राम रतन सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर देवरिया और वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के संबंध में दिये जाने वाले वक्तव्य पर आपत्ति

[12 बजकर 44 मिनट]

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह क्या पढ़ रहे हैं? यह तो पूर्वी जिलों का है मैनपुरी कहां से पहुंच गये ?

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आपने निश्चित निर्देश दिया था। यह आपके निर्देशों की अवज्ञा है। मान्यवर, जो विषय दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर देवरिया और वाराणसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, हरिजनों की सामूहिक हत्या करने के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया था और आपने निर्देश दिया था कि साढ़ूपुर और देवली की चर्चा पर, चूंकि राज्यपाल महोदय के धन्यवाद पर चर्चा हो रही है, उसमें यह बातें आ जायेंगी। देवरिया और बनारस का जो मामला है उस पर एक वक्तव्य दे दें। मुख्य मंत्री जी ने सदन में गलत बयान देकर, निराधार बयान देकर उत्तेजना पैदा किया। मान्यवर, जीवनमार्ग की जमीन दे दिया उस पर जुबान बन्द रही और एक गलत बयान दे दिया।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो पढ़ा नहीं है।

श्री राम सिंह खन्ना–

आखिरी पैरा में दिया हुआ है।

श्री रियासत हुसैन–

मांग कुछ रहे हैं और आप दे कुछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर देवरिया और बनारस के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का निर्देश हुआ था। उस पर वक्तव्य दे रहे हैं जिसके लिये निर्देश था वह बातें हैं या नहीं, उनको पढ़ने तो दीजिये। मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य की कापी आपके पटल पर आ चुकी है। जिसके सम्बन्ध में वांछित वक्तव्य मांगा गया वह देवरिया और बनारस के हरिजनों के सम्बन्ध में था। श्रीमन्, इसका अन्तिम पैरा आप देख लें यदि आप उससे कनविंस हो जायं तो लास्ट पैरा पढ़वा दें लेकिन पूरा वक्तव्य जिसको हमने नहीं मांगा है, जिसके द्वारा पूरी चीज दबा देना चाहते हैं, मांगा कुछ गया और दे कुछ रहे हैं। पूरा इतिहास कहने से क्या फायदा होगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हुकम सिंह ने जो नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस दिया है, उनके पत्र की मूल प्रति हमारे पास उपलब्ध है उसमें मेरा कर्तव्य था कि मैं दिवली से लेकर देवरिया तक माननीय सदन के समक्ष जानकारी दे दूं।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री श्री हुकम सिंह की नोटिस का जवाब दे रहे हैं और जो स्टेटमेन्ट है उसको आप देखें तो सर्वश्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखालाल, श्री रियासत हुसैन, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम हर्ष राय द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर है। यह श्री हुकुम सिंह द्वारा दी गयी नोटिस का नहीं है। इसलिये यदि कोई सदस्य विषयान्तर जाता है तो आप मान्यवर, कहते हैं कि विषयान्तर हो रहे हैं लेकिन शासन में होने के नाते उनको अधिकार नहीं है कि वह विषयान्तर कोई भाषण दें। इसलिये मान्यवर, उनको आप रोकें और जो देवरिया से सम्बन्धित आखिरी पैराग्राफ है उसको पढ़वा दें, बाकी की आप इजाजत न दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि श्री मोहन सिंह ने जो नियम 56 में नोटिस दिया है, यदि आज्ञा दें तो उसको पढ़ दूं जिसमें दिवली और साढ़ूपुर का जिक्र है।

श्री मोहन सिंह–

अध्यक्ष महोदय का निर्देश दूसरा था जिसको आप देखें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें और बैठ जायं। कृपया मुझको कार्यवाही देखने दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

श्री मोहन सिंह की जो नोटिस है उसको मैं आपके पास भिजवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं पूरी कार्यवाही मंगा रहा हूं। जो जर्नल है उसमें निर्णय है कि श्री अध्यक्ष ने आगे कहा कि शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा करते समय विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जहां तक मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य का प्रश्न है उसके लिए मुख्य मंत्री जी से एक वक्तव्य सदन में देने के लिए कहा और कहा कि जैसी स्थिति होगी वह देख ली जायेगी'।

कार्यवाही मैंने मंगाया है उसको देख कर हम राय देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कार्यवाही आने तक सदन का समय नष्ट हो, इसलिए आगे की कार्यवाही हम ले रहे हैं।

(स्वास्थ्य मंत्री के पुकारे जाने पर।)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह (श्री लटूरी सिंह के लिए) बीमार हैं। इनको अस्पताल जाना है। इनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनको बुला लिया है उसके बाद पढ़ दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982†

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 1 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उ0 प्र0 नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

दिनांक 27 जनवरी, 1982 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में पढ़े गये श्री लटूरी सिंह के पत्र के सम्बन्ध में श्री लटूरी सिंह द्वारा स्पष्टीकरण

[12 बजकर 53 मिनट]

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण माननीय मुख्तार अनीस पढ़ दें। मुझे कमजोरी ज्यादा है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष–

(श्री लटूरी सिंह से) आप बैठ करके पढ़ दें।

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, दिनांक 27-1-82 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है कि मैंने किसी डाकू को पत्र लिखकर कुरावली क्षेत्र के कांग्रेस (इ) के विधायक श्री रघुवीर सिंह को जिताने का अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री का कथन था कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न उठाया था कि 1980 के चुनाव में छबिराम डाकू ने कुछ एम0 एल0 ए0 को चुनाव में मदद दी। आगे उन्होंने कहा है कि फोटो स्टेट कापी आपके सामने रखता हूं।

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, आगे नाम आया है, स्पष्ट नाम आया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ें।

श्री लटूरी सिंह–

जो पत्र मुख्य मंत्री जी ने सदन में पढ़ा है उसमें किसी डाकू का नाम नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

---

†दिनांक 1 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मुख्तार अनीस–

मुख्य मंत्री विधायकों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खुद अपने चुनाव में समर्थन मांगते हैं, डाकुओं से।

श्री लोकपति–

श्रीमन्, अभी जब पूर्वी उत्तर प्रदेश पर वक्तव्य हो रहा था तो उसमें कुछ शब्द उत्तर प्रदेश की स्थिति पर आ गये। उस पर आपने कहा कि मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्रीमन्, इसमें भी वह बात आ गयी है, इस पर भी निर्णय सुरक्षित रख लें।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपनी नौकरी बचाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायं।

माननीय नेता सदन ने यह कहा था कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न उठाया था कि 1980 के चुनाव में छविराम डाकू ने कुछ एम0 एल0 ए0 को चुनाव में मदद दी। एक पत्र जो एम0 एल0 ए0 चुनकर आये हैं, उसकी फोटो स्टेट कापी आपके सामने रखता हूं और वह उधर बैठते हैं। वह पत्र है।

प्रिय नेता जी....

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, पढ़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जिसमें लटूरी सिंह के हस्ताक्षर हैं। उस पर नेता जी लिखा है। चूंकि विधायक के नाम से पत्र है और हस्ताक्षर हैं और उसमें एक डाकू का नाम आया है जिसके संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहा है तो इसमें कोई व्यवस्था सुरक्षित करने की बात नहीं है।

श्री लोकपति–

अभी जो आदेश सुरक्षित करने का हुआ है उसमें भी पूर्व इतिहास की बात उठायी गयी है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद अपनी व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस पर अपना आदेश सुरक्षित नहीं किया है, माननीय सदस्य मेरी बात कृपया ध्यान से सुनें। मैंने यह कहा है कि मैं कार्यवाही मंगा रहा हूं उसे देखकर मैं उस पर अपनी बात कहूंगा। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह मुझे ध्यान से सुनकर तब कहा करें।

*श्री लटूरी सिंह–

जो पत्र मुख्य मंत्री जी ने सदन में पढ़ा है उसमें किसी डाकू का नाम नहीं है। सम्बोधन प्रिय नेता जी के नाम से है, मुख्य मंत्री जी को कैसे ज्ञात हो गया कि यह पत्र किसी डाकू को लिखा गया है? मैंने किसी डाकू को कोई पत्र नहीं लिखा है। मुख्य मंत्री ने मुझ पर यह सत्य से परे आरोप लगाकर मेरी चरित्र हत्या करने का प्रयास किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सन् 1980 के विधान सभा चुनाव में जनता एस0 (राजनारायण) के चुनाव निशान सायकिल पर चुनाव लड़ा था कुरावली क्षेत्र से हमारी पार्टी ने सत्येन्द्र सिंह यादव को स्वयं उम्मीदवार खड़ा किया था इसलिये कांग्रेसी विधायक को जिताने के लिए मैं पत्र क्यों लिखता?

यह असत्य भ्रामक और मेरी चरित्र हत्या करने वाला पत्र है मैंने यह पत्र कदापि नहीं लिखा है। यह खेद का विषय है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र पढ़ने से पहले बलरामपुर अस्पताल में मुझसे साक्ष्य के बिना आरोप लगा दिया।

मैं इसका खण्डन करता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर गलत बयानी की है।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री मुख्तार अनीस–

मैं एक विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं, मुख्य मंत्री जी का छविराम से खुद वास्ता है। उसी ने इनको पत्र दिया होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें।

एक सदस्य–

माननीय सदस्य की चरित्र हत्या हो रही है, हाई कोर्ट में इनके ऊपर हमला कराया गया।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, उस मूल पत्र को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा जाय, ताकि सही बात का ज्ञान सदन को हो सके।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

ओरिजनल पत्र को यदि यहां पढ़ दिया जाय श्री लटूरी सिंह जी ने डकैत छविराम को लिखा था, ताकि सभी की जानकारी में आ जाए और सच्ची बात का पर्दाफाश हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

वह पत्र पढ़ दिया गया सदन में सब के सामने। आप और अब किस पत्र की बात कर रहे हैं, कृपया विराजें। स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री मुख्तार अनीस–

मेरे दल के एक विधायक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, आप अपना निर्णय देने से पहले मेरी बात को सुन लें, अभी राजेन्द्र त्रिपाठी जी बोलते रहे और आप उनकी बात को सुनते रहे थे हमें भी कृपया मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया विराजें, अब किसी की बात नहीं सुनी जायेगी, स्पष्टीकरण हो चुका है और मैं निर्णय नहीं देने जा रहा हूं। मैं पहले की प्रोसीडिंग देख रहा हूं।

एक सदस्य–

राजेन्द्र त्रिपाठी जी अपनी टोपी को उतार दीजिए, बहुत गर्म आपको लग रही है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

टोपी उतारने वाले भी यहां बैठे हैं।

एक सदस्य–

स्कूटर चोर भी हैं ?

श्री भीखा लाल–

एक नई परिस्थिति पैदा हो गयी है, मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है पत्र को पढ़ते हुए, जिसकी यहां चर्चा है कि श्री लटूरी सिंह ने छवि राम, जो कि एक डकैत है, को एक पत्र लिखा चुनाव की मदद के लिए और इन्होंने कहा था कि मैं उस पत्र की फोटो स्टेट कापी दूंगा तो यह छवि राम को तो पकड़ नहीं पाये, लेकिन उसके पत्र को पा गये, तो यह पत्र कहां से पा गये, या तो इनका उससे सीधा सम्बन्ध है, या इनके सहयोगियों से, मान्यवर, इसकी जांच कराई जाए कि यह पत्र उनके पास कैसे आया?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भीखा लाल जी ने एक प्रश्न उठाया और शंका प्रकट की है जैसे कोई तथ्यहीन चीज रखी है और अवसर दीजिए कि यह पत्र कहां से मिला और हैण्डराइटिंग एक्सपर्ट की इनफारमेशन क्या है।

श्री मुख्तार अनीस–

आप हमारी बात सुन लीजिए। अब नयी परिस्थिति पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, दो मिनट दे दीजिए,

(श्री लटूरी सिंह की ओर इशारा करते हुए)

आप जाइए।

(इसके उपरान्त श्री लटूरी सिंह सदन के बीच के खाली स्थान में आकर खड़े हो गये)

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, मुझे बोलने का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्तार अनीस साहब, माननीय लटूरी सिंह से कहें कि वह अपनी सीट पर बैठ जायं।

(इसके पश्चात् श्री अनीस के प्रयास पर श्री लटूरी सिंह अपनी सीट पर बैठ गये)

क्या माननीय सदन यह चाहता है कि जब कोई माननीय सदस्य अपनी बात सुनाना चाहें और अध्यक्ष उस पर यह निर्णय लें कि वे बैठ जायं, जबकि वह नियमों के अनुसार अपनी बात को दूसरे रूप में उठा सकते हैं, और वह माननीय सदस्य नहीं बैठते हैं तथा दल का नेता, सदस्य को यहां भेज दें और यह कहें कि. . . .

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

यहां आकर वह सदस्य यह बात कहे कि उसकी बात सुन लीजिए, यह उचित नहीं है।

(माइक फेल हो जाने के कारण सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

माइक फेल हो गया तो सारी व्यवस्था फेल हो गयी ।

(माइक ठीक हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

उस दल के नेता माननीय मुख्तार अनीस जी ने यह कहकर उनको यहां भेजा कि आप चले जाइए. . . .

श्री मुख्तार अनीस–

मैंने यह नहीं कहा, मान्यवर. . . .

श्री अध्यक्ष–

आपने उनको इधर भेजा, बात हो गयी, तो मैं समझता हूं कि. . . .

एक सदस्य–

अब इस अध्याय को समाप्त करें, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष–

अध्याय को तो मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप भी इसको उचित नहीं समझते होंगे कि इस तरह से अध्यक्ष को मजबूर किया जाय कि मुझको बोलने का मौका दिया जाय। यह प्रक्रिया सदन के लिए गौरवपूर्ण नहीं होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक निवेदन है. . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी बैठ जाइये।

[1 बजकर 20 मिनट से]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर देवरिया व वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्य पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में जो मेरे पास नोटिस आई थी नियम 56 की, वह इस प्रकार है :–

"उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से देवरिया और वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के षडयन्त्र की बात कह कर प्रदेश में सनसनी पैदा कर दी है । पूरे प्रदेश में इस वक्तव्य से आतंक एवं उत्तेजना व्याप्त है । सरकार ने यह दावा किया है कि गरीब हरिजन बस्तियों में पुलिस गश्त लगा दी गयी है । फिर भी देवली और साढ़पुर जिला मैनपुरी में नवम्बर और दिसम्बर, 1981 में हरिजनों की सामूहिक हत्यायें कर दी गयीं । साथ ही कई जगह निर्दोष लोगों की दस्यु गिरोहों द्वारा सामूहिक हत्या की गयी । अभी इटावा जिले में 5 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी ।

सरकार ने हरिजनों व निर्दोष जनता की जान बचा सकने में विफल होने के बाद विरोधी दलों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इससे प्रदेश की जनता क्षुब्ध है। अतः विधान सभा की कार्यवाही रोक कर देवली, साढ़ूपुर और इटावा की सामूहिक हत्यायें और उसके सन्दर्भ में माननीय मुख्य मन्त्री की यह घोषणा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हरिजनों की सामूहिक हत्या होने वाली है, इस पर सदन में चर्चा की जाय।"

[श्री अध्यक्ष–]

इस पत्र के साथ मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, भीखा लाल, राम स्वरूप वर्मा, राम आसरे वर्मा और रियासत हुसैन आदि सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। और यह मैंने इन्हीं पर, हर माननीय सदस्य से कहा कि वे अपने विचार व्यक्त कर दें, वह बात कह रहे थे ग्राह्यता के सम्बन्ध में। मैंने इस सम्बन्ध में उस दिन की कार्यवाही देख ली है और मैंने उस दिन यही कहा था कि मैंने आप सभी की बातें इस पर पुनः सुन ली और नेता विरोधी दल की भी सुन ली इसमें दो पक्ष हैं। एक तो शान्ति-व्यवस्था की बात है चाहे वह साधारण हो या और किसी प्रकार की। और दूसरा माननीय मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का प्रश्न है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्या के षडयन्त्र की बात कही गयी है। ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। एक तो आम तौर की घटना है, लेकिन मैंने दोनों को उसी सन्दर्भ में देखा है। जहां तक शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है आप उसके बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जहां तक उनके कथित वक्तव्य का प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री को निर्देशित करता हूं कि वे एक विस्तृत वक्तव्य दें और फिर जैसी स्थिति होगी देख लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जो आपकी नोटिस थी उसमें मुख्य मन्त्री का क्या वक्तव्य था, उसे नहीं बताया। मुख्य मन्त्री का क्या वक्तव्य है आपने एक हवाला दिया। उस सम्बन्ध में और बातें कही गयीं। उसमें यह भी कहा था कि "चूंकि हरिजन की समस्या संभालने में ये विफल हुए हैं", मैंने इन सब बातों को देखते हुए कहा था कि शान्ति व्यवस्था के संबंध में आपकी बात यहां हो सकती है। आप अपना वक्तव्य इस संबंध में देंगे। उस वक्तव्य का उस सम्बन्ध इन सारे सन्दर्भों में इस प्रकार का वक्तव्य वह रखना चाहते हैं, वह उसे पढ़ें और वह वक्तव्य रखने के लिये अधिकारी हैं।

श्री रियासत हुसैन–

जो वक्तव्य आपने देने के लिये कहा था क्या ये वही वक्तव्य है?

श्री अध्यक्ष–

जो वक्तव्य उन्होंने दिया था उसके संदर्भ में वक्तव्य देने की बात थी।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करना चाहता हूं अभी आपने कहा कि श्री मुख्तार अनीस ने श्री लटूरी सिंह को यहां भेजा और यह आपके आबजरवेशन की बात है। उन्होंने कहा कि यह मैंने नहीं किया। यह सदन के अन्दर और आपके रिमार्क के बाद हुआ और इन्होंने इसे इस सदन के अन्दर सत्य से परे बात कही। यह सदन का अवमान है। यह सदन की कार्यवाही की बात हो गयी है, इस पर भी आप निर्णय दें और सदन में इस पर चर्चा का समय दें।

श्री अध्यक्ष–

इसकी लिखित सूचना दे दें।

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जैसे ही वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े हुए, माइक फेल हो गया।)

(माइक ठीक न होने के कारण माननीय सदस्य आपस में छींटाकसी करते रहे और काफी व्यवधान रहा)।

*गृह राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

श्रीमन्, यदि आप अनुमति दें तो मैं वक्तव्य को जोर से पढ़ दूं, सभी को बिना माइक के सुनाई पड़ेगा ।

मैं देख रहा हूं कि मेरा दोष निकालने के लिये माननीय मोहन सिंह बहुत बातें कर रहे हैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या करें कोई प्रमोशन नहीं मिल पाया ।

श्रीमन्, आपने सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों के सामने जो उपस्थित थे, जो बात आपने कह दी है इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया है और जो व्यवधान हुआ उससे उनकी भाषा भी स्पष्ट हो गयी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर देवरिया व वाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या के षड़यन्त्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

दिनांक 18-11-81 को लगभग 5 बजे सायं जनपद मैनपुरी के ग्राम देवली में जाटवों के मकानों पर कुछ बदमाशों ने जिनमें संतोषा व राधे प्रमुख थे हमला किया। इसके फलस्वरूप 9 पुरुष, 6 स्त्रियां व 9 बच्चे घटनास्थल पर मारे गये तथा 7 लोग घायल हुये। घटना के संबंध में दिनांक 19-11-91 को पूर्वाह्न 8.50 बजे थाना जसराना पर 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखाई गई प्रथम सूचना के आधार पर धारा 147/148/302/396 भा0 दं0 वि0 का अपराध दर्ज हुआ। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की हेतु धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही तत्काल की गई। 8 नामजद अभियुक्तों में से 5 को गिरफ्तार किया गया तथा नामजद एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार किया गया तथा 3 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारे गये। इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 19-11-81 को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर पहुंच कर सुरक्षा तथा राहत आदि का कार्य शुरू किया गया। गांव में सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई और इसी के साथ थानाध्यक्ष, जसराना को इस घटना के संबंध में निलंबित भी कर दिया गया। गांव के 5 आग्नेयास्त्र लायसेंसदारों के विरुद्ध जाटवों की सहायता न करने के लिये कार्यवाही की गई तथा जाटवों को 11 आग्नेयास्त्र लायसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किये गये।

दिनांक 30-12-81 सायंकाल लगभग 6.30 बजे तीन व्यक्ति खाकी कपड़ों में जनपद मैनपुरी के शिकोहाबाद–आगरा रोड पर स्थित मखनपुर बाजार से लगभग 5 कि0 मी0 पश्चिम ग्राम साधोपुर पहुंचे। इन तीनों व्यक्तियों ने गांव के एक छोर से जहां भगीरथ का घर है, गांव में प्रवेश किया। भगीरथ को अनुपस्थित पाकर व आस-पास के लोगों के जाटव होने का ज्ञान होने पर बदमाशों द्वारा पास से गोली चलाई गई जिसमें 10 व्यक्ति मारे गये । मृतकों में 6 महिलायें तथा 4 पुरुष थे और 2 महिलायें घायल हुई थीं। घटनास्थल पर सेल्फलोडिंग रायफल तथा 30 कारबाइन से चले कारतूस पाये गये। इस घटना में कोई लूट नहीं की गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद में अपराध संख्या 452 अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। अभियोग विचाराधीन है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह घटना उस क्षेत्र में सक्रिय डकैत अनार सिंह दल के सदस्यों द्वारा की गई है। गांव में सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी गई है। गांव के 7 हरिजन व्यक्तियों को असलहे के लायसेंस स्वीकृत किये गये हैं। गांव के लाइसेंसदारों को जिन्होंने हरिजनों की सुरक्षा के लिये बदमाशों के विरुद्ध अपने हथियारों का प्रयोग नहीं किया, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 7-1-82 को जनपद इटावा में घटित सामूहिक हत्याकाण्ड का सम्बन्ध हरिजनों से नहीं है। दिनांक 4-1-82 को श्री सुरेन्द्र सिंह जो बलबीर सिंह गैंग को आश्रय दाता है। दिनांक 4-1-82 को श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम बहुरी, थाना बरहापुर, जनपद इटावा के निवासी थे। इस घटना के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 थाना बरहापुर पर अंकित कराया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु घायलावस्था में अस्पताल में हो गई। दिनांक 7-1-82 को दस्यु बलबीर सिंह अपने गिरोह सहित ग्राम बहुरी पहुंचा और उसने श्री राजाराम की हत्या कर दी क्योंकि वह श्री जंगी सिंह का मित्र था जिन्होंने सुरेन्द्र सिंह को घायल किया था। इस हत्या के पश्चात् इस गिरोह ने श्री पहुंची लाल तथा श्री अहिबरन सिंह की भी हत्या उपरोक्त कारणों से कर दी। यह गिरोह सायंकाल 6 बजे ग्राम भगौतीपुर, थाना बरहापुर पहुंचा जहां इसने भोगी राम एवं लज्जा राम की हत्या की क्योंकि इन लोगों ने बलबीर सिंह की एक 30 स्प्रिंग रायफल छीन ली थी। इस प्रकार इस गिरोह ने 5 हत्यायें की जिसमें 1 लोधी, 2 यादव तथा 2 गड़रिया हैं। यह हत्यायें दुश्मनी के कारण की गई विदित हुई हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस घटना की परिप्रेक्ष्य में भी पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही कर ली गई है।

प्रत्येक घटना में मृतक के परिवार वालों को तथा घायलों को समुचित आर्थिक सहायता के आदेश दे दिये गए हैं।

शासन के पास गोपनीय सूचना आई थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार की घटना घटित करने की योजना कुछ लोग बना रहे हैं, जिससे समाज में भय एवं आतंक सृजित हो और शासन की छवि भी धूमिल हो। इस पृष्ठभूमि में शासन ने सम्बन्धित अधिकारियों को सतर्क किया है कि वह इस ओर ध्यान दें जिससे यह योजना सफल न हो पाये। यह कहना बिल्कुल गलत है कि शासन द्वारा कृत कार्यवाही से किसी प्रकार का भय अथवा आतंक पैदा हुआ और असुरक्षा की भावना सृजित हुई। वास्तविकता यह है कि कृत प्रयासों से दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति हतोत्साहित हुए।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्न तो होगा नहीं। यह नियम 56 के विषय पर वक्तव्य स्वीकार किया था।

*श्री मोहन सिंह—

आपने कहा था मान्यवर, कि वक्तव्य आने के बाद इस को देखूंगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार ही अफवाह फैला दे और जब उसके ठोस प्रमाण मांगे जायें तो सरकार उसे गोपनीयता का बहाना बना कर गोपनीय रखे? समाचार पत्रों में खबर आ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया और डी0 आई0 जी0, बनारस रेंज ने सूचना दी है कि सामूहिक हत्याओं का प्रयास हो रहा है, आपने कहा था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये लोग बन्द थे, यह बात तो गोपनीय नहीं है, यदि आप को सूचना मिली है तो वे कौन से लोग हैं और सूचना देने का स्रोत क्या है? इसको आप समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकते हैं लेकिन इस आदरणीय सदन में रखने से घबराते हैं। डी0 आई0 जी0 का बयान मैंने स्वयं समाचार-पत्रों में पढ़ा था। जब उनसे अखबार वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई रिपोर्ट हमने नहीं दी। सरकार की जो एजेंसी है और इस प्रदेश का मुख्य मंत्री जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है सरकार की, यदि वही ऐसा आचरण करते हैं तो इससे यह नहीं लगता है कि यह कोई प्रशासन है। केवल यह कहकर कि यह गोपनीय है और बताया नहीं जा सकता इस तरह से सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सूचना देने वाले कौन से अधिकारी हैं? उनके स्रोत क्या हैं और किन लोगों के बारे में यह शिकायत है?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न तो इसमें हो नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो जो सूचना है वह अति गोपनीय है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज्ञा दें कि इसको आपको दिखा दिया जाय ताकि आप आश्वस्त हो जायं कि कहीं पर किसी भी प्रकार से सदन को गुमराह नहीं किया गया है। आप ऐसी आज्ञा दें ताकि वास्तविकता स्पष्ट हो जाय।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

यह झूठा अपवाद फैलाया जा रहा है। विपक्ष को झूठ में बदनाम किया जा जा रहा है और सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

गुमराह नहीं किया जा रहा है वास्तविकता को बयान किया जा रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनके का आप ध्यान रखें.....

(व्यवधान)

(श्री हरदेव के बार-बार खड़े होने और बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप आगे आकर बैठ जायं ताकि जब-जब आप कहिए मैं आपको बुला लूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोहन सिंह जी ने एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। जब प्रदेश के सामने यह बात आ गई माननीय मुख्य मंत्री के बयान के माध्यम से कि हरिजनों के साथ मारपीट एवं उन पर अत्याचार की घटना घटित करने की योजना कुछ लोग बना रहे हैं तो जब सूचना आ गई आपने उसको प्रेस में दे दिया तो वह चीज गोपनीय नहीं रही। अब यह जानना जरूरी है कि डी0 आई0 जी0 और डी0 एम0 ने क्या सूचना दी थी। जब यह पता चल गया और आप उस बात से कंविन्स हुए और आपने उस बात से कंविन्स होकर ऐसे निर्देश दिए तो उन व्यक्तियों के नाम बताने और उनके खिलाफ एक्शन लेने में आपको क्या आपत्ति थी? उन अधिकारियों ने कब यह सूचना भेजी और क्या सूचना भेजी? किनके बारे में उन्होंने लिखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह–]
और उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई? यह अब गोपनीय नहीं होना चाहिए। अब इसको आप सामने लाइये तो ज्यादा अच्छा होगा और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप निर्देशित करें और यह कहें कि यह बतायें कि क्या आपके पास सूचनायें आई थीं, किन लोगों के बारे में आई थीं किसके द्वारा सूचनायें आई थीं?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

अध्यक्ष जी, 20 दिसम्बर, 81 को यह सूचना शासन को मिली और जो सूचना मिली है उसे आपके समक्ष पूर्ण रूप से रखने के लिये सरकार तैयार है लेकिन इसकी गोपनीयता को देखते हुए और जिसमें बहुत से लोगों की जान की भी समस्या हो सकती है वह कितना गोपनीय है, उसे देखकर आप सन्तुष्ट हो जायें कि इसमें किसी को गुमराह करने का प्रयास हमने नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने तीन प्रश्न पूछे हैं लेकिन एक का भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। यह स्थिति है कि जब 20 दिसम्बर को इनके पास सूचना आ गयी थी इन्होंने इसको जनवरी तक क्यों रोके रखा? वे तथ्यों को छिपाना चाहते हैं और अपने पद का लाभ उठा कर विरोधी पक्ष के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। यह सम्पूर्ण सदन के सम्मान का मामला है। यहां हमारे संरक्षक आप ही हैं। मुख्य मंत्री जी जिस बात को पब्लिक में कह सकते हैं उसकी भी गोपनीयता का बहाना लेकर यहां नहीं बतलाना चाहते हैं। अगर मुख्य मंत्री का यही तरीका रहा तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम सदन का त्याग करें।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य 'इनक्लाब जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुए बाहर चले गये)

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस सूचना के आधार पर यहां वक्तव्य दिया, मैं स्वयं इसकी गम्भीरता को मानता हूं उनके पास 20 दिसम्बर को यह सूचना प्राप्त हुई, यह सही बात है लेकिन मुझे दुख है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री 20 दिसम्बर से अब तक क्या करते रहे इस बीच उनका कार्य जो रहा वह बहुत ही निन्दनीय व असन्तोषजनक रहा। जब रिपोर्ट आपके पास आ गयी तो आपको उसके बारे में इनक्वायरी करना चाहिये था उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिये था लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। इससे मालूम होता है कि महज माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं, उनको बदनाम करने के लिये आपने यह वक्तव्य दिया है। और इसके विरोध में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री राम हर्ष राय सदन त्याग कर चले गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह विरोधी दल को बदनाम करने की नीयत से सब कुछ किया गया है। इसलिए इसके विरोध में मैं भी अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री भीखालाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

एक सदस्य–

देखिये अनीस साहब, आप बहुत लबर-लबर करते हैं।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि विरोधी दल को बदनाम करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने झूठा बयान दिया है और इसके विरोध में मेरा प्रगतिशील दल भी सदन का त्याग करता है।

(श्री खैरुल बशर कुछ निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, 20 दिसम्बर को हमें इस सम्बन्ध में अधिकारिक सूचना मिली। उस सूचना के बाद शासन को उसकी पुष्टिकरण की प्रक्रिया में, उसकी पूरी इनक्वायरी करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ समय लगा। उसके बाद ही साढ़ूपुर की घटना हो गयी और इस तरह से इसकी और भी पुष्टि हो गयी।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

आप तो नियम 56 के प्रश्न पर भी चर्चा करा देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी तरह से सदन का कार्य होने दीजिये। यह कहानी की जगह थोड़े ही है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई और ये सब अस्वीकृत की गई हैं।

एक सूचना सर्वश्री हरगोविन्द वर्मा तथा मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की–दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 को जिला फतेहपुर, थाना जहांनाबाद, ग्राम मंगलपुर हकोली के श्री राम चन्द्र को इनकाउन्टर करने की नीयत से पकड़ने के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री हुकम सिंह की–मुजफ्फरनगर एवं हापुड़ गुड़ खांडसारी मंडियों में प्रशासन एवं व्यापारियों के आपसी विवादों के कारण हड़ताल किये जाने के संबंध में है।

(इस बीच लोक दल तथा कांग्रेस (एस) के सदस्य पुनः सदन में आ गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह, कोई ऐसी सूचना नहीं है कि. . . .

श्री हुकुम सिंह–

इस से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और सूचना नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुनने वाली हर सूचना को सुनता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी, आप कृपया बैठ जायं ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की–मा0 मुख्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री की हठ-वादिता, तानाशाही रवैये के कारण घोषणाओं के बावजूद उनके कार्यान्वियन न किये जाने के विरोध में विद्युत् कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की–बस्ती जनपद के उत्तरांचल में बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त विकास खंड इटवा, मुनवापुर, खूनिगांव, डुमरियागंज आदि के गांवों में भूखमरी के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की–गन्ना आन्दोलन के सिलसिले में गोण्डा जेल में बन्द विधायक श्री अकबाल हुसैन द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री हरिवंश सहाय व श्री नन्द किशोर सिंह की–गोरखपुर-देवरिया से हजारों क्विंटल गल्ला प्रतिदिन बिहार होते हुए चीन जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, अध्यादेशों के बल पर इतनी बड़ी मेजोरिटी होते हुए भी यह सरकार चल रही है । यह अध्यादेश एक वर्ष में दो बार जारी किया जा चुका है । पहले अध्यादेश के जारी होने के बाद चार-पांच दिन के लिए सत्र बुलाया गया था लेकिन इस सरकार के पास इतना समय नहीं था कि जो अध्यादेश जारी किया गया था उस को सदन के सामने प्रस्तुत करे और उसे विधेयक में परिवर्तित करे । मैं अपनी बात को जारी रखते हुए केवल दो बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

अधिष्ठाता जी, अध्यादेश की जो प्रक्रिया है वह एक असाधारण प्रक्रिया है। कुछ विशेष परिस्थितियोंवश सरकार को अपना कार्य सुचारु रूप से करने के लिए एक असाधारण अधिकार इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मिलता है। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आप विधान मंडल का सत्र बुलाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे ? मान्यवर, इस असाधारण अधिकार का दुरुपयोग अध्यादेश के द्वारा किया गया है जिससे सिद्ध होता है कि आप विधान मंडल, विधान सभा, में विश्वास नहीं करते। अध्यादेश जारी करने के बाद सत्र बुलाया गया. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांत हो जायं. .

श्री हुकुम सिंह–

मैं आप से आग्रह करता हूं कि दो सदन यहां बैठे हैं . .

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं, कृपया शांत हो जायं . .

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 213 में एक असाधारण शक्ति कुछ विशेष परिस्थितिवश सरकार को दी गई है । मेरा कहना यह है कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, कोई असाधारण कारण नहीं था जिससे आप ने इस असाधारण

शक्ति का प्रयोग कर दिया । और अगर आप असाधारण शक्ति का प्रयोग साधारण परिस्थिति में करते हैं तो उस से यह सिद्ध होता है कि आप अपना विश्वास इन संस्थाओं में कम करते जा रहे हैं यदि आपका विश्वास इन संस्थाओं में है तो इस प्रकार आप उन शक्तियों का दुरुपयोग न करें जो कि केवल किन्हीं विशेष परिस्थितियों के लिये आरक्षित हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस अध्यादेश में क्या है? इसके माध्यम से आप विधेयक में संशोधन कर रहे हैं। यह विधेयक 1976 में पारित हुआ था। इसके माध्यम से आप यह करना चाहते हैं कि जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं इस बात का अधिकार न रहे कि उनके स्थानान्तरण का मामला ट्रिब्यूनल में न जा सके। यह आप संशोधन लाना चाहते हैं यदि आप इसमें संशोधन ही करना चाहते थे तो इसको व्यापक रूप में लाते । सन् 76 में जिन परिस्थितियों में यह विधेयक पास हुआ था, हम भी इधर बैठते थे, इधर वाले लोग सब अन्दर थे, बहुत जल्दी-जल्दी में यह विधेयक पारित किया गया था अब तो आप जल्दी न कीजिये । अब तो कोई इमरजेन्सी नहीं है। सारी बातें शान्ति से सोच विचार कर करें। मान्यवर, मैं अध्यादेश तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा ।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोक सेवक हैं यदि उनकी समस्याओं के ऊपर व्यापक रूप से विचार किया जाय तो यह मिलेगा कि अगर कोई आदमी न्यायालय में चला गया और आपने सोचा कि किसी मन्त्री या किसी उच्च अधिकारी के आदेशों और निर्देशों का पालन न करके उसने एडजुडिकेशन का प्रयास किया तो न यह बात शोभा देती है और न ही इससे उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है । क्या यह सच नहीं है कि अल्टीरियर मोटिव्स के लिये आपने यह किया है ? सरकारी नीतियों के विरुद्ध आज भी तबादले होते रहते हैं। सरकारी कर्मचारी और जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं जिसके चेहरे आपको पसन्द नहीं हैं। अगर किसी ने अपना तबादला कराना चाहा तो आप कह देते हैं कि मार्च के पहले नहीं होगा। लेकिन आज भी ऐसे आदेश हो रहे हैं और उन आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, यही नहीं, इस सचिवालय में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं ।

(कई सदस्य एक दूसरे से बातचीत करने पर) ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें, ध्यान से सुनें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्थानान्तरण के बारे में निवेदन कर रहा था । इस सचिवालय इस बात के अड्डे बने हुए हैं कि कोई आदमी या अधिकारी आये और उन ठेकेदारों को अड्डों पर एप्रोच करे कि उसका किसी तरह से तबादला हो जाए । मन्त्रीगण तो बैठे रहते हैं किन्तु उनके दलाल इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे तबादला करा ले जाते हैं । आप स्वयं इस पर विचार करें कि जो कर्मचारी सीतापुर या मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ है जिसकी तनख्वाह तीन-चार सौ रुपये है उसका तबादला 1 हजार या 5 सौ मील पर कर दें तो इसके लिए क्या उपचार है ? केवल एक प्रक्रिया बन जाती है कि इन दलालों को रिश्वत दी जाती है । रिश्वत देकर भ्रष्टाचार करके अपना तबादला रुकवा देते हैं । इस तरह निश्चित रूप से प्रजातन्त्र का जो मूल है उस पर चोट पहुंचती है । उस कर्मचारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मन्त्री से अपना तबादला करा पायेगा। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । यह सरकार अपनी नीयत को साफ करे कि इन संस्थाओं में जो संविधान ने विधान सभा के रूप में, विधान मण्डल के रूप में, सदन के रूप में जो शक्ति प्रदत्त की है उनके ऊपर विश्वास करें और ऐसी असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग करके अध्यादेशों के ऊपर राज न करें ।

[श्री हुकुम सिंह–]

अगर इस तरह से राज्य करते रहेंगे तो वही ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं उनको विश्वास यह हो जाएगा कि विधान सभा बुलाने की क्या आवश्यकता है। दो-दो अध्यादेश जारी हो जायें और विधेयक प्रस्तुत न किया जाए और बीच में सत्र भी हो जाये तो इससे बड़ी बदनीयती की बात सरकार की दूसरी हो नहीं सकती।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री रियासत हुसैन से) चूंकि समय कम है इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, अव्वल में तो यह बहुत जरूरी अधिनियम है लेकिन अध्यादेश के जरिये इसे लाने की इतनी जरूरत नहीं थी। यह जो तबादलों का प्रश्न है यह बहुत व्यापक है और सब के लिए चिंता की बात बनी हुई है, सब के लिए परेशानी का मसला है। इसके द्वारा सर्विस ट्रीब्यूनल में कोई भी पब्लिक सरवेंट जिसका ट्रान्सफर होगा वहां जाकर आब्जेक्शन नहीं करेगा। उसको जो अपनी जगह पर जाने के बहाने और रोड़े हैं नहीं मिल सकेंगे। यही बात इसके अन्दर है लेकिन इतना यह जरूरी नहीं था कि अध्यादेश के रूप में आये। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश में रीजनलिज्म और दूसरी चीजें होने की वजह से यह दिक्कत पड़ती है कि पूरब का आदमी पहाड़ में और पहाड़ का आदमी पश्चिम में या बुन्देलखण्ड में अथवा दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, इसलिए वह इसकी आड़ पकड़ते हैं। वह कैसे खत्म हो, यह सोचने की बात है केवल अधिनियम से यह नहीं होगा जब तक उसके लिए परमानेन्ट पालिसी नहीं बनाई जायेगी या कोई नियम नहीं बनेगा।

इस पाबंदी के बाद वह दूसरे तरीके अपनायेंगे। ट्रिब्यूनल में जाने पर तो आपने प्रतिबंध लगा दिया लेकिन मेरे और आपके पास आने में कोई पाबंदी नहीं है। वह आदमी कहीं भी एप्रोच नहीं करेगा, यह पाबंदी कहीं नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है और मैंने तबादले के मसले पर 1969 में जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे लिख कर दिया था और आज रिजवी साहब आप तक भी अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि हमारे प्रदेश के पांच जोन हैं इन पांचों जोनों की अलग-अलग ज्योग्राफिकल सिचुवेशन है कोई बैकवर्ड है तो कोई अच्छा है। स्टेट लेविल में किसी सरवेंट के 30 साल की नौकरी होती है तो मेरा सुझाव है कि पांच जोनों में 6-6 साल के हिसाब से उसकी सर्विस को बांट दीजिये और यह आदेश कर दीजिये कि हर आदमी को 6-6 साल हर जोन में नौकरी करनी पड़ेगी उसमें यह प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जो सर्विस में नया आदमी है चूंकि उसकी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको उसके रेजिडेंस से सबसे फार आफ जोन में भेजा जायेगा और वहां 6 साल उसे पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद दूसरा जोन और जब आखिर में उसके 6 साल रह जायें तो फिर उसे उसके अपने जोन में ले आइये....

श्री हर देव–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आपने जो कुछ कहा है लिखा नहीं जायेगा।

श्री रियासत हुसैन–

मैं अपने इस सुझाव के साथ कहना चाहता हूं कि जो उसके आखिर के 6 साल अपने जोन के हैं उसमें से आखीर के दो साल कर्मचारी को अपने जिले में ले आइये ताकि वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट:–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपने को इस्टैब्लिश कर सके । तो इस तरह की कोई पालिसी या नियम बनाइये और सख्ती से उसका पालन हो इससे न तो कोई ट्रिब्यूनल के सामने जायेगा और न आप और हमारे पास एप्रोच का सवाल आयेगा और न स्टाफ में गड़बड़ी होगी । मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी मेरी मंशा को समझ गये होंगे । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री से) आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक के सम्बन्ध में जो अध्यादेश के रूप में आया है साफ कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मद 12 पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैं इसका अनुमोदन करता हूं कि इसे सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । यह बाद में आयेगा ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, अभी माननीय हुकुमसिंह जी ने एक आर्डीनेन्स यानी अध्यादेश पर चर्चा की और इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में लागू करना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं लागू करना चाहिए । जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है जो अध्यादेश पारित किये जाते हैं और इस सरकार द्वारा पारित किये गये हैं, तो जैसी हालत में उन्होंने पारित किये थे, उसी का उन्हें अन्दाजा है और वह यही समझते हैं कि उसी तरह से हम भी पारित करते हैं । लेकिन मैं उनकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं हमारी सरकार और हम उस तरह से अध्यादेशों को पारित नहीं करते हैं । जिस समय यह पारित हुआ था, उस समय सदन सत्र में नहीं था । जिस संविधान की धारा का उन्होंने हवाला दिया है, उसमें यह है कि यदि सदन सत्र में न हो और बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय हो तो उस पर अध्यादेश लागू किया जा सकता है ।

विरोधी दलों के तमाम नेता कहते हैं कि अफसरों पर कुछ अंकुश नहीं है, लेकिन शिकायत के ऊपर किसी अधिकारी को हटा दिया जाता है तो उनके ही द्वारा यह कहा जाता है कि यह कोई सजा नहीं है । जिस समय आगरा के कमिश्नर की बात आई थी पिछले सत्र में, उस समय इन्हीं कुर्सियों से यह बात उठी थी जब हमने उठाया और उनका ट्रांसफर कर दिया तो कहा गया कि ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट । यह ठीक है, लेकिन एक तरफ ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगाने की बात आती है और उस सम्बन्ध में जब सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो ब्यूरोक्रेशी के सबसे बड़े एडवोकेट के रूप में हमारे यह सदस्य सामने आते हैं । ट्रांसफर कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे पनिशमेंट माना जाये, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं । जब हम किसी को सर्विस में लेते हैं तो उसमें यह शामिल रहता है कि उसे उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल प्रदेश में कहीं भी जाना पड़ेगा । रियासत हुसैन साहब ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव रखा है कि अगर हम यह प्रयास करें कि रिटायरमेन्ट के करीब कोई अधिकारी पहुंचने पर अपने घर के करीब आ जाए, वह ठीक ही है । नियमों का जहां तक सवाल

[श्री अम्मार रिजवी]

है इस बात को वरीयता दी जाती है कि जहां तक सम्भव हो उसकी अपने घर के पास पोस्टिंग होनी चाहिये । यह जो उनके ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हटते हैं, इनमें यदि हमें उन्हें सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने की अनुमति दे देते हैं कि वह अपने ट्रांसफर के विरुद्ध वहां जाकर आपत्ति कर सकते हैं कि हुकुम सिंह जी को भी शासन का तजुर्बा है, उनके सुपुर्द यदि एक विभाग किया जाये और वह उसके कुछ अधिकारियों का तबादला करें और वह स्टे ले आयें या ट्रिब्यूनल में चले जायें और इस तरह उनके हाथ बंध जायें, तो क्या वह उस दशा में इफीशियंटली पब्लिक हित में जैसा अपना काम करना चाहिए, कर सकेंगे ? मैं यह उन पर छोड़ता हूं, मैं समझता हूं कि उनकी आत्मा इस चीज को कभी पसन्द नहीं कर सकती है, इसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि ऐसी कोई चीज हो । लेकिन वह विरोध पक्ष में हैं, शासन की हर चीज का विरोध करना उनका काम है, इसलिए वह इसका भी विरोध कर रहे हैं । पर उन्होंने इसे ऊपरी दिल से किया है । यह कोई जल्दी में लिया जाने वाला फैसला नहीं है ।

पिछले सत्र में, सितम्बर माह 1981 में, इस सदन में इस पर चर्चा हुई थी और जब यह सत्र चल रहा था, इसको पारित किया गया था इसी सम्मानित सदन में । लेकिन विधान परिषद् के माननीय सदस्यों ने इसे पारित नहीं होने दिया और इस सदन में यह फिर वापस आया । तो इस पर यहां चर्चा हो चुकी है। अध्यादेश इस पर इश्यू हुआ था 16 जुलाई, 81 और उसके बाद यहां आया, यहां पारित हुआ, फिर विधान परिषद् में गया और वहां से लौटकर यह आया है । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात है, जिसमें इसे प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता है । जिसके ऊपर इस स्टेज पर सलेक्ट कमेटी की आवश्यकता हो क्योंकि इस पर पूरी तरह से सारी बातें कही जा चुकी हैं । यह एक प्रशासनिक आवश्यकता (एडमिनिस्ट्रेटिव नीड) है कि इन अफसरों को किसी एक जगह पर 10-10, 8-8 साल न रहने दिया जाय और जब भी इनको हटाने का प्रयास किया जाता है तो पहले तो पोलिटिकल प्रेशर डलवाने का प्रयास किया जाता है । मेरा निवेदन है कि इसमें हमें सहयोग देना होगा । अगर प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लाने की बात कही जाती है तो यह दायित्व हमारा भी है और माननीय रियासत हुसैन और माननीय हुकुम सिंह जी का भी है कि जहां पर कोई अफसर मनमाने ढंग से एक जगह पर रहना चाहें तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाये । मुझे ऐसी आशा है कि वे हमें इस मामले में पूरा सहयोग देंगे, मुझे विश्वास भी है कि उनका सहयोग हमारे साथ है और वे इसे दिल में भी समझ रहे हैं । अतः मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की आवाज को मानते हुए, इस संशोधन को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हुकुम सिंह जी, क्या आप अपने संकल्प को वापस लेते हैं?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1982†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

मैंने इस संबंध में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिये अतः अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार किया जाय।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जब हम अधिकारियों के स्थानान्तरण की बात करते हैं तो विरोधी दल उनके प्रवक्ता या वकील बन जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण मंत्रियों की नाराजगी के कारण भी हो जाते हैं । जब उनकी नाजायज बातों का ये अधिकारी पालन नहीं करते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है । अभी तक यह था कि किसी अधिकारी का अगर गलत स्थानान्तरण हो जाता था तो वह ट्रिब्युनल में उसके खिलाफ चला जाता था और अपनी बात कहता था । अब आपने उनको वहां जाने से भी रोक दिया है । जहां तक मैं समझता हूं ट्रांसफर के नियम बने हुए हैं कि अगर अमुक स्थान पर उसकी अवधि 3 वर्ष या 5 वर्ष होगी तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा । अगर इस पर अमल होता रहे तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता न होती ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का असर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पर पड़ने वाला है और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि विस्तृत विचार-विमर्श हेतु इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय । जो आप चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं लेकिन जिस चीज की इस विधेयक में समाहित किए जाने की आवश्यकता है, वह इसमें, प्रवर समिति में भेज कर ही आ जायेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे आप प्रवर समिति में भेज दें ।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं । आज मनमाने ढंग से ट्रांसफर होते हैं । अगर शिकायत पर ट्रान्सफर हों, जो आदमी ठीक से काम न करे उसके कारण ट्रांसफर हो तब तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप ऐसा नहीं करते । अगर क्षेत्र की जनता यह मांग करती है कि फलां अधिकारी को उनके क्षेत्र में रहने दिया जाय तो आप उसका जबरदस्ती ट्रान्सफर कर देते हैं । कहीं-कहीं पर तो, जैसे कि हमारे बलिया जिले में दो-दो एस0 पी0 रख दिए गए हैं । एक एस0 पी0 पहले ट्रेनिंग के लिए गए, उनको भी वहीं रख दिया गया और जो पहले से थे, वे तो थे ही।

आपने मान्यवर, अखबारों में पढ़ा होगा ट्रान्सफरों के रेट उसमें निकले थे । जैसे अभी तक शादी के रेट थे कि अगर लड़का डाक्टर होगा तो इतना रुपया तिलक में चाहिए, अगर इन्जीनियर होगा तो 30 हजार, आई0ए0एस0 होगा तो 50 हजार आदि-आदि । इसी तरह यह भी छपा था कि अगर एक इन्जीनियर का ट्रान्सफर कराना है सिंचाई विभाग के, तो 30 हजार रुपया लेकर मंत्री या अधिकारी के पास जाइए, अगर डाक्टर का ट्रांसफर कराना है तो इतने रुपए लेकर जाइए, पी0 डब्लू0डी0 के ओवरसियर का ट्रान्सफर कराना है तो 5 हजार या 10 हजार दीजिए । तो चौकीदार से लेकर डी0आई0जी0 तक के ट्रांसफर के रेट उसमें निकले थे । यह हालत हो गयी है आजकल ट्रान्सफर की ।

---

†दिनांक 27 जनवरी 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

इसी ट्रान्सफर कराने के चक्कर में बहुत से लोग रातो-रात धनी हो गए हैं । इसलिए यह आवश्यक था कि ऐसे लोगों को ट्रिब्युनल में जाने का अधिकार होना चाहिए जिनका ट्रान्सफर गलत हो गया है । इसलिए इस पर विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए । जो अधिकारी भ्रष्ट है या जो आदेशों का पालन नहीं कर रहा है उसका ट्रान्सफर होना चाहिए । इसमें किसी को आपत्ति नहीं है । लेकिन हमारे यहां एक तहसीलदार 8 वर्षों से है और बलिया से उसका ट्रान्सफर इसलिए नहीं हो पाता पालों से पैसा वसूल करता है और डाक बंगले में मंत्रियों के लिए मुर्गा वगैरह खिलवाता है तथा अन्य सहूलियतें प्रदान करता है। इसके विपरीत, एक कर्नैल सिंह है दूसरे है तथा अन्य सहूलियतें प्रदान करता है । इसके विपरीत, एक कर्नैलसिंह है दूसरे अधिकारी, उनका ट्रान्सफर छः महीने में ही कर दिया गया । ऐसा नहीं होना चाहिए । इसलिए इस विधेयक पर विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए।

जैसा कि अभी माननीय रियासत हुसैन ने कहा, यह सर्वमान्य नियम बना दीजिए कि 3 वर्ष तक ट्रान्सफर नहीं करेंगे । वैसे यह नियम भी बना हुआ है, पर उसका पालन नहीं हो रहा है । जो आपके जंघे की ताकत है उसको पैसा देकर कमजोर कर दिया गया है और विधायक आप पर दबाव डालते हैं मनमाने ट्रान्सफर कराने के लिए । वे कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सदन में आपका समर्थन नहीं करेंगे । इसलिए मंत्री जी को उनकी बात माननी पड़ती है ।

मेरा कहना यह है कि इसके लिए आप एक सर्वमान्य नियम बना दीजिए । अगर यह भी आपको पसन्द नहीं है, तो माननीय सदन की एक प्रवर समिति है, उसमें यह सारी चीजें कवर हो जायेंगी । आपकी मंशा पर हमको संदेह नहीं है । वही हम भी चाहते हैं जो इस विधेयक के जरिए आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पर हमें संदेह है, क्योंकि यह विधेयक पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर रहा है । अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और आपके माध्यम से, आज चारों माननीय मंत्री उपस्थित हैं, जो बांदा जनपद में माननीय मुख्य मंत्री के चुनाव लड़ने के समय थे । वहां की घटनाओं को रखते हुए मैं यह अच्छा समझता हूं कि विधान परिषद् ने उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इस विधेयक को वापस ले लिया है । बहुत ईमानदार, कर्मठ ऐसे कर्मचारी वहां पर थे तो चुनाव जीतने के लिए और हर प्रकार की कार्यवाही को करने के लिए चुनाव के एक महीने पहले उन सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया और उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई पर्वतीय क्षेत्र का, कोई इलाहाबाद का, पुलिस से लेकर नगर पालिका तक, ग्राम्य विकास के क्षेत्र में लेखपाल तक के ट्रान्सफर हुए हैं और ऐसे-ऐसे स्थानान्तरण हुए हैं कि जिसकी कि पत्नी गर्भवती है, अस्पताल में भर्ती है, उसको तुरन्त, अविलम्ब वहां से हटा दिया गया ।

इसको मैं स्वयं आज अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब मैं स्वयं श्रीमन्, एक बार यह बात कर रहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि आज जो ठेकेदार जूते के बल पर काम करते हैं, वह कैसे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर, कर्मचारी चाहते हैं ? तो श्रीमन् आज जो है, मैं मानता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रशासन के लिए आवश्यक है कि स्थानान्तरण किया जाय । ठीक है श्रीमन्, यह आवश्यक है और वह इनको अधिकार भी प्राप्त है ।

मैं मान्यवर, इस चीज को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब कोई कर्मचारी नौकरी प्राप्त करता है, तो वह एक नियम के अन्दर नौकरी प्राप्त करता है, उसकी सेवाओं की कुछ शर्तें होती हैं और वह एक नियम के अन्तर्गत वह अपनी सारी सेवायें करता है जो करके, तो जब उसकी एक सर्विस की नियमावली लागू है, तो आज ऐसा कौन सा कारण है कि अगर वह नियमावली की शर्त के साथ काम करता है, तो उसे किसी दुर्भावना या दण्ड स्वरूप अपने-अपने लोगों को जमाने के लिए, स्थानान्तरित करते हैं? तो क्या श्रीमन्, उसको आज न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है? आप उसको परेशान करने की दृष्टि से ट्रांसफर कर दिए । मुझे मान्यवर, यह भी बात कहना है कि बहुत से ऐसे पत्र हम लोगों के आज मंत्रियों के पास उपलब्ध हैं और माननीय मंत्री के उत्तर भी हैं, हम लोगों के पास, जिनमें यह लिखा है कि मैं इसको दिखवा रहा हूं। किसी-किसी पत्र के उत्तर में मान्यवर, यह लिखा है कि कार्यवाही करूंगा । लेकिन श्रीमन्, आज तक उन पर आज तक कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, जब आपके दरवाजे पर उसको न्याय नहीं प्राप्त होता है, तो वह न्याय पाने के लिए कहां जाय ? उसको तब किसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा ? इसी उद्देश्य से ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी । मान्यवर, बहुत से ऐसे केसेज हैं जो आज ट्रिब्यूनल के अन्दर पड़े हुए हैं या बहुत से न्यायालय के अन्दर पड़े हुए हैं और आज इस अध्यादेश के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसमें आप एक रोक लगाना चाहते हैं । श्रीमन्, स्पष्ट है कि

[2 बजकर 20 मिनट]

यह लोकतंत्र में सरकार जनता के मतों को प्राप्त करके बैठी है । मान्यवर, मत देने वालों में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं । उस समय आपने उद्देश्य नहीं बताया था । आप अध्यादेश के रूप में विधेयक लाए हैं । मान्यवर, आप विधेयक लाकर इस सदन में पास करवाते तो, मैं कहता कि लोकतंत्र के अनुरूप काम किया है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री को मालूम था कि 15 जनवरी से विधान सभा का सत्र होगा । अक्टूबर के मध्य माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि विधान सभा का सत्र जनवरी में होगा । मान्यवर, यह विधेयक विधान परिषद् से वापस कर दिया गया है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जनतंत्र पर हमला हो, उन कर्मचारियों पर हमला हो जो नियमावली है जो शर्त है जिनके अनुसार वह कर्मचारी बनता है, अगर आप उसको न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा बन्द कर देंगे, तो यह समझा जायेगा कि यह सरकार धीरे-धीरे तानाशाह के रूप में आना चाहती है ।

मान्यवर, यह गम्भीर बात है इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए । इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय । ताकि उसमें गम्भीरता से उस पर विचार हो सके । उसके बाद आवश्यक हो तो नियम बनाये जायें कुछ उप-नियम बनाये जायें और गारन्टी दी जाय कि कर्मचारियों का स्थानान्तरण होगा, तो जो प्रार्थना-पत्र वह देगा उसको सुनने के लिए मौका दिया जायेगा । चाहे विधान सभा की समिति हो या मंत्रि-मंडल द्वारा कोई समिति बनायी जाय या सचिवालय की कोई समिति हो । इसमें इस बात का विचार किया जाय कि स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ है या कांग्रेस (आई) के विधायकों को मनमानी करने के लिए किया गया है या दण्डित करने के लिए किया गया है । इस बात का विचार करके कोई निर्णय लिया जाय ।

मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इन सब बातों को सुनकर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। माननीय रिजवी साहब ने तो हमारी आत्मा की बात कह दी लेकिन मुझे कहने की आवश्यकता न रहती यदि रिजवी साहब ने यह न कहा होता कि स्थानान्तरण कभी सजा के रूप में नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण का हथियार सजा के रूप में जितना आपके समय में प्रयोग किया गया इतना कभी नहीं किया गया।

एक सदस्य–

पिछले तीन साल में।

श्री हुकम सिंह–

पिछले 30 साल में। त्रिपाठी जी बैठे हुये हैं मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप अपनी पत्रावली उठाकर देख लें हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में एक कोतवाल हैं कितनी बार उनका स्थानान्तरण हुआ कभी त्रिपाठी जी ने किया, कभी बख्शी जी ने किया, कभी दोनों ने मिलकर किया और दोनों ने मिलकर रोक दिया, और कभी अलग–2 रोक दिया। दूसरे मान्यवर, हमारे यहां पुलिस अधीक्षक हैं। 3 महीने में कोई नया कीर्तिमान स्थापित न कर दिया हो ट्रान्सफर करने का और रोकने का। रिजवी साहब ने कह दिया कि अपनी आत्मा को देखें। आप किसी भी जनपद की रिपोर्ट उठाकर देख लें कि स्थानान्तरण की सजा के रूप में कितना किया गया है। आपने घोषणा की थी कि फला तारीख से फला तारीख तक सिवाय प्रशासनिक दृष्टिकोण के ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे। क्या सरकार ने शासनादेश को नहीं तोड़ा है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा दिया कि मोहन सिंह ने किसी का ट्रान्सफर करने के लिये कहा था मुझे तो कोई अधिकार नहीं रह गया है सुझाव देने का, लेकिन आप 320, 321 की फौज लेकर जो उधर बैठे हैं क्या पटवारी से लेकर कलेक्टर तक व ट्रान्सफर करने की सिफारिश नहीं की है और रोकने की सिफारिश नहीं की है ? चुनाव जीतने के लिये कितने ट्रान्सफर किये गये जब उपचुनाव हो रहे थे मेरा साफ आरोप है जितना प्रयोग आपने स्थानान्तरण का किया है शायद पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है, 5 उपचुनाव को जीतने के लिये । अभी मैं गढ़वाल का नाम लूंगा तो आप फिर हंसने लगेंगे । उस गढ़वाल में स्थानान्तरण करने का प्रयोग 100 में नहीं हजारों में पहुंचा । माननीय मंत्री जी अगर खुद अपने मन से पूछें तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गौरी भैय्या, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो मूल प्रश्न स्थानान्तरण के संबंध में उठाया है। मैं कहना चाहूंगा कि 10 लाख कर्मचारी व अधिकारी हैं सब का एक मापदण्ड से हुआ यह कोई सरकार कभी नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं यह संभव भी नहीं है। लेकिन जहां तक इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का सवाल है और ट्रिब्यूनल को अधिकार देने का प्रश्न है वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ट्रान्सफर के संबंध में जो अधिकार ट्रिब्यूनल को है, दिये जाते हैं तो जो सूरत आज है कि कोई काम उनके पास नहीं रह गया है, ट्रान्सफर और स्थानान्तरण के शिकायत के निस्तारण के अलावा । कोई अधिकारी किसी बात पर सहमत नहीं हुआ वह सीधा ट्रिब्यूनल में चला गया। इस बात पर रोक लगाने के लिए और सही दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये और सर्विस रूल्स जो हैं, जो एक नियमावली है उसमें जो अधिकार है वह उसके अनुसार काम करें। उसमें ट्रिब्यूनल की हस्तक्षेप प्रशासनिक दृष्टि से और जनहित में उचित नहीं है।

श्रीमन्, और जो बातें रेट के ऊपर कही गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक सोसल इविल है। हम सबको मिलकर इसको दूर करना होगा। इसमें प्रवर समिति को देने से, मैं समझता हूं आपका मन्तव्य पूरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, हुकम सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया कि बराबर ट्रान्सफर होते रहते हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कभी कोई स्थानान्तरण इसलिये होता है कि कोई वैकेन्सी हो गई, कभी किसी की पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि शासन को विवश होकर इन्हें हटाना पड़ता है। यह तमाम आवश्यकतायें हैं, यह तमाम चीजें हैं। हर शासन के समक्ष यह बातें आयेंगी और ऐसा करना पड़ता है। जहां तक नीयत की बात है मैं माननीय सदस्यों को जो उधर बैठे हैं और जिनकी संख्या केवल 10 है, को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नीयत बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मान्यवर, इसमें 420 की सूचना उन्हीं लोगों को हो सकती है जो उन मामलों में ज्यादा रहते हैं, हम लोगों को उसकी सूचना नहीं है। इनको हमेशा हमारी नीयत पर सुबहा रहेगी और जो हम कहते हैं वह इनके दिल में नहीं उतरेगी। इस पर मैं एक शेर श्री हुकम सिंह जी को सुनाना चाहता हूं :—

आंख में आंख मिलाना मुश्किल है
तो दिल में दिल कैसे मिलाया जा सकता है।

श्री विद्या सागर गौटियाल—

तस्वीर रुखे यार है तन्जीरे रुखे यार,
कुछ और मेरे दीदए डेरा में नहीं है।

श्री अनवार खां—

मैं भी एक शेर इस सिलसिले में सुनाना चाहता हूं :—

कभी फलक ने न की बिजलियां गिराने में
दकी को छोड़ा न सैयाद ने मिटाने में,
हजार कोशिशें कदे खिलाफ ने कर ली,
बड़े रियाज के तिनके थे आशियाने में ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस आर्डिनेन्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं इसलिये अब दोहराना नहीं चाहता हूं। यह 22 अक्टूबर को पारित हुआ था जिसमें माननीय सदस्य का कहना कि मुख्य मंत्री के संज्ञान में था कि विधान सभा बुलाई जायेगी, तो हम सब के संज्ञान में यह रहता है कि विधान सभा का सत्र होगा, साल में दो या तीन बार। यह जनता के और मान्यवर, आपके भी संज्ञान में रहता है कि विधान सभा बुलाई जायेगी। इसलिये यह कहना कि विधान सभा बुलाई जायेगी तो उससे आर्डिनेन्स का कार्य तो हो नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ यह चीज सदन के समक्ष रखी गयी, पारित हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद यहां से भेजा गया। तो हर चीज पर पूरी तरह से विवाद हुआ है और समझा एवं सोचा गया है। इसमें एक कमेटी वरिष्ठ सचिवों की बनायी गयी और मंत्रियों की कमेटी नहीं बनायी गयी ताकि पोलिटिकल बात न हो जाय। कमेटी इस मसले पर विचार विमर्श करे कि इसको ट्रिब्यूनल से निकाला जाय कि नहीं। अधिकारियों के हाथ में यह अधिकार दिया गया है, मंत्रियों को नहीं। इसलिये अधिकारी ही इस बात का निर्णय दें कि ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार रहना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने यह निर्णय लिया और उसके बाद यह बात आपके सामने आयी है। मान्यवर, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जो सरकार का रवैया रहा है वह सभी जानते हैं और जिसके कारण पिछले 2 सालों में कोई स्ट्राइक कर्मचारियों की नहीं हुई जिसके लिये कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिये प्रवर

[श्री अम्मार रिजवी]

समिति में जाना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार उचित नहीं है। गौरी शंकर भैय्या जो समझदार हैं और पहली बार उन्होंने यह बात कही है। इसलिये मानने वाली बात होती तो मैं मान लेता। इसलिये हमारी नीयत साफ है अतः वह इसको वापस ले लें और पारित होने दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 का जायेगा।

(2) यह 16 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में—

(एक) वर्तमान परन्तुक में, शब्द "परन्तु" और शब्द "अधिकरण" के बीच में शब्द "यह और कि" बढ़ा दिये जायेंगे ; और

(दो) यथा संशोधित परन्तुक के पहले निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए, कोई निर्देश किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में नहीं किया जायगा।"

विचाराधीन कार्य वाहियों का निस्तारण

3—इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर अधिकरण के समक्ष विचाराधीन किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले दावा के बारे में कोई निर्देश उपशमित हो जायेगा और ऐसे निर्देश में अधिकरण द्वारा पारित समस्त स्थगन आदेश या अन्य अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी हो जायेंगे, इस प्रकार मानों इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध सदा प्रवृत्त रहे हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं014 सन् 1981

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 9 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इस सरकार के लिए शासनादेश एवं अध्यादेश में आज कोई अन्तर नहीं रह गया है। जब चाहा और जैसा चाहा मन्त्री जी बैठ गये और अपने अधिकारियों के कहने पर अध्यादेश, शासनादेश जारी कर दिये, जैसे वह किसी अपने मित्र को पत्र लिख रहे हों, इससे ज्यादा अहमियत इनके पास इन चीजों की नहीं है। माननीय गोयल साहब यहां बैठे हैं, शायद वही यह विधेयक यहां प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब किसी भी तरह से इसके जारी किए बगैर काम नहीं चल पा रहा हो, इन मायनों में, इन स्थितियों में यह अधिकार माननीय राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को है कि वह कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 213 के अधीन जारी कर दें, लेकिन यहां पर स्थिति कुछ और ही है। इस अनुच्छेद 213 की अहमियत को और इसकी भावनाओं को न देखते हुए जब चाहा अध्यादेश जारी कर दिया। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं अपने वरिष्ठ साथी से कि आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गयी थीं, जिसकी वजह से आपको अनुच्छेद 213 का सहारा लेना पड़ा? कभी तो आप सोचें बैठकर क्यों विशेष परिस्थितियों का या विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना

[श्री हुकुम सिंह]
आपके लिये आवश्यक हो गया था? नगरमहापालिका बनाना चाहते होंगे, उसके लिये अतिरिक्त शक्तियां चाहते होंगे, वह 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपको मिल सकती थीं। जब पहले विधान मण्डल बैठ चुका था तो विधेयक लाने में क्या दिक्कत हो गयी थी ?

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से जो स्थिति नगरमहापालिकाओं की इस प्रदेश के अन्दर हो रही है, वह बताना चाहता हूं, वह स्थिति किसी से छिपी नहीं है। नगरमहापालिकाओं को "नगर महापालिका" कहना इस शब्द का अपमान करना है, मैं अगर इसे "नगर पापिका" कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। हमारे वरिष्ठ सदस्य जो उधर बैठे हैं देखें कि जब से आपने प्रशासक बिठाये हैं, जिनमें सारी शक्ति निहित कर दी है क्या हालत व्यवस्था की उन्होंने की है, क्या हालत उन्होंने अर्थ व्यवस्था की कर दी, क्या हालत उन्होंने सड़कों की कर दी और पीने के पानी की योजनाओं की क्या हालत कर दी। अध्यादेश आपने निकाल दिया और नगर महापालिकाएं बनाने जा रहे हैं। नगर-महापालिकायें स्थापित करने से आपका काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं ऐसी जरूरत आपने समझी कि चुनाव कराकर वहां पर जनता का प्रतिनिधि बिठायें? यह कहना ठीक नहीं है कि किस सरकार ने इनको बनाया था।

आपको भी बैठे डेढ़ वर्ष हो रहा है। डेढ़ साल में खुद गोयल साहब कोई संख्या बतायें कि कितनी बार सरकार ने आश्वासन दिया कि चुनाव कराने जा रहे हैं, आपका विश्वास सारी जनता खो चुकी है। अब अगर मन्त्री जी बयान दें कि चुनाव होने जा रहा है और फलां तारीख में होने वाला है, तो भी कोई नागरिक इस बात पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं होगा। "क्रेडिबिलिटी गैप" जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच आपने पैदा किया है। मैं हूं या आप हों दोनों ही उस श्रेणी में खड़े होते हैं, हम कोई बात कहते हैं बिना सोचे-समझे और बिना विचारे और बाद में उसको निभा नहीं पाते हैं। मैं अपने इस संकल्प के माध्यम से गोयल साहब से आग्रह करता हूं कि आपने अपना राजनीतिक जीवन इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से शुरू किया था।

आज आपके प्रशासक बैठे हुए हैं या तो उनके पास समय नहीं है या सारे आमदनी के स्रोत को हम हजम कर रहे हैं। कोई नगरपालिका प्रदेश के अन्दर ऐसी नहीं बची, जिसके अन्दर 50 प्रतिशत रुपया न खाया जाता हो, मैं नहीं कहता कि आपका हिस्सा उसमें आता है या नहीं। आपके होते हुए यह जो कुछ हो रहा है, इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। जो बातें मैंने संविधान की उठायीं और जो बातें नगर महा-पालिकाओं के बारे में कही हैं, इस विश्वास के साथ बैठता हूं कि माननीय मन्त्री जी उनकी पूर्ति का कोई आश्वासन सदन को दें, जिसको निभा पायें, अखबार वाला आश्वासन नहीं चाहिए।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मान्यवर, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है माननीय हुकम सिंह जी ने, मेरी समझ में नहीं आया, मैं समझता था वे इसका स्वागत करेंगे। हमने 3 नगरपालिकायें बनायीं-बरेली, गोरखपुर और मेरठ में। इससे सब लोग सहमत हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी नगरमहापालिकाओं और टाउन एरियाज में चुनाव करा दिये जायं। लेकिन जहां तक महापालिकाओं को बनाने का सवाल है उसका इससे संबंध नहीं है। इसके अननुमोदन करने की बात है, यदि इसे नहीं करेंगे तो बड़ी ज्यादती करेंगे। मेरठ, गोरखपुर और बरेली की जनता के साथ वहां की जनता पर जरा रहम खाइये। मेरा निवेदन है कि माननीय हुकुम सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। इसमें मैंने बरेली, मेरठ और गोरखपुर तीन जगहों की नगरपालिकाओं को नगर महापालिका बनाने की मांग की है जिससे कि वहां की जनता को काफी सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। इसलिये मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आपने अभी कहा कि हम तीन नगर महापालिका बनाने जा रहे हैं इसका आपको स्वागत करना चाहिये, खुश होना चाहिये। प्रश्न यह है कि आप तमाम नगरों में महापालिका बना दीजिये उससे क्या कुछ अन्तर आने वाला है? कोई अन्तर नहीं आने वाला है। आप कृपा करके यह बतला दें कि किस किस्म की अनियमिततायें नगर महापालिकाओं में हो रही हैं, किस प्रकार से आपका काम ठप्प पड़ा हुआ है, कितना भ्रष्टाचार इन नगर महापालिकाओं में पनप रहा है, आप कृपया यह बता दें। केवल नगर महापालिका का बोर्ड लगा देने से ही यह नगरपालिका नगर महापालिका नहीं हो जाती है। बोर्ड लटकाना है तो आप लटका लीजिये तीन नहीं बल्कि सारे नगरों में। परन्तु काम का जहां तक संबंध है जनता को आपकी नगर महापालिकाओं से कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। आप जनता को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं।

मान्यवर, और कहीं न जाकर आप लखनऊ को ही देख लें जो कि राजधानी है। यहां की सड़कों के क्या हाल हैं, जरा आप यहां की सड़कों का निरीक्षण कर लें। जब राजधानी की यह हालत है तो और जगहों का कहना ही क्या है? कभी आपको ध्यान आया कि यहां कुछ करना चाहिये। मैंने तो आपसे आग्रह किया था कि केवल नारा न लगायें बल्कि कुछ काम करें, नारा लगाने से जनता संतुष्ट नहीं होगी। आप मेरठ, गोरखपुर और बरेली को नगर महापालिका बना दें बल्कि और 6-7 जगहों को और नगर महापालिका बना दें, परन्तु नगर महापालिकाओं के कार्य को दृष्टि में रख कर आप विचार करें कि आप उनके सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। यह तीन नगर महापालिका बना कर आप प्रशासन को 2 या 3 अधिकारियों की जगह 10 और 15 अधिकारी प्रदान कर देंगे और फिर हमारी जनता की आमदनी के जो स्रोत हैं उनको वे लूटेंगे। कभी सोचा है इस पर कि इसका क्या होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, श्री हुकुम सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने के लिये किया है मैं इसका विरोध करता हूं। इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कई चीजें हैं। मैंने तो केवल तीन नगरों में नगर महापालिका बनाने का प्रस्ताव किया है। माननीय हुकुम सिंह जी बड़े विद्वान आदमी हैं, वह जरूर मेरी बात पर गौर करेंगे कि नगर महापालिकाओं के बनने से क्षेत्र बढ़ता है जिससे कि बड़े-बड़े शहर की गोथ होती है।

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]–

नगर महापालिका बनने से बड़े-बड़े शहरों की ग्रोथ भी हो सकती है और सड़कों आदि के प्रश्न पर शासन जागरुक है। सड़क की व्यवस्था, पीने के पानी का प्रबन्ध अच्छे से अच्छा हो सके। हमारे तीन नगर काफी बड़े हो गये हैं इसलिए यह प्रस्ताव किया गया कि उन्हें नगर महापालिका बनाया जाय। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव वापस ले लें। इसमें प्रवर समिति का कोई काम है ही नहीं।

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा, यह ठीक है। यदि आपने तीन नई नगर महापालिकाओं को बनाने की स्वीकृति दे दी तो यह जो पुरानी नगर महापालिकायें हैं जिनमें कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और आगे तीन नगर महापालिका बनाने जा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। अच्छे ढंग से कैसे काम होगा, प्रशासन में कैसे सुधार लायें, इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई प्रश्न नहीं है। माननीय हुकम सिंह जी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, हम नगर महापालिकाओं में बहुत सुधार कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सड़कों की व्यवस्था की जा रही है और भी अन्य सुविधायें नगरों में उपलब्ध कराने की और ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की चेष्टा की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हुकम सिंह जी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री हुकम सिंह–

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 24 अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

धारा 580 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 580 में, उपधारा (1) में, शब्द "जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से" और शब्द "पांच वर्ष" के बीच शब्द "या इस अधिनियम के अधीन महापालिका के संगठित होने के दिनांक से जो भी बाद में हो," बढ़ा दिए जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं017 सन् 1981

4—(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982†

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि 15 जनवरी से माननीय राज्यपाल ने सदन के दोनों सदनों को सत्र के लिए आहूत किया–15 जनवरी से माननीय राज्यपाल ने इस सदन को आहूत किया और 4 जनवरी को अध्यादेश होता है । 11 दिन की भी प्रतीक्षा यह सरकार नहीं कर सकी जब कि विधान मण्डल आहूत कर लिया गया और इस 11 दिन में किसी नगरपालिका या किसी भी स्वायत्तशासी संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है । यदि हम इन इन्स्टीट्यूशन्स में जिनके लिये हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, बनाया, अपनी आस्था समाप्त करते जायेंगे क्योंकि मूल रूप से शासक यही चाहता है कि विधान सभा की अहमियत कम हो और इसके लिये हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार मंत्रियों की यह बैठी हुई संख्या भी इस्तेमाल की जाती है । तो जब सदन आहूत कर लिया गया था तो इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी ?

इस अध्यादेश द्वारा मान्यवर, 2 एक्ट के अन्दर संशोधन किए गए हैं । नगर पालिका अधिनियम, 1959 और 1916 में संशोधन किया गया है। आपको स्मरण होगा कि नगरपालिका अधिनियम 1916 में 76 में संशोधन किया गया था कि जितने भी हमारे अध्यक्ष होंगे नगरपालिकाओं के उनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जायेंगे । उस समय भी आप की सरकार थी और आप की सरकार ने ही पहले अध्यादेश द्वारा फिर अधिनियम बना करके एक प्रक्रिया बनायी थी और सोच समझ कर निर्णय लिया था कि चेयरमैन, नगर पालिकाओं के प्रत्यक्ष रूप से चुने जायें । आपने कहा कि जो एक लाख के ऊपर की नगरपालिकायें हैं और जो काम की हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की प्रक्रिया की बात की है और नगरपालिकाओं में अविश्वास का प्रस्ताव आता था उसके विरुद्ध उसके बारे में भी दो-तिहाई मेजारिटी की साधारण मेजारिटी से अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का संशोधन लाये हैं ।

संशोधन तो आप ले आये, आपने अपनी अकल के अनुसार, विवेक के अनुसार तरमीम कर के कानून बना दिया, कहीं नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से करायेंगे लेकिन इसमें क्या कठिनाई रही, कोई कारण आप बता सकते हैं ? इस प्रदेश की जनता को विश्वास में लेने के लिए किन परिस्थितियों में आज तक आप प्रदेश में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करा पाये ? जो संशोधन विधेयक आपने प्रस्तुत किया है, जिसे आप पारित कराने जा रहे हैं, क्या आप इस स्थिति में हैं कि दो माह, चार माह या फलां समय के अन्दर चुनाव करायेंगे ? क्या आपको विश्वास नहीं है कि आप जीत कर आयेंगे ? आप जीत कर आयें या न आयें, इसकी चिन्ता आपको नहीं होनी चाहिए । जनप्रतिनिधि के रूप में कितना ही निकृष्ट आदमी आ जाये कम से कम उसके ऊपर वहां की जनता का अंकुश जरूर रहेगा लेकिन जो आप के प्रशासक, जो आपने बैठा दिये हैं, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश है, कोई देखने वाला है ? रिजवी साहब ने कहा था कि स्थानान्तरण करने से कोई काम नहीं चलता । जो नियमावली बन गयी है, जो गवर्नमेन्ट सर्विस कण्डक्ट रूल्स बन गये हैं उसके अन्तर्गत कितनी दिक्कतें आपके सामने आती

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

हैं कि अगर आप किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं और उसके लिए आपको दिन-रात एक करना पड़ता है। जो व्यवस्था इस देश और प्रदेश में की गयी थी, आप उन सब मूल्यों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जब जनगणना हो जाती है और जनगणना का प्रकाशन हो जाता है, अभी जनगणना का प्रकाशन हुआ नहीं। जब जनगणना का प्रकाशन हो जायेगा उसके बाद जितनी चुनाव की जगहों पर डिमार्टिलेशन होगा उसके हिसाब से यह किया जायेगा। यह चुनाव स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इस दौरान जब तक कि प्रकाशन न हो, क्षेत्र का डिमार्टिलेशन न हो तब तक कौन उसका प्रशासन चलायेगा, इसलिए यह बढ़ाने की बात थी।

श्री हुकम सिंह–

जनगणना से पहले चुनाव कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। यह तो जनगणना का बहाना है। संविधान में संशोधन के बाद जितने भी विधान सभा के क्षेत्र हैं या संसद के क्षेत्र हैं उनमें 2000 तक की बात कही गयी है।

श्री लोकपति–

वह संख्या घटाने बढ़ाने की बात है।

श्री हुकम सिंह–

हमारी संसद ने 2000 तक स्वीकार किया है। मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह तो एक अलग की बात होगी लेकिन जनगणना का बहाना तो मान्यवर अब मिला है। इससे पहले तो गोयल साहब जहां भी जाते थे यही अनुरोध किया था कि फलां तारीख तक तमाम नगरपालिकाओं के चुनाव करा दिए जायेंगे।

श्री लोकपति–

उसमें भी जनगणना आयोग ने यह कहा था कि जब तक इसका कार्य समाप्त न हो जाय तब तक कोई चुनाव न कराये जायं।

श्री हुकम सिंह–

चुनाव तो नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों का मनोनयन जरूर हो रहा है। जब भी ऐसा होता है वहां से दौड़-धप तुरन्त शुरू हो जाती है। कभी क्षेत्र समिति का बहाना लेकर और कभी नगरपालिकाओं का बहाना लेकर यह दौड शुरू हो जाती है और इसमें आपने काफी संख्या पढ़े-लिखे और बेकार लोगों की कर दी है जो हर वक्त आपके पास मौजूद रहे और आते रहे। गोयल साहब को भी कुछ अपने पास भीड़ इकट्ठा करने का शौक है इसलिये वह चाहते हैं कि हर समय उनके पास कुछ लोग आते रहें और इसी बहाने 50-100 और 200 आदमी तो आते ही हैं और तब आप कहते हैं कि अगले महीने देखेंगे, दो महीने बाद देखेंगे, चार महीने बाद देखेंगे। मैं चाहता हूं कि उस प्रक्रिया के बारे में आज आप सदन में आश्वस्त कर दें, कोई एक स्पष्ट नीति सरकार की बना दें कि इस मनोनयन की कोई वास्तविकता है। जैसे कि गोयल साहब ने नगरपालिकाओं के काम की जिम्मेदारी एस0 डी0 एम0 को दी है और उस एस0 डी0 एम0 के पास उस नगरपालिका के अलावा और कितने काम हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[3 बजे अपरान्ह]

[श्री हुकम सिंह–]

आज एस0डी0एम0 और एस0डी0ओ0 का काम केवल यह है कि ऊपर का काम तो वे ले लेंगे और जितनी जिम्मेदारी के काम हैं उन सबको प्रशासक के ऊपर डाल कर बैठ जायेंगे। अगर आप चुनाव साल डेढ़ साल में कराना चाहते हैं तो नगरपालिकाओं में काम करने के लिए एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बैठा दें जो काम को सही ढंग से करा सके। एस0 डी0 ओ0 उस काम को नहीं कर सकता है। जो स्टेच्यूटरी पावर है वह उसमें निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की शक्ति एस0 डी0 एम0 में निहित है। उस शक्ति का वह पूरा दुरुपयोग भी करता है। सभी इस बात को जानते हैं कि जितने निर्माण कार्य होते हैं वहां एस0 डी0 एस0 को, एस0 डी0 ओ0 को बहुत बड़ा प्रतिशत मिलता रहा है। आज प्रदेश में जितनी भी नगर पालिकायें हैं वहां के प्रशासकों में इतना भ्रष्टाचार है उसको बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस उम्मीद के साथ बैठता हूं कि इन सारी बातों पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)–

श्री हुकम सिंह जी ने अनुमोदन का प्रस्ताव रखा है।

श्री अधिष्ठाता–

इससे क्या ? दोनों पर एक साथ विचार हो जायेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात आपके सामने रखी, मैं उनको बतला दूं कि यह केवल कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित विधेयक है। जो अध्यादेश है उसी को इस विधेयक के रूप में हमने यहां प्रस्तुत किया है। चुनाव तो हम दिसम्बर, 81 तक कराना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव नहीं हो पाये। हम चाहते हैं कि इसका समय दिसम्बर, 1982 तक कर दिया जाय। इसका यह अर्थ न लगाया जाय कि दिसम्बर, 82 तक हम स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि उसके पहले ही जल्द से जल्द चुनाव हो जायं। एस0 डी0 एम0 पर ज्यादा भार न पड़े इसीलिये हमने एक प्रभारी अधिकारी का प्राविधान कर दिया है। लेकिन छोटी नगर-पालिकायें उस के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी इसलिये वहां ऐसा नहीं किया गया है। मैं श्री हुकुम सिंह की इस राय से सहमत हूं कि जो स्थानीय निकायों में चुने हुए प्रतिनिधि आयेंगे वे अपना ज्यादा समय दे सकेंगे, वहां की समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे और इसलिए मौजूद शासन इस बात की कोशिश में है कि महापालिकाओं, टाउन एरियाज आदि के चुनाव जल्द से जल्द करा दिये जायं। इसी ख्याल से हमने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है कि 31 दिसम्बर, 82 तक इसका कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अग्निहोत्री जी, अब आप अपना संशोधन रख दें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास मंत्री महोदय ने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि हम चाहते तो हैं कि यह जनता की धरोहर है और जनता के प्रतिनिधि उस को अच्छी तरह से चला सकते हैं लेकिन कुछ कारणों से या कुछ ऐसी कोई शक्ति या शासन में आज इस मंत्रिमण्डल के ऊपर भी कोई है उस के दबाववश . . .

श्री लोकपति–

इस के ऊपर भगवान हैं . . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

इन्दिरा जी हैं, जो आप के सिर पर बैठ कर आप से बोलवा रही हैं। किसी ऐसी शक्ति के बल पर अनेक घोषणायें करने के बाद भी नगरपालिकाओं के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव, आप टालते जा रहे हैं और जनता में एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई है कि यह सरकार जो इस देश की स्वायत्त व्यवस्था है उस पर कहीं आक्रमण तो नहीं करेगी क्योंकि जिला परिषद् क्षेत्रीय समितियों के चुनाव न करा कर अपने पार्टियों के लोगों को उन में मनोनीत कर रही है। क्या ऐसा कोई आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे कि ऐसा कोई कारण नहीं है ?

नगरपालिकाओं के चुनाव हर महीने घोषणा करने के बाद भी इस अध्यादेश के आधार पर पुनः टालने की जो कोशिश में आप इस विधेयक को ला कर रहे हैं इस के पीछे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के समान नगर-पालिकाओं में भी ऐसे 20-25 कांग्रेसी या जो इस प्रकार के तत्व हैं, जो चुनाव जीत कर नहीं आये हैं उन को बैठा कर चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मनोनीत करने की भावना से तो यह विधेयक सदन में नहीं लाया गया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे साथी हुकुम सिंह जी ने कहा है कि जो नगर पालिकायें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन ने जो भी अनुदान नगरपालिकाओं को दिया है अगर उसको ध्यान से देखा जाय तो केवल सुनने और पढ़ने में आता है। वह अनुदान क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारी वहां मूक बैठा रहता है। जो नगर विकास है, जिसे हम ने और कभी आप ने किया था, वह इन दो वर्षों में समाप्त सा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने बहुमत के बल पर यह विधेयक पास कर के एक अपनी सुरक्षा तो आप कर ही ले रहे हैं लेकिन इस बात को याद रखें कि यह जो धन आप नगरपालिकाओं को देते हैं उसे आप इस मंहगाई के समय में उस गरीब से टैक्स के रूप में वसूल करते हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में नगर पालिका ने जो टैक्स लगाये हैं। चाहे वह चुंगी के हों, मकानों के हों या और भी जो आमदनी के स्रोत हैं उनसे हों वह पिछले सभी करों से दस गुने और बीस गुने हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश के इतिहास में साइकिल पर 6 रुपये का टैक्स कहीं पर भी नहीं लगा था लेकिन झांसी की चिरगांव नगरपालिका जो है, जो कि एक पिछड़े क्षेत्र की नगर-पालिका है, उसका किसी प्रकार का आमदनी का स्रोत नहीं है, देश का मजदूर वर्ग वहां मजदूरी करने के लिये आता है, वहां पर साइकिलों पर 6 रुपया टैक्स लगाया गया है। इसी तरह से जो छोटे-छोटे सब्जी वाले हैं जो कि वहां पर गलियों में सब्जी बेचने आते हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। उन पर नगरपालिका अब तक 50 पैसा लेती थी, उसे अब डेढ़ रुपया कर दिया गया है। यह क्यों किया जा रहा है? अगर

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

वहां कोई जनता का प्रतिनिधि बैठता तो वह महसूस करता कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन से मुद्दे आवश्यक हैं। हमारी जनता की आमदनी क्या है, उसके अनुसार नगरपालिका की आय के क्या स्रोत होने चाहिए। लेकिन उन सब चीजों को ठुकरा करके इन नगरपालिकाओं का संचालन हो रहा है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। नगरपालिका के अधीन स्वास्थ्य व्यवस्था भी सम्मिलित है, सफाई भी उसके अन्तर्गत आती है, मलेरिया की रोकथाम भी आती है, जीव जन्तुओं की जिम्मेदारी आती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कि यदि किसी नगरपालिका में कोई जनप्रतिनिधि होता तो इन कीटाणुओं को मारने के लिये जो औषधियां हैं, उनको वह उपलब्ध कराता। माननीय मंत्री जी आप नोट कर लें आप चुनाव नहीं करायेंगे, मनोनयन से भले ही करा दें। आपके जो कर्मचारी वहां पर हैं वे इसलिये काम नहीं कर पा रहे हैं कि पिछले दो साल से एक भी औषधि वहां नहीं खरीदी गई है और न शासन के माध्यम से भेजी गई है। इसका कारण यह है कि झांसी जो कि एक ऐतिहासिक नगर है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उस ऐतिहासिक नगर को ध्यान में रखकर उन्होंने उसकी काफी सहायता की है। उसके बावजूद भी जो वहां पर कर्मचारी हैं उनका मैंने एक नमूना पेश किया है और आप चुनाव के लिये एक वर्ष का समय और बढ़ा रहे हैं।

आप ध्यान रखिये कि जब भी चुनाव होंगे, वैसे तो चुनाव कराने की आपकी हिम्मत नहीं है, मनोनीत आप भले ही कर लें, जनप्रतिनिधि जब भी वहां पर आयेंगे तो आप यह निश्चित मानिये कि उनको उस नगरपालिका में न तो कोई कागज मिलेगा, न कोई कुर्सी मिलेगी केवल कर्मचारी मिलेगा। यदि 40 प्रतिशत भी आमदनी का आपको मिल जाय तो आप अपने को धन्य मानिये। मैं मांग करता हूं कि आप विधान मंडल की एक समिति इसके लिये बना दें जो कि यह जांच करे कि शासन के द्वारा और जनता के द्वारा जो धन एकत्रित हुआ है उसका नगर पालिका ने निर्माण कार्य में किस प्रकार उपयोग किया है। हमारे क्षेत्रीय मंत्री मौजूद हैं। वे झांसी जाते रहते हैं उनकी कार अवश्य नहीं कहीं पर पंचर होती होगी। बुन्देलखंड के क्षेत्रीय मंत्री भी पीछे बैठे हुये हैं वे बतायें कि यह नगरपालिका किस प्रकार चल रही है। वहां पर साढ़े चार हजार प्रकाश के खम्भे लगे हुए हैं। साढ़े तीन लाख की आबादी का नगर है। माननीय मंत्री जी हमारे पत्रों को पढ़ते-पढ़ते ऊब गये हैं। तीन सौ पोलों पर प्रकाश नहीं है। तब जितने भी बोर्ड थे भले ही कांग्रेस (आई) के बोर्ड थे कम से कम 2 हजार पोलों पर प्रतिदिन बल्ब तो लटके रहते थे और लोगों को रोशनी मिला करती थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

एक मिनट और लूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज बहुत अच्छा अवसर है कि आप इस विधेयक को वापस लें और सदन में घोषणा करें कि दो महीने के बाद हम नगर पालिकाओं का चुनाव करायेंगे। जहां तक शासन करने का प्रश्न है अगर हम जीत कर आयेंगे तो फिर आपको शक्ति है उन नगरपालिकाओं को भंग कर सकते हैं इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आज चुनाव कराने की घोषणा करिये।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री गौरी शंकर भैय्या का नाम पुकारे जाने पर) आप समय का ध्यान रखते हुए कम से कम समय लें।

श्री हुकम सिंह–

आज तो काम ही कुछ नहीं है 5 बजे तक समय निकालना कठिन हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

एक घंटे का समय निर्धारित है ।

श्री गौरीशंकर भैय्या–

मैं अपनी बात को सीमित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें माननीय सदस्य ने कह दी हैं, माननीय मंत्री जी इसके द्वारा जो प्रशासक आपने नियुक्त किये हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं । बड़े मासूम से दोनों मंत्री हैं और लगता है कोई विशेष बात नहीं होने जा रही है । जिस तरह से किसी मुर्दे के शरीर पर 20 खांचे डाल दो या 30 खांचे डाल दो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसी तरह से यह प्रस्ताव है। ऐसा आज ही नहीं हुआ है अपने भोलेपन से इस तरह के विधेयक बार-बार यहां लाये जा चुके हैं और बार-बार इस सदन की इजाजत भी पा चुके हैं। ठीक है 6 महीने बढ़ा दिया, फिर और 6 महीने बढ़ा दिया तो आज उसी श्रृंखला में एक साल और जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए सदन की इजाजत चाह रहे हैं । जहां तक विरोधी दलों की बात है हम लगों को सोचना है कि एक मिनट भी सभी. भ्रष्ट अधिकारी जो बना कर बैठा दिये हैं, नहीं रहने चाहिये।

अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं आप भी जानते हैं, आप कानपुर से आते हैं अधिष्ठाता महोदय, वहां पर दवाओं का कितना छिड़काव होता है ? छिड़काव के नाम पर पैसा कागजों में ले लिया जाता है, उसका पैसा म्यूनिसिपैलिटीज खर्च कर रही हैं एक भी पैसे की दवा या डी0 डी0 टी0 का छिड़काव नहीं हो रहा है । यहां तक कि जो कुत्ते मर जाते हैं उनको फेंकने का काम भी ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं करवा रहे हैं जिससे नगरपालिकायें बदबू कर रही हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं । अभी बार-बार माननीय सदस्य उधर से खड़े हो रहे थे रसड़ा के विधायक लेकिन अब नहीं उठ रहे हैं क्योंकि मंत्री जी आ गये हैं। इनके एरिया में एक टाउन एरिया है । सफाई मजदूरों को वहां कागज पर दिखा दिया जाता है लेकिन सफाई रसड़ा की जो होती है उसका भगवान ही मालिक है । इसका अंदाज तो आप उनको देखकर भी लगा सकते हैं कि कितनी सफाई रसड़ा की हो रही है । यही हालत बलिया की है और यही हालत बनारस की है जहां से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, यह नगर आपका है आपके पिता जी ने, जिनका हम आदर करते हैं, पूर्वांचल के विकास के लिए काफी काम किया रेलगाड़ियां चला दीं । लेकिन बनारस की हालत जो हिन्दुओं का एक ऐतिहासिक तीर्थ है वह बदबू कर रहा है चाहे घाट पर चले जाइये चाहे खाट पर चले जाइये वहां बदबू ही बदबू आयेगी । स्टेशन पर देखिये वहां भी बदबू है । सफाई मजदूरों के नाम पर कागज में रुपया दिखा दिया जाता है लेकिन मजदूर नहीं नियुक्त किये जाते हैं फर्जी अंगूठा लगवा कर पैसा अधिकारी लूट रहे हैं ।

तीसरी बात मैं सड़कों और पार्कों के निर्माण के संबंध में कहना चाहता हूं मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, खुद इनके घर में, गली में जो सड़क जाती है कितने दिनों से कितनी खराब पड़ी है । स्टेशन से जो सड़क आपके दरवाजे की तरफ जाती है वह कितनी खराब है । तो यह हालत है कि यह खुद दूसरे इलाके से होकर अपने घर को जाते हैं । उधर जायं तो डाक्टरों की पूरी टीम के बावजूद इनको हैजा हो जाएगा और गाड़ी में पंक्चर हो जाएगा । यही हालत हर म्यूनिसिपैल्टी के क्षेत्र में है । मंत्री जी कहते हैं कि इन प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाय । क्यों बढ़ा दिया जाय, यही मेरी समझ में नहीं आता है ? वह कहते हैं कि म्यूनिसिपैल्टी और टाउन एरिया में इस

[श्री गौरी शंकर भैय्या–]

बीच में कौन काम करेगा, शायद इसीलिए आप कार्यकाल इनका बढ़ाना चाहते हैं। चुनाव तो आप न कराने जा रहे हैं न करायेंगे। वह तो आप तब करायेंगे जब जैसे आजकल जिला परिषद् में मनोनीत कर रहे हैं, वैसे ही जब वहां बन जाएगा, तब आप करायेंगे।

बलिया में इस संबंध में जो कोआपरेटिव के प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, नामजद किये गये हैं, उनमें आधे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है या मुकदमें चल चुके हैं। ऐसे ही आप स्थानीय निकायों में करने जा रहे हैं। हमारे जनपद के जिन लोगों के नाम मंडलीय मंत्री के माध्यम से भेजे गये हैं, उन्होंने शरीफ लोगों के नाम दिए कि हमारे यहां से इन 10 के नाम कर दिये जाएं। आपने भी अधिष्ठाता जी 10 अच्छे पोलेटिकल लोगों के नाम दिये। हमारे भोला पान्डेय रो रहे हैं कि हमने जिन 10 लोगों के नाम दिये हैं उनको पूछा ही नहीं और मनोनयन में हमको पूछा ही नहीं था। और अपने-अपने चमचों को भर लिया है। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री के जिले में यह चीजें कम हो गई हों . . .

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मंत्री जी ने 96 हजार रुपया हमारे क्षेत्र में भेजा था, वहां के सफाई मजदूरों का वेतन बाकी था, जो आपकी सरकार के समय का बाकी था, उसके भुगतान के लिए भेजा गया है। वहां के विकास के लिए और भी रुपया भेजा गया है . . .

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप वर्मा–

श्रीमन्, इस समय कोरम का अभाव है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिए। घंटी बजाकर देख लीजिए।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री गौरीशंकर भैय्या–

तो अभी हमारे साथी, सत्ता पक्ष के विधायक माननीय हरदेव जी, जो हमारे मित्र हैं और जिनकी शब्दों की ग्रहण क्षमता हम अच्छी तरह से जानते हैं, वह जो कुछ कह रहे थे, उसके संबंध में मैंने यह निवेदन किया था कि जो आपने अनुदान दिया उसे मैं मानता हूं, लेकिन उसका खर्च किस तरह किया गया, यह मैं कह रहा था। मैंने यह कहा कि वहां पर अर्थात् बलिया, रसड़ा और बड़ा गांव में फर्जी सफाई मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाते हैं और फर्जी पेमेंट हो रहा है। मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया कि अनुदान नहीं दिया गया लेकिन जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहा था। माननीय निर्भय नारायण जी भी आ गये हैं। इनके टाउन एरिया में जहां पर ये पैदा हुए हैं, जहां तक ये वोटर हैं, उसकी हालत यह है कि नालियों की ईंटों को उजाड़ लिया है और सड़क पर चलना तक मुश्किल है। अगर कोई आंख बन्द करके चले तो निश्चय ही उसका पैर फिसल जायेगा। यह उस टाउन एरिया की दशा है जहां पर ये रोज जाते रहते हैं। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी स्वयं उसके बारे में बतायेंगे।

अब मैं नगर पालिकाओं द्वारा बनने वाले जो अस्पताल हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर इनके द्वारा एक पैसे की भी दवाई नहीं खरीदी जा रही है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

माननीय हरदेव जी की जो म्युनिसिपैलिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के 1243 अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक ; 1982

श्री गौरीशंकर भैय्या–

तो मैं बता रहा था कि इनके अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं । अब मैं जो दूकानदारों पर सिकन्दरपुर टाउन एरिया में टैक्स लगाया जा रहा है उसके बारे में निवेदन कर दूं कि जिनके ऊपर पहले 10 रुपया टैक्स का था वह अब बढ़ा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री हरदेव–

गौरी भैय्या जी वर्ष 1978-79 की बात कह रहे हैं । अब वहां पर विकास का कार्य कर दिया गया है। पूरे बलिया जिले की नोटिफाइड एरियाज में, माननीय मन्त्री जी ने, हमारे अनुरोध पर, वहां के नगरों के विकास के लिए रुपया दे दिया है और अब कोई काम नहीं रह गया है । सिकन्दरपुर और रसड़ा में भी दिया गया है ।

श्री गौरीशंकर भैय्या–

हमारे समय में भी प्रशासक थे और उस समय भी हम कहते थे कि इन प्रशासकों को हटाइये। आज आपकी सरकार के जमाने में भ्रष्ट प्रशासक काम कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए । इनका काल भी समाप्त होने वाला है और अगर आप इस विधेयक को वापस ले लें तो उनका टाइम अपने आप ही नहीं बढ़ेगा ।

तो मैं टैक्स के बारे में बता रहा था कि जिन दूकानदारों से पहले 10 रुपया टैक्स का लिया जाता था उसको बढ़ाकर आज 500-500 और 400-400 रुपया लिया जा रहा है । बलिया, सिकन्दरपुर और रसड़ा में भी यही बात हो रही है । यह बात दूसरी है कि हरदेव जी की दूकान पर टैक्स न लगा हो लेकिन जो दूसरे लोग दूकान करते हैं, उन पर 4-4 और 5-5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है । असंतुलित तौर पर टैक्स बढ़ा दिया गया है ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि अगर हम टैक्स न बढ़ायें तो हमारे बीच में टाइम गैप होगा, तो कौन सी मशीनरी इस काम को देखने के लिए होगी । मेरी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक जिले में जो मान्यता प्राप्त पोलिटिकल दल हैं उनके अध्यक्षों और एम0 एल0 एज0 की एक समिति जिलों में बना दी जाय जो प्रबन्ध और प्रशासन को देखने का काम करें। माननीय हरदेव जी रसड़ा के अकेले एम0 एल0 ए0 हैं, उनको चार्ज भी मिलेगा और बदन को सूंघने का भी मौका मिल सकेगा। इन सारी बातों पर विचार करने के लिये इसे सदन की प्रवर समिति में भेज देना चाहिये ।

(श्री रामस्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

श्रीमन्, मैं भी बलिया का हूं, इनके बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाता तो अच्छा रहता ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

मान्यवर, माननीय हरदेव जी भी एक सम्मानित विधायक हैं, आप उनका अपमान न करें, उनको बोलने का अवसर दे दें क्योंकि बलिया का जवाब बलिया वाला ही दे सकता है । (हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री वर्मा जी को बुला लिया है । आप कृपया बैठें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 के संबंध में इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के द्वारा सरकार का इरादा एक वर्ष का समय बढ़ाने का है। 'भारत का संविधान' उसके अनुच्छेद 40 में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि किस प्रकार से हर गांव में गांव पंचायतों की स्थापना होगी और मान्यवर, उसी के तहत यह स्वायत्त शासी संस्थायें बनायी जाती हैं। इनके बनाने का एक मात्र उद्देश्य यही होता है कि जन तंत्र नीचे से उभर कर आये, न कि ऊपर से। अगर नीचे के स्तर पर तानाशाही रहेगी, सरकार द्वारा नामजद आफिसर शासन को चलायेगा, तो देश में जनतंत्र नहीं पनपने पायेगा। इसीलिये संविधान के अन्तर्गत नगरमहापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया तथा गांव पंचायतें आदि बनाने की व्यवस्था है।

मुझे इस बात का हार्दिक दुख है कि यह कांग्रेस की सरकार जो जनतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लिए हुए है, जनतंत्र का गला घोटती चली जा रही है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से इनके चुनाव सरकार नहीं करा सकी है और उनको बराबर टालती आ रही है। (व्यवधान) अगर इन गांव पंचायतों का इन्तजाम इन तहसीलदार और थानेदारों से कराना सम्भव होता तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने गांव पंचायतों के गठन का प्राविधान संविधान में न किया होता। (व्यवधान) मान्यवर, यह अपनी पार्टी के ही आन्तरिक चुनाव 12 सालों से नहीं करा पाए हैं। इस साल एक बयान आया है कि चुनाव कराए जायेंगे। (व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि इनके आन्तरिक चुनाव नहीं होंगे क्योंकि इनकी आस्था जनतंत्र में है ही नहीं। जहां तक हमारा प्रश्न है मान्यवर, हमने तो जनतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान के अंतर्गत उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए एक प्रतिज्ञा की है। तो गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, अपना शासन करने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं और एक साल का समय बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, पहले तो इस विधेयक के पक्ष में ही मैं नहीं था कि इसका समय बढ़ाया जाय, इसके बारे में मैं बाद में तर्क दूंगा। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें। इससे आपकी छवि धूमिल होती है। सारी म्युनिसिपैलिटी के लोग यह जानते हैं कि आप जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनतंत्र नहीं चला रहे हैं। अगर टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जो कराना है, आप स्वयं उसमें इन्टरेस्ट रखते हैं, तो यह जनतंत्र के हित में, अपने सरकार के हित में, देश की जनता के हित में है कि आप इस विधेयक को वापस ले लेंगे या प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे। उसमें हम लोग बैठकर विचार कर लेंगे। 31 दिसम्बर की जो मियाद बढ़ायी गयी है, यह अच्छी नहीं साबित होती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का पूरी ताकत से समर्थन करता हूं।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी, जब मौका आया, तो आप खड़े नहीं हुए । अब मैंने माननीय खैरुल बशर साहब को बुला लिया है । अब माननीय खैरुल बशर साहब बोलेंगे । माननीय हरदेव जी आप बैठें । लेकिन माननीय खैरुल बशर साहब आप यह जो संशोधन आया है, इस पर सीमित होकर बोलें ।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, जो माननीय हुकुम सिंह जी ने संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि यह जो बिल आया है, यह एक तरह से यह खतरे की घंटी है, उस तरीके की, जिस तरीके से हमारे यहां मनोनीत कर दिए गए हैं, तो अगर यह खतरे की घंटी है, तो इस तरह से तो और भी परिस्थितियां जटिल हो जायेंगी, क्योंकि नगरपालिका में सफाई सम्बन्धी, रोशनी सम्बन्धी और जनता की तकलीफ है, वह अपनी चरम सीमा पर है। हम लोग तो दो बार नगरपालिका के सदस्य भी रहे हैं । तो न कांग्रेसी खुश हैं, न विरोधी पक्ष के लोग खुश हैं, जो प्रभारी अधिकारी नियुक्त हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे मंत्री जी हैं नहीं, जो हमारे मऊनाथ भंजन में सहायता पहुंची है, वहां पर नालियों की हालत इतनी रद्दी है कि मऊ में चौराहे पर, चौक पर, जहां पर कि 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, वहां की नालियों से इस कदर, इतनी बदबू निकल रही थी कि दो आदमी बेहोश हो गये ।

इतनी गंदगी है हमारे यहां । 7 लाख रुपया कहां ले गये, कहीं दिखाई नहीं देता । हमारे यहां एक इक्जीक्यूटिव आफीसर और ओवरसियर में इस बात पर जूता निकाला गया कि इसमें पैसे का बंटवारा कैसे करके खाया जाय । तो गम्भीर परिस्थिति है हमारे यहां नगरपालिका की । अगर आपने इसका कार्य काल बढ़ाया, तो जनता नगर-पालिका की घुट-घुट कर मर जायगी और आपको बद्दुवायें देगी, जिसका असर बहुत बुरा पड़ेगा । सड़कें टूट रही हैं । अभी मैंने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने सीमेन्ट के बारे में बताया था, मान्यवर, ऐसी नगर महापालिकायें हैं जिसकी आबादी एक लाख है वहां पर निर्माण के लिए 2 सौ बोरा सीमेन्ट लिया, आप इससे अन्दाज लगायें कि एक तरफ तो सात लाख रुपया और एक तरफ 2 सौ बोरा सीमेन्ट निर्माण कार्य के लिए । इससे आप अन्दाज लगायें कि कितनी दुर्दशा है इन नगरपालिकाओं की । मान्यवर, भवन निर्माण के प्रार्थना-पत्र 2 साल से पड़े हुए हैं । उन आवेदन-पत्रों पर रिपोर्ट बिना पैसा लिए नहीं लगायी जा रही है । पैसों का बाजार खुला है । सफाई की यह हालत है, सड़कों की यह हालत है ऐसी सूरत में मैं कहता हूं कि आप इसका कार्यकाल न बढ़ायें । जनतंत्र को समाप्त न कीजिए । हमारे देश की जनता को जनतंत्र में विश्वास है, आस्था है । अगर प्रशासक काम करते रहे तो सारा पैसा जो आप देंगे वह डूब जायेगा । मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि अवधि न बढ़ाई जाय ।

***श्री हरदेव–**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, नगर विकास जनता के लिए और उनकी हालत के काफी विकास के लिए है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद बलिया में रसड़ा, सीवर, रेवती आदि नगर पालिकाएं हैं । मान्यवर, तहसील रसड़ा नोटीफाइड एरिया बहुत महत्वपूर्ण जगह है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी आप संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में ?

श्री हरदेव–

मैं अपनी बात रख रहा हूं । पक्ष और विपक्ष में जो कहना होगा कहूंगा । मान्यवर, नोटीफाइड एरिया रसड़ा दूसरे नम्बर का कस्बा है । जनता पार्टी ने जो दुर्दशा कर दिया था, हमारे यहां 24 कर्मचारियों को 14 महीने की तनख्वाह जो बाकी थी उसके 96 हजार रुपया दिया । दूसरी चीज हमारी सरकार ने 1 लाख 67 हजार रुपया सड़क के लिए दिया है ।

एक सदस्य–

आपको तन्ख्वाह मिल गयी ।

श्री हरदेव–

रसड़ा में सड़क के लिए 25 लाख रुपये का इस्टीमेट भेजा है और हमारी सरकार विकास की ओर प्रस्थान करती जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जो रखा गया है उससे ऊपर उठकर हमारी सरकार काम, करने को तैयार है और करेगी । मैं इस संशोधन से असहमति व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1982 को जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से और शासक दल से एक चीज पर विचार करने का निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि कभी भी ऐसा बद-किस्मत समय न आए जबकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करना पड़े और उनका समय मांगने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा के अन्दर सरकार को मांग करना पड़े ।

मान्यवर, यह बात अच्छी तरह सब जानते हैं कि जब कभी नगरपालिकायें भंग की गयीं और उनके स्थान पर परगना अधिकारियों ने चार्ज लिया, तो वे जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट लगाना शुरू करते हैं, कई नगरपालिकाओं में यह चीज हुई है । लेकिन पिछले कई वर्षों से नगरपालिकाओं में प्रशासकों की तरफ से जो अनियमिततायें और घूसखोरी चल रही है । अगर सरकार चुनाव करवा दे और प्रतिनिधि आ जायं तो क्या कोई शक्ति है जो आज के जमाने में अनियमितताओं के बारे में जांच बैठा सके, ऐसा नहीं होगा । मान्यवर, हमारे यहां टेहरी में नगरपालिका है, वहां प्रशासक के कार्यकाल में माल पर इतना अधिक कर लगा दिया है जो नगरवासियों की शक्ति से बाहर है। टेहरी शहर में, टेहरी बांध बनाया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और वाहन आते हैं । आज टेहरी का मोटर अड्डा वाहनों के कारण नरक बन गया है और नगरपालिका नरकपालिका बन गयी है।

वहां जो वाहन जाते हैं उनसे कर वसूल किया जाना चाहिए लेकिन वह गरीबों से वसूला जा रहा है जैसे एक क्विन्टल जीरे पर 120 रुपये टैक्स, एक क्विन्टल धनिये पर 180 रुपये टैक्स और एक फ्रिज पर 1200 रुपये टैक्स लिया जा रहा है । यह प्रशासक के कार्यकाल में जनता पर टैक्स लगाये जा रहे हैं और जिससे टेहरी शहर में रहने वाले परेशान इसलिए हैं कि सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है चूंकि वहां जनता द्वारा निर्वाचित नगरपालिका नहीं है । आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और ऐसे प्रशासक जो पैसा लेकर दुरुपयोग करते हैं उनके लिए यह सरकार समय बढ़ाना चाहती है । इसलिए निवेदन है कि इस बिल को सरकार वापस ले और यदि ऐसा नहीं करती है तो हमारा जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए सरकारी पक्ष के विधायकों से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार करें और हमारे विपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करें ।

*श्री दूधनाथ राजभर–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संशोधन पर मुझे विचार रखने का मौका दिया । अभी तक जितने भी माननीय सदस्यों के विचार आए हैं इस संशोधन के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि जो हमारे सामने मुद्दा है उससे हटकर लोगों नें बातें कही हैं । इसमें हमारे सामने मोटी तीन बातें हैं जिन पर हमको विचार करना था लेकिन लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों, नोटीफाइड एरियाज और नगरपालिकाओं की समस्यायें रखीं। इस संशोधन से क्या इफेक्ट पड़ेगा यह विचार हमको करना है? इसमें पहली बात यह विचार करना है कि इसमें अध्यक्ष और नगर प्रमुख का जो चुनाव होता था वह सीधी प्रणाली से होता था । इसमें सरकार ने चाहा है और मंत्री जी ने जो संशोधन किया है वह यह है कि इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों से अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनायी जाय । दूसरी बात यह है कि जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव आ सकते थे, उसको साधारण बहुमत से पेश करने का विचार किया गया है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस पर आज बोल रहे हैं, वह कल आयेगा, आज नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस पर माननीय सदस्य आप बोल रहे हैं, वह विषय आज का नहीं है ।

श्री दूधनाथ राजभर–

ठीक है जो प्रशासकों की टाईम बढ़ाने की बात है, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में जल्दी ही चुनाव स्थानीय निकायों का हो जाए और इस बात को अखबारों में भी पढ़ा गया है कि चुनाव शीघ्र ही होंगे और जहां तक प्रशासक के समय बढ़ाने की बात आई कि नहीं बढ़ाना चाहिए और इसके लिए जल्दी से जल्दी मौका प्रतिनिधियों को दिया जायेगा, माननीय मंत्री का यह निवेदन है और इसी पर आप लोग विचार करने बैठे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्षी दल के लोग जो संशोधन संकल्प लाए हैं, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अच्छा तो यह होता जब आप 1977 में अपने शासनकाल में इस विधेयक पर गम्भीरता से सोच लेते तो आज आपके यह विरोध की स्थिति उत्पन्न न होती और यह घड़ियाली आंसू जो आज बहा रहे हैं, उसे बहाने की जरूरत पेश न आती । सन् 77 में हिन्दुस्तान के अन्दर जब गम्भीर क्रान्ति पैदा हुई थी जिसके कारण ऐसे गैर जिम्मेदारों के हाथ शासन तंत्र लगा था जिन्हें शासन चलाने की जरा भी सूझ-बूझ नहीं थी । तजुर्बा न होने के कारण ही इन्होंने आनन-फानन स्थानीय निकायों को भंग कर उनमें जो जनता द्वारा चुनकर आये प्रतिनिधि थे, उनके स्थान पर प्रशासकों को बैठा दिया गया था ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

इसकी वजह से आज हम लोग मात्र यह संशोधन ला रहे हैं कि जल्दबाजी में अभी चुनाव न कराकर प्रशासकों का समय इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया तैयार की जानी है और चुनाव संबंधी प्रक्रिया बनाने में समय तो लगेगा ही हम आप लोगों की भांति कोई काम जल्दबाजी में करना नहीं चाहते हैं इसलिए यह समय बढ़ाने की बात रखी गयी है । इसके साथ मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों की राय लेकर ही प्रशासक महोदय कार्य करें । क्षेत्रीय प्रतिनिधि के राय मशविरे इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो अधिक उपयुक्त होगा, जनता के लिए भी और प्रशासन के लिए भी । इन्हीं शब्दों के साथ नगर विकास मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मुझे केवल एक मिनट के लिए समय और दे दें । मुझे केवल कहना यह है कि समाचारपत्रों में जैसा कि मा0 वित्त मंत्री, श्री ब्रह्मदत्त जी ने देहरादून में वक्तव्य दिया है, प्रकाशित हुआ है कि वह जून महीने तक स्वायत्तशासी संस्थाओं का चनाव करा देंगे । माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया तथा इन्होंने बयान देकर जो सहमति व्यक्त की है । माननीय नागर स्वायत्त शासन मंत्री ने एक वर्ष की अवधि बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है, तो मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ही मंत्रिमण्डल के दो मंत्री, जबकि आज यह संशोधन विधेयक आया है, एक मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ साथी द्वारा देहरादून में इस तरह का भ्रामक वक्तव्य देना और दूसरे उनके सहयोगी द्वारा एक वर्ष के लिए प्रशासकों की अवधि बढ़ाना, शासन के लोग इस तरह के परस्पर विरोधी बयान देकर जनता को अंधकार में न रखें । अगर इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है तो हम कुछ कार्यवाही कर नहीं सकते, तो फिर इन्हें डर किसका है जो यह बार-बार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपनी सफाई के समय इस बात को भी अवश्य कहेंगे ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं केवल यही कहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, सभी ने यह आग्रह किया है । जहां तक विचार आपके सामने आये हैं नगर-पालिकाओं के बारे में, इसमें सभी ने यह आग्रह किया है कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाने चाहिये । अभी मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो यह हो रहा था कि इस विधेयक पर चर्चा कब तक चल पायेगी, लेकिन मैं आभारी हूं हरदेव जी का, जो यहीं बैठे हुए हैं, जो हर पल पर मौजूद रहते हैं, इसलिए यह चर्चा अभी तक चल पायी । उम्मीद तो नहीं है लेकिन पुनः अनुरोध करता हूं कि हटा दो इन प्रशासकों को और अगर इन संस्थाओं को जिन्दा रखना है . . . . ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी। माननीय हुकम सिंह जी आपके बारे में कुछ कह रहे हैं।

श्री हुकम सिंह–

जितना आपने इनके बारे में कह दिया है, उससे ज्यादा कह नहीं सकता । मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह जो तमाम धन का दुरुपयोग हो रहा है वहां पर जन-प्रतिनिधियों को बिठा दें और अध्यादेश के माध्यम से समय न बढ़ाते जायें । बहुत लम्बा पट्टा लिखा दिया है, इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह जी ने जो संशोधन प्रवर समिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, मान्यवर, यह तो एक बहुत छोटा सा संशोधन है कि कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1982 तक बढ़ाने की बात है। विधेयक के ऊपर चर्चा होनी नहीं है और जो टाइम 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हो गया था तो कोई चारा नहीं था कि अध्यादेश लाकर समय बढ़ा दें 31 दिसम्बर, 82 तक का। इसका अर्थ यह नहीं है कि 31 दिसम्बर, 1982 तक चुनाव कराने का इरादा नहीं रखते। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं नगरपालिका, नगर महापालिकाओं और टाउन एरिया के कार्य करने के सम्बन्ध में, उन सुझावों के आधार पर जितना सुधार कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। यह सही है कि एक प्रशासक उतना अच्छा कार्य नहीं कर सकता जितना कि जन-प्रतिनिधि कर सकता है लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं माननीय हुकम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

[4 बजे सायं से।]

श्री रियासत हुसैन–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, इस सदन में बहुत बार इस तरह का पास किया है और समय बढ़ाया है, क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह देंगे कि अपने नगर विकास मंत्री पद के कार्यकाल में इस चुनाव को करा देंगे ?

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

श्री हुकम सिंह जी, क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री हुकम सिंह–

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 24 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 1981

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

***श्री राम स्वरूप वर्मा–**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 के खण्ड में निम्नांकित संशोधन करता हूं 'खंड 2 की तीसरी पंक्ति के अन्त में "31 दिसम्बर" के स्थान पर "15 अप्रैल" रख दिया जाय।' इसके संबंध में बहुत संक्षेप में निवेदन कर दूं। मान्यवर, अभी इसी सदन में और इसी सत्र में 2 दिन पहले जब यह बात आयी थी तो गढ़वाल चुनाव के सिलसिले में वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी का था और चूंकि चिट्ठी लिखी है एलेक्शन कमीशन को कि चूंकि यहां वोटर लिस्ट तैयार करवायी जा रही है इसलिए चुनाव में व्यवधान था और यह भी सूचना उसी दिन हो गयी थी कि मतदाताओं की सूचियां तैयार हैं, कोई बाकी नहीं है, तो कौन सी प्रक्रिया अब ऐसी है जिसकी वजह से 31 दिसम्बर, 1983 तक के लिए समय चाह रहे हैं।

अगर जनतंत्र में विश्वास करते हैं और उनके दल के लोग चाहते हैं कि नीचे से ऊंचे आयें, विकास के कार्यों में नीचे से ऊपर लाना चाहते हैं तो नीचे से योजनायें तभी बनेंगी जब नीचे के लोगों को शिक्षित करेंगे, उनको शिक्षा मिलेगी। चाहे जिला परिषद हों, गांव पंचायत हों, ब्लाक हों, नगरपालिकायें हों, सब भंग किये बैठे हैं। तो जब चुनाव नहीं करायेंगे, वैसे मैं इस राय का हूं कि यह संवैधानिक विफलता है और ऐसी स्थिति में सरकार भंग कर देनी चाहिए। लेकिन ऊपर वाले जो भंग करने वाले हैं वह भी वही हैं इसलिए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि एक बार तो आपने विधान सभा का भी समय बढ़ा लिया था। 7 वर्ष कर लिया था। 5 वर्ष का समय तो इतना भारी था कि उसी में बहुत बदलाव हो जाते हैं। आपकी सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। आप इसका ध्यान रखें और ऐसी व्यवस्था करें कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवायें।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 वर्मा जी आप समय का ध्यान रखें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मैं तो यह कहता हूं कि मा0 मंत्री जी की विवेक बुद्धि जागे और वह इस बात के लिए तैयार हो जायं। मैंने पहले भी, जब चर्चा हो रही थी तो इस बात को उठाया था कि अनुच्छेद 40 संविधान का कहता है कि गांव पंचायतों की स्थापना की जाय। उसी आधार पर नगरपालिकाओं की स्थापना हो रही है। स्वायत्त शासन का इसमें सिद्धान्त निहित है। उसमें मा0 मंत्री जी ने निवेदन कर दिया कि एक आदमी अच्छा प्रबन्ध नहीं चला सकता तो क्यों नहीं चला सकता ? आप इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ व्यवस्था करिए। चुनाव के सिलसिले में तो आप बहुत आसानी से अध्यादेश कर सकते हैं। मैं यहां यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि आप एक महीने के अन्दर अगर चुनाव करवा सकें तो जरूर करवा दें। अगर आप में सचमुच स्वविवेक है और इच्छा है और आप चाहते हैं कि संविधान की मर्यादा का पालन होना चाहिए तो मा0 मंत्री जी जरूर मेरे इस संशोधन से सहमत होंगे कि इसको 15 अप्रैल तक कर दिया जाय। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मंत्री जी से चाहूंगा कि उनकी सद्इच्छा जगे और वह हमारे इस संशोधन को मान लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, यह तो वही बात हुई कि अब अन्धे को दिया दिखाने से क्या फायदा ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति के अन्त में "31 दिसम्बर" के स्थान पर "15 अप्रैल" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1982†

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

जो प्रशासन आदेश और अध्यादेश में अन्तर न समझता हो उसके लिये क्या कहा जाय ? जैसे गोयल साहब अपने दफ्तर में बैठ कर अपने दोस्तों को पत्र लिखते होंगे उसका भी महत्व होता है लेकिन अध्यादेश का कोई भी महत्व इस प्रकार के सामने नहीं है। जहां तक भूमि अर्जन का सम्बन्ध है, संभव है कि कुछ ऐसे कारण रहे हों जिसकी वजह से 31 दिसम्बर, 81 तक आप भूमि का अर्जन न कर सके हों और इसीलिये आप 31 दिसम्बर, 1982 तक का समय बढ़ाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाये हों। लेकिन क्या आपने कभी इस पर भी सोचा कि जिन नागरिकों की भूमि अर्जन की गयी उनको आज तक मुआवजे का भुगतान हो भी पाया है या नहीं और अगर भुगतान किया है तो कितना भुगतान कर पाये हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितना घोटाला आपके इस भूमि अर्जन विभाग में हुआ है उसकी निशानी रखने वाला इस प्रदेश का कोई और दूसरा विभाग नहीं होगा।

मैं आपका ध्यान केवल संविधान की धारा 213 की ओर ले जाना चाहता था कि उसका किस तरह से दुरुपयोग आपके विभाग द्वारा अब तक किया गया है। माननीय मंत्री जी, हमें यही बतला दें कि जिन लोगों की भूमि का अर्जन आपने कर लिया है उसके मुआवजे का कितना प्रतिशत आपके विभाग को जायेगा और कितना प्रतिशत दूसरे अधिकारियों को जायेगा? और दो दर आपने मुआवजे देने का तय किया है उसके आधार पर कितना रुपया उनको मिल पायेगा।

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मैंने हिसाब लगाया है तो शायद 50 प्रतिशत इसमें से अधिकारियों को मिलेगा और 50 प्रतिशत के लिये वे गरीब बेचारे दर-दर भटकते रहेंगे । मैं सदन का अधिक समय न लेकर आपसे नाउम्मीदी के होते हुए भी आपसे यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मुशायरे व सम्मेलनों के जरिये जो भी विभाग आपको मिल जाया करे कम से कम उनकी तरफ अपना ध्यान दे दिया करें तो बड़ी कृपा हो।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)–

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह ने जो अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन . . .

श्री अध्यक्ष–

आप अपना विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, ऐसा है कि भूमि विकास कार्य के लिये भूमि अर्जन की आवश्यकता थी और इसी के लिये यह प्राविधान किया गया था लेकिन बहुत सारे लोग न्यायालय में चले गये, कुछ लोगों ने रिट्स दायर कर दी जिससे भूमि अर्जन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसी से हम चाहते हैं कि 31 दिसम्बर, 82 तक का समय मिल जाय। मुझे आशा है कि सदन मेरी इस मांग को स्वीकार कर लेगा।

*श्री मित्र सेन–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जैसा माननीय हुकम सिंह जी ने कहा, इस संशोधन में केवल इस बात का जिक्र है कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की जाती है उसको अधिग्रहण करने के लिए इन को स्वतंत्रता मिल जाय । वह बेचारा अदालत में न जा सके। किसी किस्म की न्याय की कहीं कोई जगह नहीं मिले। यह निरंकुश हो जायं। किसी की जमीन लेना चाहें तो ले लें, चाहे मुआवजा मिले या नहीं मिले इस अध्यादेश के नाम पर। मान्यवर, अध्यादेश ऐसा लाना चाहिए जैसा कि कठिनाई निवारण अध्यादेश आया था। सभी की कठिनाइयों के निवारण हो। इनकी भी कठिनाई दूर हो जाय। इस अध्यादेश के जरिये जो छोटा विषय लाया जा रहा है इससे तो अध्यादेश का महत्व ही खत्म हो रहा है और जो लोगों के अपने संवैधानिक अधिकार हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। लोगों को उनकी भूमि अधिग्रहण करने में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें वे शासन के सामने रख सकें और अपनी न्यायोचित मांगों पर विचार करा सकें इस हेतु इस पर प्रवर समिति में विचार हो जाय और जो संशोधन आयें उनको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें और उस के उपरान्त इसे सदन में लायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन् यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है इस में दो राय नहीं है। हर शहर की आबादी बहुत बढ़ रही है और कुछ देहात से भी लोग जा रहे हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पोस्टिंग पर जाते हैं, उनके लिए भी रहने की जगह का इन्तजाम नहीं है इसके अलावा कुछ और ऐसे भी शहर के लोग हैं जो यह चाहते हैं कि साफ सुथरी बस्ती में रहें और उसमें आप कन्स्ट्रक्शन करवा के उनको मकान बनवा कर दे दें। ऐसी स्कीमें प्रदेश में जगह-जगह चल रही हैं और उसके लिए आप को जमीन की जरूरत है। यह भी निश्चित है कि जिस किसी आदमी की जमीन होती है उस को उस जमीन से बड़ा मोह, बड़ा प्यार होता है। कब्जा न जाय इसके लिए वह पूरी अपनी ताकत, पूरी धन सम्पत्ति खर्च करने के लिए तैयार होता है चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े लेकिन उसका कब्जा अपनी भूमि से न जाय।

आपकी आवश्यकता पब्लिक इन्ट्रेस्ट है। आपको लेनी है और उसकी वजह से आप नहीं ले सकते। आप को देर लगती है। इसलिए इस एक्ट की अवधि को बढ़ाने के लिए कुछ टाइम और दे दिया जाय ताकि जो जमीन है उसको हासिल कर के हम उस पर मकान बना सकें। बात बिल्कुल सही है। लेकिन श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हर शहर के अंदर जो नजूल की जमीन है जिस पर कहीं सौ साल से, कहीं पचास साल से, लीज पर, पट्टे पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और आज उन का टाइम भी खत्म हो रहा है, कोई दूसरा पट्टा, लीज, उसके एक्सटेन्शन का नहीं हुआ है और उसके बावजूद उसके ऊपर उनका कब्जा बना हुआ है, आप विशेष रूप से माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के लोगों को सख्ती से पकड़ें। देखना यह है कि कोई अधिकारी की वजह से या किसी वजह से किसी आदमी की उस जमीन में कब्जा है और नाजायज फायदा उठा रहा है। मिसाल के तौर पर मेरा प्रश्न था। मुरादाबाद में नजूल लैण्ड है।

श्रीमन्, मुरादाबाद कचहरी के कम्पाउन्ड में जो जमीन है न मालूम कब की है। आपको स्वयं मालूम है। तमाम तलाश करने के बावजूद, आप के यहां लाने के बाद भी कहीं लीज, रजिस्ट्रेशन का कहीं रिकार्ड अवेलेबुल नहीं है। जब रिकार्ड अवेलेबुल नहीं है तो पट्टों का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। जो जमीन 16/17 रुपये गज के भाव में थी उसे 300 रुपये गज में बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया है और उस पर बुनियाद खोदना शुरू कर दिया है। जहां पर उसके बारे में सवाल आया तो कन्सट्रक्शन रोक दिया गया। आपने यहां पर जवाब में भी कहा है कि कन्सट्रक्शन रुकवा दिया गया है। परन्तु अभी तक आप उसको स्पष्ट रूप से डिस-पसेज नहीं कर सके हैं। मान्यवर, एक जगह पर नहीं, हर शहर में इस तरह के पट्टे हैं। कहीं पट्टों का नामोनिशान नहीं है। 90/100 साल के पट्टे रिकार्ड में अवेलेबुल नहीं हैं। कहीं पट्टों को दीमक खा गया है। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद में एक्सटेंशन बहुत हो रहा है, जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उसमें बाधायें आ रही हैं जो कि आपकी नोटिस में हैं। मैं कहता हूं कि सख्ती के साथ आप काम लें। यह जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिए यहां पर आया है कि इसको एक माह के अंदर प्रवर समिति में भेज दिया जाय, यह बहुत ठीक है। क्योंकि यदि इसको एक माह तक प्रवर समिति में भेज दिया जायेगा तो उस समय तक जो जमीन आपकी लीज पर है, अन-अथोराइज कब्जे में है, उसे उनके कब्जों से निकलवा लीजिए। तब इसके प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तक इसके संबंध में सुझाव भी आ जायेंगे और तब जैसा आप चाहेंगे, विधेयक पास कर दिया जायेगा और आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो जायेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस आशा और विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी एक महीने के अन्दर अपनी इफेक्टिवनेस और काब्लियत से अपनी जमीनों को अन-अथोराइज्ड कब्जे से बाहर निकाल लेंगे और जो जमीन लीज पर है वह उनके पास आ सके तो आपकी समस्या एक बड़ी सीमा तक हल हो जायेगी।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं अपने जिले के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी केलेसनेस जाहिर होती है। एक जमीन हमारे जिले में एक्वायर हुई। उसके ऊपर मुकदमा भी चला और सरकार मुकदमा भी जीत गई लेकिन इसी बीच में एक स्ट्रक्चर उस पर आ गया। इस कदर एनक्रोचमेंट हो गया कि वह आपके लाभ के लिए नहीं रह गयी। आपमें वह शक्ति भी नहीं है कि आप उस स्ट्रक्चर को हटा दें। और यदि हटा भी दें तो वह जमीन आपके लाभ के लिए नहीं रही। इस प्रकार की कैलेसनेस से कैसे डेवलपमेंट हो पायेगा। इसके जिम्मेदार कौन हैं? इस तरह की हजारों मिसालें हैं जो कि हमारे कैलेसनेस और इन्टेलीजेन्स की वजह से जमीन भी बरबाद होती है और पैसा भी बरबाद होता है। इसका जवाब कौन दे।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जमीन एक्वायर कराने का समय बढ़ाने की बात ठीक है। आज नगरों की आबादी बढ़ती जा रही है। कभी-कभी शहरों में छोटे-छोटे किसानों की जमीन चली जाती है। एक समय आ सकता है कि जब काश्तकार के पास जमीन नहीं रह जायेगी। शहरों में गन्दगी अपनी जगह पर है। उसको रोकने की प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रतापगढ़ में जो यह बात पैदा हो गई है उसको ध्यानपूर्वक देखने की कृपा करें और उसके हल के लिए कोई तरीका निकालें। आप आवास विकास की जमीन ले रहे हैं, उसका पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। वहां पर सामन्तवादी प्रथा बढ़ती चली जा रही है। सामन्तवादी लोग चाहते हैं कि हर चीज उसको मिल जाय, हर जमीन और हर व्यापार उसका हो, सब कुछ उसका हो, चीनी और सीमेन्ट भी उसी की हो।

इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। गरीबी निवारण के लिए वाइटल और सख्त कदम उठाने की जरूरत है जब तक वह कदम नहीं उठायेंगे तब तक कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। शहरों में या और जगह जितने एस्ट्रोकेंट हैं उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। उसकी तरफ निगाह डालने की जरूरत है और उसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो जमीन एक्वायर की हुई है उन पर दूसरों के कब्जे हो गये हैं उनके कब्जे को हटाने में आप असमर्थ हैं, आप हटा नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधायक का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक पेश किया है शहरों की भूमि अर्जन के सम्बन्ध में। आज शहरों की आबादी बढ़ रही है। नगरों का विकास होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बनारस की बात कहना चाहता हूं आपका आवास विकास परिषद् बनारस है और जब से यह कायम हुआ है, कल ही आपने जवाब दिया कि 4 हजार लोगों से मकान के लिए रुपया जमा करवा लिया है, लेकिन मकान अब आप शुरू कर रहे हैं। अभी केवल दो सौ मकान बनाये जा रहे हैं वह भी कब बनेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

और कब उसका आवंटन होगा, मालूम नहीं। 15, 20 वर्षों से मकान के लिए लोगों से रुपया जमा करा रखा है। श्रीमन्, एक ही काम है इस बोर्ड का कि जमीन अर्जन करना और उसकी प्लाटिंग करना। तो आप जरा जांच कराइये क्या काम किया है जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि जितना चाहें बढ़ा लें। मैंने कई बार सदन में कहा था कि आवास कि दिक्कत को दूर करने के लिए एक मंजिला भवन न बनायें और इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये लेकिन इस पर किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया। एक मंजिला मकान बनाने की क्या जरूरत है? 4, 5 मंजिला मकान मजदूरों और जनता के लिए क्यों नहीं बनाते हैं कम जमीन में अधिक लोगों को जगह मिल जायेगी।

आज क्या हो रहा है तालकटोरा या दूसरी जगह पर लाखों रुपये का घोटाला जमीन अर्जन के मामले में हो रहा है। आखिर क्या करना चाहते हैं? शहरों के अगल बगल छोटे किसान हैं उनके साथ क्या हो रहा है? हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की हुई पतीं पड़ी है जिस पर आवास विकास परिषद् ने कोई योजना नहीं बनाई है और न कोई मकान बनाये। तो इसकी कोई चर्चा आपके पास है आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि आपका यह संशोधन विधेयक पास होगा। आपने पूरे प्रदेश में आवास विकास की योजनायें लागू की हैं तो क्या उसके कार्यों की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनायेंगे जो जांच करे कि कितनी जमीन इन्होंने खराब की है, कितनी जमीन पतीं पड़ी है।

आपकी यह परिषद् जनता के पैसे के सूद पर जो बैंक में जमा है उस पर चल रही है और लोगों को आज तक एक भी मकान मिला नहीं है। तो क्या आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं? यही बात कह कर मैं अपनी बात खतम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि गोयल साहब मेरी बात मान जायेंगे और एक कमेटी का निर्माण करेंगे आवास विकास परिषद् के कार्यों के बारे में और उसकी जो योजनायें हैं उनकी वह जांच करेगी।

*श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। भूमि अर्जन के लिए जो बात इसमें कही गयी है वह बिलकुल तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत देता है। मान्यवर, छोटे-छोटे किसान शहरों के किनारे हैं जिनके पास छोटे-छोटे खेतों के टुकड़े हैं किसी के पास पांच कट्ठा जमीन है तो किसी के पास 10 कट्ठा। उसको मंत्री जी अधिग्रहण कर लें तो वह बिलकुल भूमिहीन हो जाता है। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वह अपनी आवाज न्यायालय में ले जाय। और न्याय की भीख मांगे, उसको भी मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा रोकना चाहते हैं। उसको न्याय की भीख मांगने के लिए भी मंत्री जी सारे रास्ते बन्द कर देना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नगरों के विकास और वहां बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए मकान अवश्य मुहय्या कराया जाए, लेकिन वह क्या इस बात पर भी विचार करेंगे कि जो छोटे किसान की जमीन ले ली जाएगी, उनकी भूमि अधिग्रहण के पहले उनको बदले में कोई भूमि देने की योजना बनायें। या उसके लिए अन्य कोई जीविका के साधन उपलब्ध करावें। यदि यह आपा उनके लिये कर सके, तब तो यह समझ में आता है, लेकिन इसमें तो केवल इतना है कि हमको यह अधिकार दे दिया जाए कि हम इनकी जमीन अधिग्रहण कर लें बिलकुल बेबुनियाद और किसानों के अहित की बात है। इसलिए मंत्री जी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसमें यह रास्ता निकाला जाए कि जिनकी जमीन इसमें ली जाएगी उनके लिए अन्य जमीन या अन्य कोई रोजी के साधन की व्यवस्था की जायेगी। वह इस पर अपना सुझाव दे सकें, इसलिए इसको उसमें अवश्य भेजा जाए । इसलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने का हिमायती हूं और मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह विधेयक को वहां भेजने का कष्ट करें ।

श्री बंशीधर राज–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत नगर विकास विधेयक का समर्थन करता हूं । आवश्यकता इस बात की है नगरों की जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, देहातों के लोग भी शहरों में भागते जा रहे हैं, इस तरह का बिल लाया जाए । नगरों में हमेशा आबादी बढ़ती जा रही है और जब वह बढ़ती है तो उनका विकास होना अत्यन्त आवश्यक है । अगर भूमि का वहां अधिग्रहण नहीं किया जायगा तो विकास नहीं हो सकेगा, मकान नहीं बन सकेंगे और जो वहां अधिकारी व कर्मचारी आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी । तो एक तरफ यह कहा जाता है कि नगरों में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, दूसरी तरफ अगर हमारे पास भूमि नहीं होगी तो हम नगर का सुन्दरीकरण कैसे कर सकते हैं, न पार्क बना सकते हैं और न रोड डेवलप कर सकते हैं और न अन्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए नगर में भूमि का अधिग्रहण करना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिए मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसमें समय बढ़ाने की कृपा करेगा ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इस संबंध में मंत्री जी के संज्ञान में दो बातें लाना चाहता हूं और इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जब यह भूमि अर्जन होती है बढ़ती हुई आबादी के लिए जो अब नगरों की आबादी 20 परसेंट से अधिक हो गई है । शहर बढ़े हैं इसलिए जमीन तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन यह कहीं भी विधान नहीं है कि जिसकी आप जमीन लेंवे उसके लिए उसमें कुछ न करें । कम से कम मानवता के आधार पर इतना तो होना चाहिए कि उसके लिए प्लाट कम से कम उसी कीमत पर आप बनाकर दे दें। जब तक यह प्रवर समिति में नहीं जाएगा, तब तक इस महत्वपूर्ण सुझाव को हम उसमें शामिल नहीं कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे । दूसरी बात यह है कि आप उनकी जमीन का मुआवजा 1/2 रुपया गज से अधिक नहीं देते हैं और उस जमीन को आप बेचते हैं 30-40 रुपया प्रति वर्गगज के हिसाब से। तो इसका भी आप एक नियम बना दें कि कितना विकास में आप खर्च करते हैं और कितना मुनाफा उठाते हैं।

ये तो बसाने के लिए योजना बनाते हैं । तो जितना विकास में खर्च आता है उसको जोड़ कर प्लाट बनायें और दूसरों को दें कि वे नक्शे के मुताबिक अपने मकान बना लें। जर्मनी में तो यह कायदा है कि जो मकान बनाता है उसके मकान का निरीक्षण वे लोग करते हैं और देखते हैं कि ठीक से मैटीरियल लगाया जा रहा है या नहीं, मजबूत बने हैं या नहीं । यहां तक देखने में आया है कि लोग छज्जों के टूट जाने से दब कर मर जाते हैं। इस विधेयक के बारे में मैं यह भी देखता हूं कि एक-एक साल में आप 2-3 बार इसमें संशोधन लाते हैं। तो सरकार का इस सम्बन्ध में एक सुविचारित दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि बार बार संशोधन न लाने पड़े। बहुत जल्दी में कोई काम नहीं होना चाहिए और इसके लिए उचित होगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप वर्मा] —

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि बाजार भाव पर जमीन का मुआविजा मिलना चाहिए और जब जमीन वाले को पूरी कीमत मिल जाय तभी उस पर विकास का काम होना चाहिए। अगर मुआविजा ठीक रेट पर नहीं मिलेगा तो मामला कोर्ट में चला जाता है। आप जमीन को कौड़ियों के मोल पर लेकर मोहरों से बेचते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर इसमें कोई विधान कर सके तो कर दें कि जिस व्यक्ति की जमीन ली जायेगी उसको एक प्लाट निश्चित रूप में दिया जायेगा और मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें प्रवर समिति को सुपुर्द किए बिना इसमें नहीं हो सकती है। तो इन सुझावों को शामिल करने के लिए, मुझे आशा है आप इसको प्रवर समिति में भेजने वाले संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो बढ़ती हुयी आवश्यकतायें हैं, व्यक्तिगत भी हैं और स्टेट की भी हैं उनके लिए भूमि के अधिग्रहण को रोका नहीं जा सकता है लेकिन उन पर कुछ कार्य किया जा सकता है। जिस तरह जिन गरीब लोगों की जमीन ले ली जाती है उससे वे और पिछड़े हो जाते हैं। जहां पर उनकी जमीन ली जाय कम से कम उसके लिए एक आवासीय मकान अवश्य उन्हें दिया जाय और उसके बाद भी उसके बच्चों में जो एडल्ट हैं, उनमें से कम से कम एक को नौकरी दी जानी चाहिए। जब यह हमारी वैलफेयर स्टेट है और हम पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार का अधिगृहण उनको और भी पिछड़ा बना देता है।

दूसरी चीज यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर नगरों का इस तरह से विकास हो रहा है और लोगों को आवासीय असुविधा हो रही है तो जो केन्द्रीय सरकार की उद्योगीकरण के डिसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम है उसका लोकैलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऐसी जगह पर भूमि का अधिग्रहण किया जाय, चाहे वह फैक्टरी के लिए हो या अन्य चीजों के लिए जो शहर से दूर हो ताकि वहां पर एक छोटा सा नगर बस जाये और बड़े शहरों के बनने से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं वे न हों।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, नगरों के विकास का जहां तक सम्बन्ध है यह तो होना चाहिए लेकिन जिस पद्धति से इनके विकास की बात की जा रही है उससे नगरों का विकास नहीं, बरबादी हो रही है। मान्यवर, मौजूदा व्यवस्था में मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र से लगा हुआ जिला नैनीताल में एक रामनगर स्थान है जहां पर लगभग 4 हजार से अधिक लोगों को नौकरशाही ने बसाया है अवैध रूप से पैसा लेकर और उनसे तब कहा कि बस जाओ, जब वे बस गए तो उनको नोटिस जारी कर दिया कि आप लोग अवैध रूप से बसे हैं। उनसे फिर पैसा वसूल किया गया।

इस तरह से करीब दो ढाई हजार मकान वहां पर बन गये हैं। तो यह जो प्रक्रिया चल गयी है इसको रोकने के लिए और विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए। जब तक मंत्री से लेकर चौकीदार तक, आपके सभी कर्मचारी और अधिकारी सही नहीं होंगे तब तक आप नगरों का विकास नहीं कर सकेंगे। भूमि उनको मिलना चाहिए जो भूमि-हीन हों। नगरों में बिजली और पानी की व्यवस्था हो। यह सब व्यवस्था करने में मंत्री जी असफल हुये हैं। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक पर इसे प्रवर समिति में भेजने के मेरे प्रस्ताव पर बोलते हुये जिन माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे सारी चीजें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी आ गयी होंगी। भूमि अर्जन के बाद किन के हित में उसका उपयोग हो, जिससे भूमि ली जाए उसको उचित मुआवजा मिले, आदि बातों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, जो संशोधन माननीय मित्रसेन और माननीय हुकुम सिंह जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों को इस मामले में भ्रम है। बहुत से मामले चूंकि न्यायालयों में चले गए, रिट कर दिया, जिसके कारण कार्य में बाधा पहुंची, इसलिए समय को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी और समय 31 दिसम्बर, 1982 तक का बढ़ाने की मांग की गयी है। जहां तक मुआवजा देने की बात है उसके लिए भी आदेश कर दिये गये हैं कि मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाए।

माननीय रियासत हुसैन ने एक बात नजूल की भूमि के बारे में कही है। उस विषय में एक प्रश्न भी था, पर वे उस दिन अनुपस्थित थे। इस तरह के जो भी मामले शासन के संज्ञान में लाये जा रहे हैं उन पर शासन कार्यवाही कर रहा है। कुछ न्यायिक कठिनाईयां कभी-कभी आ जाती हैं। जिन लोगों ने सरकार की नजूल की भूमि नाजायज तरीके से कैसे ले रखी है उसको बचाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, उसको रोकने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं।

तो इसमें मान्यवर, कोई प्रवर समिति में भेजने का मामला नहीं है। इसमें तो केवल एक वर्ष मियाद बढ़ाने की बात है। अधिनियम इसमें बना हुआ है। मैं माननीय सदस्यगण, जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मित्रसेन जी, आप अपना प्रवर समिति वाला संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री मित्रसेन–

वापस नहीं ले रहा हूं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन, करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 59 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से एक सूचना माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम गोविन्द की दिनांक 22-1-82 की रात को ग्राम जहांगीरपुर और जटपुरा के बीच में काशीपुर मुरादाबाद रोड पर बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य के लिए स्वीकार किया, शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री रियासत हुसैन–

कब वक्तव्य दिलवाइयेगा, मान्यवर?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कब तक वक्तव्य दे देंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, 3 तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

जैसा आप सबको विदित है बजट 5 बजे पेश होना है और 5 बजने में अभी काफी समय बाकी है, इसलिए मैं सदन को स्थगित करता हूं और 4-58 पर पुनः बैठेंगे।

(इस समय 4 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को मैं सूचना से अवगत कराना चाहता हूं कि, अभी 5 बजे आय व्ययक प्रस्तुत होगा जिसके सम्बन्ध में, वित्तीय वर्ष 1982-83 का आय व्ययक साहित्य वितरण के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के मा0 सदस्यगण क्रमशः 'हां' तथा 'नहीं' कक्ष में अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें:–

'हां' कक्ष में

महिला सदस्य, उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौढ़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

'नहीं' कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून तथा श्री ए0 सी0 ग्राइस।

1982-83 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कापी वितरित हो जायं, तब पढ़ें।

(बजट की प्रतियां वितरित होने के पश्चात्)

श्री ब्रह्म दत्त–

वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रदेश सरकार के इस....

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, बहुत घटिया बजट मंत्री जी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको फाड़ रहा हूं और सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री कुबेर भण्डारी बजट की कापी को फाड़ते हुए सदन त्यागकर चले गये।)

श्री ब्रह्म दत्त–

संकल्प का उल्लेख किया था कि इस वर्ष के आरम्भ से ही योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक ही बजट में सम्मिलित मदों में से अधिकांश की स्वीकृतियां जारी कर दी थी। वर्ष के प्रारम्भ में ही स्वीकृतियां जारी करने के फलस्वरूप उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर माह तक आयोजनाग्ता विकासा कार्यक्रमों पर प्राविधानित धनराशि का लगभग 44 प्रतिशत व्यय हो चुका था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए यह प्रतिशत लगभग 34 था। अब मुझे पुन: बजट समय से पहले प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि गत वर्ष की तरह माननीय सदस्यों के सहयोग से बजट ससय से प्रारित हो सकेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अब तक एक विभाग के राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिमों के लिए प्राविधानों को अलग-अलग अनुदानों में प्रदर्शित किया जाता रहा है। आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में इनको एक विभाग के समेकित अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा करने से व्यावहारिक सुविधा होगी और अनुदानों की संख्या 130 से घटकर 80 रह जायेगी।

आर्थिक समीक्षा

नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1970-71 के स्थायी भावों पर 1978-79 में प्रदेश की कुल आय 5,372 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1979-80 के भीषण सूखे से कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होने के कारण उस वर्ष प्रदेश की कुल आय घटकर केवल 4,498 करोड़ रुपये रह गई जो 1978-79 की तुलना में 16.3 प्रतिशत कम रही। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 1978-79 के 530 रुपये की तुलना में 1979-80 में 436 रुपये रह गई। वर्ष 1980-81 में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में सुधार के फलस्वरूप प्रदेश की कुल आय 5,523 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 1979-80 की तुलना में 22.8 प्रतिशत तथा 1978-79 की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक है।

प्रचलित भावों पर त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1980-81 की कुल राज्य आय 13,508 करोड़ रुपये गत वर्ष 1979-80 की कुल अनुमानित राज्य आय 10,256 करोड़ रुपये की तुलना में 31.7 प्रतिशत अधिक रही। प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ष 1978-79 में 977 रुपये और 1979-80 में 994 रुपये थी, 1980-81 में 1,287 रुपये होने की संभावना है।

भावों का आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण खनिज तेल की कीमतों में भारी वृद्धि थी जिसने तेल आयात करने वाले देशों पर भारी प्रभाव डाला। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा स्फीति की गति को धीमा करने में हम सफल

हुए हैं। प्रदेश में आम जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के सक्रिय प्रयास किये गये हैं। इनकी सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि मार्च, 1981 से सितम्बर, 1981 के बीच थोक कीमतों में केवल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1980 में इसी अवधि में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1979-80 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट आयी थी जिसका एक कारण यह भी था कि भीषण सूखे के फलस्वरूप विद्युत् उत्पादन में कमी हुई और उद्योगों के लिये विद्युत् की आपूर्ति में भारी कटौती कर कृषि कार्य हेतु उसे व्यावर्तित किया गया। वर्ष 1980-81 में इस क्षेत्र में सुधार हुआ है। फलस्वरूप वर्ष 1980-81 में चीनी का उत्पादन 12.24 लाख मैट्रिक टन हुआ जो 1979-80 के 9.96 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 22.9 प्रतिशत अधिक रहा। वनस्पति तेलों का उत्पादन वर्ष 1980-81 में 130.3 हजार मैट्रिक टन रहा जो 1979-80 के 95.8 हजार मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 1979-80 के 450.2 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 1980-81 में 516 हजार मैट्रिक टन हो गया जो 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। सूती वस्त्र का उत्पादन वर्ष 1980-81 में 2,069 लाख मीटर रहा जब कि 1979-80 में इसका उत्पादन 1,897 लाख मीटर था। सूती धागे के उत्पादन में भी वर्ष 1980-81 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1981-82 में इन समस्त वस्तुओं के उत्पादन में और वृद्धि अनुमानित है। प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन का समग्र रूप से आकलन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा भी किया जा सकता है। वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71) 131.6 गत वर्ष के समवादी त्रैमास के सूचकांक 117.3 की अपेक्षा 12.2 प्रतिशत अधिक रहा।

उन्नत कृषि विधियों की प्रगति तथा सिंचाई सुविधा के प्रसार के फलस्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1978-79 में 231.08 लाख मैट्रिक टन हो गया था जो 1979-80 के भीषण सूखे के कारण गिर कर 164.39 लाख मैट्रिक टन रह गया। वर्ष 1980-81 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 244.96 लाख मैट्रिक टन रहा जो 1978-79 और 1979-80 की तुलना में क्रमशः 6 प्रतिशत और 49 प्रतिशत अधिक रहा।

20 सूत्री कार्यक्रम

जैसा कि सम्मानित सदन अवगत है, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र को "श्रमेव जयते" का मूलमंत्र देते हुए पहले के कार्यक्रम को परिष्कृत करके नये 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। हमारी सरकार इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्प है। खाद्यान्न के उत्पादन में अब हमारी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है किन्तु अब भी सिंचाई क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता यथावत है और इसके संबंध में मैं आगे विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ब्यौरेवार विवरण दूंगा। सिंचाई साधन-विहीन कृषि योग्य भूमि में उपादानों तथा तकनीकों की समुचित उपलब्धता और विकास को महत्व दिया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये आय-व्ययक में 78 करोड़ रुपए और एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लिए 35.40 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के अध्ययन व अन्वेषण को उचित महत्व दिया जायेगा। अगले वर्ष 15 हजार बायोगैस संयंत्रों स्रोतों के स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के अध्ययन व अन्वेषण के कार्य को समुचित महत्व देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि एक नए विभाग का सृजन किया जाये और अतिरिक्त स्रोतों से संबंधित संपूर्ण कार्य इस नए विभाग को सौंपा जाये।

[श्री ब्रह्म दत्त]

प्रदेश की जनसंख्या में पिछले दशक में 25.52 प्रतिशत की चिन्तनीय वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 24.75 प्रतिशत ही रही। इस पृष्ठभूमि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वैच्छिक आधार पर जन-आन्दोलन के रूप में चलाया जायेगा। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कार्य-कलापों में सुधार लाने हेतु समुचित मानिटरिंग का प्रबन्ध किया जायेगा और इन प्रतिष्ठानों में उद्देश्यपरक प्रबन्ध लागू करके उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।

8,371 अभिज्ञात बंधक श्रमिकों में से अब तक 2,286 को पुनर्वासित किया जा चुका है। शेष श्रमिकों के शीघ्र पुनर्वासन के सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मजदूरों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण भी इस वर्ष किया गया है और मजदूरी की दरों के प्रभावी परिवर्तन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी को भी निरीक्षक के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

वन विभाग की वृक्षारोपण की योजनाओं, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी के अन्तर्गत अगले वर्ष कुल 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य कार्यक्रमों—दलहन व तिलहन के उत्पादन, सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का आवंटन, अनुसूचित जाति व जन जाति के विकास कार्य, पेय जल व्यवस्था, बेघर ग्रामीणों को आवास भूमि आवंटन, बिजली का अधिकाधिक उत्पादन, मलिन बस्तियों का सुधार, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, जन वितरण प्रणाली इत्यादि के सम्बन्ध में मैं यथास्थान आगे उल्लेख करूंगा।

प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है। अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने का मूल मंत्र उत्पादकता में वृद्धि ही है। आइए, हम सब मिलकर इस महान कार्य में जुट जायें जिससे न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में यथासम्भव सहायता कर सकें।

सामान्य प्रशासन

जनहित के मुख्य कार्यक्रमों जैसे जन वितरण प्रणाली, भूमि आवंटन, ग्राम्य विकास, स्पेशल काम्पोनेन्ट प्रोग्राम इत्यादि का तीव्र गति और सुचारु रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों को विभिन्न मंडलों से सम्बद्ध कर दिया गया है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि नागरिकों को अपने गांवों और कस्बों से दूर-दूर से दौड़-दौड़ कर शासन के मुख्यालय पर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आना पड़ता है। सरकार ने यह प्रयास किया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं जनता के पास जायें, उनकी कठिनाइयों को समझें और उनका निराकरण वैधानिक ढंग से शीघ्र करावें और विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल को सुदृढ़ करें।

नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के संबंध में अध्ययन दल की संस्तुतियां विचाराधीन होने का उल्लेख किया था जिनके संबंध में अब शासन ने निर्णय ले लिया है। नियोजन की नवीन व्यवस्था के अनुसार ही वर्ष 1982-83 की योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है। तदनुसार योजना के सम्पूर्ण क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग राज्य सेक्टर का है जिसमें बड़ी-बड़ी योजनायें आती हैं जिनका लाभ किसी जनपद विशेष तक सीमित नहीं है। दूसरा भाग जिला सेक्टर का है। इसमें ऐसी सभी योजनायें आती हैं जिनका लाभ केवल उन्हीं जनपदों तक सीमित है जहां यह योजनायें चलायी जाती हैं। राज्य

सेक्टर की योजनाओं के लिए वार्षिक परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत और जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए लगभग 30 प्रतिशत भाग आरक्षित किया गया है । जिला सेक्टर परिव्यय का आवंटन एक निश्चित मानक के अनुसार जनपदों को वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व कर दिया जायेगा तथा इस परियोजना हेतु गठित जनपदीय समितियां अपने-अपने परिव्यय की सीमा के भीतर रहते हुए तथा सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शिकाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी जिला योजनायें तैयार करेंगी । मंडलीय मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित मंडलीय समितियों की बैठकों में भी इन योजनाओं पर विचार किया जायेगा और उनके अनुमोदन के उपरांत ही इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा । योजना रचना की इस प्रक्रिया में जन-प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया गया है । योजना के कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुश्रवण में भी उनको सम्बद्ध किया जायेगा ।

आगामी वर्ष 1982-83 की योजना के लिए लगभग 334 करोड़ रुपये की धनराशि जिला सेक्टर परिव्यय के रूप में आवंटित की गयी है । नियोजन के इतिहास में पहली बार जनपदों ने संसाधनों की सीमा में रहते हुए अपनी जिला योजनायें तैयार की हैं और उन्हीं को आधार मानते हुए प्रदेश की वार्षिक योजना तैयार की गयी है ।

यद्यपि विकेन्द्रीकृत नियोजन की दिशा में यह हमारे प्रयास का प्रथम वर्ष है तथा इसमें अभी विभागों व जनपदों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करना है तथापि यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस कार्य से संबंधित जन-प्रतिनिधियों व जनसेवकों ने अपने दायित्व का भरसक निर्वाह करने की चेष्टा की है । सहयोगी मंडलीय मंत्रियों ने जिला योजनाओं की रचना में महत्वपूर्ण मार्ग-दर्शन दिया है । मुझे आशा है कि इस वर्ष के अनुभव से नियोजन की हमारी यह प्रक्रिया आगामी वर्ष में और भी सुदृढ़ और परिपक्व हो जायेगी ।

वार्षिक योजना

1982-83 का वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का तीसरा वर्ष होगा । योजना के प्रथम दो वर्षों में विकास के लिए एक अत्यन्त अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका है । खाद्यान्न, औद्योगिक और विद्युत उत्पादन आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो गतिरोध हुआ करते थे उन पर बहुत बड़ी सीमा तक काबू पा लिया गया है और हमें आशा है कि इन क्षेत्रों में अब निरन्तर प्रगति होती रहेगी ।

योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में आयोजनागत व्यय की स्थिति भी अच्छी रही है । वर्तमान वर्ष 1981-82 में भी आयोजनागत व्यय संतुलित आधार पर हो रहा है । मुझे आशा है कि योजना के शेष वर्षों में भी परिव्यय का उपयोग इसी प्रकार होता रहेगा ।

योजना के प्रथम दो वर्षों में उन कार्यक्रमों को विशेष वरीयता दी गयी है जिनसे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और प्रदेश के निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया जा सकता है ।

वर्तमान वर्ष 1981-82 के लिए योजना आयोग ने प्रदेश की योजना 1,075 करोड़ रुपये की अनुमोदित की थी। वर्ष 1982-83 की योजना की वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग और आयोग के सदस्यों से विस्तार से विचार विमर्श किया । विभिन्न मदों और परियोजनाओं की आवश्यकताओं से संतुष्ट होकर योजना आयोग ने वर्ष 1982-83 के लिए 1,202 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की है जो गत वर्ष की योजना से 127 करोड़ रुपए अधिक है । इस प्रकार वर्ष 1982-83 की अनुमोदित योजना वर्तमान वर्ष की योजना से 11.7 प्रतिशत अधिक है ।

1982-83 की योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है और इस हेतु प्राविधान 100 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 120 करोड़

[श्री ब्रह्म दत्त]

रुपये किया गया है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के परिव्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के उपयोग से यह आशा है कि प्राथमिकता के क्षेत्रों और उत्पादक क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं को वांछित गति से चलाया जा सकेगा और कुछ अत्यन्त आवश्यक नये कार्यक्रम भी आरम्भ किये जा सकेंगे।

शान्ति एवं व्यवस्था

राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। क्षुद्र साम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने, निर्बल वर्ग के प्रति अत्याचार को समाप्त करने और जन साधारण के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये हम कटिबद्ध हैं।

प्रदेश में कानून विरोधी तत्वों से निपटने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये शासन द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पिछले वर्ष पी0 ए0 सी0 की तीन विशेष वाहिनियां गठित की गई थीं और इस वर्ष दो और विशेष वाहिनियों का गठन किया गया है। दस्यु उन्मूलन में लगी वाहिनियों को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। दस्यु उन्मूलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 लागू किया गया है। साथ ही मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद तथा इटावा में डाकुओं की समस्या से जूझने के लिये प्रत्येक जनपद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये हैं।

पुलिस बल के लिए स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष राजकीय रेलवे पुलिस के थानों के लिये जीपों की व्यवस्था की गई और इस वर्ष 48 नागरिक पुलिस चौकियों तथा 66 राजकीय रेलवे पुलिस चौकियों पर दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस योजना के ही अन्तर्गत यातायात अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं यातायात समस्याओं के समाधान हेतु ट्रैफिक राडार स्थापित किये जायेंगे।

पुलिस बल की गतिशीलता बढ़ाने के लिए प्रदेश के 1,234 थानों में से 1,113 में जीपें उपलब्ध करा दी गई हैं तथा शेष में अगले दो वर्षों में उपलब्ध करा दी जायेंगी।

जीवन की आहुति सबसे बड़ा बलिदान है। कर्तव्यपालन के दौरान वीरगति प्राप्त पुलिस कर्मियों के परिवारों के प्रति शासन संवेदना व्यक्त करता है। शासन शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों के आर्थिक पुनर्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक है।

प्रदेश शासन जहां पुलिस कर्मियों से यह अपेक्षा रखता है कि वे प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखें, वहीं शासन उनके कल्याण के प्रति भी प्रयत्नशील है। इस वर्ष 750 और अगले वर्ष 1,500 आवास विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मियों के लिये निर्मित कराये जायेंगे। इस वर्ष 332 थानों में मेस की सुविधा स्वीकृत की गयी है।

पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण परिवर्तन में प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। इस उद्देश्य से सीतापुर में एक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त नवगठित पी0ए0सी0 वाहिनियों में भर्ती किये जाने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्रों की भी व्यवस्था की गई है।

असामाजिक तत्वों से मुठभेड़, हिंसात्मक उपद्रवों तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में बचाव राहत कार्य इत्यादि में जूझने से मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को एक नियोजित आधार पर उचित राहत देने का निर्णय लिया गया है। मृत सरकारी सेवकों के परिवार को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक तात्कालिक सहायता व बीस हजार रुपये से लेकर पचास हजार रुपये तक दीर्घकालीन सहायता दी जायेगी। इसके

अतिरिक्त मृत सरकारी सेवक के परिवार को उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन, जिसमें महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, के बराबर धनराशि मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप में भी दी जायेगी और यह धनराशि परिवार को उस दिनांक तक मिलेगी जिस दिनांक को मृत सेवक जीवित रहने की दशा में अधिवर्षता की आयु प्राप्त करता। इस तिथि के बाद परिवार को वह पेंशन दी जायेगी जो मृतक के जीवित रहने पर अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की दशा में उसे मिलती।

राजस्व प्रशासन

निर्बल वर्ग के कृषकों के अधिकारों की रक्षा एवं भूमिहीन श्रमिकों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किये गये हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जनजाति के खातेदार अपनी जाति से भिन्न जाति के व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का अंतरण नहीं कर सकेंगे और अनुसूचित जाति के खातेदार जिलाधिकारी की स्वीकृति से अपनी जाति से भिन्न व्यक्ति को उस दशा में अन्तरण कर सकते हैं जबकि अन्तरण के पश्चात् उनके पास कम से कम 3.125 एकड़ भूमि बची रहे।

सीलिंग तथा गांव सभा भूमि के आवंटियों को आवंटित भूमि पर एवं अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को त्वरित गति से बेदखल करने तथा दुबारा कब्जा करने की दशा में उन्हें दण्डित करने हेतु विधिक प्राविधान किये गये हैं।

जून 30, 1981 तक 17, 49, 767 व्यक्तियों को 6, 20, 414 हेक्टेयर गांव सभा भूमि आवंटित की गई है तथा उनमें से 17, 31, 842 आवंटियों को 6,19,719 हेक्टेयर भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया जा चुका है। उपर्युक्त 17,49,767 व्यक्तियों में से 9,05,626 व्यक्ति अनुसूचित जाति, 11,762 अनुसूचित जनजाति तथा 3,76,039 व्यक्ति पिछड़ी जातियों के हैं।

सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 31 अक्तूबर, 1981 तक कुल 2 लाख 82 हजार 631 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से 2 लाख 59 हजार 610 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। कब्जे में ली गई भूमि में से 2 लाख 32 हजार 7 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है। लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 88 हजार 946 है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के आवंटी 73 प्रतिशत हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, ग्रामीण शिल्पकारों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क आवास स्थल आवंटित किये जाने के निर्णय के अन्तर्गत अभी तक पात्र पाये गये 14 लाख 56 हजार 5 व्यक्तियों में से 14 लाख 11 हजार 203 व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं। प्रदेश भर में पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा नये पात्र परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र आवास-स्थल आवंटित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी अभियान के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

लाभकारी जोतों के स्वरूप और अलाभकारी जोतों को लाभकारी बनाने के निमित्त सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। भूमि सम्बन्धी सुधार की समीक्षा करने और भूमि से सम्बन्धित भावी नीतियों के निर्धारण के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि सुधार समिति का गठन किया गया है। भू-अभिलेखों के रख-रखाव तथा दाखिल खारिज आदि से संबंधित प्राविधानों को सरल बनाने तथा उन्हें जिला स्तर पर ही निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से कानूनों में आवश्यक संशोधन भी विचाराधीन है।

कृषि उत्पादन

[श्री ब्रह्म दत्त]

वर्ष 1979-80 में सूखे का प्रभाव कृषि उत्पादकता पर भी पड़ा था। अतः प्रमुख खेती एवं वाणिज्यिक फसलों की 1980-81 की उत्पादकता की तुलना 1978-79 की उत्पादकता से ही की जानी चाहिए। वर्ष 1980-81 में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 16.40 कुन्तल 1978-79 की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक रही, किन्तु चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो 1978-79 में 11.59 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, 1980-81 में घट कर 10.50 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रह गयी, जिसका एक कारण इस वर्ष की अप्रत्याशित बाढ़ थी। दलहन की औसत उपज, जो वर्ष 1978-79 में 7-62 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, 1980-81 में बढ़कर 8-69 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गई जो 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। तिलहन की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 4.07 कुन्तल वर्ष 1978-79 के लगभग समान ही रही।

खाद्यानों के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 220.20 लाख मी0 टन धान्य तथा 24.75 लाख मी0 टन दलहन का उत्पादन हुआ। वर्ष 1980-81 में उत्पादित दलहनों में 1979-80 की तुलना में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में तिलहन का उत्पादन 15.50 लाख मी0 टन रहा, जो 1979-80 की तुलना में 60.8 प्रतिशत अधिक रहा।

वर्ष 1981-82 में मोटे अनुमानों के अनुसार खरीफ खाद्यानों में लगभग 82 लाख मी0 टन उत्पादन होने की सम्भावना है। यद्यपि खरीफ खाद्यानों के उत्पादन का लक्ष्य 88 लाख मी0 टन था किन्तु पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ तथा प्रमुख रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण उक्त लक्ष्य की प्राप्ति प्रतीत नहीं होती है। खरीफ खाद्यानों के उत्पादन में हुई कमी को रबी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। रबी के उत्पादन का लक्ष्य 164 लाख मी0 टन रखा गया है।

वर्ष 1980-81 की अवधि में 11.51 लाख मी0 टन उर्वरक वितरित किया गया जो 1978-79 तथा 1979-80 की अपेक्षा क्रमशः 8.8 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1981-82 की खरीफ में 3.74 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरक वितरित किये गये, जो गत वर्ष की इसी अवधि में वितरित 3.37 लाख मी0 टन की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक रहे।

वर्ष 1982-83 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष की भांति हमारी रण नीति बहु-फसली क्षेत्र को बढ़ाने, अधिक उपजदाई प्रजातियों के उपयोग, पौध सुरक्षा उपायों, रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग, भूमि संरक्षण एवं ऊसर सुधार पर आधारित रहेगी। यह अनुमान किया जाता है कि अगले वर्ष 260 लाख मी0 टन खाद्यान्नों का उत्पादन हो सकेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1.46 लाख कुन्तल उन्नतिशील बीजों का वितरण, 15.90 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरक का वितरण, 225 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा, 13 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण, 56,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि संरक्षण तथा 20,000 हेक्टेयर में ऊसर सुधार के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त 42,000 गांठें कपास, 1.30 लाख गांठें जूट तथा 20.50 लाख मी0 टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दलहन व तिलहन फसलों के विशेष महत्व को देखते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती का प्रसार सुनिश्चित सिंचन क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाने तथा इसके व्यापक प्रसार के लिये भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

औद्यानिकी

कृषि के साथ-साथ औद्यानिकी के क्षेत्र में भी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। वर्ष 1980-81 की तुलना में प्रदेश में फलों का उत्पादन 32.10 लाख से बढ़कर 1981-82 में 33 लाख मी0 टन, शाक भाजी का 66.23 लाख से बढ़कर 71 लाख मी0 टन तथा आलू का 42.34 लाख से बढ़कर 46 लाख मी0 टन होने की आशा है। वर्ष 1982-83 में फलों के उत्पादन का लक्ष्य 34.75 लाख शाक भाजी का 76.66 लाख और आलू का 49 लाख मी0 टन रखा गया है। आलू एवं फलों के उत्पादन एवं विपणन में शीतगृहों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनकी स्थापना एवं विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पशुपालन एवं डेरी

प्रदेश में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए किये जा रहे प्रयासों में देहरादून जिले में अतिहिमीकृत वीर्य केन्द्र की स्थापना उल्लेखनीय है। इस केन्द्र से उपलब्ध होने वाले अतिहिमीकृत वीर्य को गढ़वाल मण्डल के एक बड़े क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिये एक तरल नाईट्रोजन प्लान्ट की स्थापना भी की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में भी विशेष गोधन विकास योजना के अन्तर्गत इसी प्रकार का एक कार्यक्रम चलाया जायेगा और संकर प्रजनन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जायेगा।

डेरी कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। अतः इन कार्यक्रमों में सुधार करना आवश्यक होगा और सरकार इस ओर शीघ्र सक्रिय कदम उठायेगी।

मत्स्य

विभिन्न साधनों से वित्तीय वर्ष 1981-82 में नवम्बर, 1981 तक 112.97 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय, 575.19 लाख अंगुलिकाओं का निजी सेक्टर में वितरण तथा 5697.78 कुन्तल विभागीय मत्स्योपादन किया गया। प्रदेश के 17 जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से, दो जनपदों में केन्द्र सरकार की सहायता से तथा अन्य जनपदों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत मत्स्य परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। मत्स्य पालक विकास अधिकरण योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1981 तक 5,387 तालाबों को मत्स्य पालकों को पट्टे पर दिया गया। तालाबों के सुधार एवं इनपुट्स हेतु 22.15 लाख रुपये का बैंकों से ऋण तथा इस ऋण पर सरकार द्वारा 7.36 लाख रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई। 993 मत्स्य-पालकों को प्रशिक्षित किया गया। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के माध्यम से मत्स्य बीज उत्पादन अवस्थापना के सृजन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। दस बड़े आधुनिकतम मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी प्रक्षेत्रों के निर्माण हेतु विस्तृत नियोजन व आगणन कार्य किया जा रहा है और आशा है कि वर्ष 1983 के अन्त तक निर्माणोपरान्त इन हैचरियों में 11.5 करोड़ अंगुलिकाओं का वार्षिक उत्पादन होगा।

ग्राम्य विकास एवं निजी लघु सिंचाई

पिछले वर्ष की भांति अगले वर्ष भी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था तथा निर्बल वर्ग के लिये आवास की व्यवस्था की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1982-83 में 78 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिये 600 परिवार प्रति विकास खण्ड लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1982-83 में

[श्री ब्रह्म दत्त]

इस कार्यक्रम हेतु 35.40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक विकास खंड के लिये 8 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित है।

निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 1981 तक 29,054 आवास बन चुके हैं तथा 7,641 आवास निर्माणाधीन हैं। अगले वर्ष 15,000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य है। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये 'ग्रामीण आवास परिषद्' के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

सितम्बर, 1981 तक हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये 40,498 कुओं व 2,485 डिग्गियों का निर्माण किया गया तथा 5,778 हैण्ड पम्प लगाये गये। अगले वर्ष इस योजना हेतु 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

दो करोड़ रुपये की धनराशि से एक 'युवा कल्याण निधि' की स्थापना की गई है।

निजी लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 8.30 लाख हैक्टेयर में सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 9.16 लाख हैक्टेयर की उपलब्धि होने की संभावना है। वर्ष 1982-83 में 7.67 लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा के सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

सहकारिता

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने प्रत्येक ब्लाक स्तर पर कृषक सेवा केन्द्र खोले हैं जिससे दीर्घकालीन ऋण की सुविधा अधिक कृषकों को प्राप्त हो सकेगी। आगामी वर्ष के लिये यह भी प्रयास है कि कृषकों को सहकारी ऋण लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक वितरित हो सके। विश्व बैंक शीतगृह योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 4,000 मी0 टन क्षमता वाले 69 शीत गृहों के निर्माण की योजना है। इनमें से 34 शीतगृहों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो निर्माणाधीन हैं।

कृषि के क्षेत्र में ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1982-83 में 350 करोड रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इस संदर्भ में मुझे सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सहकारिता वर्ष 1980-81 में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा प्रदेश में स्थित बैंकों को 72.49 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अन्तर्गत देश में प्रथम स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है।

पर्वतीय विकास

राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास की गति बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं जिसके फलस्वरूप वर्ष 1981-82 के लिये निर्धारित 100 करोड़ रुपये के परिव्यय में केन्द्रीय सहायता का पैटर्न पिछड़े क्षेत्रों के अनुरूप लाने के प्रयासों में सफलता मिली है। इस पैटर्न के अनुसार प्राप्य केन्द्रीय सहायता में अनुदान व ऋण का अनुपात 50:50 के बजाय क्रमशः 90:10 कर दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सितारगंज में चीनी मिल व जसपुर में कताई मिल लगाने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र के 500 अभावग्रस्त ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 700 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 480 कि0 मी0 नई सड़कों का निर्माण 155 कि0 मी0 सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार और 18 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। उद्यान

विकास कार्यक्रम में छः हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उद्यानों, एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र आलू तथा एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है। पांच हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण तथा 20,350 हैक्टेयर में सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम छोटे-छोटे जलागम क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत 8,600 हैक्टेयर कृषि भूमि में भूमि संरक्षण तथा वन विभाग द्वारा लगभग 19,500 हैक्टेयर में वनीकरण एवं चरागाह विकास कार्य किये जायेंगे। 710 नये ग्रामों में विद्युतीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा पर्यटन को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम पर भी बल दिया जायेगा।

वन

प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वायुमंडल को शुद्ध करने, पर्यावरण को बनाये रखने, बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप को कम करने में भी वन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3 प्रतिशत होना चाहिये जब कि हमारे प्रदेश में वन भूमि का क्षेत्रफल केवल 17.4 प्रतिशत ही है। प्रदेश में वनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से समस्त उपलब्ध सीमान्त भूमि और ग्राम की सामुदायिक बेकार भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही सामाजिक वानिकी प्रायोजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 41 जनपदों में 14,500 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया जायगा। विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल की मांग की पूर्ति हेतु आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का 8 हजार हैक्टेयर में तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण 2,625 हैक्टेयर में अगले वर्ष किया जायगा।

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की ओर शासन जागरूक है। इस वर्ष आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता गत वर्ष की अपेक्षा अच्छी रही है। सितम्बर, 1981 के बाद खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है। लेवी चीनी की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती थी जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। अप्रैल, 1981 से लेवी चीनी की उठान उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा कराई जा रही है जिससे चीनी की आपूर्ति में सुधार हुआ। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लेवी चीनी एवं खाद्यान्न का वितरण विकास खण्डों एवं तहसील स्तर से कराने का साहसिक कदम उठाया है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जनता को लेवी चीनी और खाद्यान्न पहले से अधिक सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी समितियां 10 हजार से अधिक दूकानों से चीनी और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही हैं। समितियों ने अपनी दूकानों से जनवरी से दिसम्बर, 1981 तक लगभग 88,602 मी0 टन खाद्यान्न तथा 2,27,594 मी0 टन चीनी व 83,961 किलो लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किया है।

भारत सरकार ने राज्य सरकार के सीमेंट के त्रैमासिक कोटा में लगभग एक लाख मी0 टन की वृद्धि की है जिससे जनता को राहत मिलने की आशा है। चावल का राशन 8 कि0 ग्रा0 प्रति यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 16 कि0 ग्रा0 प्रति यूनिट प्रति माह और गेहूं का राशन 6 कि0 ग्रा0 से बढ़ाकर 8 कि0 ग्रा0 प्रति यूनिट प्रति माह कर दिया गया है ताकि जनता को खुले बाजार से कम से कम खाद्यान्न खरीदना पड़े। गेहूं उत्पाद के मूल्य एवं वितरण पर नवम्बर, 1981 से नियंत्रण लागू कर दिया गया है। इनके थोक व फुटकर मूल्य निर्धारित करने के अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। केन्द्रीय पूल के लिये 14.95 लाख मी0 टन गेहूं व 4.10 लाख मी0 टन चावल की खरीद की गई है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए और निजी क्षेत्र के व्यापारियों और जमाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डाल कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनवरी से नवम्बर, 1981 की अवधि में प्रदेश में 32,459 छापे मारे गये जिसके फलस्वरूप 3,399 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गईं, 2,391 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा लगभग 3 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुयें अधिग्रहीत की गईं।

सिंचाई

प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सिंचाई साधनों में वृद्धि करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है और प्रदेश सरकार इसके लिये सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश में शुद्ध कृषि क्षेत्र लगभग 174 लाख हेक्टेयर है और कुल बोया गया क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर। वर्ष 1980-81 के अन्त तक राज्य के स्रोतों से लगभग 91 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

निर्माण कार्यों के लिये सीमेन्ट उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग में 200 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट देहरादून जिले में कैप्टिव प्लान्ट के रूप में लगाने का निर्णय लिया गया है और इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई बढ़ाने के लिये समानान्तर निचली गंगा नहर चालू कर दी गयी है। मध्य गंगा कैनाल के निर्माण का कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ओगासी पम्प नहर चालू कर दी गयी है। इस क्षेत्र में कुरार बांध, चिल्लीगल पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि, अर्जुन सहायक, लखेरी बांध, सिंजार बांध व पथराई बांध पर प्रारम्भिक कार्य इस वर्ष आरम्भ कर दिया गया है। खरीफ की सिंचाई के लिए बायीं तटीय घाघरा नहर योजना के विस्तार का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

वर्ष 1982-83 में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से 1.95 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत 1.65 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। लगभग 1,600 राजकीय नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत रखा गया है। विश्व बैंक की सहायता से लगभग 4,500 नलकूपों के निर्माण की एक वृहत् परियोजना, जिसकी लागत 185 करोड़ रुपये अनुमानित है, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। राजकीय नलकूपों की कार्य क्षमता सुधारने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान नवम्बर, 1981 में चलाया गया था। इसके अन्तर्गत नलकूपों के विद्युत और यांत्रिक दोषों को सुधारा गया और गूलों को ठीक किया गया। वर्ष 1980-81 की खरीफ में चलित घंटों का औसत प्रति नलकूप 286 था जो 1981-82 में बढ़कर 388 हो गया। नलकूपों के रख-रखाव के लिये धनराशि प्रति नलकूप 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। नलकूपों की उपयोगिता बढ़ाने हेतु इस वर्ष नलकूप चालक-सह-मिस्त्री के 2,300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। नहरों के रख-रखाव हेतु भी प्राविधानित धनराशि 9.90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.30 करोड़ रुपये कर दी गई है।

वर्ष 1982-83 में पटकोली, तकिया, परनपुर, चितइया, नवलगढ़-पकरी गब्बापुर जलाशय योजनायें एवं माण्डा पम्प कैनाल तथा पटना टैंक योजनाएं आय-व्ययक में सम्मिलित की गई हैं। इटावा जनपद में जमुना, चम्बल, सिंध, पहुज व क्वारी नदियों के संगम के नीचे यमुना नदी पर लगभग 80 फुट ऊंचे पंचनद बैराज, जिसकी लागत

440 करोड़ रुपये अनुमानित है, की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिये विस्तृत अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के कार्य किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के किसानों के लिए विशेष रूप से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत नलकूप ऐसे क्षेत्रों में बनवाए जा रहे थे जहां उक्त जातियों का बाहुल्य हो। यह प्रतिशत अब 10 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है।

जनपद सहारनपुर के ग्राम बेलका में 5 मेगावाट क्षमता के माइक्रो-विद्युत गृह के निर्माण, माधो मिनी, भीरा मिनी तथा राप्ती जल विद्युत परियोजनाओं के इन्वेस्टीगेशन तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु आय-व्ययक में एक मुश्त प्राविधान किया गया है।

ऊर्जा

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में विद्युत सम्पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1981-82 में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता में 200 मे0 वा0 वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और आशा है कि 200 मे0 वा0 की ओबरा की पांचवीं इकाई मार्च, 1982 में चालू हो जायेगी। मुख्य पारेषण लाइनों में नवम्बर, 1981 तक 130 सर्किट कि0मी0 लाइन ऊर्जित की जा चुकी है तथा 590 सर्किट कि0 मी0 लाइनों के मार्च, 1982 तक पूरी होने की संभावना है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1981 तक 572 ग्रामों, 922 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 18,218 निजी नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन किया गया है।

वर्ष 1982-83 में अधिष्ठापित क्षमता में 310 मे0वा0 की वृद्धि, मुख्य पारेषण लाइनों में 1,393 सर्किट कि0 मी0 तथा द्वितीय पारेषण लाइनों में 502 सर्किट कि0 मी0 की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,700 ग्रामों, 3,200 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण तथा 41 हजार निजी नलकूपों/पम्प सेटों के ऊर्जन का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 220 मे0 वा0 क्षमता वाली परीक्षा, 420 मे0 वा0 क्षमता वाली ऊंचाहार परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। विशिष्ट प्रयासों से एक हजार मे0 वा0 क्षमता वाली आनपारा 'बी' परियोजना को स्वीकृति केन्द्र से हाल ही में प्राप्त हो गई है और इसके लिए जापान से संयंत्र का आयात केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के उपरान्त परिषद् की एक नई छवि उभरी है। इस वर्ष विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गत वर्ष अप्रैल से नवम्बर की अवधि में 6,325 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ था जबकि इस वर्ष इसी अवधि में 7,415 मि0 यूनिट का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में 17.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। नवम्बर, 1980 में प्रति दिन का तापीय विद्युत उत्पादन 17.5 मि0 यूनिट था, जो बढ़ कर नवम्बर, 1981 में 22.5 मि0 यूनिट व दिसम्बर, 1981 में 23.1 मि0 यूनिट हो गया। इसी प्रकार नवम्बर, 1980 में प्लान्ट लोड फैक्टर 35 प्रतिशत था जो नवम्बर, 1981 में बढ़ कर 40.6 प्रतिशत और दिसम्बर, 1981 में 41.6 प्रतिशत हो गया। आशा है विद्युत उत्पादन में उत्तरोत्तर सुधार होता रहेगा।

राज्य में विद्युतीकरण, विद्युत द्वारा चालित नलकूपों तथा बिजली की लाइनों, सब स्टेशनों तथा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत निरीक्षणालय के कर्तव्यों एवं दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। विद्युत अधिष्ठानों का प्रभावी निरीक्षण करने व निरीक्षण शुल्क के रूप में समुचित राजस्व प्राप्त करने के दृष्टिकोण से विद्युत निरीक्षणालय के पुनर्गठन एवं विस्तार की योजना आय-व्ययक में सम्मिलित की गई है।

उद्योग एवं खनिकर्म

[श्री ब्रह्मदत्त]

औद्योगिक विकास के संबंध में राज्य सरकार की यह नीति है कि एक ओर अधिक पूंजी निवेश से उत्पादन में वृद्धि हो और दूसरी ओर पिछड़े क्षेत्रों में विकास होने के साथ-साथ प्रदेश की जनशक्ति को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। वर्ष 1981 उद्योग का वर्ष घोषित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाय। इस निमित्त एक टास्क फोर्स उपयुक्त उद्योगों को चिन्हित करने का कार्य कर रहा है। मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति 'उद्योग बन्धु' की मासिक बैठकों द्वारा भारी एवं मध्यम उद्यमकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। ग्रामीण एवं लघु स्तरीय उद्यमकर्ताओं की सुविधा के लिए उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में मण्डलीय मुख्यालयों पर तत्संबंधित 'लघु उद्योग बन्धु' की मासिक बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस वर्ष प्रदेश में अधिक उद्यमकर्ता उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। भारी उद्योग क्षेत्र में एक पौलिस्टर फाइबर प्लान्ट लगाने के लिए पिकप को आशय-पत्र प्राप्त हो गया है। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जगदीश-पुर (सुल्तानपुर) में घड़ी का एक कारखाना स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। सूरजपुर (गाजियाबाद) में 90 करोड़ रुपये की लागत से डी0 सी0 एम0 ट्योटा लाइट कामर्शियल वेहिकिल का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार की बाम्बे हाई व साउथ बसीन से प्राकृतिक गैस को पाइप लाइन द्वारा उत्तर प्रदेश तक लाने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में चार उर्वरक कारखानों के लगाए जाने हेतु केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है। प्रत्येक कारखाने की लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह कारखाने किन-किन स्थानों पर लगेंगे, इस विषय में भारत सरकार शीघ्र निर्णय लेगी और आशा है कि निकट भविष्य में इन कारखानों की स्थापना हो सकेगी। इस निर्णय के लिये हम भारत सरकार के आभारी हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा हवाई जहाज के उपकरण का एक कारखाना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को विद्युत सुलभ कराए जाने हेतु निजी क्षेत्र में 1500 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक तथा सहकारिता क्षेत्र में स्थापित की जा रही 12 कताई मिलों में से 8 मिलों के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और भूमि अध्यापित की कार्यवाही की जा रही है। प्रतापगढ़ की आटो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। कजरहट-चुनार सीमेन्ट फैक्टर्स के पहले चरण के पूरा हो जाने पर 1000-1200 टन सीमेन्ट का प्रति दिन उत्पादन किया जा रहा है।

ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उद्योगों के समग्र एवं बहुमुखी विकास पर समुचित बल दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिये उद्यमकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला देहरादून (नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) व गाजियाबाद की दादरी तहसील को भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है जिसके फलस्वरूप लघु, लघुतर तथा कुटीर औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश का क्रमशः 10, 15 व 20 प्रतिशत के अंश के समतुल्य राज्य उपादान उपलब्ध हो सकेगा। जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। मार्जिन मनी ऋण सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपए तक किया जा चुका है। भदोही क्षेत्र में—जो विश्व प्रसिद्ध निर्यात मूलक कालीन तथा गलीचा उद्योग का कार्य क्षेत्र है—सुनियोजित विकास व व्यवस्थापन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भदोही विकास प्राधिकारी का गठन हो चुका है। कानपुर नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के शिल्पियों को उद्यमता विकास तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक योजना प्रारम्भ की जा रही है।

प्रदेश का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है। हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन जो वर्ष 1980-81 में लगभग 4,860 लाख मीटर था, चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 5,000 लाख मीटर हो जाने की आशा है। खलीलाबाद (बस्ती) में टेरीक्लाथ की प्रोसेसिंग हेतु एक करोड़ रुपए की लागत से प्रोसेस हाउस की स्थापना की जा रही है।

भूतपूर्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में धात्विक तथा अधात्विक खनिजों के अन्वेषण का कार्य किया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राक फास्फेट, टंगस्टन, लाइमस्टोन, सिलिका सैन्ड, मैंगनेसाइट आदि खनिजों के भण्डारों का सिद्धीकरण किया जा चुका है। देहरादून जनपद में राज्य खनिज विकास निगम द्वारा स्थापित कैल्शियम कार्बाईड फैक्टरी वर्ष 1982-83 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करेगी। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 21 हजार टन होगा।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में समुचित प्रयत्न कर रहा है। निगम इन्टीग्रेटेड डेटा प्रोसेसिंग से सम्बन्धित उपकरण का निर्माण भी कर रहा है।

मुरादाबाद के पीतल उद्योग में लगे कारीगरों को आवास, कार्यशालाएं, आस्थानिक व सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर निगम के माध्यम से एक औद्योगिक बस्ती-पीतल-बस्ती स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले और उसका भुगतान भी समय से होता रहे, चालू वित्तीय वर्ष में पिराई सत्र आरम्भ होने से पहले ही पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए गन्ने की कीमत क्रमशः 20.50 रुपये और 21.50 रुपए प्रति कुन्तल घोषित कर दी, जबकि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य 13 रुपये प्रति कुन्तल ही निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जहां वर्ष 1979-80 में 155.18 करोड़ रुपये मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य के रूप में भुगतान किया गया वहां 1980-81 के पिराई सत्र में किसानों को 286.81 करोड़ रुपये के देय मूल्य में से नवम्बर, 1981 के अन्त तक 286.53 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 1981-82 में 350 करोड़ रुपये के भुगतान करने का अनुमान है। इस प्रकार किसानों को चीनी मिलों से प्राप्त होने वाला धन दो वर्षों में लगभग दो गुना हो जायेगा।

इस वर्ष गन्ने का कुल उत्पादन चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में पिछले वर्ष के 576 लाख मी0 टन से बढ़कर 645 लाख मी0 टन होने का अनुमान है जिससे लगभग 16 लाख मी0 टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है। गन्ने की पैदावार में वृद्धि को देखते हुए चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, विस्तार और नई चीनी मिलों की स्थापना की दिशा में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष सहकारी क्षेत्र में तिलहर (शाहजहांपुर) में एक नई चीनी मिल ने पेराई शुरू कर दी है। सहकारी क्षेत्र के महमूदाबाद (सीतापुर), गजरौला (मुरादाबाद) और सुल्तानपुर की चीनी मिलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पांच नये लाइसेन्सों के आधार पर सितारगंज (नैनीताल), मोरना (मुजफ्फरनगर), सेमी खेड़ा (बरेली), घोसी (आजमगढ़) तथा नानपारा (बहराइच) की मिलों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए वर्ष 1982-83 में अंशपूंजी विनियोजन हेतु 41 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। राज्य चीनी निगम की सखौतीटांडा और खड्डा की इकाइयों का विस्तार कार्य भी वर्ष 1982-83 में पूरा हो जाने की आशा है।

खण्डसारी और गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खण्डसारी इकाइयों की लाइसेन्स सम्बन्धी नीति को भी अधिक उदार बनाया गया है और खड़े कोल्हुओं पर कोई लाइसेन्स या फीस नहीं रखी गई है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

चीनी निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु निगम द्वारा देय लगभग 20 करोड़ रुपये के मूलधन एवं ब्याज की धनराशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने का सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है और इस सम्बन्ध में औपचारिक अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन एवं संचार

वर्ष 1981-82 में 927 बसों के प्रतिस्थापन का लक्ष्य राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रखा गया था जिसके विपरीत 500 बसों की व्यवस्था अब तक की जा चुकी है तथा शेष बसों की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की जा रही है। अगले वर्ष में 1,000 बसों के क्रय का प्रस्ताव है। नगरीय बसों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से नगर बस इकाई का अलग से गठन किया गया है। मोटर कानूनों के प्रवर्तन के लिए वर्ष 1982-83 में 4 नये सचल प्रवर्तन दलों की स्थापना का प्रस्ताव है। यह निर्णय भी लिया गया है कि राजकीय परिवहन निगम को हस्तान्तरित परिसंपत्तियों में से 10 करोड़ रुपये के मूल्य की ऋण पूंजी को अंशपूंजी में बदल दिया जाये।

बसों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बीमा कम्पनी से मुआवजा की प्राप्ति में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल, 1981 से यात्री कर बीमा योजना का कार्य परिवहन विभाग ने स्वयं सम्हाल लिया है।

सड़कें तथा पुल

राज्य में मार्च, 1991 के अन्त तक लगभग 62,000 कि0मी0 लम्बी पक्की सड़कें थीं। अनुमान है कि वर्ष 1981-82 में 1600 कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण, 1200 किमी0 वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निमाण तथा 76 नये पुलों का निर्माण पूरा हो जायेगा। इस वर्ष बाढ़ग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से लगभग 12.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष जिन पुलों का निर्माण पूरा होने की सम्भावना है, उसमें जिला बांदा में फतेहपुर-बांदा मार्ग पर यमुना नदी का पुल, इलाहाबाद में गंगा नदी पर द्विमार्गीय अतिरिक्त पुल, जिला नैनीताल में रूद्रपुर-काशीपुर मार्ग पर कोसी नदी का पुल, जिला सीतापुर में किशनपुर-बिलरिया मार्ग पर घघरिया नदी का पुल तथा जिला बुलन्दशहर में खुर्जा-शिकारपुर मार्ग पर काली नदी का पुल प्रमुख हैं।

वर्ष 1982-83 में सड़कों एवं पुलों के लिये निर्धारित 93.99 करोड़ रुपये के परिव्यय में से लगभग 43.65 करोड़ रुपये जिला सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिये निश्चित किये गये हैं जो सम्पूर्ण परिव्यय का लगभग 46.4 प्रतिशत है। इससे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत कुल 480 कि0 मी0 नई सड़कों का निर्माण, 940 किमी0 वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निमाण तथा 36 नये पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना सम्भव होगा। आगामी वर्ष में जिन महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण पूरा किया जाना प्रस्तावित है, उनमें जिला गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल, जिला हमीरपुर में उरई–राठ मार्ग पर बेतवा नदी पर पुल, जिला बरेली-मुरादाबाद मार्ग पर रेलवे उपरिगामी पुल, जिला गोरखपुर में कैम्पियरगंज-परतावल मार्ग पर रोहिन नदी पर पुल तथा नैनीताल जनपद में मझोला-मोरनाला मार्ग पर कैलाश नदी पर पुल उल्लेखनीय हैं।

वर्ष 1982-83 में सडकों के अनुरक्षण का प्राविधान 7,100 रुपये प्रति किमी0 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति कि0मी0 के हिसाब से कर दिया गया है। इसी प्रकार आवासीय व अनावासीय भवनों के अनुरक्षण की धनराशि वर्तमान प्राविधानित धनराशि से क्रमशः 1.04 करोड़ रुपये व 1.67 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिक कार्य साधक बनाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 147 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है। दवाओं और आहार के लिए इस वर्ष 7.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्राविधान किया गया था। अब पुनः इस मद में 2.92 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी आगामी वर्ष में की जा रही है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट हेतु आय-व्ययक में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान कर लिया गया है। इस इंस्टीट्यूट का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा एवं शोध कार्य हेतु एक ऐसे शीर्ष केन्द्र का विकास करना है जहां जटिल बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का उपचार हेतु भेजा जा सके। यह केन्द्र विशिष्ट चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध करायेगा।

इस वर्ष सरकार ने गैर सरकारी होमियोपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण कर दिया है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में 30 वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण व 1,420 उप-केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है। 535 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना का कार्यान्वियन किया जायगा। जिला और अन्य राजकीय चिकित्सालयों में 200 रोगी शैय्याओं की वृद्धि भी प्रस्तावित है।

विशेषज्ञ सेवा सुविधा प्रदान की दृष्टि से 17 दन्त रुजालयों, 15 नाक-कान-गला अनुभागों तथा 7 इन्टेन्सिव कोरोनरी केयर यूनिट की स्थापना का लक्ष्य है। तहसील स्तर के 10 चिकित्सालयों में मेडिकल तथा सर्जिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। 65 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों तथा 105 होमियोपैथिक औषधालयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। वय वर्ग 6–14 के जो बच्चे आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से औपचारिक शिक्षा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु भारत सरकार की सहायता से वय वर्ग 6–11 के बच्चों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 5600 केन्द्र तथा वय वर्ग 11–14 के बच्चों के लिए 1600 केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए अगले वर्ष एक करोड रुपये का प्राविधान किया गया है।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों के कार्यकलापों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उचित दिशा देने हेतु इस वर्ष राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गयी है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की प्रकृति, अपेक्षाओं और वर्तमान कार्यभार को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय के वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग को एक स्वतंत्र प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है।

उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जालौन व ललितपुर जिलों में एक-एक डिग्री कालेज खोला गया है। वर्ष 1982-83 में ओवरा (मिर्जापुर) तथा नोयडा (गाजियाबाद) में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

हरिजन कल्याण

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लगभग 46 लाख परिवार हैं जिनमें लगभग 30 लाख परिवार निर्धनता रेखा से नीचे हैं छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में 50 प्रतिशत अर्थात् 15 लाख परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य को लेकर इस प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अनुसूचित जातियों को पहुंचे, यथासम्भव पिछले दो वर्षों से आयोजनागत बजट में अनुसूचित जातियों के लिए धनराशि मात्राकृत की जा रही है । वर्ष 1982-83 के लिए 135.48 करोड़ रुपए के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के प्रारूप पर भारत सरकार से अनुमोदन का आग्रह किया गया है ।

प्रदेश सरकार के उपरोक्त प्रयास के अतिरिक्त भारत सरकार से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए पूरक के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है । वर्ष 1980-81 में 22.06 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी । वर्ष 1981-82 में अब तक 19.95 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है । वर्ष 1982-83 में 25 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

वर्ष 1980-81 में 1 लाख 56 हजार 769 परिवारों को 21.94 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें 5.79 करोड़ रुपए का अनुदान और 1.99 करोड़ रुपए का मार्जिन मनी ऋण और शेष बैंक ऋण था । वर्ष 1981-82 में नवम्बर तक की सूचना के अनुसार 78,308 परिवारों को 16.66 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई जिसमें 4.60 करोड़ रुपए अनुदान, 1.77 करोड़ रुपए मार्जिन मनी ऋण और शेष बैंक ऋण है ।

शासन स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है ।

अनुसूचित जाति के परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा की ओर अभिरुचि पैदा करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जो परिवार अपनी बालिकाओं को प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं और सभी स्रोतों से जिनकी मासिक आय 500 रुपए से अधिक नहीं है, उनको 15 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि बालिकाओं के अभिभावक बालिकाओं से छुट-पुट आमदनी का मोह त्याग कर उन्हें पढ़ने की अनुमति दें । अनुसूचित जातियों के असहाय व्यक्तियों को बीमारी में इलाज के लिए और उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी एक नयी योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

आवास एवं नगर विकास

नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं—विशेषकर मलिन बस्तियों में वृद्धि और नागरिक सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर गिरावट—के निराकरण हेतु राज्य सरकार जागरूक है । चालू वित्तीय वर्ष में कानपुर नगर विकास परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है । लगभग 41.35 करोड़ रुपये लागत की इस योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके 1985 तक पूर्ण होने की आशा है । आय-व्ययक में इस योजना के लिए 5.47 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य के विभिन्न नगरों में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक भवन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाये जा रहे हैं ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और गोरखपुर को भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 644 स्थानीय निकायों में से मार्च, 1981 तक 434 स्थानीय निकायों में पाइप द्वारा स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था कराई जा चुकी है । वर्ष 1981-82 व 1982-83 में 35 नये नगरों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है । जल संस्थान में सुधार लाने के दृष्टिकोण से उनके पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

प्रदेश में 35,506 ग्राम पेयजल के दृष्टिकोण से अभावग्रस्त हैं और इनमें से मार्च, 1981 तक 11,602 ग्रामों में ही पाइप लाइन द्वारा पेय जल की व्यवस्था की जा सकी है । वर्ष 1981-82 व 1982-83 में 3,100 ग्रामों में पाइप द्वारा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश की ग्रामीण पेय-जल योजनाओं के रख-रखाव हेतु वर्तमान 1.05 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था वर्ष 1982-83 में कर ली गयी है ।

श्रम

वर्ष 1981 के दौरान औद्योगिक संबंधों को सुधारने और शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं के निराकरण के लिए द्विपक्षीय वार्ता तथा त्रिदलीय सम्मेलनों के आयोजनों को प्रोत्साहित किया गया जिसके अनुकूल परिणाम निकले और सामान्यतः प्रदेश में औद्योगिक शान्ति बनी रही ।

वर्ष 1981-82 में मजदूरी की दरों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत 22 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की दरों का निर्धारण तथा पुनरीक्षण किया गया । वृद्धावस्था पेन्शन को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जायेगी ।

भारत सरकार ने देहरादून, हल्द्वानी, कानपुर, लखनऊ व नोयडा में विशेष प्रकार के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है । इन प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन एवं भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

न्याय

निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु एक बोर्ड का गठन किया गया है । उक्त बोर्ड ने 49 जनपदों में, 2 तहसील मुख्यालयों पर तथा उच्च न्यायालय में कानूनी सहायता एवं परामर्श समितियों का गठन किया है । शेष जनपदों में समितियों का गठन कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा । अभी तक बोर्ड द्वारा जिला देहरादून में लाखा मण्डल, लखनऊ में बख्शी-का-तालाब तथा मटियारी और लखनऊ नगर तथा कानपुर जिले में अकबरपुर में लगाये गये शिविरों में लगभग 3,500 मामलों का स्थल पर निपटारा किया गया। आर्थिक अपराधों के शीघ्र निस्तारण हेतु 50 जिलों तथा 34 तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक में एक-एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उ0प्र0 डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 के अधीन झांसी, इटावा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूं और ललितपुर में अध्यादेश में उल्लिखित अपराधों के निस्तारण हेतु

[श्री ब्रह्म दत्त]

अपर सेशन न्यायाधीश के एक-एक न्यायालय स्थापित किये गये हैं। उत्तरकाशी में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना कर दी गई है।

विज्ञान एवं पर्यावरण

विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से एक बहु उद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसका मुख्य कार्य उद्योगों तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर प्रोद्योगिकी का हस्तान्तरण करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों (भू-तत्वों, खनिज पदार्थों, जल श्रोतों एवं वन इत्यादि) के सर्वेक्षण हेतु एक रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर की स्थापना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रकार के उपग्रहों से प्राप्त सूचना का उपयोग इन संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु किया जायगा।

सैनिक कल्याण

1962 और 1965 में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को गृह निर्माण अनुदान हेतु 32.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के पौड़ी गढ़वाल स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिये 3.37 लाख रुपये स्वीकृत किए गये हैं। हल्द्वानी व लैन्सडाउन में भूतपूर्व सैनिकों के लिये विश्राम गृह की व्यवस्था व रानीखेत, देहरादून व जोशीमठ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्थानीय चिकित्सालयों में दस-दस शैय्याओं के वार्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों के लिए लैन्सडाउन में एक छात्रावास के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

वेतन आयोग

पिछले वर्ष मैंने वेतन आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख किया था। अब राज्य सरकार ने वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय ले लिया है। वेतन आयोग की संस्तुतियां स्वीकार करने से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 71.30 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आंका गया था। राज्य सरकार ने उदार दृष्टिकोण अपनाकर कई मामलों में वेतन आयोग की संस्तुतियों से भी अधिक सुविधायें देने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप अब यह वित्तीय भार लगभग 120 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जायेगा। राज्य सरकार ने संस्तुतियों पर निर्णय लेने से पूर्व अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों इत्यादि से वार्तायें की जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच सौहार्द-पूर्ण वातावरण बनाने में सफलता मिली है।

मुख्य रूप से उल्लेखनीय निर्णय निम्न प्रकार हैं:—

1—वेतन आयोग की संस्तुतियां 1 जुलाई, 1979 से लागू की गई हैं।

2—पुराने वेतनमानों के न्यूनतम व अधिकतम का अनुपात 1:17 था जो घटकर 1:10 रह गया है। वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 290 रुपये संस्तुत किया गया था जिसको राज्य सरकार ने बढ़ा कर 305 रुपये कर दिया है।

3—कुछ संवर्गों में पदोन्नति के अवसर बहुत कम थे। इन संवर्गों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकार किये गये हैं। इन संवर्गों में चपरासी, मजदूर, ड्राइवर, मैकेनिक, अकुशल कर्मचारी, कुशल कर्मचारी, अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा अन्य विभागों के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सक इत्यादि शामिल हैं।

4–अध्यापकों और बहुत से अन्य संवर्गों में जहां पहले सेलेक्शन ग्रेड का प्राविधान नहीं था, इस प्रकार का प्राविधान किया गया है।

5–दैनिक भत्ता, धुलाई भत्ता, वर्दी भत्ता, स्थानान्तरण के समय डिस्टर्बेन्स एलाउन्स आदि में वृद्धि की गई है।

6–कर्मचारियों के लिए कन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया है।

7–कर्मचारियों के लिए एक आवासीय योजना बनाई जा रही है जिससे प्रत्येक कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पूर्व अपने निजी मकान की व्यवस्था कर सकेगा।

8–वेतन आयोग ने नगर प्रतिकर भत्ता सितम्बर, 1981 के बाद नये कर्मचारियों के लिए समाप्त करने की संस्तुति की थी किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि नगर प्रतिकर भत्ता कायम रखा जायेगा और मेरठ नगर में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी।

9–वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता स्लैब के आधार पर नये वेतनमान के साथ 1971 की जनगणना के आधार पर देने की संस्तुति की थी कर्मचारियों को अधिक राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि यह भत्ता 1981 की जनगणना के आधार पर अन्य नगरों में जिनमें अभी अनुमन्य नहीं था, दिया जायेगा। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी समकक्ष राजकीय कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता मिलेगा।

10–जैसा कि मैं इंगित कर चुका हूं, राज्य सरकार ने उपरोक्त निर्णय अपने कर्मचारियों व अध्यापकों से लगातार विचार विमर्श करने की प्रक्रिया के बाद लिये हैं। यह स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है उसमें राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि व अन्य सुविधायें एक सीमा तक ही उपलब्ध कराया जाना सम्भव है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों में अपने कर्मचारियों को भरसक संतुष्ट करने का प्रयास इस आशा के साथ किया है कि राज्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करेंगे कि प्रदेश की उत्तरोत्तर उन्नति सम्भव हो सके।

पेंशनरों को राहत

शासन ने वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 1-7-1980 से अपने पेंशनरों को राहत देने के सम्बन्ध में उस नीति को अपना लिया है जिस नीति के आधार पर केन्द्र सरकार के पेंशनरों को राहत दी जाती है। इस प्रकार दिनांक 1-7-1980 के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अपने पेंशनरों के राहत की दरों में जो वृद्धि स्वीकार की गई है उसे राज्य सरकार के पेंशनरों को स्वीकृत किया जा चुका है।

वित्तीय प्रबन्ध

जैसाकि मैंने वर्ष 1981-82 के बजट भाषण में इंगित किया था, राज्य सरकार वर्ष के दौरान संसाधनों में जो कमी रह जायेगी उसकी पूर्ति के लिये संसाधन जुटाने के उपायों पर विचार करेगी। इन उपायों पर विचार करते समय जनता की सीमित कर वहन क्षमता को भी ध्यान में रखा जायगा। उस समय मैंने यह भी उल्लेख किया था कि कराधान जांच समिति ने अनेक उपाय सुझाये हैं जिनका उद्देश्य वर्तमान ढांचे के अधीन कर-पद्धति का अभिनवीकरण, उसके सरलीकरण तथा कर-संरचना के आधार का विस्तारीकरण है, ताकि उसे अधिक उत्प्लावी बनाया जा सके। साथ ही अर्थ व्यवस्था को तीव्र गति से पुनर्जीवित करने तथा विकास के गत्यावरोधों को दूर करने

[श्री ब्रह्म दत्त–]

के उद्देश्य से संसाधनों में वृद्धि सम्बन्धी उपाय भी किये जायेंगे। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में ही सरकार कराधान जांच समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेगी। इस पृष्ठभूमि में अब मैं उन उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनको राज्य सरकार ने निर्णय लेकर कार्यान्वित किया है।

मनोरंजन कर की दरों का अभिनवीकरण करके नीचे की श्रेणी में कर की दर में कमी की गई है तथा उच्च वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली उच्च श्रेणी के कर की दर में वृद्धि की गई है। स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क के अन्तर्गत कतिपय दरों में संशोधन किया गया है तथा सहकारी समितियों को उपलब्ध वर्तमान सुविधा को नियंत्रित करने तथा करापवंचन रोकने के उद्देश्य से वर्तमान सुविधा को सीमित किया गया है। कराधान जांच समिति ने बिक्री कर के ढांचे में अभिनवीकरण के जो सुझाव दिये हैं उनमें से अधिकांश को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा कर की दरों की संख्या में कमी कर दी गयी है। उपज के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तथा सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने के व्यय भार में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई दरों में वृद्धि की गई है। माल वाहक के लिए भाड़े की दर पिछली बार 1974 में निर्धारित की गई थी। तब से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि के कारण माल वाहक मालिक जनता से अधिक भाड़ा वसूल कर रहे थे यद्यपि उसमें वृद्धि शासन द्वारा औपचारिक रूप से नहीं की गई थी। इस कारण माल कर से होने वाली आय में करापवंचन हो रहा था। इसे रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने माल वाहक के लिए निर्धारित भाड़े की दरों में वृद्धि कर दी है।

व्यापारियों में असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से बिक्रीकर विभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वे के संबंध में आचार संहिता तैयार की गई है जो विभागीय अधिकारियों एवं व्यापारियों दोनों पर लागू होगी।

पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य मदों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के कारण राज्य विद्युत परिषद् तथा राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य संचालन व्यय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस वृद्धि की आंशिक पूर्ति के लिए राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत की दरों तथा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस के किराये में वृद्धि की गई।

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 6,200 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना आयोग की सहमति से निर्धारित किया गया है। इस योजना के वित्त पोषण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की वचनवद्धता राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दी है। छठी पंचवर्षीय योजना काल के पहले दो वर्षों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने का जो प्रयास राज्य सरकार तथा उनकी वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा अब तक किया गया है उससे छठी पंचवर्षीय योजना काल में लगभग 850 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन अर्जित होने का अनुमान है। इस प्रकार हमारी अभी 150 करोड़ रुपये के और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की वचनवद्धता है। पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कर्मचारियों पर बढ़ता हुआ व्यय भी सम्मिलित है, हमें और अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं।

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार कर एवं करेतर देयों के अवशेष 30 सितम्बर, 1981 को 316.33 करोड़ रुपये थे और इसी तिथि को ब्याज सहित ऋण का अवशेष 75.67 करोड़ रुपये था। आयोजना के संसाधनों में वृद्धि करने का उद्देश्य से बकाया देयों की वसूली की समीक्षा की गई है और बकायों की वसूली एक अभियान के रूप में की जा रही है। राजस्व परिषद् के वरिष्ठ सदस्य की

अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन प्रस्तावित है जो पुराने बकायों का विश्लेषण करके प्रस्तुत होने योग्य देयों के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी। कमेटी यह विश्लेषण भी करेगी कि इनमें से कितना देय भूमिहीन श्रमिकों व लघु सीमान्त कृषकों से संबंधित है।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में लगभग 163 करोड़ रुपये की शुद्ध धनराशि संग्रहीत की गई। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में और भी अधिक धनराशि संग्रहीत होने की आशा है। विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त स्त्रोतों से अधिकाधिक धनराशि जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1981-82 में अक्टूबर, 1981 के अन्त तक बैंकों द्वारा 27.12 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1981-82 में अब तक खोली गई बैंकों की 179 नई शाखाओं में से 167 ग्रामीण अथवा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में स्थापित की गई है। वर्ष 1980-81 में जो 5 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गये थे उनकी संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है।

जनता को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन संगठन को सुदृढ़ किया गया है तथा 5 नये मण्डलीय कार्यालय अगले वर्ष खोले जाना प्रस्तावित है।

सरकारी करों की उगाही में दक्षता लाने हेतु सरकारी कर्मचारियों ने जो अभिरुचि दिखाई है वह प्रसंशनीय है और आशा है कि इन प्रयासों से सरकारी करों की वसूली में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी और अगले वर्ष अपेक्षाकृत और भी अच्छे परिणाम होंगे।

आय-व्ययक अनुमान 1982–83

अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार अगले वर्ष राजस्व एवं पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 3088.00 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 2268.11 करोड़ रु0 की राशि में 762.19 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 374.89 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 789.28 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 341.75 करोड़ रुपये का करेत्तर राजस्व सम्मिलित है। पूंजीगत लेखे की 819.89 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 760.43 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 59.46 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

आगामी वर्ष का राजस्व व्यय 2176.34 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 439.62 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिए तथा 1736.72 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की वापसी और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 1160.53 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 702.15 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 458.38 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है। इस प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत लेखों में कुल 3336.87 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण संचित निधि के अन्तर्गत 248.87 करोड़ रुपये का घाटा संभावित है।

लोक लेखे के अन्तर्गत 119.90 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर बजट वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम स्वरूप 128.97 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है जिसके फलस्वरूप आय-व्ययक वर्ष का 33.69 करोड़ रुपये का प्रत्याशित प्रारम्भिक शेष अगले वर्ष के अन्त में 95.28 करोड़ रुपये के ऋणात्मक शेष में परिवर्तित हो जाने का अनुमान है।

[श्री ब्रह्म दत्त–]

वर्ष 1982-83 के संसाधनों में 128.97 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की आंशिक पूर्ति के उद्देश्य से सरकारी देयों की वसूली में अधिक तेजी लायी जायेगी। आयोजनेतर व्यय में भी अधिकाधिक मितव्ययिता का प्रयास किया जायेगा यद्यपि हमारा प्रति व्यक्ति आयोजनेतर राजस्व व्यय 1980-81 में लगभग 146 रुपये ही था जो कि बिहार राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से सबसे कम है। उपरोक्त के अलावा करों के अभिनवीकरण के कतिपय प्रस्ताव भी कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भू-राजस्व की दरों में असमानताएं चली आ रही हैं तथा उनको दूर करने की मांग शासन के सामने आती रही है। अतः भू-राजस्व के समीचीनीकरण का प्रस्ताव है। इस समय परिवहन विभाग द्वारा मार्गकर यात्रीकर तथा मालकर लिया जाता है। इन तीनों करों की वसूली अलग-अलग की जाती है और बस अथवा ट्रक के मालिकों को इन करों के भुगतान के लिये कई प्रपत्र भरने पड़ते हैं तथा कई स्थान पर कर जमा करना पड़ता है। इस प्रकार उनका जो समय नष्ट होता है और जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसे दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इन तीन विभिन्न करों को एक कर के रूप में संहत कर दिया जाए। इससे वाहन मालिकों को सुविधा तो होगी ही, साथ ही राज्य सरकार को भी अतिरिक्त आय होगी।

मंत्रि-परिषद् के समस्त सदस्यों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं जिनके सहयोग और परामर्श से तथा जिनके विभागों की सहायता से बजट समय पर प्रस्तुत करना सम्भव हो सका है। वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने के काम में दी है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम व सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण तत्परता से किया जा सका। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति इस कार्य में सहायता के लिये भी आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। पहली तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 17 मिनट पर सोमवार, 1 फरवरी, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
29 जनवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1132 पर।)

संलग्नक—'ख'

क्रम संख्या	वर्ष	संपरीक्षा आख्या के अनुच्छेद	अमान्य/ अनियमित भुगतान की राशि	विवरण
1	2	3	4	5
1—1976-77 एवं 1980-81			8.40	श्री सतुआ को 4-12-76 से 4-1-77 तक 32 दिन के स्थान पर 33 दिन का भुगतान।
2—1979-80	7(2)		117.15	अध्यक्ष के कानपुर कार्यालय के लिए किया गया डाक व्यय विद्यालय के कोष से वहन किया जाना अनियमित था।
3—1979-80	10		60.00	विद्यालय कोष से अध्यक्ष के जलपान हेतु भुगतान किये जाने के कारण भुगतान अमान्य था।
4—1978-79	7		100.00	बिल का वास्तविक धनराशि से अधिक भुगतान किये जाने के कारण भुगतान अमान्य था।
5—1977-78	7		978.00	श्री सूरजमल गौतम को स्वीकृत अवधि के उपरान्त से 3 माह का 326/- रु0 प्रतिमाह की दर से अनियमित/अधिक भुगतान।
6—1975-76	5(क)		1,446.86	आवर्तक अनुदान की अवशेष धनराशि राजकीय
7—1975-76	5(ख)		3,405.66	कोषागार में वापस जमा न किया जाना तथा इसका रोके रखना धन का दुरुपयोग था।
8—1975-76	9		3,990.00	श्रीमती शिवपति सक्सेना गृहमाता को 114 माह तक रु0 35/- प्रतिमाह की दर से अनियमित महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था जो अमान्य था।
9—1974-75	5		2,500.00	अतिरिक्त भत्तों के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न होने पर भी उसका भुगतान किया गया था, जो अनियमित था।
10—1974-75	5 (2) (1)		14,886.00	कु0 कुसुम सक्सेना को दिनांक 1-7-70 से 25-11-77 तक वेतनादि का अनियमित भुगतान किया गया था जो अमान्य था।
11—1974-75	6(प)		11,928.00	श्री हरिशंकर श्रीवास्तव को दिनांक 1-9-72 से 31-3-76 तक अनियमित वेतन का भुगतान किया गया था जो अमान्य था।
12—1970-71	6(क)		1,042.75	भुगतान प्रमाणक समीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय का औचित्य नहीं सिद्ध हो सका, अतएव वह भुगतान अमान्य था।

1	2	3	4	5
13	1969-70	6(ख)	91.95	अध्यक्ष के कानपुर से लखनऊ आकर प्रगति आश्रम के निरीक्षण के संबंध में किया गया था, जो अनुदान का दुरुपयोग था।
14	1969-70	(4)	26,420.20	अनुदान का उपभोग निर्धारित प्रयोजनों पर न कर अन्य प्रयोजनों पर किया गया था जो अनुदान का दुरुपयोग था।
15	1969-70	6(ख)	750.00	बिल जो आल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी लखनऊ के लिये किये गये कार्य से संबंधित था वह प्रगति आश्रम पर भारित किया गया था अतएव वह व्यय अनियमित था।
16	1968-69	3 टिप्पणी (तीन)	2,000.00	अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति से विद्यालय संचालन हेतु जो ऋण लिया गया था उससे अधिक धनराशि का ऋण की वापसी को भुगतान किया गया था जो अमान्य एवं अनियमित था।
17	1968-69	5(क)	2,685.01	पार्श्वांकित धनराशि के मूल्य का सामान श्रीमती एस0 कमल अधीक्षिका द्वारा आश्रम से लेकर वापस नहीं किया गया था जो अनियमित था इस राशि की अधीक्षिका से वापसी ली जानी चाहिए थी।
18	1967-68	6(2)	54.45	साज टेबुल वाच का क्रय विद्यालय के लिये पूंजीगत व्यय होने के कारण अमान्य था।
19	1967-68	6(2)	47.48	अध्यक्ष के निजी मोटर हेतु पेट्रोल का क्रय किया गया था जो अनियमित था।
20	1961-62	4(बी)	2,251.94	अनावर्तक अनुदान से अधिक पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया गया था जो अनियमित था।
21	1961-62	4(सी)(2)	3,640.06	बची हुई अनुदान की धनराशि जिसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था वह वापस नहीं की गयी थी, यह अनियमित था।
22	1961-62	4(सी)(2)	400.00	श्री राजेश्वर दयाल सोसाइटी के सदस्य को अनावर्तक अनुदान से अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया गया था, जो अमान्य था।
23	1961-62	6(इ)	1,235.78	लैट्रिन निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया जाना अमान्य था।
			80,040.09	

(ह0) अपठित 5-9-81
अतिरिक्त सहायक परीक्षक (मु0)
स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0.
इलाहाबाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0 400 वि0 सभा (702) -1983-813।